सप्तम माला, 31 March 1981

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(पांचवां सत्र)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपए

विषय सूची

अंक 32, मंगलवार, 31 मार्च, 1981/10 चैत्र, 1903 (शक)

विषय	पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख :	1
इण्डोनेशिया के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत	2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	
*तारांकित प्रश्न संख्या 598, 602, 604, 605, 607 और 611	3—21
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	
तारांकित प्रश्न संख्या : 599 से 601, 606, 608 से 610, 612 से 616 और 497	21—38
अतारांकित प्रश्न संख्या : 5672 से 5713, 5715 से 5723, 5725 से 5816, 5818 से 5838 और 5840 से 5845	38—200
स्थगन प्रस्तावों आदि के बारे में	200—205
सदस्य की गिरफ्तारी	205—212
सभा पटल पर रखे गए पत्र	212—214
लोक लेखा समिति 34 वां प्रतिवेदन	214
नियम 377 के अधीन मामले	215—220
(एक) केरल में एलेप्पी पत्तन से निर्यात कार्य फिर से शुरू करने की आवश्यकता (श्री बी०के० नायर)	215
(दो) राज्य में भयंकर सूखे का सामना करने के लिए राजस्थान सरकार को और अधिक सहायता दिए जाने की आवश्यकता (श्री अशोक गहलोत)	215
(तीन) रानीगंज क्षेत्र में खाना पकाने की गैस का उपलब्ध न होना (श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर)	216
(चार) तमिलनाडु में भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत बेदखल किए गए लोगों के पुनर्वास के उपाय (डा० बी० कुलनदईवेल)	217

*किसी नाम पर अंकित यह चिह्न * इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

विषय सूची

अंक 32, मंगलवार, 31 मार्च, 1981/10 चैत्र, 1903 (शक)

विषय	पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख :	1
इण्डोनेशिया के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत	2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	
*तारांकित प्रश्न संख्या 598, 602, 604, 605, 607 और 611	3—21
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	
तारांकित प्रश्न संख्या : 599 से 601, 606, 608 से 610, 612 से 616 और 497	21—38
अतारांकित प्रश्न संख्या : 5672 से 5713, 5715 से 5723, 5725 से 5816, 5818 से 5838 और 5840 से 5845	38—200
स्थगन प्रस्तावों आदि के बारे में	200—205
सदस्य की गिरफ्तारी	205—212
सभा पटल पर रखे गए पत्र	212—214
लोक लेखा समिति 34 वां प्रतिवेदन	214
नियम 377 के अधीन मामले	215—220
(एक) केरल में एलेप्पी पत्तन से निर्यात कार्य फिर से शुरू करने की आवश्यकता (श्री बी०के० नायर)	215
(दो) राज्य में भयंकर सूखे का सामना करने के लिए राजस्थान सरकार को और अधिक सहायता दिए जाने की आवश्यकता (श्री अशोक गहलोत)	215
(तीन) रानीगंज क्षेत्र में खाना पकाने की गैस का उपलब्ध न होना (श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर)	216
(चार) तमिलनाडु में भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत बेदखल किए गए लोगों के पुनर्वास के उपाय (डा० बी० कुलनदईवेल)	217

*किसी नाम पर अंकित यह चिह्न * इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

विषय | पृष्ठ

(पांच) हिमाचल प्रदेश के नाहन छावनी क्षेत्र में परम्परा से रहते आ रहे असैनिक परिवारों को उनके घरों और भूमि से हटाया जाना — 218
(श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी)

(छः) बंगलौर शहर को पानी की सप्लाई के लिए सहायता — 219
(श्री टी०आर० शमन्ना)

धर्मार्थ और धार्मिक न्यास तथा संस्थाओं के धन के निवेश संबंधी नई पद्धति के बारे में वक्तव्य — 220—221
(श्री आर० वेंकटरामन)

अनुदानों की मांगें, 1981-82 — 221—227

विदेश मंत्रालय

श्री पी०के० कोडियन — 221
श्रीमती उषा वर्मा — 225
श्री दौलतसिंह जी जदेजा — 226
श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार — 229
श्री नवलकिशोर शर्मा — 232
श्री अजीत सिंह दाभी — 233
श्री अब्दुल समद — 236
श्री राम प्यारे पनिका — 238
आचार्य भगवान देव — 241
प्रो० नारायण चंद पराशर — 244
श्री जी०एम० बनातवाला — 248
श्री मनीराम बागड़ी — 251
श्री ज्योतिर्मय बसु — 252
श्री पी०वी० नरसिंह राव — 253

एक चलती टैक्सी पर पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने से एक लड़के की मृत्यु के समाचार के बारे में वक्तव्य — 277—279
(श्री योगेन्द्र मकवाना)

अनुदानों की मांगें, 1981-82 — 279—305

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय

श्री रेणुपद दास — 284
श्री एम०एस० संजीवी राव — 295
श्री दिगम्बर सिंह — 299

लोक सभा

मंगलवार, 31 मार्च, 1981/10 चैत्र 1903 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजकर तीन मिनट पर समवेत हुई

(अध्यक्ष महदय पीठासीन हुए)

निधन सम्बन्धी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा को श्री गजराज सिंह, जो 1962-70 के दौरान तीसरी और चौथी लोक सभा के सदस्य थे, के दुःखद निधन की सूचना देता हूं।

इससे पहले वे 1952-62 के दौरान पंजाब विधान सभा के सदस्य रहे तथा 5 वर्ष से अधिक समय तक वहाँ की लोक लेखा समिति के सभापति रहे।

एक सक्रिय संसद खेद के नाते उन्होंने संसदीय क्रिया-कलापों में गहरी रुचि ली और लोक सभा की अनेक समितियों के सदस्य के रूप में कार्य किया।

वह एक वयोवृद्ध स्वतन्त्रता सेनानी थे। वे महा हरियाणा आंदोलन के संस्थापक सदस्य थे और 1930 में जेल गए थे।

एक प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता के नाते उन्होंने हरियाणा में ग्रामोत्थान तथा सामुदायिक विकास और छोटे उद्योगों के विकास के लिए काम किया।

29 मार्च, 1981 को 77 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई।

हम अपने इस मित्र की हानि के प्रति हार्दिक शोक प्रकट करते हैं और मुझे आशा है कि सभा उनके शोक संतप्त परिवार तक हमारी हार्दिक संवेदना पहुंचाने में मेरा साथ देगी।

सभा संवेदना व्यक्त करने के लिए कुछ देर के लिए मौन खड़ी रहें।

इसके पश्चात सदस्यगण कुछ समय तक मौन खड़े रहे।

इंडोनेशिया के संसदीय शिष्टमण्डल का स्वागत

अध्यक्ष महोदय : सबसे पहले मुझे एक घोषणा करनी है।

मुझे अपनी तथा इस सभा के सदस्यों की ओर से इंडोनेशिया की संसद के वाइस-स्पीकर माननीय मि० कर्तिजा और इंडोनेशियाई संसदीय शिष्टमंडल के माननीय सदस्यों को, जो हमारे सम्मानित अतिथियों के रूप में भारत आए हैं, हार्दिक स्वागत करते हुए बहुत प्रसन्नता है। शिष्टमंडल के अन्य माननीय सदस्य ये हैं :—

1. श्री आर० सोयंप्रतिजो, संसद सदस्य।
2. डा० सूर्यादी, संसद सदस्य।
3. श्री एच० एम० रसोआवार्दी, संसद सदस्य।
4. श्री मोरदिन कासिम, संसद सदस्य।
5. डा० अलोलियस अलाय, संसद सदस्य।

शिष्टमंडल यहाँ कल शाम पहुंचा और 6 अप्रैल, 1981 तक भारत में रहेगा। वे अभी स्पेशल बाक्स में बैठे हैं। हम उनके इस देश में सुखद और लाभदायक प्रवास की कामना करते हैं। उनके द्वारा हम इंडोनेशिया की संसद, सरकार तथा वहां के लोगों को अपनी सद्भावनायें भेजते हैं।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कोंकणी में रेडियो कार्यक्रम

* 598 **श्री एडुआर्डो फैलीरो** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कोंकणी गोवा में सर्वाधिक व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है;

(ख) आकाशवाणी पणजी का कुल प्रसारण समय कितना है और यह समय (भाषावार) किस प्रकार वितरित किया जाता है; और

(ग) कोंकणी में कार्यक्रमों का स्तर सुधारने और उनका नियत समय बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) पणजी का कुल प्रसारण समय 327 घण्टे प्रतिमास है। विभिन्न भाषाओं को दी गई भाषा-वार प्रतिशतता इस प्रकार है :—

कोंकणी	40 प्रतिशत
मराठी	18.9 प्रतिशत
हिन्दी	9.6 प्रतिशत
अंग्रेजी	24.9 प्रतिशत
पुर्तगाली	2.6 प्रतिशत
संस्कृत	0.3 प्रतिशत

(ग) पणजी केन्द्र कोंकणी के प्रसारणों सहित अपने कार्यक्रमों के स्तर में सुधार करने का सतत् प्रयास करता रहता है। पणजी केन्द्र द्वारा कोंकणी भाषा के कार्यक्रमों को दिया गया समय पर्याप्त समझा जाता है।

श्री बापूसाहिब परुलेकर : इन्हें कोंकणी में बोलने दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : यदि इन्होंने नोटिस दिया होता तो मैं इन्हें अनुमति दे देता।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : क्या मैं प्रश्न कोंकणी में पूछ सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : मेरा उत्तर वही है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मैं सचमुच यह कहूंगा कि इस सभा को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कुछ सदस्यों को अपनी भाषा में बोलने की अनुमति दी जाती है जबकि मेरे जैसे सदस्यों को अपनी भाषा में नहीं बोलने दिया जाता। मैं श्री परुलेकर द्वारा मराठी में बोलने के विरुद्ध नहीं हूं लेकिन मुझ कोंकणी में बोलने की अनुमति दी जाए।

सूचना तथा प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : आप प्रश्न कोंकणी में पूछ सकते हैं। मैं मराठी में उत्तर दूंगा।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : कोंकणी संघ राज्य क्षेत्र की सरकारी भाषा है, जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं। यह गोआ से बाहर के भी बहुत से लोगों की भाषा है अर्थात इसे सारे कोंकण क्षेत्र में बोला जाता है। यह साहित्य अकादमी से मान्यता प्राप्त है।

आकाशवाणी के सन्दर्भ में तीन प्रमुख सुझाव हैं जिन्हें मैं इस क्षेत्र के लोगों की ओर से मन्त्री महोदय के सामने रखूंगा। पहली मांग यह है कि कोंकणी क्षेत्रीय समाचार युनिट का दर्जा बढ़ाया जाए। इसके बारे में 1975-76 में कांग्रेस सरकार ने आश्वासन दिया था। मेरे विचार में यह बात उस वर्ष की मन्त्रालय की रिपोर्ट में शामिल की गई थी। अतः इसे कार्यान्वित किया जाए। इस प्रश्न में दिए गए सुझाव के आधार पर उस स्टेशन के प्रभावकारी बनाने के लिए दो बातें महत्वपूर्ण हैं, अर्थात् एक पूर्ण सुगम संगीत युनिट ही तथा एक बाहरी प्रकरण युनिट ही ताकि युनिट गांवों में जाकर यथार्थ तथा मानवीय रुचि

के कार्यक्रम रिकार्ड कर सके। ये तीन मांगें मैंने इस क्षेत्र के सभी लोगों की ओर से की हैं। क्या मन्त्री महोदय इन पर विचार करेंगे ?

श्री वसन्त साठे : मैं माननीय सदस्य के लाभदायक सुझाव देने के लिए धन्यवाद देता हूं मैं इन्हें आश्वासन देता हूं कि इन सभी सुझावों पर न केवल विचार किया जाएगा बल्कि इन्हें यथार्थवद्ध कार्यान्वित भी किया जाएगा।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मन्त्री महोदय को धन्यवाद देते हुए...

अध्यक्ष महोदय : आप अब भी सन्तुष्ट नहीं हैं ?

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मुझे खुशी है कि ये वह सब कर रहे हैं जो सम्भव है। बम्बई, बंगलौर तथा अन्य स्थानों में अधिक चैनल हैं। बम्बई में तीन चैनल हैं और एक चैनल पूर्णतः मराठी माध्यम के लिए है। क्या मन्त्री महोदय इस अनुरोध तथा माँग पर विचार करेंगे कि गोआ में कोंकणी के लिए एक चैनल होना चाहिए। यह भी बहुत जरूरी है। जब गोआ में दूरदर्शन का रिले केन्द्र है तो क्या कोंकणी कार्यक्रम पर अधिक जोर देने पर ध्यान दिया जाएगा ताकि इस क्षेत्र के लोगों को इन कार्यक्रमों से सम्बद्ध किया जा सके।

श्री वसन्त साठे : इन सुझावों पर तकनीकी दृष्टि से विचार करना जरूरी है। इतनी जल्दी मैं 'हां' अथवा 'न' नहीं कह सकता। जहां तक रिले सेन्टर का सम्बन्ध है, सभी कार्यक्रम बम्बई से रिले किए जाएंगे। हम बीच में कुछ नहीं जोड़ सकते। लेकिन हम इस बात पर विचार करेंगे कि तकनीकी दृष्टि से कौन सी बात व्यवहार्य है। रिले सेन्टर स्थापित होने के बाद वहाँ से कार्यक्रम केन्द्र में कैसे संचालित किए जाएंगे, इस पर अवश्य विचार किया जाएगा।

श्री एम०एम०ए० मलिक खाँ : मंत्री महोदय ने जैसा अपने जवाब में बताया कि कोंकणी को वहाँ पर 40 परसेंट टाइम दे रहे हैं, महाराष्ट्र की लेंगुएज को 18 परसेंट, अंग्रेजी को 24 परसेन्ट और हिन्दी, जो हमारी नैशनल लैंगुएज है उसको आप 9 परसेन्ट टाइम दे रहे हैं, तो यह जो सारा प्रोपेगन्डा आपने इतना बड़ा कर रखा है कि यहाँ से बाहर हिन्दी की जानकारी करने के लिए एम्बैसी की टीमें जाती हैं, आप हिन्दुस्तान में रेडियो पर एनाउन्स करके नेशनल लैंगुएज को 9 परसेन्ट टाइम दे रहे हैं तो मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि वह हिन्दी को बढ़ाने के लिए क्या काम कर रहे हैं ?

श्री वसन्त साठे : हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए उर्दू में जो आपने सिफारिश की है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मदद कर सकते हैं, इसमें क्या एतराज है ?

श्री वसन्त साठे : हम जरूर चाहते हैं कि दोनों का संगम बनाकर एक अच्छी

हिन्दुस्तानी जबान इस सारे देश में फैले और उसकी हमारी लगातार कोशिश भी है।

जहाँ तक गोआ और किसी भी रीजन का सवाल है, पहले रेडियो का मकसद है कि लोगों को उनकी जबान में उनके पास अपने प्रोग्राम और जानकारी पहुंचाई जाए। पहले जो वहाँ पुर्तगीज जबान थी, उसकी जगह अब अंग्रेजी ने ले ली है, क्योंकि जितने पढ़े-लिखे लोग हैं, जो प्रोग्राम देखना चाहते हैं, उनके लिए कोशिश की गई है। अब आप कहें कि अंग्रेजी को कम किया जाये, वहाँ के लोग यदि मांग करें और चाहें कि अंग्रेजी की जगह हिन्दी को बढ़ाया जाये तो हमें उसमें बड़ी खुशी होगी, लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को साथ लेकर उनकी इच्छा के मुताबिक काम करना चाहते हैं, यह हमारा उसमें मकसद है।

आचार्य भगवान देव : अध्यक्ष महोदय, यह कोंकणी का सवाल है, दीव और दमन भी उसी प्रान्त से सम्बन्धित हैं, वहाँ के लोगों की बहुत बड़ी शिकायत है कि आकाशवाणी की दृष्टि से हमें सुविधा नहीं मिलती, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार ने उस सम्बन्ध में क्या योजना बनाई है ?

श्री वसन्त साठे : मेरे पास तो ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है, अगर माननीय सदस्य के पास कोई शिकायत हो तो वह मेरे पास भिजवायें, जरूर उस पर विचार करेंगे।

प्रो० मधु दंडवते : क्या मन्त्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि कौंकणी भाषा एक सुन्दर इन्द्र धनुष की तरह है। यह एक बोली नहीं है, गोआ में अनेक बोलियाँ बोली जाती हैं। गोआ से मेरे चुनाव क्षेत्र रतन गिरि तक कई बोलियां बोली जाती हैं। अतः कोंकणी कार्यक्रमों का आयोजन करते समय क्या आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोंकणी भाषा के विभिन्न रूपों के इसमें स्थान दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : आप रत्नगिरि का नाम लेकर फिर अलफाँजो मैंगों की याद दिला रहे हैं।

श्री वसन्त साठे : यह अपनी बात कह रहे हैं। हम बहुत खुश होंगे और इन्द्र धनुष की तरह रंग बिरंगा होना हमारी इच्छा है। हम निश्चय ही इस बात का ध्यान रखेंगे कि विभिन्न रूपों को कैसे स्थान दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 599—श्री रामगोपाल रेड्डी। अनुपस्थित। प्रश्न संख्या 600—श्री चन्द्रशेखर मूर्ति। अनुपस्थित। श्री बी०वी० देसाई—अनुपस्थित।

आचार्य भगवान देव : अध्यक्ष महोदय, आप इस विषय में सोचें। माननीय सदस्य सवाल पूछते हैं और सदन में हाजिर नहीं रहते हैं। कितना बड़ा खर्च होता है गवर्नमेंट का।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 601—श्री फूलचन्द वर्मा । अनुपस्थित । कैसा सर्व-सम्मत निर्णय है ।

प्रश्न संख्या 602—श्री के० लकप्पा । अनुपस्थित । श्री एच० एन० नन्जे गौडा ।

मैसर्स सुदर्शन लाइनर्स लिमिटेड द्वारा कम्पनी अधिनियम का उल्लंघन

*602. **श्री एच०एन० गौडा :**

श्री के० लकप्पा : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स सुदर्शन लाइनर्स लिमिटड, मद्रास कम्पनी अधिनियम की धारा 417 के अन्तर्गत कम्पनी कानून का उल्लंघन कर रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो इस कम्पनी के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) यह कम्पनी, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 417 की अपेक्षाओं के पालन में यहाँ तक चूक करती हुई पाई गई थी, जहाँ तक कि 3,221 रु० की कर्मचारियों की सुरक्षा राशि भारतीय स्टेट बेंक अथवा किसी अनुसूचित बेंक के विशेष खाते में, या पोस्ट आफिस बचत बैंक खाते में, उक्त धारा के अनुसरण में, जमा नहीं कराई गई थी । तथापि, यह चूक 20-6-80 को सुधार दी गई है, जबकि यह राशि सेन्ट्रल बेंक आफ इण्डिया, मद्रास में, एक विशेष खाते में जमा करा दी गई थी ।

(ख) तथा (ग) ऊपर कथित चूक के लिए आवश्यक कार्यवाही विचाराधीन है ।

श्री एच०एन० नन्जे गौडा : महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि सुदर्शन लाइनस लिमिटेड कम्पनी कब स्थापित हुई थी और इसकी परिसम्पत्तियों का मूल्य कितना है । क्या यह सत्य नहीं है कि वही व्यक्ति जो सुदर्शन चिट फण्ड प्रबन्धक बोर्ड में हैं, सुदर्शन लाइनर्स लिमिटेड के प्रबन्धक बोर्ड में भी हैं ।

श्री पी० शिवशंकर : महोदय, सुदर्शन लाइनस लिमिटेड का 10 मार्च, 1976 का मद्रास में पंजीकरण हुआ था । इसकी अधिकृत पूंजी 50 लाख रुपये थी जो 10 रुपये के 5 लाख इक्विटी शेयरों में विभक्त थी । मैं इस बात से सहमत हूं कि इस कम्पनी के कुछ वे व्यक्ति जो इसके प्रबन्धक बोर्ड में हैं सुदर्शन चिट फंड के प्रबन्धक बोर्ड में भी हैं ।

श्री एच०एन० नन्ज गौडा : महोदय, मन्त्री महोदय ने यह स्वीकार किया है कि

वही व्यक्ति इस कम्पनी के प्रबन्धक बोर्ड में हैं। बताया जाता है कि सुदर्शन चिट फण्ड से जो भी रुपया जनता को धोखा देकर वे प्राप्त करते हैं उसे वे यहां निवेश करने का प्रयत्न कर रहे हैं और इस प्रकार जनता को धोखा देकर सारे धन का पूरा लाभ उठा रहे हैं। अतः मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार का इस सुदर्शन लाइनर्स लिमिटेड की सम्पत्ति को, यदि आवश्यकता हो तो, कानून में संशोधन करके भी कुर्क करने का विचार है ताकि लोगों को उनका रुपया वापस मिल जाए।

श्री पी० शिवशंकर : नहीं, जहाँ तक सुदर्शन चिट फण्ड द्वारा धोखा देने के प्रश्न का सम्बन्ध है, महोदय, हमने कम्पनी अधिनियम की धारा 209 क के अनुसार निरीक्षण आरम्भ कर दिया है। कुछ अनियमितताएं प्रकाश में आई हैं और इस शिकायत को दूर करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। रिजर्व बैंक तथा आर्थिक कार्य प्रभाग के ध्यान में भी ये मामले ला दिए गए हैं।

इस प्रश्न पर कि यह समस्या कितनी बड़ी है, अन्य सम्बद्ध मंत्रालयों की सलाह से गहराई से विचार किया जाएगा।

कडप्पा में दूरदर्शन केन्द्र

*604. **श्री के० ओबुल रेड्डी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कडप्पा में एक दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार ऐसे प्रस्ताव पर यह देखते हुए विचार करने का है कि कडप्पा रायल सीमा के लिए और दो पड़ोसी राज्यों, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के लिए केन्द्र स्थान है; और

(ग) क्या सरकार का विचार कडप्पा में एक दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने के लिए एक व्यवहार्यता सर्वेक्षण शीघ्र आरम्भ करने का है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) से (ग) संसाधनों की कमी के कारण छठी "योजना" अवधि (1980-85) के दौरान कडप्पा में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। दूरदर्शन के विस्तार के लिए भावी योजनाएं बनाते समय कडप्पा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाएगा।

श्री के० ओबुल रेड्डी : महोदय, माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में कहा है कि संसाधनों की कमी के कारण कुडप्पा में छठी पंचवर्षीय योजना में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने पर विचार नहीं किया जा सका। क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि छठी पंच वर्षीय योजना में अन्य शहरों को दूरदर्शन केन्द्रों के लिए चुना गया है और उनके

चयन करने के क्या आधार एवं माप दण्ड हैं तथा उन शहरों के नाम क्या हैं और क्या कुडप्पा को इन चुने गए शहरों से अपेक्षाकृत कम महत्व का समझा गया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : जहां तक दूरदर्शन केन्द्रों का सम्बन्ध है हमारा पहला उद्देश्य सभी राज्यों की राजधानियों में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का है। उसके बाद हम उन क्षेत्रों को लेने का भी विचार कर रहे हैं जिनके अन्तर्गत अधिक ग्रामीण आबादी आती है। इस उद्देश्य से योजना में संसाधनों की कमी को दृष्टि में रखते हुए अहमदाबाद, बंगलौर, त्रिवेन्द्रम और गोहाटी में चार दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है तथा कसौली, मुर्शिदाबाद, मदुरै, कोदाइकनाज, आसनसोल, विजयवाड़ा कटक, पणजी, वाराणसी में 1980-85 की अवधि के दौरान आठ प्रसारण केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है।

प्रो० एन० जी रंगा : हैदराबाद की क्या है ?

श्री वसन्त साठे : हैदराबाद पहले ही दूरदर्शन केन्द्र हैं। हम इसे एक परिपूर्ण कार्यक्रम निर्माण केन्द्र बनाने जा रहे हैं।

जैसा कि मैंने पिछले दिन कहा था, संसाधनों की कमी हैं। यद्यपि सर्वत्र टेलीविजन की माँग है किन्तु इसे बहुत कम प्राथमिकता मिली हुई है। पिछले दिन मैंने कहा था कि सारे मंत्रालय के लिए कुल बजट 32 करोड़ रुपए का है जो सारे वर्ष के लिए प्रति व्यक्ति 48 पैसे बैठता है और इसी में हमें सारी बातें करनी हैं। वास्तव में यह सम्भव नहीं है। अतः मेरे मित्र हमसे इस बात से सहमत होंगे कि जो कुछ हम कर सकते हैं हम निश्चित रूप से करेंगे।

श्री के० ओबुल रेड्डी : कुडप्पा शहर रयाल सीमा में स्थित है जिसमें पांच जिले हैं जिनकी आबादी एक करोड़ है। यह कई औजार संयंत्रों का औद्योगिक दृष्टि से विकास कर रहा है। चीनी मिलें भी वहाँ हैं। कई कताई मिलें तथा कागज मिलें स्थापित की जा रही हैं और आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के तिराहे पर स्थित है। इसकी सामरिक महत्व की स्थिति को ध्यान में रखते हुए तथा इसके तेज विकास को देखते हुए क्या मंत्री महोदय पुनर्विचार करेंगे और छठी योजना अवधि में कुडप्पा में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करेंगे ?

श्री वसन्त साठे : मैं मानता हूं कि कुडप्पा एक महत्वपूर्ण क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण केन्द्र है। दुर्भाग्यवश यह डाक-तार की सूक्षतरंग सम्पर्क प्रणाली के अन्तर्गत नहीं लाया गया है। यदि यह इसमें आ जाता हो वहां एक रिले सेन्टर बनाने की सम्भावना होती।

प्रो० एन० जी० रंगा : तिरुपति की क्या स्थिति है ?

श्री वसन्त साठे : तिरुपति का भिन्न मामला है। जहां तक कुडप्पा का सम्बन्ध है

मैं अपने मित्र को बताना चाहता हूं कि धारणा यह है कि अधिक से अधिक लोगों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को इस सेवा का लाभ हो। अब हम कुडप्पा में आकाशवाणी केन्द्र का 20 कि० वा० से 100 कि० वा० तक दर्जा बढ़ाने की सोच रहे हैं। आपको यह जान कर खुशी होगी कि इसे छठी पंच वर्षीय योजना में शामिल किया गया है। अतः आपको जहां तक टेलीविजन का सम्बन्ध है शान्त होना पड़ेगा।

श्रीमती ऊषा वर्मा : टी० वी० के लिए देहात के लोंगों को भी बड़ी उत्सुकता रहती है, तो क्या मन्त्री महोदय उत्तर प्रदेश के अन्दर भी एक सेंटर और खोलने की कृपा करेंगे ? मेरे जिले में भी लोगों की बहुत माँग है कि हमारे यहाँ भी यह सेन्टर होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

श्री बसन्त साठे : आपका भी विचार करेंगे।

तेल की खोज का कार्यक्रम

*605. **श्री राजेश कुमार सिंह** :

श्री राम चन्द्र रथ : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल की खोज का कार्यक्रम निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है;

(ख) क्या सरकार ने देश में तेल की खोज का कार्य तेज करने के लिए किसी कार्यक्रम को अन्तिम रूप दिया है;

(ग) यदि हाँ, तो कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रयोजन के लिए कितनी अतिरिक्त धनराशि का नियतन किया गया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हाँ। पिछले वर्ष असम में उपद्रवों के कारण हुए गतिरोधों को छोड़कर कार्य जारी है।

(ख) से (घ) एक विवरण पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

छठी पंच वर्षीय योजना (1980-85) में अन्वेषण तथा उत्पादन के लिए महत्वाकांशी कार्यक्रम के लिए 2873.58 करोड़ रूपए का वित्तीय परिव्यय शामिल कर लिया

गया है। तटवर्ती क्षेत्र में असम-अकरान, कृष्णा-गोदावरी और कावेरी बेसनों में अन्वेषण कार्य को तीव्र किया जाना है। केम्बे बेसन में अन्वेषण की गति को कायम रखा जायेगा। पश्चिम बंगाल, गंगा की घाटी, हिमालय की गिरिपीठों, राजस्थान, उड़ीसा के समुद्री तट और अन्य क्षेत्रों में अन्वेषण को उपयुक्त रूप से बढ़ाने के लिए प्रस्ताव दिया गया है। संभावी क्षेत्रों में कुछ क्षेत्रों जैसे उथले पानी के स्थान और मुहानें, जिनको संभार तंत्र की समस्याओं के कारण अभी तक नहीं लिया गया था उनका भी अन्वेषण जहाँ आवश्यक होगा, विशिष्ट ठेके पर कार्य करने वाली एजेंसियों को नियुक्त करके किया जायेगा। ओ० एन० जी० सी० और ओ० आई० एल० द्वारा तटवर्ती बेसिनों में लगभग 300 कुएं जिनमें 882,700 मीटर की गहराई शामिल है के कुल अन्वेषीव्यधन की परिकल्पना की गई है।

अपतट के सम्बन्ध में ऐसी आशा की जाती है कि आयल इंडिया महानदी डेल्टा क्षेत्र में अपने अन्वेषी कार्यक्रम को जारी रखेगा। ओ० एन० जी० सी० बम्बई अपतटीय बेसिन में उसकी सीमाएं गहरे पानी में बढ़ा कर अन्वेषण को जारी रखेगा। ओ० आई० एल० ने कच्छ की खाड़ी में, सौराष्ट्र अपतटीय संरचनाओं, अण्डेमान और निकोबार मग्नतट और उसके साथ साथ पूर्वी समुद्री तट बेसिनों जैसे पाक की खाड़ी और कृष्णा-गोदावरी बेसिनों में अन्वेषण करने के लिए प्रस्ताव दिया है। योजना अवधि के दौरान विभिन्न अपतटीय क्षेत्रों में लगभग 95 अन्वेषी कुओं को खोदने हेतु प्रयोग में लाई जा रही अपतटीय रिगों की संख्या बढ़ाने के लिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की योजना है।

इन सबके अतिरिक्त, बम्बई हाई क्षेत्र का पूर्ण विकास, अन्य संरचनाओं का विकास जैसे आर—12, दक्षिण बेसन तथा उत्तरी बेसिन क्षेत्रों नामक संरचनाओं तथा बी—37, बी—38 संरचनाओं का भी विकास योजना अवधि के दौरान किया जायेगा।

ओ० एन० जी० सी० और ओ० आई० एल० के प्रयासों में सहायता देने के लिये सुविख्यात विदेशी तेल कम्पनियों को उत्पादन साझेदारी के आधार पर कुछ चुने हुए ब्लाकों को पट्टे पर उठाने का प्रस्ताव दिया गया है।

श्री राजेश कुमार सिंह: माननीय मंत्री जी ने उत्तर में कहा है कि आसाम को छोड़कर अन्य जगह खोज का कार्य चल रहा है तो मैं जानना चाहूंगा कि आसाम में गतिरोध का क्या कारण है? क्या आसाम में कोई खोज का काम चल रहा है? अगर चल रहा है तो आप खुद ही चला रहे हैं या किसी के कोलेबोरेशन में चला रहे हैं?

दूसरे, 5600 करोड़ रुपए का हम तेल आयात करेंगे और आप ने जो धनराशि इसके लिए मुकर्रर की है वह 2873,58 करोड़ है, क्या इस धनराशि को आप बढ़ाएंगे?

तीसरे, आप ने खुद कहा है, ओ० आई० एल० ने कच्छ की खाड़ी में सौराष्ट्र में, अण्डमान और निकोबार में, पूर्वी समुद्र तट पर के बेसिनों में पालक की खाड़ी में और कृष्णा-गोदावरी बेसिनों में अन्वेषण करने के लिए प्रस्ताव दिए हैं, तो इन प्रस्तावों को कब तक

अमल में लाने का विचार है ? कब से खोज शुरू करेंगे ? क्या अभी इसका प्रस्ताव आया है या इस पर पहले से विचार कर रहे हैं और इस पर क्या कार्यवाही अब तक आपने की है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : अध्यक्ष महोदय, आसाम में आन्दोलन के समय आयल फील्ड्स में तेल का उत्पादन बन्द रहा जिसकी वजह से प्रोडक्शन की बात नहीं हो सकी···

श्री राजेश कुमार सिंह : मैंने प्रोडक्शन की बात नहीं की है ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं ।

लेकिन अब वहाँ पर उत्पादन कार्य शुरू हो गया है । असम अराकान बेसिन में आयल इंडिया सर्वे का काम कर रही है और एक्सप्लोरेशन का काम कर रही है । यह खयाल है कि वहाँ पर एक्सप्लोरेटरी 97 वेल्स तीन हजार मीटर के ओ० एन० जी० सी० के द्वारा किए जायेंगे और 34 वेल्स 1,13,500 मीटर आयल इंडिया के द्वारा किए जायेंगे । जहाँतक दूसरे एरियाज का सवाल है, उसमें भी सिक्स्थ फाईव ईयर प्लान में 1984-85 तक एक्सप्लोरेशन और ड्रिलिंग का काम ओ० एन० जी० सी० और आयल इण्डिया करेगी ।

इसके अलावा जैसा कि माननीय सदस्य को मालूम है, बाम्बे हाई से भी तेल का उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है । इसके अलावा बाहर की कुछ कम्पनियों को भी कुछ ब्लाक्स देकर तेल का उत्पादन बढ़ाने की कोशिश की जा रही है ताकि फिलहाल जो उत्पादन है उसको बढ़ाया जा सके और तेल का आयात कम किया जा सके ।

श्री राजेश कुमार सिंह : क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कुछ विदेशी कम्पनियों ने आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशन रखी है वह क्या हैं ? क्या आपकी अभी तक उनसे कोई वार्ता हुई है ? क्या कोई अन्य विदेशी राष्ट्र इस सम्बन्ध में आपकी सहायता कर रहा है या ओ० एन० जी० सी० और आयल इंडिया ही इस कार्य को कर रहे हैं ?

क्या आप विदेशी कम्पनियों को, जोकि तेल के खोज का काम करेंगी और क्रूड आयल का उत्पादन होगा, तेल में कोई शेयर देने जा रहे हैं ? यदि देने जा रहे हैं तो कितना शेयर देंगे ?

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 388 के अन्तर्गत आपसे निवेदन करना चाहूंगा । दिल्ली की जो पुलिस है··· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप कोई मोशन दीजिए। मैंने कब कहा कि यह अच्छी बात है लेकिन यहाँ पर कोई व्यवस्था चलनी चाहिए। (व्यवधान)* आप हाउस से पूछ लीजिए। अगर ऐसे ही चलाना है तो ऐसे ही चला लेंगे। (व्यवधान) आप मुझे बताइए, यह हाउस बैठा है, इस तरह का कोई केस लेकर यह हाउस कैसे चल सकता है ? (व्यवधान)* आप कोई मोशन के जरिए उठाइए। 12 बजे आप क्यों उठायेंगे ? (व्यवधान)*

(व्यवधान)

कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा। (व्यवधान) मैंने इसकी अनुमति नहीं दी। (व्यवधान) आपकी इच्छा है, यदि इस तरह से हाउस चलाना है। (व्यवधान) मैंने डिस-एलाउ कर दिया है। सारा हाउस बैठा है। व्यवस्था के हिसाब से और रूल्स के हिसाब से हाउस चलता है। हाउस के 544 मेम्बर्स यहाँ पर बैठे है, वे सारे दिल में यह सोचें कि मेरी बात चले और दूसरे की न चले, तो हाउस कैसे चलेगा। वी-हैव-टू-डिसाइड-दिस-थिंग। मैं जानता हूं जब किसी का बच्चा मरता है तो कितनी तकलीफ होती है, सबको होती है। किसको तकलीफ नहीं होती है। (व्यवधान) दोनों विचार हैं। एक ही पक्ष के दो विचार हो जाते हैं। आप कोई मोशन दीजिए, जिस पर मैं डिसकशन करवा सकूं। 377 का बन सकता है। होम-मिनिस्ट्री को डिमाण्ड्स आने वाली हैं ···(व्यवधान)··· यह क्वेश्चन आवर है। इसके बाद आप बात करिए। इस तरीके से थोड़े ही चलता है। मैं मानता हूं कि कोई गम्भीर मामला होता है। ··· (व्यवधान)··· कोई मोशन देंगे, तो मैं देखूंगा। ···(व्यवधान)··· रोकता मैं इसलिए नहीं कि कानून कोई नहीं हैं। वह भी व्यवस्था नहीं है।

···(व्यवधान)···

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक फॉरन आयल कम्पनी को ब्लाक देने का सवाल है, अभी उनकी तरफ से बिड्स आना है। बिड्स आने के पश्चात् ही उनसे वार्तालाप शुरू होगी।

इसके बारे में अभी कोई टर्म्ज-एण्ड-कण्डीशन्ज तय नहीं हुई हैं, इस लिए जब तक वे तय न हों इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है। जिन37 में से 22 कम्पनियों ने बिड देने में रुचि दिखाई हैं, उम्मीद है अप्रैल के अन्त तक उनकी बिड्स आ जायेगी और मई में वार्तालाप शुरू हो जायेगी।

श्री राजेश्वर प्रसाद सिंह : क्या उत्पादन में से कोई शेअर देने की बात की है ? जो क्रूड-आयल निकालेंगे उसमें से इतना शेअर देंगे—क्या ऐसी कोई बात हुई है या ऐसा कोई प्रस्ताव है ?

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जब तक बिड्स नहीं आयेंगी, जब तक कोई प्रस्ताव नहीं आयेगा, उसके बिना यह कहना मुश्किल है कि उनकी क्या मांगें हैं और हम क्या देंगे।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है :

"पश्चिम बंगाल, गंगा की घाटी, हिमालय की गिरिपीठों...तथा अन्य क्षेत्रों में अन्वेषण को उचित रूप से बढ़ाने का प्रस्ताव है...ओ० एन० जी० सी० और ओ० आई० एल० द्वारा तटवर्ती बेसिनों में लगभग 300 कुएं, जिनकी 882,700 मीटर की गहराई शामिल है, के कुल अन्वेषी व्यधन की परिकल्पना की गई है।"

मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या गौलशी, बोकुलताला और सुन्दर बन क्षेत्रों में अन्वेषण कार्य शुरू होगा। पहले यह पूरे दिल से नहीं किया गया। मुझे विशेषज्ञों ने बताया कि यदि आप 5,000 मीटर तक खुदाई करें तो निश्चित रूप से तेल मिलेगा। रूस के विशेषज्ञों ने कहा है कि कलकत्ता और सुन्दरबन क्षेत्र तेल के ऊपर तैर रहे हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इन क्षेत्रों अर्थात् गौलशी, बोकुल्टाजा और सुन्दरबन में 5,000 मीटर तक अथवा इससे भी अधिक गहराई तक खुदाई की जायेगी। मैं माननीय मंत्री से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

श्री प्रकाशचन्द्र सेठी : पश्चिम बंगाल में भी कुछ कुएं खोदे गये थे किन्तु उन्हें छोड़ना पड़ा क्योंकि उनमें तेल नहीं निकला। तथापि इन क्षेत्रों में तेल की सम्भावना है और हम वहाँ खुदाई करते रहेंगे और पश्चिम बंगाल में जहाँ कहीं भी हाईड्रोकार्बन मिलेगी—हम हर सम्भव क्षेत्र में अन्वेषण करेंगे।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : 5000 मीटर तक की खुदाई की क्या स्थिति है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : कोई समस्या नहीं है। अब हम 6000 मीटर से भी अधिक खुदाई कर सकते हैं।

डा० कृपासिंधु भोई : क्या मैं जान सकता हूं कि तटवर्ती तथा समुद्रतट से दूर दोनों क्षेत्रों में तेल की खोज के लिए देश में प्राचीन विरचना का सीमाँकन करने के लिए कोई वृहद् योजना तैयार की गई है और यदि हां, तो लक्षित तरीख क्या है ? क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि बंगाल की खाड़ी और प्रदीप पत्तन बेसिन में कार्ल्स बर्ग लिमिटेड कम्पनी ने उत्पादन प्रधान अन्वेषण के लिए खुदाई की है और खोज के बाद उन्हें मालूम हुआ है कि उस क्षेत्र में तेल के काफी अधिक भंडार हैं किन्तु रिगों की जांच नहीं की जा सकती है और वे 300 पौंड के दबाव को सह नहीं सकते अतः उन्होंने इसे छोड़ दिया गया। आयल इण्डिया महानदी बेसिन में काम करेगा। जहां तक समुद्रतट से दूर के क्षेत्रों में खुदाई के लिए रिगों को लगाने का सम्बन्ध है, योजना अवधि में इन क्षेत्रों में 95 कुएं खोदे जाएंगे।

श्री प्रकाशचन्द्र सेठी : तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने तटवर्ती और समुद्र तट से दूर के क्षेत्रों में तेल की खोज और खुदाई के लिए योजनाएं तैयार की हैं। जहाँ तक समुद्र तट से दूर के क्षेत्रों का सम्बन्ध है, वे सौराष्ट्र, कच्छ की खाड़ी, अण्डमान और निकोबार क्षेत्र में तथा पूर्वीतटीय बेसिनों में पाक की खाड़ी और कृष्णा-गोदावरी बेसिनों में खुदाई और सर्वेक्षण करने वाले हैं।

डा० कृपासिंधु भोई : कार्ल्स बर्ग लिमिटेड कम्पनी की खोज के बारे में क्या स्थिति है ?

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

अखबारी कागज की दोहरी मूल्य नीति लागू किया जाना

***607. श्री अर्जुन सेठी** :

श्री एन०ई० होरो : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अखबारी कागज पर बजट द्वारा लगाई गई 15 प्रतिशत की लेवी से छोटे एवं मध्यम दर्जे के समाचार पत्रों को बचाने हेतु अखबारी कागज के मामले में दोहरी मूल्य नीति लागू किए जाने के पक्ष में हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की नीति से सम्बन्धित ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) और (ख) : छोटे और मझौले समाचारपत्रों की सहायता करना सरकार की घोषित नीति है। अखबारी कागज पर 15 प्रतिशत के सीमा शुल्क के भार से सम्बन्धित मामलों में वित्त मंत्री सूचना और प्रसारण मंत्रालय के परामर्श से विभिन्न सुझावों पर विचार कर रहे हैं और अन्तिम निर्णय वित्त मंत्रालय द्वारा ही लिया जाएगा।

श्री अर्जुन सेठी : मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि वित्त मंत्रालय द्वारा किन विशिष्ट मुद्दों पर विचार किया जा रहा है जिससे छोटे तथा मझौले समाचार-पत्रों को सरकार के निर्णय से लाभ हो ?

श्री वसन्त साठे : मैं कोई वक्तव्य नहीं देना चाहता हूं कि वित्त मंत्रालय और हमारे मंत्रालय के बीच क्या चर्चा हो रही है क्यों कि ये वे मामले हैं जिन पर परस्पर विचार किया जाना है···**(व्यवधान)**

श्री मूलचन्द डागा : वह यह जानना चाहते हैं कि आपने वित्त मंत्रालय को क्या-क्या सुझाव दिए हैं।

श्री वसन्त साठे : यह भी मैं इस स्तर पर नहीं बता सकता। महोदय, पिछले दिन मुझे पूछा गया था कि क्या इन सुझावों पर विचार किया जा रहा है और मैंने कहा था कि इन पर विचार किया जा रहा है। उस पर मेरे माननीय मित्र प्रो० मधु दण्डवते ने मेरे विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव रखा...(**व्यवधान**)। आपको मालूम है कि यह विचाराधीन है। अत: मैं और आगे समस्याओं में नहीं पड़ना चाहता···(**व्यवधान**)। मेरे समक्ष पहले ही काफी समस्याएं हैं।

श्री अर्जुन सेठी : साथ ही मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि जहां तक छोटे और मझौले समाचार पत्रों को विज्ञापन देने की नीति का सम्बन्ध है क्या सरकार विशेष रूप से सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को कुछ सुझाव दिये हैं। उनके पक्ष में बहुत कुछ कहा गया है और सभा के सभी वर्गों ने छोटे और मझोले समाचार पत्रों के पक्ष में कहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय ने इस बातों को वित्त मंत्रालय के ध्यान में लाए हैं ताकि इन मुद्दों पर विचार हो और इन समाचार पत्रों के लाभ के लिए उचित कार्यवाही की जाए।

श्री वसन्त साठे : जहां तक विज्ञापन सम्बन्धी नीति का सम्बन्ध है हमें वित्त मंत्रालय के पास नहीं जाना है। मैंने पहले ही कहा है कि यह हमारी नीति है कि छोटे मझोले और भाषायी समाचार-पत्रों की सहायता की जाए। यह मैंने पहले ही कहा है। हमने भाषायी समाचार-पत्रों को दिए जाने वाले विज्ञापनों की दर को अंग्रेजी समाचार-पत्रों को दिए जाने वाले समाचार पत्रों को दिए जाने वाले विज्ञापनों की दर की बराबरी पर लाए हैं जिससे भाषायी तथा छोटे और मझोले समाचार पत्रों को इस सम्बन्ध में काफी राहत मिली है।

अध्यक्ष महोदय : श्री होगो···वह उपस्थित नहीं हैं। श्री नीरेन घोष।

श्री नीरेन घोष : काफी समय से मूल्य के प्रश्न के बारे में कहे जाने पर, जो कि सभा में उठाया गया था, यह स्वीकार किया गया कि मूल्य-पृष्ठ अनुसूची होना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या छोटे तथा मझोले समाचार पत्रों के लिए अखबारी कागज का कोटा काफी है और क्या उन्हें मालूम है कि ऐसे कई बड़े समाचार पत्र हैं जो पूरा कोटा लेते हैं किन्तु इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं उसे काले बाजार में बेचते हैं।

जहां तक विज्ञापनों का भी सम्बन्ध है, मैं सन्तुष्ट नहीं हूं। उन्होंने कहा है कि उन्हें बड़े समाचार-पत्रों की बराबरी पर माना जाता है। महोदय छोटे और मझोले समाचार-पत्रों को बड़े समाचार-पत्रों के बराबर सरकारी विज्ञापन कभी नहीं दिए गए और अभी भी नहीं दिए जा रहे हैं। मैं यह दावा करता हूं कि उनकी जानकारी गलत है और इसमें सुधार किया जाना चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह इसे ठीक करेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, वह बैठे-बैठे प्रश्न पूछ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप बैठे और खड़े में अन्तर नहीं कर सकते।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : महोदय, वह बेंच पर खड़े हों और प्रश्न पूछें।

श्री वसन्त साठे : महोदय, यह सत्य है...

अध्यक्ष महोदय : मैं अपने माननीय सदस्य को इस प्रकार दण्ड नहीं दे सकता।

श्री वसन्त साठे : महोदय, कई महान व्यक्ति छोटे कद के हुए हैं।

महोदय, यह सत्य है कि बड़े समाचार-पत्र छोटे तथा मझोले समाचार-पत्रों की तुलना में अधिक अखबारी कागज की खपत कर रहे हैं तथा अधिक विज्ञापन भी दे रहे हैं। अब हमारी जो नीति है उसके अनुसार हमने छोटे तथा मझोले समाचार-पत्रों को अधिक लाभ तथा महत्व देने का निश्चय किया है। उन्हें जो अखबारी कागज दिया जा रहा है उसे रात-रात में ही कम करना सम्भव नहीं है। इस पर विचार किया जायेगा कि कैसे छोटे और मझोले समाचार-पत्रों को और लाभ दिया जा सकता है। जहां तक मूल्य-पृष्ठ सूची का सम्बन्ध है, उच्चतम न्यायालय ने सकल मुकदमे में, इसे खारिज किया है अतः हमें अखबारी कागज की सप्लाई और वितरण को विनियमित करने के लिए तथा विज्ञापनों के लिए कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, सूचना मंत्री बार-बार कई अखबारों में स्टेटमेंट दे चुके हैं कि वे छोटे और मझोले समाचार-पत्रों को सुरक्षा देंगे जिसके लिए मैं उनका आभार मानता हूं। लेकिन फाईनेंस मिनिस्टर ने जो 15 परसेंट का आयात शुल्क लगाया है उससे भी उनकी सुरक्षा करने के लिए उन्होंने कोई गंभीर चिन्ता प्रकट की है और अगर की है तो इसमें कोई सुधार होने की आशा हैं या नहीं ?

श्री वसन्त साठे : हम इस पर चिंतन कर रहे हैं। (**व्यवधान**) आपकी तरफ देख चिंतन नहीं हो सकता, चिंता हो सकती है। (**व्यवधान**)

मैंने शुरू में कहा है···

अध्यक्ष महोदय : आपको तो भगवान ने ठेके पर ही बनाया लगता हैं।

श्री वसन्त साठे : अध्यक्ष जी, मैंने पहले ही कहा हैं कि फाईनेंस मिनिस्टर साहब खुद इस पर विचार कर रहे हैं। हमारे साथ उनकी चर्चा हुई है और योग्य निर्णय फाइनेंस मिनिस्ट्री ही लेगी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मन्त्री महोदय सदन को यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कारण है कि बड़े समाचार-पत्रों को विज्ञापन के लिए दिये जाने वाले

धन के लेखो को विशेष रूप से गुप्त दस्तावेज के रूप में रखा जाता है, यद्यपि यह धन राशि भारत की समेकित निधि से निजी कम्पनियों, व्यक्तियों आदि को दी जाती है, जिसका देश की सुरक्षा से कोई सम्बन्ध नहीं है ?

(ख) अखबारी कागज के कोटे के अधीन, सरकारी विज्ञापनों के वितरण के आधार पर, समाचार-विज्ञापन-अनुपात को लागू करने में कौन-सी रूकावट है ?

श्री वसन्त साठे : महोदय, जहाँ तक संख्या बताने की बात है, यह तो केवल सुविधा की बात है जिसे अखबारी कागज के उपभोक्ता या विज्ञापन उपभोक्ता इसे बताना नहीं चाहते क्योंकि इसका दूसरों पर प्रभाव पड़ता है। अतः सुरक्षा के विचार से ऐसा नहीं किया जाता है।

जहां तक पृष्ठों पर समाचारों और विज्ञापनों के अनुपात का सम्बन्ध है, इस मामले पर गम्भीरता से विचार किया जा रहा है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय मेरा उत्तर नहीं मिला है। जब देश की सुरक्षा और राज्य के हितों का सम्बन्ध हो तो, नियम तथ्यों को प्रकट करने से सरकार को संरक्षण प्रदान करते हैं। उस सम्बन्ध में नियम बड़े स्पष्ट हैं।

अध्यक्ष महोदय : लोक हित में नहीं ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने राज्य के हित में ही वह बात कही हैं। चूंकि देखना यह है कि निजी व्यक्तियों को भारत की समेकित निधि से धन दिया जा रहा है जिसमें कि राज्य की सुरक्षा या राज्य के हितों की कोई बात नहीं है। वे इसे सबसे अधिक गोपनीय दस्तावेज क्यों मानते हैं ? क्या यह सच्च नहीं है कि यह इसलिए किया जा रहा है कि कुछ समाचार पत्र अन्य पत्रों की तुलना सरकार का अधिक गुण-गान कर रहे हैं ? इसलिए इसको गुप्त रखा जाता है।

श्री वसन्त साठे : कुछ भी हो यह व्यवसायिक लेन-देन है। यदि यह निजी भी है, तो भी आंकड़ों को खोलकर बताना लोकहित में नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम अपने आप इन सब बातों को प्रकट करते जाएं ? सरकार भी व्यावसायिक लेन-देन करती है और हम नियमों के अनुसार चलते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप कृपया नियमों को देखिए। उन्हें ये सदन में बताने ही होंगे। यह उनका दायित्व है। महोदय आप नियमों को देख सकते हैं। महोदय मुझे इस बात पर आपका विनिर्णय चाहिए क्या समाचार-पत्रों को विज्ञापन के लिए दी जाने वाली धन राशि के बारे में रखी गई जानकारी देना लोक हित के विरुद्ध है।

श्री वसन्त साठे : इस मामले में हम वित्तीय संस्थानों की सामान्य व्यवसाय संहिता का पालन करते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय इस पर आपके विनिर्णय के लिए निवेदन किया गया है। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप कृपया इस बात पर विचार कीजिए कि क्या विज्ञापन के लिए दी जाने वाली धन-राशि की जानकारी देना उस नियम की कार्य सीमा के अन्तर्गत आता है ?

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा ठेकेदारों को दी गई राशि

* 611. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या ऊर्जा मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा वर्ष 1975-80 के बीच ठेकेदारों को (वर्ष-वार) कुल कितना भुगतान किया गया; और

(ख) इन ठेकेदारों द्वारा लगाए गए कर्मचारियों (जन दिवसों) की संख्या कितनी है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

नवीनतम सूचना के अनुसार, ठेकेदारों को कोयला कम्पनियों द्वारा दी गई धनराशि निम्नलिखित थी :—

(करोड़ रुपए)

वर्ष	ई० को० लि०	भा० को० को० लि०	से० को० लि०	वे०को० लि०
1975-76	6.43	15.57	8.11	6.57
1976-77	7.97	24.13	8.35	9.94
1977-78	7.62	26.11	9.71	3.36
1978-79	8.18	26.96	8.60	3.40
1979-80	9.02	27.02	12.18	3.92

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, इस प्रबन्ध से मैसर्स गनी खान चौधरी एण्ड कम्पनी और सरकार को मुख्य रूप से दो प्रयोजन सिद्ध होते हैं।

एक माननीय सदस्य : महोदय, यह क्या हो रहा है ? (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : इसमें क्या गलत है ? कम्पनी कानून और श्री विक्रम महाजन

तथा श्री शिवशंकर भी उस कम्पनी के अंग हैं। सरकार अविभाज्य है। आपके पूर्वाधिकारी श्री हेगड़े का एक विनिर्णय है। इसका तृतीय प्रयोजन है……

अध्यक्ष महोदय : आप सरकारी कम्पनी की बात कर रहे हैं निजी कम्पनी की नहीं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने तो सरकारी कम्पनी की बात की थी। मैंने निजी कम्पनी के बारे में कब कहा ? आप इतने निर्दयी मत बनिए कि शब्दों को ही मेरे मुंह में ठूसने लग जायें। मैं तो ठेठ देहाती आदमी हूं और इन सब बातों से अनभिज्ञ हूं। **(व्यवधान)** बहुत से लोग चिल्ला रहे हैं; ** (व्यवधान) मैं अपना शब्द वापस लेता हूं। **

महोदय, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हू कि क्या यह सच है……

प्रो० के० के० तिवारी : अध्यक्ष महोदय, आप उनको अनुमति कैसे दे रहे हैं ? क्या किसी सदस्य द्वारा इस सभा में मन्त्री महोदय को इस प्रकार सम्बन्धित करना चाहिए और आदरपूर्ण टिप्पणी करनी चाहिए ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने अपना शब्द वापिस ले लिया है। **(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : महोदय, इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा और उन्होंने इसे पहले ही वापिस ले लिया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : जी नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा है। महोदय, मैं दोहराता हूं जब मुझे इसके बारे में विचार आया……**(व्यवधान)**

श्री वसन्त साठे : अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं प्रतीत होना चाहिए कि उन्होंने कोई शब्द कहा है और फिर उसे वापिस ले लिया है। होना यह चाहिए कि सारी बात को कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जाना चाहिए जिससे कि कुछ भी कार्यवाही वृतान्त का अंग न बने और कुछ भी प्रतिवेदित न हो। ऐसा ही किया जाना चाहिए। आप सारी बात को कार्यवाही वृतान्त से निकाल दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ असंसदीय है, अनादरपूर्ण हैं, उन्हें कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जाएगा और मैं कार्यवाही वृतान्त को पढ़ूंगा।……

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय सेन्सर तो स्वंय चैम्बर में ही लग रहा है महोदय मुझे निर्देशन 115 के अधीन व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने की अनुमति दें। महोदय मैंने** शब्द का प्रयोग किया था। जब मुझे इसके बारे में विचार आया कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा तो

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

मैंने तुरंत इसे वापिस ले लिया । अतः इसमें क्या गलती है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं कहता हूं कि ** को वापिस ले लिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : अब आप जानते हैं कि आप क्या नहीं पसन्द करते ।

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय वे हर किसी की निन्दा करते रहते हैं और वे सोचते हैं कि वे इस सभा में सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : प्रोफ़ेसर मैं सभा में सबसे अधिक बेवकूफ आदमी हूं······ **(व्यवधान)**

महोदय, मैंने यह शब्द क्यों कहा यह बात मैं आपको चैम्बर में बताऊंगा । क्या मन्त्री महोदय कृपा करके बतायेंगे···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपा करके अब उन्हें प्रश्न पूछने दो ।

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, श्री बसु को आदरसूचक शब्द प्रयोग करने की आदत है । उन्होंने उनकी निन्दा करने के लिए श्री गनी खां चौधरी को ही चुना है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं कह चुका हूं कि मैं कार्यवाही वृतान्त को पढ़ूंगा और अनादर सूचक शब्दों को उसमें से निकाल दिया जाएगा । श्रीमन तिवारी जी आप नहीं जानते कि आप कह क्या रहे हैं । **(व्यवधान)**

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय श्री गनी खां चौधरी भी इस सदन के सदस्य हैं और उन्मुक्ति की भावना से उनके अधिकार का अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए । आपको श्री बसु को खिंचाई करनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : आप में से किसी को पता है आप क्या बात कर रहे हैं ? किसी को पता है क्या बात कर रहे हैं आप ?

श्री मनी राम बागड़ी : कोई नेता है इनका या नहीं ? कोई रूलिंग पार्टी का नेता है जो इनको रोक सके या नहीं है ? विरोध पक्ष और सत्ता पक्ष के अन्तर को आप समझिए । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : क्या हो रहा है हाउस में ?

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय वे जानबूझ कर ऐसा करते रहे हैं और बाद में उससे पीछा छुड़ाते रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या हो रहा है ? यह क्या हो रहा है ? आप बैठते क्यों नहीं हैं ? आप सुनते क्यों नहीं हैं ? आप बैठ जाइए । आप खड़े हैं तो वे बोलते हैं । आप क्यों खड़े हैं ?

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया ।

आप क्या कर रहे हैं ? एक बात मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आती है···

श्री मनी राम बागड़ी : आपका हुक्म मानूंगा, उनका नहीं। आप के कहने पर बैठ जाऊंगा उनके कहने पर नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मैं कह रहा हूं, रूल्ज कह रहे हैं। उनके कहने से आप कुछ भी कीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं। मैं यह कहना चाहता हूं कि हाउस में आप कर क्या रहे हैं ? हाउस कर क्या रहा है ? आप सुनते नहीं हैं, यह बात बिल्कुल गलत है। आप फिर खड़े हैं। यू शुड सिट डाउन। आप सुनते नहीं हैं, आप सोचते नहीं हैं।

श्री के० के० तिवारी : हम सब सोचते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप इसलिए नहीं सोचते कि आपने मेरा रूलिंग नहीं सुना। श्रीमान तिवारी जी आपने मेरा विनिर्णय नहीं सुना अर्थात आप बोल क्यों रहे हैं। यदि आपने मेरा विनिर्णय सुना होता तो आप ऐसा नहीं करते।

आप सुनते क्यों नहीं हैं ? मैं आपको यह कह चुका हूं। जो कुछ अनादरसूचक है, जो कुछ आरोपात्मक है तथा जो कुछ असंसदीय है, उसे कार्यवाही वृतान्त में नहीं रहने दिया जाएगा। यही मैंने कहा है। आप उसे सुनते क्यों नहीं हैं ? आपने सारी बातें सुनी नहीं, और फिर सारे के सारे बात करते हैं। 25,30 आदमी सब खड़े होकर सदन का हुलिया बिगाड़ रहे हैं। यह क्या बात है ?··· (व्यवधान)

यह क्या हो रहा है ? आप मेरी अनुमति क्यों नहीं लेते ?··· (व्यवधान)

प्रो० सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह क्या हो रहा है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के लिए पूर्णकालिक 'चैयरमैन'

* 599. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम में पूर्णकालिक चेयरमैन नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पद के कब तक भरे जाने की संभावना है ?

उर्जा मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी): (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, श्री डी० बी० कपूर को ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत विभाग में 3 जून, 1980 को भारत सरकार के सचिव के पद पर नियुक्त किया गया था। इसके परिणामस्वरूप वे तभी से राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाले हुए हैं।

(ग) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के पुर्णकालिक अध्यक्ष के चयन के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी कर दी गई है एवं उपयुक्त पूर्ण कालिक अध्यक्ष के बारे में निर्णय तथा शीघ्र ले लिया जाएगा।

अरुणाचल प्रदेश में तेल की खोज

***600. श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**

श्री बी०बी० देवाई : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरुणाचल प्रदेश के खारसंग क्षेत्र में तेल के नए भंडारों का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो क्या खारसंग के कुओं से तेल के नए भंडार विद्यमान होने का संकेत मिला है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या वह बताया गया है कि खारसंग के कुओं से प्राप्त होने वाला तेल, अपर असम के तेल क्षेत्रों के कुओं से प्राप्त तेल की तुलना में बहुत हलके किस्म का है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) जी, हाँ।

(ग) और (घ) इस क्षेत्र के एक कुएं से उत्पादित अशोधित तेल का गुरुत्व अपर असम में नाहर कटिया तेल क्षेत्र के क्रूड आयल की तलना में कुछ हल्का है, इसके अलावा सामान्यतया खरसाँग तेल अपर असम से प्राप्त औसत अशोधित तेल से भारी है।

नीमच, मध्य प्रदेश और चितौड़गढ़ (राजस्थान) में रेडियो स्टेशन

***601. श्री फूल चन्द वर्मा :** क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी का एक नया केन्द्र खोलने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रक्रिया अथवा मानदंड अपनाया जाता है;

(ख) क्या नीमच (जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश) अथवा चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) में एक रेडियो स्टेशन खोले जाने की मांग भी है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) नया रेडियो स्टेशन स्थापित करने का निर्णय, जिन क्षेत्रों में प्रसारण सेवा उपलब्ध नहीं है उनमें प्रसारण सेवा उपलब्ध करने की आवश्यकता, (2) सीमावर्ती क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं, (3) जनसंख्या की संघनता, (4) भाषायी और सांस्कृतिक कारणों, (5) तकनीकी सम्भाव्यता और (6) वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता जैसी अनेक बातों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है ।

(ख) इस प्रकार का कोई अनुरोध हाल ही में प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

रामागुण्डम और तालचर में उर्वरक संयंत्रों की निर्धारित क्षमता

*606. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रामागुंडम और तालचर स्थित कोयले पर आधारित दो उर्वरक संयंत्रों की निर्धारित क्षमता कितनी है;

(ख) क्या दोनों संयंत्र पूरी क्षमता से कार्य कर रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और स्थिति में सुधार के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) रामागुंडम और तालचर स्थित प्लांटों में से प्रत्येक की निर्धारित क्षमता 4,95,000 टन यूरिया प्रति वर्ष है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) दोनों प्लाटों में 1 नवम्बर, 1980 से वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ हुआ था । तब से प्लाँटों को प्रारम्भिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है जैसे कच्ची गैस कम्प्रैसर का खराब होना, वायु प्रथक्करण एकक में रिसाव और गैसीकरण के वेस्ट हीट वायलर में रिसाव आदि । इन समस्याओं का पता लगा लिया गया है और सुधारात्मक उपाय किए गए हैं ।

लद्दाख में खाना पकाने की गैस के सिलेण्डर पुनः भरने के लिए संयंत्र का स्थापित किया जाना

608. **श्री पी० नामग्याल** : क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समूचे लदाख में जंगल नहीं है और वहाँ ईंधन की लकड़ी की भारी कमी है ;

(ख) क्या सरकार का विचार लेह को तरल गैस युक्त सिलेण्डर ले जाने के जोखिम से बचने और ईंधन की कमी पर काबू पाने के लिए लेह में खाना पकाने की गैस के सिलेण्डरों को पुनः भरने के लिए एक संयंत्र स्थापित करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) ऐसा विश्वास है कि क्षेत्र में जंगलों के अपर्याप्त रूप से प्रतिपादन के कारण लद्दाख में जलाने की लकड़ी की कमी है ।

(ख) और (ग) वर्तमान में लेह में तरलीकृत पैट्रोलियम गैस बाटलिंग संयंत्र की स्थापना का कोई प्रस्ताव इस मन्त्रालय के विचाराधीन नहीं है । किसी भी स्थल पर बाट-लिंग संयंत्र की स्थापना क्षेत्र में उत्पाद की संभावित माँग, स्थल से शोधनशाला की निकट-स्थता तथा संभार तन्त्र पर निर्भर करती है । इन बातों के आधार पर लद्दाख में किसी बाटलिंग संयंत्र की स्थापना की योजना नहीं है । लेह में ईंधन की कमी को पूरा करने के लिए खाना पकाने की गैस के सिलेण्डरों के परिवहन के जोखिम को बाटलिंग संयंत्र की स्थापना करके दूर नहीं किया जा सकता है क्योंकि बाटलिंग संयंत्र तक ट्रकों द्वारा भारी मात्रा में तरलीकृत पैट्रोलियम गैस ले जाने की समस्या बनी रहेगी ।

तरल पैट्रोलियम गैस की भण्डारण क्षमता

*609. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में तरल पेट्रोलियम गैस की कितनी मात्रा तथा भण्डारण क्षमता उपलब्ध है;

(ख) क्या भण्डारण क्षमता न होने के कारण, उपलब्ध तरल पेट्रोलियम गैस व्यर्थ जाती है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसके लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) देश में

तरलीकृत पैट्रोलियम गैस (एल०पी०जी०) का वर्तमान मासिक उत्पादन लगभग 35000 मी० टन है। शोधनशालाओं तथा तेल कम्पनियों के बॉटलिंग संयंत्रों में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के लिए उपलब्ध भंडार क्षमता लगभग 18600 मी० टन है।

(ख) यदा कदा अपर्याप्त भंडार सुविधाओं की स्थिति को छोड़कर तरलीकृत पैट्रोलियम गैस (एल०पी०जी०) की उत्पादन क्षमता का अपेक्षित मात्रा से कम उपयोग कभी नहीं हुआ है।

(ग) आने वाले वर्षों में होने वाली अधिक उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए तेल कम्पनियों ने तरलीकृत पैट्रोलियम गैस की अतिरिक्त भण्डार क्षमता के लिए योजनाएं बनाई हैं।

बम्बई हाई गैस का ऊरन संयंत्र से तेल शोधक कारखानों को वितरण

*610. **श्री एस०एम० कृष्णा** : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई हाई गैस का ऊरन संयंत्र से शहर के तेल शोधक कारखानों को वितरण बार-बार निलम्बित किया जाता रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस मामले को ठीक करने के लिए उनका क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) स्पष्ट रूप से प्रश्न तरलीकृत पैट्रोलियम गैस की सप्लाई के बारे में है। ऊरान में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस संयंत्र को जुलाई, 1980 तक चालू किए जाने का कार्यक्रम था। वर्तमान में इसे चालू किया जा रहा है।

(ख) यह परियोजना बहुत जटिल है तथा इसमें कम ताप पृथक्करण शामिल है। एक विदेशी कम्पनी द्वारा प्रक्रिया संवेष्टन (प्रौसेस पैकेज) के पुनरावलोकन हेतु कुछ समर्थन परामर्शदात्री सेवाओं (बैक-अप कंसलटेंसी) के अतिरिक्त पूरी परियोजना भारतीय इन्जीनियरों तथा तकनीकी कर्मचारियों द्वारा तैयार की गई। कई उप-संविदायें भारतीय कम्पनियों को प्रदान की गयीं थीं तथा देशी उपकरण प्राप्त किए जाने में विलम्ब हुआ। दो वर्ष के प्रत्याशित वास्तविक कार्यक्रम के समय में सीमेंट की कमी, पावर कटौती तथा स्टील के आयात इत्यादि के कारण 8 महीने की और वृद्धि हो गई।

(ग) जैसा ऊपर वर्णन किया गया है संयंत्र को चालू किया जा रहा है तथा

अगर प्रारम्भिक कठिनाइयां गम्भीर न हुईं तो तरलीकृत पैट्रोलियम गैस का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन बहुत शीघ्र ही प्रारम्भ किया जायेगा।

विदेशी समाचार प्राप्त करने के लिए संवाददाता

*612. **श्री निहालसिंह :** क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों से समाचार प्राप्त करने के लिए कितने संवाददाता नियुक्त हैं;

(ख) विदेशों में नियुक्त संवाददाताओं को वेतन, आवास और परिवहन से सम्बन्धित क्या सुविधाएं दी गई है;

(ग) क्या ये सुविधाएं भारतीय कर्मचारियों के वेतन-मानों के आधार पर दी गई हैं अथवा विदेशी कर्मचारियों के वेतन-मानों के आधार पर दी गई हैं;

(घ) क्या सरकार ने विदेशों में और अधिक समाचार प्राप्त करने के लिए और अधिक संवाददाताओं को नियुक्त करने का निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) आकाशवाणी के चार पूर्णकालिक विशेष संवाददाता तेहरान, काहिरा, ढाका और हांगकाँग में तैनात हैं तथा सात अंशकालिक संवाददाता ब्रुसेल्स, काठमांडु, लन्दन, नौरोबी, दमासकस, बोन तथा मास्को में तैनात हैं।

(ख) विदेशों में तैनाती के समय पूर्णकालिक संवाददाताओं को विदेशों में तैनात गैर भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को देय वेतन तथा विदेश भत्ता, अतिरिक्त भत्ता और मुफ्त सुसज्जित आवास मिलता है। उनको स्थानीय कवरेज के लिए मनोरंजन भत्ता तथा वाहन भत्ता भी दिया जाता है। अंशकालिक संवाददाताओं को केवल 400/- रु० प्रति मास का समेकित शुल्क दिया जाता है।

(ग) ये सुविधाएं भारत में तैनात अधिकारियों के वेतनमानों के आधार पर दी गई हैं।

(घ) जी, हाँ। सरकार ने विदेशों में कुछ और संवाददाता नियुक्त करने की योजना को स्वीकृति दे दी है।

(ङ) इसका ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

नए तापीय बिजली संयंत्रों की स्थापना

*613. **श्री आर०पी० गायकवाड़** : क्या ऊर्जा मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश के विभिन्न भागों में नए तापीय बिजली संयंत्र स्थापित करने जा रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो स्थापित किए जाने वाले संयंत्रों पर, राज्यवार, कितनी लागत आएगी और उनके पूरा होने के सम्बन्ध में निर्धारित तिथियां क्या हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, हाँ।

(ख) विभिन्न राज्यों में निर्माणाधीन ताप विद्युत संयंत्रों के नाम, उनकी अद्यतन अनुमानित लागत तथा उन्हें चालू करने सम्भावित तारीखें सभा पटल पर रखे गए विवरण में दी गई है।

विवरण

स्वीकृत और निर्माणाधीन ताप विद्युत संयंत्र उनकी अद्यतन अनुमानित लागत तथा इन्हें चालू किए जाने का वर्ष दिखाने वाला विवरण

क्रम सं०	क्षेत्र/राज्य	परियोजना का नाम	क्षमता (मेगा०)	अद्यतन अनुमानित लागत (करोड़ रु० में)		चालू किए जाने का वर्ष
1	2	3	4	5		6
	उत्तरी क्षेत्र **हरियाणा**					
1.		पानीपत चरण-दो-यूनिट 3 और 4	2×110	72.93	यूनिट 3	1983-84
					यूनिट 4	1984-85
2.		पानीपत चरण-दो यूनिट 5	1×210	104.90	यूनिट 5	198 -86
3.		फरीदाबाद विस्तार यूनिट 3	1×60	31.45		1980-81
	उत्तर प्रदेश					
1.		ओबरा चरण-तीन यूनिट 12 और 13	2×200	374.40*	यूनिट 12	1980-81
					यूनिट 13	1981-82
2.		अनपारा यूनिट 1, 2 और 3	3×110	344.83	यूनिट 1	1983-84
					यूनिट 2	1983-84
					यूनिट 3	1984-85

*ओबरा चरण-दो की लागत इसमें शामिल है।

1	2	3	4		5	6
3.		परीछा यूनिट 1 और 2	2×110	125.56	यूनिट 1	1982-83
					यूनिट 2	1983-84
4.		टाण्डा यूनिट 1 से 4	4×110	212.09	यूनिट 1	1983-84
					यूनिट 2	1984-85
					यूनिट 3	1984-85
					यूनिट 4	1985-86
5.		ऊंचाहार यूनिट 1 और 2	2×210	193.03	यूनिट 1	1985-86
					यूनिट 2	1986-87
	पंजाब					
1.		रोपड़ यूनिट 1 और 2	2×210	207.00	यूनिट 1	1984-85
					यूनिट 2	1985-86
	राजस्थान					
1.		कोटा यूनिट 1 और 2	2×110	140.00	यूनिट 1	1982-83
					यूनिट 2	1982-83
2.		कोटा चरण-दो यूनिट 3 और 4	2×210	230.00	यूनिट 3	1985-86
					यूनिट 4	1986-87

1	2	3	4		5	6
	केन्द्रीय क्षेत्र					
1.		बदरपुर चरण-तीन यूनिट 5	210	88.22		1981-82
2.		सिंगरौली सुप०ता०वि० केन्द्र चरण-एक, यूनिट 1, 2 और 3	3 × 210	305.45	यूनिट 1	1981-82
					यूनिट 2	1982-83
					यूनिट 3	1982-83
3.		सिंगरौली सुप०ता०वि० केन्द्र चरण-दो, यूनिट 4, 5, 6 और 7	2 × 210 + 2 × 500	495.31	यूनिट 4	1983-84
					यूनिट 5	1983-84
					यूनिट 6	1986-87
					यूनिट 7	1987-88
	पश्चिमी क्षेत्र गुजरात					
1.		उकई यूनिट 5	210	80.00		1982-83
2.		वानकबोरी यूनिट 1, 2 और 3	3 × 210	228.20	यूनिट 1	1981-82
					यूनिट 2	1981-82
					यूनिट 3	1982-83

1	2	3	4		5	6
3.		वानकबोरी विस्तार यूनिट 4, 5 श्रौर 6	3×210	270.00	यूनिट 4	1984-85
					यूनिट 5	1985-86
					यूनिट 6	1985-86
4.		कच्छ लिग्नाइट यूनिट 1 श्रौर 2	2×60	71.27	यूनिट 1	1985-86
					यूनिट 2	1985-86
5.		सिक्का रिपलेसमेंट	1×120	54.78		1985-86
	मध्य प्रदेश					
1.		सतपुड़ा विस्तार यूनिट 8 और 9	2×210	165.58	यूनिट 8	1982-83
					यूनिट 9	1982-83
2.		कोरबा पश्चिम यूनिट 1 और 2	2×210	204.00	यूनिट 1	1982-83
					यूनिट 2	1982-83
3.		कोरबा पश्चिम विस्तार यूनिट 3 श्रौर 4	2×210	172.95	यूनिट 3	1983-84
					यूनिट 4	1984-85
4.		कोरबा पूर्व	120	46.40		1981-82
5.		बीरसिंहपुर यूनिट 1 श्रौर 2	2×210	210.00	यूनिट 1	1985-86
					यूनिट 2	1986-87

1	2	3	4	5		6
	महाराष्ट्र					
1.		कोराडी चरण-तीन	2×210	233.41	यूनिट 6	1981-82
					यूनिट 7	1982-83
2.		भुसावल चरण तीन यूनिट 3	1×210	77.62		1 82-83
3.		चन्द्रपुर चरण-एक यूनिट 1 श्रौर 2	2× 10	201.13	यूनिट 1	1982-83
					यूनिट 2	1982-83
4.		उरण गैस टरबाइन	4×60	98.84	यूनिट 1	1981-82
					यूनिट 2	1981-82
					यूनिट 3	1982-83
					यूनिट 4	1982-83
5.		ट्राम्बे विस्तार	1×500	180.00		1983-84
6.		पारली यूनिट 4	1×210	93.00		1985-86
7.		चन्द्रपुर चरण दो यूनिट 3 और 4	2×210	190.00	यूनिट 3	1984- 5
					यूनिट 4	1985-86

1	2	3	4		5	6
	केन्द्रीय क्षेत्र					
1.		कोरना सुप०ता०वि० केन्द्र यूनिट 1, 2, 3 और 4	3×210 +1×500	530.97	यूनिट 1	1982-83
					यूनिट 2	1983-84
					यूनिट 3	1983-84
					यूनिट 4	1986-87
	दक्षिणी क्षेत्र कर्नाटक					
1.		रायपुर यूनिट 1 और 2	2×210	226.27	यूनिट 1	1984-85
					यूनिट 2	1984-85
	तमिलनाडु					
1.		तूतीकोरिन यूनिट 3	1×210	85.00	यूनिट 3	1981-82
2.		मेत्तूर यूनिट 1 और 2	2×210	230.00	यूनिट 1	1985-86
					यूनिट 2	1986-87
	केन्द्रीय क्षेत्र					
1.		रामागुण्डम सुप०ता०वि०केन्द्र यूनिट 1, 2, 3 और 4	3×210 +1×500	671.20	यूनिट 1	1983-84
					यूनिट 2	1984-85
					यूनिट 3	1984-85
					यूनिट 4	1987-88
	एन०एल०सी०					
1.		नवेली दूसरा माइन कट	3×210	213.78	यूनिट 1	1984-85
					यूनिट 2	1984-85
					यूनिट 3	1985-86
	पूर्वी क्षेत्र बिहार					
1.		पतरातू चरण-चार यूनिट 9 और 10	2×210	100.00	यूनिट 9	1983-84
					यूनिट 10	1983-84

1	2	3	4	5		6
2.		बरौनी यूनिट 6 और 7	2 × 110	90.00	यूनिट 6	1982-83
					यूनिट 7	1983-84
3.		मुजफ्फरपुर यूनिट 1 और 2	2 × 110	146.02	यूनिट 1	1983-84
					यूनिट 2	1984-85
4.		तेनुघाट यूनिट 1 और 2	2 × 210	281.33	यूनिट 1	1986-87
					यूनिट 2	1987-88
	उड़ीसा					
1.		तलचेर विस्तार यूनिट 5 और 6	2 × 110	83.63	यूनिट 5	1981- 2
					यूनिट 6	1982-83
	दा०घा०नि०					
1.		दुर्गापुर यूनिट 4	1 × 210	75.14		1981-82
2.		बोकारो 'बी'	1 × 210	87.00		1984-85
	पश्चिम बंगाल					
1.		संथालडीह यूनिट 1, 2, 3 और 4	4 × 120	103.23	(पहली तीन यूनिटें पहले ही चालू कर दी गई है)	
					यूनिट 4	1980-81
2.		बंडेल यूनिट 4	210	83.42		1 81-82
3.		कोलाघाट यूनिट 1, 2 और 3	3 × 210	250.05	यूनिट 1	1982-83
					यूनिट 2	1983-84
					यूनिट 3	1984-85
4.		कोलाघाट विस्तार यूनिट 4, 5 और 6	3 × 210	286.73	यूनिट 4	1985-86
					यूनिट 5	1986-87
					यूनिट 6	1986-87

1	2	3	4		5	6
	सी०ई०एस०सी०					
1.		टीटागढ़ यूनिट 1, 2, 3 और 4	4 × 60	95.76	यूनिट 1	1982-83
					यूनिट 2	1982-83
					यूनिट 3	1983-84
					यूनिट 4	1983-84
	डी०पी०एल०					
1.		दुर्गापुर यूनिट 8	1 × 110	50.14		1983-84
	केन्द्रीय क्षेत्र					
1.		फरक्का सुपर ता०वि० केन्द्र यूनिट 1, 2 और 3	3 × 210	349.70	यूनिट 1	1984-85
					यूनिट 2	1985-86
					यूनिट 3	1985-86
	उत्तर पूर्वी क्षेत्र असम					
1.		बोगाईगांव यूनिट 1 और 2	2 × 60	83.68	यूनिट 1	चालू की जा चुकी है
					यूनिट 2	1981-82
2.		बोगाईगाँव विस्तार यूनिट 3 और 4	2 × 60	53.83	यूनिट 3	1983-84
					यूनिट 1	1984-85
3.		भमरूप वेस्ट हीट	1 × 22	14.89		1981-82
4.		रूद्रपुर विस्तार	30	21.55		1983-84
5.		राकवा गैस टरबाइन	3 × 15	15.51	यूनिट 1	1980-81
					यूनिट 2	1980-81
6.		मोबाइल गैस टरबाइन	3 × 3)	13.98	यूनिट 3	1981-82
7.		मोबाइल गैस टरबाइन	4 × 3)			1981-82
	एन०ई०सी०					1981-82
8.		गारो-हिल्स	2 × 30	43.20	यूनिट 1	1986-87
					यूनिट 2	1988-89

चलचित्रों का निर्माण

*614. **श्री एन० डेनिस :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन कैलेण्डर वर्षों के दौरान-गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा वाणिज्यिक लाभ उठाने के लिए कुल कितने चल-चित्र (भाषा-वार) बनाए गए;

(ख) उनमें से कितने चलचित्र सेंसर बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए गए;

(ग) कितने चलचित्र अनुमोदित नहीं किए गए; और

(घ) उनमें से कितने चलचित्र प्रदर्शित किए गए ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) फिल्म सेंसर बोर्ड भारत में फिल्मों के निर्माण के बारे में कोई रिकार्ड नहीं रखता, क्योंकि यह निजी क्षेत्र में है ।

(ख) फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा गत तीन कैलेण्डर वर्ष अर्थात 1978, 1979 और 1980 के दौरान प्रमाणीकृत की गई भारतीय फीचर फिल्मों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

भाषा	1978	1979	1980
हिन्दी/उर्दू	122	114	145
असमिया	6	10	7
बड़ागा	—	—	1
बंगला	37	37	37
भोजपुरी	1	2	3
अंग्रेजी	2	1	—
गुजराती	32	38	34
कन्नड़	54	59	68
कोंकनी	1	—	2
मलयालम	123	131	99
मणिपुरी	—	3	—
मराठी	15	19	28
उड़िया	15	11	15
पंजाबी	8	15	6
तमिल	105	140	145
तेलुगु	94	133	152
तुलु	3	—	—
नेपाली	1	1	—
कुल	619	714	742

(ग) फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा कैलेण्डर वर्ष 1978,79 और 1980 के दौरान जिन भारतीय फीचर फिल्मों को प्रमाण-पत्र देने से इंकार किया गया उनकी संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	जिन फिल्मों को प्रमाण-पत्र देने से इंकार किया गया उनकी संख्या	
1978	5	(4)
1978	1	(1)
1980	—	—

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े उन फिल्मों की संख्या दर्शाते हैं जिनके संशोधित रूपान्तर बाद में प्रमाणीकृत किए गए।

(घ) दिखाई गई फिल्मों की संख्या के बारे में फिल्म सेंसर बोर्ड के पास कोई सूचना नहीं है।

कोल इण्डिया द्वारा गैस टरबाइनों का आयात करने का प्रस्ताव

*615. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोल इण्डिया ने भारत सरकार से कोयले का अधिक उत्पादन करने तथा पूर्वी क्षेत्र की ऊर्जा सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु बिजली के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए गैस टरबाईनों का आयात करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है;

(ख) पिछले डेढ़ वर्ष में इस प्रस्ताव के स्वीकार न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) इसके बारे में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) यदि अनुमति मिल जाए तो कितने गैस-टरबाइनों का आयात किया जायेगा और सम्पूर्ण क्षेत्र के लिए कितनी अतिरिक्त ऊर्जा उपलब्ध होगी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, हाँ।

(ख) बिजली की आवश्यक जरूरत को पूरा करने की दृष्टि से बिजली के गृहीत उत्पादन के लिए गैस टर्बाईन सेटों के आयात के प्रस्ताव पर सरकार की विभिन्न एजेंसियों को ध्यान से जांच पड़ताल करनी पड़ी थी और इसके बाद ही 16.2.1981 को सरकार की मंजूरी दी जा सकी।

(ग) और (घ) कोल इण्डिया ने एक विश्वव्यापी टेंडर के आधार पर प्राप्त

प्रस्तावों का पहले ही निर्धारण कर लिया है। यह निर्णय किया है कि दो 10 मे० वा० के और दो 5 मे० वा० के सैट खरीदे जाएं।

आदिलाबाद, आंध्र प्रदेश में रेडियो स्टेशन

*616. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने आदिलाबाद, आंध्र प्रदेश में एक रेडियो ब्राडकास्टिंग स्टेशन शुरू करने की स्वीकृति तथा मंजूरी दे दी है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसका निर्माण कार्य कब आरम्भ किया जाएगा और कब तक पूरा हो जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) आकाशवाणी की स्वीकृत छठी "योजना" (1980-85) में आदिलाबाद में एक स्थानीय रेडियो स्टेशन की स्थापना के लिए प्रावधान शामिल है जिसके चालू "योजना" अवधि के दौरान मुकम्मल हो जाने की उम्मीद है।

औद्योगिक एककों का विलय

*497. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पाँच वर्षों के दौरान सरकार की अनुमति से औद्योगिक एककों के कितने विलय हुए हैं; और

(ख) इनमें से प्रत्येक विलय का विवरण क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) विगत 5 वर्षों में केन्द्रीय सरकार की अनुज्ञा (एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 23 (2)) के अन्तर्गत 26 औद्योगिक एककों का विलयन हुआ है।

(ख) सदन के पटल पर एक विवरण प्रस्तुत है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2255/81]

प्रोड्यूसरों के पदोन्नति के अवसर

5672. **श्री दिगम्बर सिंह** :

श्री किशन चन्द्र पांडे : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** दूरदर्शन के प्रोड्यूसरों के लिए पदोन्नति का कोटा के बारे में 12 अगस्त, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7725 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने प्रोड्यूसरों का पदोन्नति के अवसर बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ख) क्या यह सच है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव, जो प्रोड्यूसरों से जूनियर हैं तथा जूनियर ग्रेड में भी काम कर रहे हैं, अपनी पदोन्नति के लिए सूचना और प्रसारण मंत्री से आग्रह कर रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) :

(क) सरकार द्वारा नियुक्त कार्यक्रम कर्मचारियों सम्बन्धी संवर्ग पुनरीक्षण समिति ने, अन्य बातों के साथ-साथ, आकाशवाणी के प्रोड्यूसरों के पदोन्नति अवसरों को बढ़ाने के लिए कतिपय सीफारिशें की हैं जो सरकार के सक्रिय रूप से विचाराधीन हैं ।

(ख) कार्यक्रम एक्जीक्यूटिवों और प्रोड्यूसरों के बीच निश्चित कोई परस्पर वरीयता नहीं है, क्योंकि कार्यक्रम एक्जीक्यूटिव नियमित सरकारी कर्मचारी हैं और प्रोड्यूसर संविदा कर्मचारी हैं ।

कार्यक्रम एक्जीक्यूटिवों ने अगले उच्चतर ग्रेड (सहायक केन्द्र निदेशक) में अपनी पदोन्नति के लिए अभ्यावेदन दिया है ।

औद्योगिक विवाद अधिनियम का दंड कारण्य परियोजना पर लागू होना

5673. **श्री अनादि चरण दास :** क्या **पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा उच्च न्यायालय ने (1972 के ओ०जे०सी० संख्या 794 में) केन्द्रीय सरकार को यह आदेश दिया था कि वह औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की दंडकारण्य परियोजना पर क्रियान्वित के बारे में एक सक्षम यंत्र द्वारा जांच कराये और उचित कार्यवाही करे;

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले पर किस सयंत्र पर कब जांच की गई थी; और

(ग) मामले की जांच के बाद क्या उचित कार्यवाही की गई थी और न्याय कब तक दिया जायेगा ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, हाँ ।

(ख) और (ग) दण्डकारण्य परियोजना के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम लागू करने के प्रश्न की जाँच करने हेतु एक अन्तर्विभागीय समिति गठित की गई थी । तथापि, यह विचार किया गया था कि समिति की सिफारिशों की कोई कानूनी मान्यता

नहीं होगी और इस प्रकार एक समिति सक्षम फोरम नहीं होगी जैसी कि न्यायालय के निर्णय में परिकल्पना की गई है। अतः यह निर्णय किया गया था कि "सक्षम फोरम" शब्द के स्पष्टीकरण हेतु उड़ीसा उच्च न्यायालय से सम्पर्क किया जाए और क्या पूर्व गठित अन्तर्विभागीय समिति से यह प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। इस बीच में दण्डकारण्य परियोजना के सम्बन्ध में औद्योगिक विवाद अधिनियम लागू करने के बारे में दण्डकारण्य परियोजना के कर्मचारियों द्वारा उड़ीसा उच्च न्यायालय में एक और याचिका दायर कर दी गई थी। इसके विरोध में केन्द्रीय सरकार द्वारा दायर किए गए शपथ-पत्र में "सक्षम फोरम" शब्द के स्पष्टीकरण का अनुरोध किया गया था। न्यायालय द्वारा प्रत्याहरण के रूप में याचिका खारिज कर दी गई।

राष्ट्रीय तापीय बिजली निगम की पूर्ण की जा रही परियोजनाएं

5674. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय तापीय बिजली निगम की इस समय देश में पूर्ण की जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : राष्ट्रीय ताप विद्युत् निगम इस समय, उत्तर प्रदेश में सिंगरौली, मध्य प्रदेश में कोरबा, आंध्र प्रदेश में रामागुन्डम और पश्चिम बंगाल में फरूका, इन चार सुपर ताप विद्युत् केन्द्रों के निर्माण में लगा हुआ है।

राज्यों को पेट्रोल और गैस की सप्लाई

5675. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार राज्यों को पेट्रोल और गैस की सप्लाई उनके कोटे के आधार पर नहीं कर रही;

(ख) यदि यह सप्लाई कोटे के आधार पर है, तो जनवरी, फरवरी और मार्च 1981 के लिए विभिन्न राज्यों के लिए निर्धारित कोटे का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान राज्यों को वास्तविक सप्लाई का महीना-वार ब्यौरा क्या है।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाशचन्द्र सेठी) : (क) और (ख) राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) और तरल पैट्रोलियम गैस (एल० पी० जी०) के मासिक आवंटन करने की कोई प्रणाली नहीं है। देश के विभिन्न उपभोक्ता क्षेत्रों में मोटर स्पिरिट की अनुमानित आवश्यकतायें तेल कम्पनियों द्वारा तैयार

की जाती हैं और इन क्षेत्रों में उत्पाद को तदनुसार पहुंचाया जाता है। तरल पेट्रोलियम गैस के, सम्बन्ध में, विभिन्न बाजारों में उत्पाद की माँग को तेल कम्पनियों द्वारा वर्तमान उपभोक्ताओं के आधार पर निकाला जाता है और वितरण इस प्रकार के अनुमानों के आधार पर किया जाता है। (ग) जनवरी और फरवरी 1981 के दौरान, देश में मोटर-स्पिरिट और तरल पेट्रोलियम गैस के सम्पूर्ण विक्रय के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

मास	मोटर स्पिरिट की बिक्री	तरल पेट्रोलियम गैस की बिक्री
जनवरी, 1981	1.29 लाख मी० टन	0.36 लाख मी० टन
फरवरी, 1981	1.29 लाख मी० टन०	0-35 लाख मी० टन

मार्च, 1981 के लिए बिक्री आंकड़े तैयार नहीं हैं।

दूरदर्शन कार्यक्रमों की समीक्षा

5676. **श्री के० मालन्ना :** क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री :** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि दर्शन (सप्ताह में पांच बार) शास्त्रीय नृत्य और संगीत (रोजाना) और भेंटवार्ताओं जैसे अर्थहीन कार्यक्रमों के अलावा भारतीय दूरदर्शन केन्द्रों के पास अपने श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कुछ भी नया नहीं है और वे अपने कार्यक्रमों का बार-बार पुनरावृत्ति करते हैं।

(ख) क्या यह भी सच है कि गांवों में लगे टेलीविजनों को सामान्यत: शनिवार, रविवार को अथवा अधिक से अधिक सोमवार को नाटक देखने के लिए खोला जाता है ;

(ग) क्या यह भी सच कि दूरदर्शन कार्यक्रम अपने स्टूडियों तक ही सीमित रहते हैं और नाटक, दूरदर्शन फिल्में, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि रिकार्ड किए जाते हैं तथा इनमें प्रकाश व्यवस्था तथा आवाज की रिकार्डिंग भी खराब होती है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का इस सम्बन्ध में समूची कार्याविधि और प्रणाली की समीक्षा करने तथा श्रोताओं का अच्छा कार्य निष्पादन किये जाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी, नहीं। प्रथमत: कृषि दर्शन, शास्त्रीय नृत्य, संगीत और भेंटवार्ता जैसे सभी कार्यक्रमों को अर्थहीन कहना उचित नहीं होगा। दूसरे उपरि उल्लिखित कार्यक्रमों के अलावा, दूरदर्शन बड़ी संख्या में अन्य रोचक और लोकप्रिय कार्यक्रमों यथा फीचर फिल्मों, फिल्म आधारित कार्यक्रमों, नाटकों, पहेली कार्यक्रमों आदि को भी प्रस्तुत करता है। वास्तव में विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों के कार्यक्रमों को दर्शकों के विभिन्न वर्गों को ध्यान में रखते हुए

विविध रुचियों, आवश्यकताओं और हितों की पूर्ति करने के लिए तैयार किया जाता है।

(ख) जी, नहीं। वास्तव में दूरदर्शन के दर्शक अनुसंधान से यह पता चला है कि सामुदायिक वअ्रलोकन केन्द्रों में दर्शकों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही है और अनुदेशात्मक और शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए ग्रामीण दर्शकों में पर्याप्त रुचि है।

(ग) जी, नहीं। दूरदर्शन के कार्यक्रमों को सापेक्ष कार्यक्रम आवश्यकताओं पर निर्भर रहते हुए स्थलों पर स्टूडियों में तथा बाहर भी रिकार्ड किया जाता है।

(घ) दूरदर्शन और सरकार का दूरदर्शन के कार्यक्रमों के प्रभाव और उनके स्तर में सुधार करने की पद्धति का पुनरीक्षण करने का सतत् प्रयास रहता है।

उर्वरकों के लिए धारण मूल्य

5677. **श्री शिवकुमार सिंह :**

श्री कृष्ण प्रताप सिंह : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उर्वरकों के लिए धारण मूल्य निर्धारित किए हैं, और

(ख) यदि हाँ, तो वे मूल्य क्या हैं;

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी हाँ।

(ख) इस समय लागू प्रतिधारण मूल्य संलग्न विचरण में दिये गए हैं।

विवरण

यूनिट वार और उत्पाद वार प्रतिधारण मूल्य

यूनिट का नाम	उत्पाद	इस समय लागू प्रतिधारण मूल्य (रु० प्रति टन)
1	2	3
इण्डियन एक्सप्लोजिव्स लि०, कानपुर	यूरिया	1758
जुआरी एग्रो कैमिकल्स लि०, गोवा	यूरिया	1681
	19:19:19	2405
	14:35:14	2947
	28:28:0	2895
	18:46:0	3380

	2	3
मंगलौर कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स		
लि०, मंगलौर	यूरिया	1701
इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव्ज लि०		
कलोल	यूरिया	1242
काण्डला	12:32:16	2646
	10:26:26	2475
फूलपुर	यूरिया	2088
श्री राम कैमिकल्स लि०, कोटा	यूरिया	1623
कोरोमण्डल फर्टिलाइजर लि०,		
विजाग	28:28:0	2578
	14:35:14	2603
ई० आई० डी० पैरी, इन्नौर	16:20:10	2318
मद्रास फर्टिलाइजर्स लि०, मद्रास	यूरिया	1645
	17:17:17	2124
	14:28:14	2567
	24:24:0	2477
	18:46:0	3415
साऊदर्न पेट्रोकैमिकल्स इंडस्ट्रीज लि०		
तूतीकोरीन	यूरिया	1709
	18:46:0	3348
गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कम्पनी	यूरिया	1232
बड़ौदा	18:46:0	3215
फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया		
गोरखपुर	यूरिया	2192
सिंदरी	ट्रिपल सुपरफास्फेट	2573
	यूरिया	2263
तालचर	यूरिया	2259
रामगुण्डम	यूरिया	2248
हिन्दुस्तान कापर लि०, खेतरी	ट्रीपल सुपरफास्फेट	2281
फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि०		
उद्योगमण्डल	16:20:0	2181
	20:20:0	2353
कोचीन।	यूरिया	2182

1	2	3
कोचीन-II	17:17:17	2715
	28:28:0	3659
	18:46:0	4197
राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर लि०		
ट्राम्बे	यूरिया	2335
	15:15:15	1902
	20.8:20.8:0	2514
नेशनल फर्टिलाइजर्स लि०		
नंगल	यूरिया	2178
भटिण्डा	यूरिया	2394
पानीपत	यूरिया	2372
हिन्स्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि०		
दुर्गापुर	यूरिया	1912
बरौनी	यूरिया	2270
नामरुप	यूरिया	1446
नवेली	यूरिया	2533

अखबारी कागज की अवैध बिक्री

5678. **श्री मार्तण्ड सिंह :** क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा अखबारों को आवंटित अखबारी कागज की बड़े पैमाने पर अवैध बिक्री होती है और अनेक समाचार-पत्रों वाले संगठन इस बारे में सबसे बड़े दोषी हैं; और

(ख) क्या सरकार को पता है कि अनेक बड़े समाचार पत्रों द्वारा अखबारी कागज की वास्तव में खपत, जैसा कि उनके द्वारा दिए गए बिक्री सम्बन्धी आँकड़ों से स्पष्ट है, उनको आवंटित मात्रा से बहुत अधिक है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) सामान्य रूप से 1979-80 में समाचार-पत्रों की अखबारी कागज की खपत उनकी हकदारी के अन्दर पाई गई थी ।

दूरदर्शन और आकाशवाणी के "कमर्शियल चेनल" के लिए पृथक विभाग

5679. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने आकाशवाणी में कमर्शियल चेनल के लिए एक पृथक विभाग स्थापित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र की दो कम्पनियों आकाशवाणी और दूरदर्शन की विज्ञापन सेवाओं के लिए एक-एक को स्थापित करने के प्रस्ताव का अध्ययन किया जा रहा है।

बड़े औद्योगिक गृहों से विस्तार के लिए प्राप्त आवेदन

5680. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार विभाग में प्रथम पांच बड़े औद्योगिक गृहो से उनकी वर्तमान क्षमता के विस्तार के लिए अथवा उनके या उनकी सहयोगी कम्पनियों द्वारा नए एककों की स्थापना के लिये विचाराधीन पड़े आवेदनों का ब्यौरा क्या है; बढाई जाने वाली प्रस्तावित क्षमता अथवा स्थापित की जाने वाली नई क्षमता क्या है; और इससे कितना पूंजी निवेश सन्निहित है;

(ख) क्या सरकार एकाधिकारी गृहों से इस प्रकार के आवेदनों पर स्वीकृति के लिए नरम रुख अपना रही है; और यदि हां तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कुछ चुने हुए औद्योगिक गृहों के हाथों में और अधिक शक्ति के केन्द्रीयकरण की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) वर्ष 1979 में अपनी व्यापारिक परिसम्पत्तियों के आकार के क्रमानुसार, प्रथम पांच बड़े औद्योगिक घराने (1) बिड़ला (2) टाटा (3) मफतलाल (4) जे० के० सिंघानिया और (5) थापर थे। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की क्रमशः धारा 21 और 22 के अन्तर्गत व्यापारिक गतिविधियों के भारी विस्तार या नए उपक्रमों की स्थापना के लिए इन बड़े औद्योगिक घरानों से प्राप्त आवेदन-पत्रों के विवरण, जो सरकार के पास अनिर्णीत हैं, संलग्न विवरणपत्र 1 और 2 में दिए जाते हैं। (ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-2256/81)

(ख) एकाधिार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम का अभिप्राय अन्य

के साथ यह भी सुनिश्चित करना है कि आर्थिक पद्धति का संचालन सार्वजनिक अहितकारी आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रण का परिणामी नहीं हो। बड़े औद्योगिक घरानों के प्रस्तावों का एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 28 में उल्लखित सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों के सन्दर्भ में परीक्षा भी की जाती है और निर्बाधता केवल यह सन्तोष हो जाने के पश्चात् दी जाती है कि उपरोक्त उद्देश्य इस प्रकार के प्रस्तावों के द्वारा ही सिद्ध होगा।

(ग) उच्चाधिकार विशेषज्ञ समिति (सच्चर समिति) ने पहले ही एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के उपबन्धों का पुनरीक्षण किया है। समिति की रिपोर्ट, सदन के पटल पर 30-8-1978 को प्रस्तुत की गई थी। समिति के सुझाव, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के द्वारा उपलब्ध किए जाने वाले, सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों के सन्दर्भ में सरकार के सक्रिया रूप से विचाराधीन हैं।

जैनरेटिंग सेटों के आयात पर खर्च की गई धनराशि

5681. **श्री चिरंजीलाल शर्मा :** क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 के दौरान जैनरेटिंग सेटों के आयात पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ख) इस सम्बन्ध में देश को आत्म निर्भर बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री : (श्री विक्रम महाजन) (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक मंजूर किए गए आयात लाइसेंसों का कुल लागत बीमा भाड़ा मूल्य 21.56 करोड़ है।

(ख) 500 के० वी० ए० तक की क्षमता के तथा कुछ मामलों में इससे भी अधिक क्षमता के डीजल जेनरेटिंग सेटों का निर्माण देश में किया जा रहा है। उच्च क्षमता के डीजल इंजनों, आल्टरनेटर्स तथा नियन्त्रण गीयर के निर्माण के लिए क्षमता के सृजन को प्रोत्साहन देने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

मैसर्स भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड उच्च क्षमता के जेनरेटिंग सेटों का निर्माण कर रहा है। देश की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, मैसर्स भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने सेटों की रेंज तथा क्षमता में वृद्धि करने के लिए भी कदम उठाए हैं।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा नागालैंड में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के लिए मंजूर की गई धनराशि

5682. **श्री चिंगवांग कोनयक :** क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने नागालैण्ड में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के लिए धनराशियाँ मंजूर की है ;

(ख) यदि हाँ, तो योजनाओं के नाम क्या हैं; और

(ग) उनके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है और इनको कब तक पूरा किया जाएगा ?

उर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : स्कीमों के नाम, स्वीकृत ऋण राशियां तथा जिन अवधियों में इनके पूरे होने की आशा है, वे अवधियां **विवरण** में दी गई हैं ।

विवरण

नागालैंड में 28-2-1981 तक स्वीकृत की गई ग्राम विद्युतीकरण निगम स्कीमों का ब्यौरा दिखाने वाला विवरण ।

क्रम सं०	स्कीम का नाम (ब्लाक/तहसील)	जिला	स्वीकृत ऋण राशि (लाख रुपए में)	पूरा होने की अवधि
1.	मोकोकचुंग	मोकोकचुंग	46.017	1984-85
2.	वोखा	कोहिमा	55.222	1984-85
3.	जुन्नाबोटो	फेक	75.824	1984-85
4.	कोहिमा	कोहिमा	70.763	1983-84
5.	मोन	मोन	72.927	1984-85
6.	कोहिमा	कोहिमा	27.345	1982-83
7.	लोंगखीम	तुइनसांग	55.292	1984-85
8.	लोंगलेंग	तुइनसांग	70.943	1984-85
9.	दिमापुर	कोहिमा	1.288	1981-82
10.	तेन्नींग	कोहिमा	60.950	1985-86
11.	छाजुका	फेक	90.703	1985-86
12.	दिमापुर	कोहिमा	8.110	1983-84
		जोड़	635.384	

सम्भावित उपभोक्ताओं के अतिरिक्त प्रभार लिए बिना गांवों का विद्युतीकरण

5683. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के प्रत्येक राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम तथा विभिन्न राज्य विद्युत मडंलों द्वारा गांव के विद्युतीकरण कार्य को आरम्भ करते समय संभावित उपभोक्ताओं से अतिरिक्त प्रभार लिए बिना वित्तीय भार उन पर डाले बिना बिजली देने के लिए क्या 'मानदण्ड' अपनाए जाते हैं ;

(ख) हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश, पहाड़ी जिला तथा पूर्वोत्तर राज्यों में सम्भावित उपभोक्ताओं पर बिना वित्तीय भार डाले कितने गाँव (गांव की जनसंख्या के आधार पर) बिजली पाने के हकदार नहीं होते; और

(ग) गाँवों के विद्युतीकरण और सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें राज्य बिजली बोर्डों द्वारा बनाई जाती है तथा इन्हीं के द्वारा क्रियान्वित की जाती हैं। इनके लिए निधियों की व्यवस्था ग्राम विद्युतीकरण निगम के जरिए तथा राज्यों के सामान्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत की जाती है। राज्य बिजली बोर्डों को ऋण मंजूर करते समय निगम, ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों के विकास के स्तर के अनुसार विभिन्न मानदण्ड अपनाता है। पिछड़े तथा अविकसित क्षेत्रों के लिए बहुत उदार शर्तों पर ऋण सहायता उपलब्ध कराई जाती है। किसी गांव को बिजली का पारेषण करने के लिए लाइन खींचने के लिए निगम इच्छुक उपभोक्ताओं पर कोई प्रभार नहीं लगाता। जहाँ तक राज्य बिजली बोर्डों द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं का सम्बन्ध है, प्रत्येक बोर्ड अपने-अपने मानदण्ड अपनाता है।

(ख) ऊपर भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

(ग) देश में सभी गाँवों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए जाते हैं। इनमें ये शामिल हैं :—नई विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करना, वर्तमान यूनिटों से विद्युत उत्पादन में वृद्धि करना, पारेषण और वितरण के लिए और लाइनें खींचना तथा समय-समय पर ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए आबंटन में वृद्धि करना। वर्तमान अनुमान के अनुसार 1994-95 तक देश सभी गाँवों को विद्युतीकृत कर दिए जाने की आशा है।

आकाशवाणी पर मराठी प्रसारण के लिए और अधिक समय दिया जाना

5684. **श्री आर० के० महालगी :** क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को दिनांक 23 फरवरी, 1981 का एक ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें आकाशवाणी, पोर्टब्लेयर (अंडमान और निकोबार) पर मराठी प्रसारण के लिए और अधिक समय दिए जाने का सुझाव दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) जी हां।

1971 की जनगणना के अनुसार, द्वीप की कुल 1,15,133 जनसंख्या की तुलना में मराठी भाषी लोगों की संख्या केवल 115 थी। इसलिए पोर्ट ब्लेयर केन्द्र से मराठी के प्रसारणों के लिए और अधिक समय आवंटित करने का कोई औचित्य नहीं है।

लघु समाचार पत्रों को और अधिक विज्ञापन

5685. **श्री मुन्दर शर्मा :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार लघु और मझोले समाचार पत्रों को और अधिक विज्ञापन देने के कुछ नए प्रस्तावों पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) :

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

एल० पी० जी० गैस एजेंसियों का विभाजन

5686. **श्री डी० पी० यादव :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एल० पी० जी० गैस वितरकों ने अपनी एजेंसियों को दो या तीन भागों में विभक्त करने के लिए कोई अपील की है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) विद्यमान डिस्ट्रीब्युटरशिपों को दो और तीन भागों में विभक्त करने की

अनुमति देने से ग्रावंटित कोटे में से ग्रन्य सुयोग्य उम्मीदवारों को वंचित करना होगा। अत: यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे प्रस्तावों को प्रोत्साहित न किया जाए।

पंजाब के लिए लिक्विड पेट्रोलियम गैस के नए कनेक्शन

5687. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या पेट्रोलियम, रसायन ग्रौर उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई हाई गैस के "रिलीज" होने के परिणामस्वरूप पंजाब को लिक्विड पेट्रोलियम गैस के कितने कनेक्शनों का कोटा आवंटित किया गया है;

(ख) ये कनेक्शन कब तक उपलब्ध कराए जायेंगे; ग्रौर

(ग) क्या पंजाब में ग्रमृतसर, जालंधर ग्रादि प्रमुख नगरों में नए कनेक्शन देने के लिए कोई मार्ग निर्देश निर्धारित किए गए हैं, यदि हाँ, तो क्या ?

पेट्रोलियम, रसायन ग्रौर उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) ग्रौर (ख) वर्तमान नामांकन योजना के अनुसार, अगले एक वर्ष में पंजाब राज्य में लगभग 27,000 गैस कनेक्शन जारी किए जाने हैं।

(ग) पंजाब के ग्रमृतसर, जालन्धर तथा लुधियाना जैसे शहरों सहित तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के नए कनेक्शन इन क्षेत्रों के वितरकों द्वारा रखी गयी प्रतिज्ञा सूचियों में से जारी किए जायेंगे।

गाजियाबाद में इन्डेन के डीलरों द्वारा गैस सिलेण्डरों की सप्लाई

5688. **श्री भीखाभाई :** क्या पेट्रोलियम, रसायन ग्रौर उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गाजियाबाद में इन्डेन के डीलरों को इन्डेन गैस सिलैण्डरों की सप्लाई की पूर्ति के लिए एक सप्ताह से चार सप्ताह तक का समय लगता है;

(ख) यदि हाँ, तो इस ग्रनुचित विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उन्हें गाजियाबाद के इन्डेन गैस के डीलरों के विरुद्ध इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हाँ, तो उन डीलरों के क्या क्या नाम हैं ग्रौर उनके विरुद्ध किस किस्म की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ङ) क्या किसी डीलर के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई; ग्रौर

(च) गाजियाबाद में उपभोक्ताओं को समय पर इन्डेन गैस के सिलेण्डर की सप्लाई सुनिश्चित करनें के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) गुजरात शोधनशाला में कम उत्पादन होने के कारण सभी स्थानों जिसमें गाजियाबाद शामिल है जो इस शोधनशाला द्वारा घोषित किए जाते हैं, पर सिलेण्डर रिफिल्लों की अभी सप्लाई बकाया रही है।

(ग) और (घ) रिफिल्लों की देरी से सप्लाई आदि किए जाने सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त की गई हैं। गाजियाबाद में निम्नलिखित तीन वितरणकर्त्ता हैं :

(1) इंजीनियर्स गैस सर्विस (2) यूनाइटिड गैस कम्पनी और (3) गाजियाबाद गैस कम्पनी।

(ङ) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए वितरक के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

(च) गुजरात शोधनशाला को सप्लाई की पूर्ति करने के लिए बम्बई हाई से प्रपुंज मात्रा में तरल पैट्रोलियम गैस (खाना पकाने की गैस) के उठाने के लिए पहले उपाय किए गए हैं। ज्योंहि गुजरात शोधनशाला में उत्पादन सामान्य हो जायेगा, सप्लाई स्थिति में सुधार हो जाने की आशा है।

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा जाना।

5689. **श्री केशवराव पारधी :** क्या **पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के किन्ही अधिकारियों को हाल ही में प्रशिक्षण के लिए विदेशों में भेजा गया है;

(ख) यदि हाँ, तो अधिकारियों सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार भेजे गए अधिकारी अपने प्रशिक्षण के सम्बद्ध कार्य कर रहे थे; और

(घ) क्या इस प्रयास के खिलाफ किसी ओर से कोई विरोध किया गया था और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, हाँ।

(ख) पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के उप निदेशक (प्रशासन) श्री पी० डी० सेठ को प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था। उन्हें गृह मंत्रालय द्वारा, कोलम्बो योजना के अधीन ब्रिटिश सरकार द्वारा संचालित सप्लाई एण्ड मैटिरियल मैनेजमेंट नामक कोर्स के लिए दिनांक 19-1-81 से 10-4-81 तक की अवधि के लिए नामित किया गया था। इस कोर्स का उद्देश्य मध्यम तथा वरिष्ठ कोटि के प्रबन्ध अधिकारियों को तैयार करना है, ताकि वे वर्तमान सप्लाई पद्धतियों को विकसित कर सकें और सप्लाई की नई प्रणालियों का आयोजन कर सकें।

(ग) उक्त अधिकारी, पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय में उप-निदेशक (प्रशासन) की हैसियत से, भारतीय पूर्ति सेवा तथा अन्य कर्मचारियों से सम्बन्धित मामलों पर कार्यवाही करते हैं। प्रशिक्षण से वापिस आने पर, उन्हें ऐसे काम पर लगाए जाने की संभावना है, जहाँ उनके प्रशिक्षण का प्रत्यक्ष उपयोग किया जा सके।

(घ) जी, हाँ। इस सम्बन्ध में पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के अधिकारियों की एसोसियेशन से 29-1-81 को विरोध पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें यह कहा गया है कि ऐसे प्रशिक्षण का अधिक लाभ उठाने के लिए, भविष्य में, केवल भारतीय पूर्ति सेवा/भारतीय निरीक्षण सेवा के अधिकारियों को ही नामित किया जाए।

ऊर्जा मंत्रालय में विभिन्न सेवाएं/काडर

5690 **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय तथा उसके सम्बद्ध कार्यालयों द्वारा नियंत्रित सेवाओं के विभिन्न काडरों का ब्यौरा क्या है;

(ख) तकनीकी सेवाओं के पिछले काडर पुनरीक्षण के परिणाम स्वरूप प्रत्येक वर्ग में बढ़ाए गए पदों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि सभी सेवाओं का इस प्रकार के काडर का पुनरीक्षण नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो सभी सेवाओं के लिए काडर पुनरीक्षण करने हेतु क्या कार्यवाई की जा रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) ऊर्जा मंत्रालय तथा उसके सम्बद्ध कार्यालयों के नियंत्रणाधीन निम्नलिखित केन्द्रीय सेवाओं के संवर्गों के ब्यौरे नीचे दिए जाते हैं :—

(1) **केन्द्रीय सचिवालय सेवा**

(क) अनुभाग अधिकारी—रु० 650 (710)—1200

(ख) सहायक —रु० 425-800

(2) केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा

(क) उच्च श्रेणी लिपिक—रु० 330-560

(ख) अवर श्रेणी लिपिक—रु० 260-400

(3) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा

(1) ग्रेड क —रु० 775-1200

(2) ग्रेड ख —रु० 650-1040

(3) ग्रेड ग —रु० 650-900
(प्रवरण ग्रेड)

(4) ग्रेड ग —रु० 425-800

(5) ग्रेड घ —रु० 330-560

(4) केन्द्रीय विद्युत् इंजीनियरी समूह (क) सेवा

(1) मुख्य इंजीनियर —रु० 2500-2750
(स्तर—I)

(2) मुख्य इंजीनियर/ —रु० 2250-2500
सदस्य सचिव (स्तर—II)

(3) उप मुख्य इंजीनियर —रु० 2000-2250

(4) निदेशक/अधीक्षक इंजीनियर—रु० 2000-2250
(प्रवरण ग्रेड)

(5) निदेशक/अधीक्षक इंजीनियर—रु० 1500-2000
(सामान्य ग्रेड)

(6) उप निदेशक/कार्यपालक —रु० 1100-1600
इंजीनियर

(7) सहायक निदेशक/सहायक —रु० 700-1300
कार्यपालक इंजीनियर

(5) केन्द्रीय विद्युत् इंजीनियरी (समूह ख) सेवा
अतिरिक्त सहायक निदेशक/ —रु० 650-1200
सहायक इंजीनियर

(ख) से (घ) यद्यपि, केन्द्रीय सचिवालय सेवा, केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा तथा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के उपरोक्त ग्रेड विकेन्द्रीकृत कर दिए गए हैं, तथापि भाग लेने वाले विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के लिए इन सेवाओं के संवर्ग का

पुनरीक्षण गृह मंत्रालय के कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा समय-समय पर, अखिल सचिवालय आधार पर किया जाता है। केन्द्रीय विद्युत् इंजीनियरी सेवा का पुनरीक्षण प्रगति पर है।

कालकाजी कालोनी के ब्लाक 'जी' में जिनिंग प्रैसों को दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा बिजली की सप्लाई

5691. **श्री ए० यू० आजमी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कालका जी शरणार्थी कालोनी के ब्लाक 'जी' में जिनिंग प्रैसों के मालिकों को दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के प्राधिकारियों ने बिजली सप्लाई की है;

(ख) यदि हाँ तो एक रिहाइशी बस्ती में इस खतरनाक व्यवसाय को चलाने के लिए इस 'लोड' की कैसी मंजूरी दी गई है; और

(ग) क्या वह इस मामले की जाँच करायेंगे और इस 'पावर लोड' का कनेक्शन कटवाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करेंगे जो पर्यावरण परिस्थिति की और पास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए निरन्तर खतरा है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम

5692. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी :**

श्री कृष्ण प्रताप सिंह : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम की स्थापना किन उद्देश्यों से की गई थी;

(ख) निगम को विदेशों से अब तक कुल कितने ठेके मिले हैं और कितनी लागत के मिले हैं तथा अपने देश में ही निगम को कितनी लागत के कुल कितने ठेके मिले हैं; और

(ग) कितने ठेकों का कार्य निगम ने स्वयं निष्पादित किया और कितने ठेकों का कार्य ठेकेदारों के माध्यम से कराया तथा उनका पृथक-पृथक ब्यौरा और लागत क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम की स्थापना सरकारी क्षेत्र में ठेकेदारी अभिकरण के रूप में कार्य करने के लिए जनवरी, 1957 में की गई थी।

(ख) राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम को अब तक मिले कार्यों की संख्या 4 है, जिनका कुल मूल्य 37.57 करोड़ रुपए है। अद्यतन स्थिति के अनुसार देश के अन्दर मिले कार्यों की संख्या 46 है, जिनका कुल मूल्य लगभग 178.92 करोड़ रुपए है।

(ग) राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम के अधिकांश कार्य, निगम द्वारा विभागीय तौर पर किए जाते हैं, जिनमें वह अपने संयंत्र, उपस्कर, मशीनरी, उजरती कारीगरों, और मजदूरी की दर पर काम करने वाले कामगारों का उपयोग करता है। तथापि, कार्य संचालन सम्बन्धी मितव्ययिता के समग्र हित में कुछ कार्यों के कुछ भाग, उप-ठेकेदारों को दे दिए जाते हैं। इस समय केवल 6 उप ठेके दिए गए हैं, जिनका मूल्य लगभग 15 करोड़ रुपए है और जो हाथ में लिए गए कार्यों के मूल्य का 10 प्रतिशत से कम बैठता है।

3 बैंड रेडियों के लिए लाइसेंस और आदिवासी कार्यक्रम की रिकार्डिंग

5693. **श्री गुफरान आजम : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय 3 बैंड रेडियो के लिए भी लाइसेंस समाप्त कर रहा है क्योंकि 2 बैंड सेट का मूल्य भी उतना ही है;

(ख) यदि नहीं, तो उनका मंत्रालय आकाशवाणी के राष्ट्रीय और शिक्षाप्रद कार्यक्रमों के लिए दूर दराज की ग्रामीण जनता को अन्य क्या आकर्षक कार्यक्रम दे रहा है;

(ग) क्या आकाशवाणी के रिकार्डिंग दल लोक संस्कृति और कार्यक्रमों के लिए आदिवासी क्षेत्र का दौरा करते हैं और वर्ष 1980 के दौरान भोपाल से विशेषकर मध्य प्रदेश में बेतूल जैसे पिछड़े जिले से कितने कार्यक्रम प्रसारित किए गए; और

(घ) पिछड़े क्षेत्रों को अधिक प्रसारण देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव मंत्रालय में विचाराधीन नहीं है।

(ख) आकाशवाणी के कार्यक्रमों का मुख्य आकर्षण उनकी विषय-वस्तु है। इसके अलावा, 61 केन्द्रों पर 61 फार्म और गृह यूनिटें स्थापित की गई हैं। जहाँ तक अखिल भारतीय कार्यक्रमों का सम्बन्ध है, कुल मिलाकर इनको क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा मिडियम वेव फेसेलिटेटिंग लिसनिंग पर सस्ते सेटों पर रिले किया जाता है।

(ग) आकाशवाणी के रिकार्डिंग दल ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों का दौरा न केवल उन क्षेत्रों में समय समय पर होने वाले समारोहों और मेलों को कवरेज प्रदान करने के लिए ही अपितु लोगों को आकाशवाणी के कार्यक्रमों में शामिल करने के लिए भी

करते हैं। भोपाल केन्द्र से प्रसारित होने वाले दैनिक ग्रामीण कार्यक्रम को बेतूल जैसे क्षेत्रों सहित केन्द्र के सेवा क्षेत्र के सभी जिलों को निदेशित किया जाता है।

(घ) आकाशवाणी के 30 केन्द्रों को पिछड़े क्षेत्रों सहित फील्ड कवरेज के लिए ओ० बी० यूनिटें प्रदान की गई हैं। सरकार का इस प्रकार की 30 और यूनिटें स्थापित करने का प्रस्ताव है।

मंत्रालयों में पेट्रोल और डीजल की खपत में मितव्ययता

5694. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के मंत्रालयों में पेट्रोल और डीजल की खपत में मितव्ययता बरतने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं; और

(ख) अब तक किए गए प्रयासों का क्या परिणाम रहा है।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) भारत सरकार के मंत्रालयों में डीजल से चलने वाली मोटर गाड़ियों की संख्या बहुत कम है और इस प्रकार की मोटर गाड़ियों में हाई स्पीड डीजल तेल की खपत देश की कुल खपत जो कि प्रतिवर्ष 10 मिलियन मीट्रिक टन है की तुलना में नगण्य होगी। जहाँ तक पेट्रोल का सम्बन्ध है इस उत्पाद के मूल्य में वृद्धि कर दी गई हैं ताकि यह पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों के अन्धा-धुन्ध प्रयोग को निरूत्साहित करने का कार्य करें। मंत्रालयों में पेट्रोल की खपत ईंधन की खरीद के लिए प्रतिवर्ष बनाए जाने वाली बजट व्यवस्थाओं से नियन्त्रित होती है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय मन्त्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सलाह दी गई थी कि वे अपनी स्टाफ कारों में पेट्रोल की खपत में बचत करें। संक्षिप्त में यह बताना सम्भव नहीं है कि उपर्युक्त अनुदेशों के अनुसरण से मंत्रालयों में पेट्रौल की कितनी बचत हुई है।

एस० सी० पी०सी० द्वारा एंटीबायोटिक्स और स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट के आवंटन के आदेश जारी किया जाना

5695. **श्री पीयूष तिरकी :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979-80 और 1980-81 में स्टेट केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स कोरपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के कुछ कर्मचारियों द्वारा कुछ स्वदेशी एककों के बिना पंजीकरण के एंटीबायोटिक्स और स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट के लिए कितने आवंटन आदेश जारी किए गए;

(ख) क्या सरकार को पता है कि उपरोक्त के कारण स्वदेशी एककों ने इस अवधि में, सी० पी० सी० द्वारा अधिकृत रूप से जारी की गई मात्रा से अधिक आवंटित राशि का उपयोग किया; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार इस बात से कैसे इन्कार करती है कि आवन और खरीद प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं किया गया है;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) : दि स्टेट कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन आफ इंडिया लि० (सी० पी० सी०) ने सूचित किया है कि उन्होंने स्वदेशी निर्माताओं के बिना पंजीकरण के वर्ष 1979-80 और 1980-81 के दौरान स्ट्रेप्टोमाइसिन या किसी अन्य सारणीबद्ध एंटी-बायोटिक्स के आवंटन का आर्डर नहीं किया है। सी० पी० सी० ने सूचित किया है कि उन्होंने आवंटन में समय-समय पर सरकार द्वारा घोषित वितरण नीति का पालन किया है तथा उन्होंने सी० पी० सी० बोर्ड द्वारा निर्धारित क्रय प्रक्रिया का पालन किया है और कोई दुरुपयोग नहीं हुआ है।

गुजरात द्वारा और अधिक कच्चे तेल की मांग

5696. **श्री नवीन रवाणी :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात ने 1981-82 के दौरान 1977-78, 1978-79 और 1979-80 की तुलना में अधिक कच्चे तेल की माँग की थी;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त अवधि के दौरान कितनी मात्रा का आवंटन किया गया और कितनी मात्रा दी गई;

(ग) गुजरात को कम सप्लाई किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) देश में उक्त अवधि के दौरान कच्चे तेल का कुल कितना उत्पादन हुआ ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) तेल शोधन-शालाओं को अशोधित तेल की सप्लाई केवल इसे पेट्रोलियम उत्पादों में शोधित करने के लिए की जाती है। प्रश्न में प्रयोग किए गए शब्द "अशोधित तेलों" का तात्पर्य शायद लाईट डीजल तेल (एल० डी० ओ०) से है जिसका प्रयोग पंम्प सैटों में किया जाता है। गुजराज सरकार ने, हाल के महीनों में, राज्य को पिछले वर्षों में की गई सप्लाई की तुलना में अधिक एल० डी० ओ० सप्लाई करने के लिए कहा है।

(ख) गुजरात सहित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को एल० डी० ओ० के मासिक आवंटन की कोई व्यवस्था नहीं है। इस उत्पाद का शोधनशालाओं से तथा तेल कम्पनियों के प्रतिष्ठापनों से विभिन्न उपभोक्ता क्षेत्रों को तेल कम्पनियों द्वारा अनुमान लगाई गई

मात्रा के आधार पर परिवहन किया जाता है। एल०डी०ओ० की माँग माह प्रति माह तथा वर्ष प्रति वर्ष बदलती रहती है तथा यह वर्षा के होने पर तथा सिंचाई के लिए कृषि क्षेत्र की आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। 1977-78 से 1979-80 के वर्षों के दौरान गुजरात राज्य में एल० डी० ओ० की कुल बिक्री नीचे दी गयी है :

आंकड़े मीट्रिक टनों में

वर्ष	एल० डी० ओ० बिक्री
1977-78	3,18,400
1978-79	3,15,000
1979-80	3,20,000

(ग) तेल कम्पनियों की कोशिश यह है कि एल० डी० ओ० की मांग को पूरी तरह पूरा किया जाए। जहाँ तक गुजरात राज्य का सम्बन्ध है, थोड़े समय को छोड़ कर जबकि कांडला में उत्पाद के अपर्याप्त मात्रा में पहुंचाये जाने के कारण अस्थाई रूप से कमी का सामना करना पड़ा था, आमतौर पर इस उत्पाद की माँग को पूरा किया गया है।

(घ) 1977-78 से 1979-80 के वर्षों के दौरान देश में एल० डी० ओ० का कुल उत्पादन इस प्रकार रहा :

वर्ष	उत्पादन
1977-78	1.224 मि० मी० टन
1978-79	1.227 मि० मी० टन
1979-80	1.230 मि० मी० टन

सोडा ऐश का उत्पादन और कमी

5697. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोडा ऐश के 92 प्रतिशत से अधिक उत्पादन केवल दो एकाधिकारियों के कथित नियंत्रण के बारे में अखिल भारतीय सिलीकेट निर्माता एसोसिएशन द्वारा 29 जनवरी, 1981 को प्रधान मंत्री, वाणिज्य मंत्री, वित्त मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री को तार द्वारा सूचित किया गया था,

(ख) क्या सोडा ऐश की जमाखोरी कर कृत्रिम कमी पैदा कर दी गई है और इसका मूल्य 400 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप धोबियों, गृह स्वामिनियों और लघु उद्योगों को इसे काले बाजार से 1100 रुपए से 2600 रु० प्रति टन अधिक भुगतान कर खरीदने के लिए बाध्य किया गया हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार जनहित में एकाधिकारी तत्वों को को समाप्त करने के लिए सोडा ऐश उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने का है।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी हाँ।

(—) जी नहीं। सोडा ऐश वैधानिक मूल्य और वितरण के अन्तर्गत नहीं आता है। तथापि सरकार एक और सोडा ऐश के अनौपचारिक विनियमन और देख रेख करने और दूसरी ओर माँग और स्वदेशी उत्पादन के मध्य कमी को पूरा करने के लिए आयात करने की दोहरी पद्धति अपना रही है। जनवरी 197, में इस विभाग द्वारा जारी मार्ग-दर्शिका के अन्तर्गत निर्माता, औद्योगिक उपभोक्ताओं को उत्पादन का लगभग 86 प्रतिशत सीधे सप्लाई करते हैं। निर्माताओं ने नेशनल कन्जुमर्स कोपरेटिव फेडरेशन को धोबियों तथा गृहणियों जैसे लघु उपभोक्ताओं को अपने खुदरा केन्द्रों से वितरण के लिए प्रतिमाह 1,000 टन सोडा ऐश सप्लाई करना शुरू कर दिया है। सरकार द्वारा किए गए उपायों के परिणामस्वरूप सोडा ऐश की उपलब्धता में काफी सुधार हुआ है और बाजार में सामग्री सुलभ है। सोडा ऐश का खुले बाजार में मूल्य, जो वर्ष 1978 में 3,500 रुपए प्रति टन था और जो एक वर्ष से अधिकतम अवधि तक लगभग 3,000 रुपए प्रति टन पर विद्यमान रहा था, अब वह घट कर 2,100 से 2,400 रुपये प्रति टन हो गया है। निर्माता मूल्य में वृद्धि हुई है। 1.1 1980 को रेल पर्यन्त निशुल्क (एफ० ओ० आर०) कारखाने से बाहर मूल्य, जो 1,718,20 रुपये से 1,899.04 रुपए प्रति टन तक था, वह 1.1.1981 तक बढ़कर 2167.02 रुपये से 2527.98 रुपए प्रति टन हो गया है। वृद्धि के लिए अधिकतर कच्चे माल, उपयोगिता और परिवहन लागत में बढ़ोतरी उत्तरदायी है,

(ग) जी नहीं।

खुरेजी खास गांव दिल्ली में अभिरक्षक के नियंत्रणाधीन भूमि

698. **श्री निहालसिंह : क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री :** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यमुनापार क्षेत्र में खुरेजी खास गाँव में अभिरक्षक के नियंत्रणाधीन कितनी भूमि है और सरकार के कब्जे में जमीन का क्षेत्रफल कितना है तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा की गई भूमि कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ व्यक्तियों ने खसरा संख्या 43/169, 43/17 और 43/18 की 3 एकड़ भूमि पर अनधिकृत कब्जा कर रखा है और उन पर जुलाई 1980 में निर्माण भी कर दिया गया है, जिसके बारे में पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज की गई थी परन्तु उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार ने उक्त अनधिकृत निर्माण को हटाने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय से राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) यमुनापार क्षेत्र में खुरेजी खास गांव में निष्क्रान्त भूमि का कुल क्षेत्र 1417 बीघे था। इसमें से 386 बीघा का निपटान या तो नीलाम द्वारा या विस्थापित व्यक्तियों को आबंटन कर के कर दिया गया था। शेष 1031 बीघा क्षेत्र दिल्ली प्रशासन को हस्तांतरित कर दिया गया था या भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत उनके द्वारा अर्जित कर लिया गया था।

(ख) यह खसरे उक्त प्रश्न के भाग (क) में संदर्भित कुल 1417 बीघे क्षेत्र में शामिल है। चूंकि उक्त उल्लिखित पद्धति के अनुसार, भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्र का निपटान पहले ही किया जा चुका है अतः यह विभाग अब भार मुक्त हो गया है। अतः हमें भूमि पर किसी अनधिकृत कब्ज़े या पुलिस के पास दर्ज की गई रिपोर्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

पन-बिजली परियोजनाओं के सम्बन्ध में लाभ और लागत का अंश

5699. **श्री दौलत राम सारण** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने आनन्दपुर साहिब पन-बिजली परियोजना, मीकेरियान पन बिजली परियोजना और यू० बी० डी० सी०, पन बिजली परियोजना के लाभ और लागत के अंश का निर्धारण करने के मामले को इन परियोजनाओं में अन्तर्राज्यीय भागीदारी को ध्यान में रखते हुए पंच-निर्णय के लिए सौंपने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में कितनी प्रगति हुई है ;

(ग) क्या उक्त परियोजना को उनकी अपनी-अपनी नदियों से पानी मिलेगा जिनके सम्बन्ध में अन्तर्राज्यीय भागीदारी की गई है और जहां तक लागत और लाभ के पहलुओं का सम्बन्ध है, भागीदार राज्य अपने अंश की मांग कर रहे हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि पंजाब उपरोक्त परियोजनाओं में अन्य राज्यों को अंश देने के लिए तैयार नहीं है ;

(ङ) यदि हाँ तो किन आधारों पर तथा केन्द्रीय सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही कर रही है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) : आनन्दपुर साहिब तथा मुकेरियाँ जल विद्युत परियोजना का निर्माण पंजाब सरकार द्वारा किया जा रहा है। अपर बारी दोआब नहर चरण-II थीन बांध परियोजना का एक भाग है, इसे भी पंजाब सरकार द्वारा हाथ में लिया गया है। आनन्दपुर साहिब और मुकेरियां के सम्बन्ध में इन परियोजनाओं से होने वाले लाभों में अपने हिस्से के लिए राजस्थान और हरियाणा ने दावे किए हैं। प्रस्ताव यह था कि इन दावों को एक मध्यस्थ को सौंप दिया जाए, बशर्ते कि ये राज्य इस बात पर सहमत हो जाएं कि उसका निष्कर्ष सभी सम्बन्धितों के लिए आबद्धकर होगा। ऐसी कोई सहमति प्राप्त नहीं हो पाई है। अतः इस दिशा में आगे कोई प्रगति नहीं हुई।

(ग) और (घ) : इन तथा ऐसी ही परियोजनाओं के मामले में लाभों में हिस्से के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा किसी न किसी आधार पर परस्पर विरोधी दावे किए गए हैं। इन मुद्दों का समाधान करने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार ने सम्बन्धित राज्यों के साथ विचार-विमर्श आरम्भ किए हैं। केन्द्रीय सरकार ने यह प्रस्ताव भी किया है कि विभिन्न परस्पर-विरोधी दावा का समाधान जब तक नहीं हो जाता तब तक ऐसी परियोजनाओं को केन्द्रीय सेक्टर में या केन्द्रीय सहयोग से हाथ में लिया जा सकता है और दावों को परियोजना की निर्माण अवधि के दौरान निपटाया जा सकता है।

पिछड़े क्षेत्रों में पोलिएस्टर एककों की स्थापना

5700. **श्री कमल नाथ** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय राज्यों में पिछड़े क्षेत्रों में कांच नए पोलिएस्टर एकक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए मध्य प्रदेश के किन-किन क्षेत्रों का चयन किया गया है ; और

(ग) क्या इस दिशा में अब तक कोई प्रगति हुई है।

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री : (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (ग) विभिन्न राज्यों में नए पोलिएस्टर स्टैपल फाइबर एककों की स्थापना के कई आवेदन पत्र सरकार के विचाराधीन है। मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम के आवेदन सहित अन्य आवेदनों पर अन्तिम निर्णय अभी लिया जाना है।

प्लास्टिक उद्योग

5701. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे माल के मूल्यों में वृद्धि के कारण प्लास्टिक उद्योग की हालत बहुत गम्भीर हो गई है और इसके परिणामस्वरूप बहुत से एककों के बन्द होने की सम्भावना है और यदि हाँ, तो कितने एकक पहले ही बन्द हो चुके हैं ; और

(ख) क्या यह सच है कि देश में 6000 प्लास्टिक प्रोसेसिंग एकक हैं और यदि हाँ, तो उनमें 1979-80 और 1980-81 में कितना उत्पादन हुआ और उत्पादन में गिरावट के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) विभिन्न लघु पैमाने के प्लास्टिक निर्माण करने वाले संत्रों से कच्चे माल के मूल्यों में वृद्धि से उन पर बुरे प्रभाव पड़ने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त किए गए हैं। तथापि, लघु पैमाने के क्षेत्र की किसी भी एकक के बन्द होने की रिपोर्ट सरकार द्वारा प्राप्त नहीं की गई है।

देश में प्लास्टिक शोधन एककों की सही संख्या उपलब्ध नहीं है ; तथापि अनुमान है कि लघु पैमाने क्षेत्र में विभिन्न प्लास्टिक उत्पादों के निर्माण करने वाली दोनों पंजीकृत और गैर-पंजीकृत एककों करीब 5000-6000 है जबकि इन एककों के 1979-80 और 1980-81 के उत्पादन आँकड़े तुरन्त उपलब्ध नहीं हैं, इन दो वर्षों के दौरान कच्चे माल की खपत बढ़ी है। अतः सम्पूर्ण उत्पादन में कोई कमी नहीं आई है।

"रेक्टिफाइड स्पिरिट" पर उत्पादन शुल्क, इसका उत्पादन और वितरण

5702. **श्री जेवियर अराकल** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "रेक्टिफाइड स्पिरिट" के उत्पादन पर कितना उत्पादन-शुल्क वसूल किया जाता है ;

(ख) इसके उत्पादन और वितरण की राष्ट्रीय नीति क्या है और क्या इसके वितरण के मामले में केन्द्र ने कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किया है, और

(ग) क्या राज्य सरकारों द्वारा "रेक्टिफाइड स्पिरिट" के गैर-कानूनी परिवहन और दुरुपयोग के कोई मामले सरकार के ध्यान में आये हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) परिशोधित स्प्रिट पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नहीं है।

(ख) 11.11.80 को हुई सीरा बोर्ड की बैठक में राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि वे अल्कोहल के उत्पादन में इस प्रकार वृद्धि करें :—

(1) यह सुनिश्चित करें कि सभी उपलब्ध सीरों का उपयोग हो,

(2) अल्कोहल उत्पादन के लिए खाण्डसारी सीरा के प्रयोग में संवर्धन करना और

(3) चीनी मिलों द्वारा सीरे में पर्याप्त और उचित भंडारण सुविधा के निर्माण को सुनिश्चित करना।

राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि वे पेय प्रयोग के लिए मांग और औद्योगिक प्रयोग के लिए मांग के बीच सही तालमेल स्थापित करें जिससे राजस्व के कारण रासायनिक उद्योग को गिरावट आने का सामना न करना पड़े।

(ग) गैर सरकारी पार्टियों द्वारा तमिलनाडु से केरल में अल्कोहल के परिवहन में की गई अनियमितताओं के आरोप सरकार के ध्यान में आए हैं।

कृषि में ऊर्जा संकट का समाधान

5703. **श्री पी० राजगोपाल नायडु :** क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि कृषि में ऊर्जा संकट के समाधान के लिए ऊर्जा मन्त्रालय और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : विद्युत सप्लाई के मामले में कृषि को सदैव प्राथमिकता दी जाती है। विद्युत के संकट के समय पर भी कृषि कार्यों के लिए सदैव ही विद्युत सुनिश्चित की जाती है। विद्युत के उत्पादन और वितरण के लिए ऊर्जा मन्त्रालय द्वारा विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :— नई परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाना, विद्यमान विद्युत केन्द्रों की कार्य-कुशलता में वृद्धि करना तथा और पारेषण व वितरण लाइनों का निर्माण करना।

ऊर्जा मन्त्रालय और ग्राम विद्युतीकरण निगम, दोनों ही ने राज्य सरकारों को सूचित किया है कि भविष्य में ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें निगम द्वारा तभी स्वीकृत की जाएंगी जब कृषि कार्यों सहित ग्रामीण क्षेत्रों को विद्युत की पर्याप्त सप्लाई समयबद्ध आधार पर सुनिश्चित हो जाए। रबी की फसल के लिए कम से कम 6 से 8 घण्टे प्रतिदिन विद्युत की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए निगम विभिन्न राज्यों में विद्युत सप्लाई की लगातार मानीटरिंग कर रहा है। राज्यों से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार सभी राज्य कृषि क्षेत्र की न्यूनतम आवश्यकताओं का ध्यान रख रहे हैं।

छठी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान प्रत्येक राज्य के गांवों में बिजली लगाया जाना

5704. **डा० कृपा सिन्धु भोई :** क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य ने अब तक कुल कितने गांवों में बिजली लगाई गई ; और

(ख) आगामी पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में कुल कितने गांवों में बिजली लगाने का विचार है और इस कार्य के लिए प्रत्येक राज्य के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) दिसम्बर, 1980 के अन्त तक प्रत्येक राज्य में विद्युतीकृत किए गए कुल गांवों की संख्या **विवरण-I** में दी गई है ।

(ख) पंचवर्षीय योजना (1980-85) के दौरान, योजना आयोग ने एक लाख नए गाँवों को विद्युतीकृत करने का लक्ष्य रखा है । ग्राम विद्युतीकरण के लिए (जिसमें पम्प-सेटों का उर्जन करना भी शामिल है), 1861.51 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय की व्यवस्था की गई है । इसके अतिरिक्त, कृषि पुनर्वित्त तथा विकास निगम तथा वाणिज्यिक बैंकों से भी 420 करोड़ रुपए उपलब्ध होने की आशा है । 1980-85 के दौरान ग्राम विद्युतीकरण के लिए आवंटन का राज्यवार ब्यौरा **विवरण-II** में दिया गया है । प्रत्येक राज्य में विद्युतीकृत किए जाने वाले गांवों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

विवरण-I

आबाद गांवों का विद्युतीकरण 1971 की जनगणना

क्र० सं०	राज्य	31.12.1980 की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत गांव
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	17,276 (*)
2.	असम	4,740
3.	बिहार	20,628 (ख)
4.	गुजरात	11,879
5.	हरियाणा	6,731
6.	हिमाचल प्रदेश	9,698
7.	जम्मू व कश्मीर	4,552 (*) (क)
8.	कर्नाटक	16,505
9.	केरल	1,268
10.	मध्य प्रदेश	23,719
11.	महाराष्ट्र	26,623

1	2	3
12.	मणिपुर	322 (ख)
13.	मेघालय	624
14.	नागालैण्ड	360
15.	उड़ीसा	17,550
16.	पंजाब	12,126 (+)
17.	राजस्थान	14,421 *(ग)
18.	सिक्किम	75 (ग)
19.	तमिलनाडु	15,576
20.	त्रिपुरा	851
21.	उत्तर प्रदेश	40,429
22.	पश्चिम बंगाल	13,579
	जोड़ (राज्य)	2,59,532
	जोड़ (संघ राज्य क्षेत्र)	1,446
	जोड़ (अखिल भारत)	2,60,978

(*)—आंकड़े अनन्तिम हैं।

(क)—31.12.1979 की स्थिति के अनुसार।

(ख)—30.6 1980 की स्थिति के अनुसार।

(+)—62 गांव गैर आबादी वाले घोषित किए गए।

(ग) 30.11. 1980 की स्थिति के अनुसार।

विवरण-II

ग्राम विद्युतीकरण पम्पसेट उर्जन के लक्ष्य तथा परिव्यय—छठी योजना 1980-85

क्र० सं०	राज्य	परिव्यय (लाख रुपयों में)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	13000
2.	असम	5786
3.	बिहार	9239

1	2	3
4.	गुजरात	6024
5.	हरियाणा	5500
6.	हिमाचल प्रदेश	2641
7.	जम्मू और कश्मीर	2965
8.	कर्नाटक	5000
9.	केरल	1672
10.	मध्यप्रदेश	16000
11.	महाराष्ट्र	16000
12.	मणिपुर	506
13.	मेघालय	1064
14,	नागालैण्ड	600
15.	उड़ीसा	7470
16.	पंजाब	7134
17.	राजस्थान	10310
18.	सिक्किम	180
19.	तमिलनाडु	11500
20.	त्रिपुरा	1042
21.	उत्तर प्रदेश	23728
22.	पश्चिम बंगाल	8615
	उप-जोड़	155976
	ग्राम विद्युतीकरण के लिए एक मुश्त विशेष कार्यक्रम कृषि	21000*
	ग्राम सहकारिताएं/हरिजन बस्तियाँ	3300
	प्रणाली सुधार	4200
	जोड़राज्य	184476
	संघ शासित क्षेत्र	1675
	कुल जोड़	186151*

*विशेष कार्यक्रम कृषि के अन्तर्गत कृषि पुनर्वित्त तथा विकास निगम तथा वाणिज्यिक बैंकों से प्राप्त होने वाले 42000 लाख रुपये इसमें शामिल नहीं हैं ।

रामगुंडम और तालचेर में उर्वरक संयंत्रों की निर्धारित क्षमता

5705. **श्री जी० नरसिम्हारेड्डी :**

श्री बी० बी० दसाई : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री :** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रामगुडंम और तालचेर में दो कोयला आधारित उर्वरक संयंत्रों में निर्धारित क्षमता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक के पूंजी निवेश की आवश्यकता होगी।

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने अपेक्षित धनराशि का तुरन्त निवेश करने का निर्णय कर लिया है; और

(ग) प्रत्येक संयंत्र की कुल क्षमता कितनी है, इस समय कितनी मात्रा का उत्पादन होता है और 100 करोड़ रुपये के और निवेश के बाद प्रत्येक एकक में कितनी मात्रा का उत्पादन होगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) रामागुंडम और तालचर स्थित कोयले पर आधारित उर्वरक प्लांटों ने 1 नवम्बर 1980 से वाणिज्यक उत्पादन आरम्भ किया था। तब से इन प्लांटों के संचालन से प्राप्त अनुभव के आधार पर फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया ने उपकरणों में कुछ कमियों का पता लगाया है जिन पर कुछ अतिरिक्त निवेश करने की आवश्यकता है। इस संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है। यह आशा है कि जब अतिरिक्त उपकरण लगाये जायेंगे तो ये प्लांट अपनी प्रतिवर्ष 4,95,000 टन यूरिया उत्पादन की निर्धारित क्षमता प्राप्त कर सकेंगे। नवम्बर, 1980 से फरवरी, 1981 के दौरान रामागुंडम में 38.731 टन यूरिया और तालचर में 9,084 टन यूरिया का उत्पादन हुआ है।

भारतीय औषधि उद्योग का विकास

5706. **श्री जयनारायण रौट :**

श्री सुभाष यादव : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बहुराष्ट्रीय नियमों द्वारा किए जा रहे शोषण से लोगों को बताने के लिए भारतीय औषधि उद्योग के विकास हेतु अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) नई औषध नीति का एक प्रमुख उद्देश्य यह है कि भारतीय क्षेत्र का विकास और उसको

प्रोत्साहन दिया जाए। सभी औषध निर्माण कम्पनियों से प्राप्त औद्योगिक लाइसेंस के आवेदन पत्रों की जाँच नई औषध नीति के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए की जाती है जिनमें विदेशी कंपनियों की तुलना में भारतीय कंपनियों को वरीयता दी जाती है। संगठित क्षेत्र में भारतीय औषध निर्माता कपनियों को पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात् वर्ष 1978, 1979 और 1980 में 101 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं जबकि 40 प्रतिशत से अधिक सीधी विदेशी साम्यपूंजी वाली विदेशी कंपनियों को केवल 4 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तीव्र गति से जल-विद्युत ऊर्जा उत्पादन पर गोष्ठी

5707. **श्री चिन्तामणि पणिगृही :**

श्री के० मालन्ना : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में हाल ही में 'भारत में तीव्रगति से जल-विद्युत ऊर्जा उत्पादन' पर एक गोष्ठी हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो गोष्ठी में क्या सिफारिशें की गई और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हाँ।

(ख) सेमिनार की ही कार्यवाही पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसके बाद सिफारिशों की मंत्रालय में जाँच की जाएगी और उनमें से प्रत्येक सिफारिश पर समुचित कार्यवाही की जाएगी।

"बी० एच० सी० टेक्नीकल" के निर्माण के लिए कारखाने की स्थापना करना

5708. **श्री प्रताप भानु शर्मा :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड का विचार 26 प्रतिशत "गामा" पर आधारित बी० एच० सी० टेक्नीकल तैयार करने के लिए कारखाना लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की प्रगति क्या है तथा इसमें उत्पादन कब तक आरम्भ हो जाएगा;

(ग) उसकी उत्पादन क्षमता और अनुमानित लागत क्या होगी तथा वह कहां पर स्थापित किया जाएगा;

(घ) क्या इस प्रयोजन के लिए किसी विदेशी तकनीक का उपयोग किया गया है, और

(ड.) यदि हाँ, तो इसके लिए किस विदेशी कम्पनी का सहयोग माँगा गया है और इस बारे में मुख्य शर्तें क्या हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) हिन्दुस्तान इनसैक्टीसाइड्स लि० की एक सहायक कंपनी, सदर्न पैस्टीसाइड्स कारपोरेशन 26 प्रतिशत गामा बी० एच० सी० तकनीकी के निर्माण के लिए एक प्लांट स्थापित करने का प्रस्ताव रखती है।

(ख) कंपनी ने प्रायोजना के लिए भूमि पहले ही प्राप्त कर ली है और निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया गया है। वर्ष 1983 के प्रारम्भ में उत्पादन आरम्भ होने की आशा है।

(ग) (1) **उत्पादन क्षमता**

बी० एच० सी० 26 प्रतिशत गामा तकनीकी	3,300 टन प्रतिवर्ष
बी० एच० सी० 50 प्रतिशत डब्लू० डी० पी०	4,400 टन प्रतिवर्ष
बी० एच० सी० 10 प्रतिशत डस्ट	10,300 टन प्रतिवर्ष

(2) प्रायोजना की अनुमानित लागत — 487 लाख रुपए

(3) स्थान — केब्बूर, आन्ध्र प्रदेश।

(घ) उत्पादन आयातित प्रोद्योगिकी पर आधारित होगा।

(ड.) हिन्दुस्तान इन्सैक्टीसाइड्स लि० ने हाई गामा बी० एच० सी० के लिए केन्द्रीयकृत आधार पर प्रौद्योगिकी प्राप्त करने की दृष्टि से यू०एस०ए० के मैसर्स स्टाफर्स कैमिकल्स के साथ एक विदेशी सहयोग करार किया है। इस करार की मुख्य शर्तें निम्न प्रकार हैं :—

(1) रायल्टी का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(2) यह करार गैर-एकान्तिक आधार पर किया जाएगा और मैसर्स हिन्दुस्तान इनसैक्टीसाइड्स लि० के पास इसका स्थाई अधिकार और लाइसेंस होगा कि वे उस प्रौद्योगिकी को भारत में प्रयोग कर सकें। उनको यह भी अधिकार होगा कि वे उसके लिए भारत में दूसरी पार्टियों को उप-लाइसेंस दे सकें।

(3) उत्पादों को भारत अथवा विदेशों में बेचने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा ;

(4) 3,300 टन की क्षमता वाले प्रथम प्लाँट को स्थापित करने के लिए मैसर्स स्टाफर्स कैमीकल्स कारपोरेशन आफ इण्डिया को 2,40,000 अमेरिकी डालर

की एक मुस्त राशि का भुगतान किया जाएगा। इतनी ही क्षमता वाले दूसरे प्लांट के लिए प्रति टन 24.45 अमेरिकी डालर की दर से भुगतान किया जाएगा। उसके बाद पश्चातवर्ती अतिरिक्त क्षमता के लिए प्रति टन 20 अमेरिकी डालर का भुगतान किया जाएगा।

मूल तकनीकी कृमिनाशक औषधियों का उत्पादन तथा आयात

5709. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मूलतकनीकी कृमिनाशक औषधियाँ बनाने वाले कारखानों के नाम क्या हैं और गत पाँच वर्षों में उनका, वर्ष वार, कितना उत्पादन हुआ;

(ख) गत पाँच वर्षों में मूल तकनीकी कृमिनाशक औषधियों का कुल कितनी मात्रा में आयात किया गया; और

(ग) देश में कृमिनाशक औषधियों की बढ़ती हुई माँग को पूरा करने के लिए कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है।

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) तकनीकी ग्रेड कीटनाशी का निर्माण करने वाली कम्पनियों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है। पिछले पाँच वर्षों में प्रत्येक वर्ष तकनीकी ग्रेड कीटनाशी का उत्पादन निम्न प्रकार था :—

	टन
1976-77	35,811
1977-78	42,595
1978-79	52,531
1979-80	50,294
1980-81 (दिसम्बर, 80 तक)	32,082

(ख) पिछले पाँच वर्षों में प्रत्येक वर्ष कीटनाशी का आयात निम्न प्रकार था।

	टन
1975-76	15,318
1976-77	6,105
1977-78	11,267
1978-79	13,766
1979-80 (जनवरी, 80 तक)	7,578

विवरण

1981 में भारत में तकनीकी कीटनाशी का उत्पादन करने वाली यूनिटों की सूची :—

1. एग्रोमोर लिमिटेड
मैसूर रोड, बंगलौर-560026

2. अलकली एन्ड कैमिकल्स कारपोरेशन आफ इंण्डिया लि०
पो० आ० रिश्रा, जिला हुगली (पं० बंगाल)

3. अतुल प्रोडक्ट्स लि०,
पश्चिम रेलवे, बलसड, पिनकोड-396020.

4. बायर (इंडिया) लि०
एक्सप्रेस टावर्स, नरीमन प्वाईन्ट,
पो० बाक्स० 1436, बम्बई-400025.

5. भारत पल्वेराईजिंग मिल्स प्रा० लि०,
हेक्सामर हाऊस, सयानी रोड, बम्बई-400025.

6. बूट्स (इंडिया) लि०
17, न्यूली रोड बम्बई-400038.

7. बी० ए० एस० एफ० इण्डिया लि०
मेबेकर हाउस, सुदामा कालू अहिरे मार्ग, बम्बई-400025.

8. सीबा गायगी आफ इण्डिया लि०
सान्ता मोनिका प्लांट, पो० बाक्स० 1 कार्लिम 11 हैज, गोआ।

9. सिनामाईड इण्डिया लि०
एग्रीकल्चर डिवीजन नायलोक हाऊस,
254-डी 2 डा० अवीवेसेन्ट रोड बम्बई 400025

10. धर्मसी मोरार जी कैमीकल्स कं० लि०
प्रोस्पेक्ट चैम्बर्स, 317/21 डा० दादाभाई नौरोजी रोड, बम्बई 400001.

11. एक्सल इंडस्ट्रीज लि०
184-87, स्वामी विवेकानन्द रोड,
जोगेश्वरी, बम्बई-400060.

12. हाईको प्रोडक्टस लि०
भोगल लेन, माहिम, बम्बई-400016.

13. हिन्दुस्तान इंसैक्टीसाइड्स लि०
हंस भवन, विंग 1 भुतल, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-2.

14. हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि०
पो० आ० रसायनी, जिला कोलाबा, महाराष्ट्र ।

15. हिन्दुस्तान एंटी बायोटिक्स लि०
पिम्प्री, पुणे-411018

16. इंडोफिल कैमीकल्स लि०
निर्लोन हाउस, डा० बेसेन्ट रोड, बम्बई-400025.

17. इन्वेन्टा कारपोरेशन,
167, डा० एनी बेसेन्ट रोड, बंबई-400025.

18. कनोरिया कैमिकल्स एण्ड इन्डस्ट्रीज लि०
16-ए ब्राबार्न रोड, कलकत्ता-700001.

19. माइको फार्म कैमिकल्स लि०.
लोटस कोर्ट, 165 थम्बु चेटी स्ट्रीट, पो० बा० सं० 158; मद्रास-600001.

20. नेफो कैम०, प्रा० लि०
प्लाट नं० 100 नन्द सारी, औद्योगिक क्षेत्र, बड़ौदा ।

21. पेस्टी साइड्स एण्ड ब्रिवर्स लि०
138-141 सरकारी औद्योगिक क्षेत्र काकडी वली (पश्चिम) बंवई-400067.

22. पेस्टीसाइड्स इण्डिया ।
उदय सागर रोड, (राजस्थान) उदयपुर-313001

23. पी० एन० एम० कम्पनी
टैक्नीकल डिवीजन, 60 15, के० सी० रोड इरोड-638009.

24. पोशक लिमिटेड
एलेम्बिक रोड, बड़ौदा-390003.

25. पंजाब युनाइटेड पेस्टीसाइड्स एण्ड कैमिकल्स लि०
एस० सी० ओ० 35 केक्टर, 26-डी मध्य मार्ग चंडीगढ़-160026.

26. रैलिस इंडिया लि०
रैलिस हाउस, 21 रैंवेलिन स्ट्रीट, बम्बई-1

27. सैन्डोज (इंडिया) लि०
सैन्डोज हाउस, डा० एनी बेसेन्ट रोड,
वर्ली, बम्बई-18, डब्ल्यू० बी०

28. स्वदेशी कैमिकल्स (प्रा०) लि०
महालक्ष्मी चैम्बर्स, 2 भुला भाई देसाई बम्बई-4000026

29. साराभाई एम० कैमिकल्स,
वाडी वाडी बड़ौदा-390007

30. टाटा कैमिकल्स लि०
मीठापुरी गुजरात राज्य (वेस्टर्न रेलवे)।

31. ट्रावन कोर कैमिकल्स एण्ड मैनुफैक्चरिंग कंपनी लि०,
कलायेसरी, अलवाय-4

32. यूनियन कार्बाइड इंडिया लि०
5, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-1

33. वोलरो लिमिटेड, पटानचेरू-502319
मेढक जिला, आन्ध्र प्रदेश.

दिल्ली दूरदर्शन के लिए हिन्दी चलचित्रों का चयन

57.0. **श्री के० प्रधानी : क्या सूचना एवं प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) राजधानी में दूरदर्शन पर सप्ताह में एक बार (रविवारों को) दिखाए जाने वाले हिन्दी चल-चित्रों के चयन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(ख) हिन्दी चल-चित्र प्रत्येक सप्ताह किन-किन शर्तों के आधार पर दूरदर्शन पर दिखाए जाते हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार देश की संस्कृति के बारे में लोगों को पूरी तरह अवगत कराने के लिए अन्य राज्यों के हिन्दी में अनुदित कुछ ऐतिहासिक चल-चित्रों को दिखाने पर विचार करने का हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमद बैन एम० जोशी) : (क) दूरदर्शन केवल उन्हीं फीचर फिल्मों को टेली कास्ट करता है जो सेंसर बोर्ड द्वारा "यू" के रूप में प्रमाणीकृत की गई होती हैं। निर्माताओं/वितरकों द्वारा प्रस्तावित इस प्रकार की सभी फीचर फिल्मों का प्रिव्यू छानबीन समिति द्वारा परिवार के साथ देखे जाने के लिए टेलीकास्ट के लिए फिल्म की उपयुक्तता आंकने के लिए किया जाता है। संविदा सम्बन्धी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद फिल्मों को विभिन्न केन्द्रों को भेजा जाता है जो विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों की आवश्यकताओं और उस विशिष्ट केन्द्रों के लिए उन फिल्मों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(ख) दूरदर्शन पर फीचर फिल्म के प्रति प्रदर्शन के लिए भुगतान की दरें इस प्रकार हैं :—

(क) तीन वर्ष तक पुरानी फिल्में	8,500/- रुपए
(ख) तीन से 5 वर्ष तक पुरानी फिल्में	7,500/- रुपए
(ग) पाँच से 7 वर्ष तक पुरानी फिल्में	4,000/- रुपए
(घ) सात से 10 वर्ष तक पुरानी फिल्में	3,000/- रुपए
(ड.) दस वर्ष और इससे अधिक पुरानी फिल्में	2,000/- रुपए

क्षेत्रीय भाषा की फ़िल्मों के मामले में, अदायगी की दर 2,000/- रुपए है यदि उनको उन क्षेत्रों के दूरदर्शन केन्द्रों से दिखाया जाए जिनकी भाषा फिल्म(फिल्में) की भाषा से भिन्न हो। राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त फिल्में या राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त फिल्में चाहे फिल्मों की भाषा कोई भी हो, उच्चत्तम स्लेब अर्थात् 8,500/- रुपए की अदायगी के लिए हकदार हैं।

(ग) यदि हिन्दी में डब की गई इस प्रकार का कोई क्षेत्रीय फिल्म टेलीकास्ट के लिए प्रस्तावित्त की जाए तो उसके बारे में विचार किया जाएगा।

असम आन्दोलन के कारण पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन में हुई हानि

5711. श्री नरसिंह मकवाणा : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम आन्दोलन के कारण कच्चे तेल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन में हुई कुल कितनी हानि हुई है;

(ख) असम पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) वहाँ उनका कब तक तक पूरे जोरों पर उत्पादन शुरू हो जाएगा।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) सूचना/एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

(ख) और (ग) असम में काम कर रही सभी चार शोधनशालाओं अर्थात् दिग्बोई, गोहाटी, बोंगाईगांव और बरौनी को इस समय अशोधित तेल की सप्लाई, जो धीरे-धीरे बढ़ रही है, मिल रही है।

दिल्ली दूरदर्शन पर नाटक/फीचर फिल्म

5712. श्री आर० एन० राकेश : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दूरदर्शन पर कुछ नाटकों को बार-बार प्रसारित किया जाता है जिससे दर्शक की उत्सुकता कम हो जाती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि रविवार को दिखाई गई कुछ साप्ताहिक फीचर फिल्में पुरानी, नीरस थीं और उनकी केवल पुनरावृत्ति की गई; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं तथा उन फिल्मों और नाटकों की संख्या क्या है जो एक से अधिक बार दिखाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) नाटकों को बार-बार टेलीकास्ट नहीं किया जाता। तथापि, उन नाटकों को, जो दर्शकों पर गहरा प्रभाव डालते हैं, कभी कभी पुनः टेलीकास्ट किया जाता है।

(ख) और (ग) रविवार को टेलीकास्ट की जाने वाली फिल्मों का चयन परिवार के साथ देखे जाने के लिए उनकी गुणवता और स्वीकार्यता के आधार पर किया जाता है। फिल्म की आयु मुख्य विचारणीय बात नहीं है। तथापि, कभी कभी दर्शकों की मांग पर कुछ पुरानी उत्कृष्ट फिल्में पुनः टेलीकास्ट की जाती हैं। पिछले दो वर्ष के दौरान एक से अधिक बार दिखाई गई फिल्मों और नाटकों की संख्या क्रमशः 10 औ 19 थी।

डा० अम्बेडकर की जीवनी

5713. श्री चन्द्रपाल शैलानी :

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री डा० अम्बेडकर की जीवनी के बारे में 15 जुलाई, 1980 के तारांकित प्रश्न संख्या 543 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या "भारत के अमर चरित्र" श्रृंखला में हिन्दी तथा अन्य भाषाओं में बाबा साहिब डा० बी० आर० अम्बेदर कर की जीवनी भी प्रकाशित करने का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय नेताओं की जीवनियाँ "आधुनिक भारत के निर्माता" श्रृंखला के अन्तर्गत प्रकाशित की जा रही हैं। इस श्रृंखला के अन्तर्गत डा० अम्बेडकर की जीवनी अंग्रेजी में पहले ही प्रकाशित की जा चुकी है और उसके हिन्दी और मराठी रूपान्तर शीघ्र ही प्रकाशित होने वाले हैं इस प्रकार, भाग (ग) नहीं उठता।

कोल इण्डिया लिमिटेड का मुख्यालय, कलकत्ता से धनबाद अथवा रांची अन्तरित करना

5715. **श्री सतीश प्रसाद सिंह :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है;

(ख) यदि हां, तो कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कलकत्ता में रखने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या कम्पनी को और अधिक लाभकारी बनाने और सुचारू रूप से कार्य संचालन के लिए कम्पनी का मुख्यालय कलकत्ता से धनबाद अथवा रांची स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां।

(ख), (ग) और (घ) कलकत्ता कोयला उद्योग का परम्परागत केन्द्र रहा है और कोयला क्षेत्रों को रेल सुविधाएं प्रदान करने वाली रेलवे का मुख्यालय ही रहा है, इसलिए कोल इंडिया लिमिटेड का प्रधान कार्यालय कलकत्ता में ही रखा गया है। इस समय कोल इंडिया लिमिटेड के मुख्यालय को कलकत्ता से हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

महाराष्ट्र की पैट्रोलियम उत्पादों की मांग

5716. **श्री एस० बी० पाटिल :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र सरकार ने 1 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 80 की अवधि के दौरान, महीनेवार पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की कितनी मांग की और उसकी मांग कहाँ तक स्वीकार की गई और प्रति मास वास्तव में कितनी मात्रा सप्लाई की गई; और

(ख) यदि सप्लाई मांग से कम रही तो इस मांग को पूरा करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) महाराष्ट्र सहित राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को मोटर स्प्रिट (पेट्रोल) महीने वार आवंटन करने की कोई प्रणाली नहीं है। यह उत्पाद उन्मुक्त रूप से उपलब्ध है और वर्ष 1980 के दौरान महाराष्ट्र राज्य की आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से पूरा किया गया है। जहां तक

हाई स्पीड डीजल (एच० एस० डी०) तेल और मिट्टी के तेल का सम्बन्ध है महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 1980 के दौरान केवल कुछ महीनों की आवश्यकताओं को ही बनाया है। इनको हिसाब में लिया गया था और राज्य सरकार को आवंटन में तदर्थ वृद्धियाँ दी गई थी। वर्ष 1980 के लिए महाराष्ट्र सरकार के सम्बन्ध में एच० एस० डी और मिट्टी के तेल के आवंटनों और वास्तविक बिक्री के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

आंकड़े मीट्रिक टनों में

	हाई स्पीड डीजल तेल		मिट्टी का तेल	
माह	आवंटन	बिक्री	आवंटन	बिक्री
जनवरी, 80	98500	99052	69000	69213
फरवरी, 80	101377	95002	67334	68083
मार्च, 80	120000	112687	71596	68205
अप्रैल, 80	130800	107078	66029	58790
मई, 80	120700	109853	64500	.57006
जून, 80	107500	92889	62270	62020
जुलाई, 80	107500	95060	66470	68961
अगस्त, 80	98200	84142	69100	67795
सितम्बर, 80	100200	94426	69100	71682
अक्तूबर, 80	90000	93712	69000	68709
नवम्बर, 80	98000	98852	72660	70799
दिसम्बर, 80	105500	105165	71000	69638

ख) कुल उत्पादन उपलब्धता और परिवहन क्षमता को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सहित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के डीजल आवंटन को अधिकतम कर दिया गया है। मार्च, 1981 और अप्रैल, 1981 के लिए डीजल का आवंटन उसके पिछले वर्ष के तदनुरूपी महीनों की बिक्री से 15 प्रतिशत अधिक स्तर पर किया गया है। मिट्टी के तेल के सम्बन्ध में मासिक आवंटन पिछले वर्ष के तदनुरूपी महीनों की वास्तविक बिक्री से 5 प्रतिशत अधिक स्तर पर किए जाते हैं। राज्य सरकार द्वारा बनाई गई आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए महाराष्ट्र को इन उत्पादों के आवंटनों में तदर्थ वृद्धियाँ दी गई हैं।

पटना के लिये दूरदर्शन की सुविधायें

5717. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में पटना को दूरदर्शन सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और उक्त सुविधाएं संभवत : किस तारीख तक उपलब्ध कराई जायेंगी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी :) (क) और (ख) संसाधनों की कमी के कारण पटना में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना को स्वीकृत छठी "योजना" प्रस्तावों (1980-85) में शामिल नहीं किया जा सका । तथापि, दूरदर्शन के विस्तार के लिए भावी योजनाएं बनाते समय पटना की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जायेगा ।

कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा उपकरणों की खरीद

5718. **श्री ए० के० राय :** क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मशीनीकरण करने की प्रक्रिया में गत तीन वर्षों के दौरान कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा कितने बड़े उपकरण खरीदे गए और इस पर खर्च की गई राशि का कम्पनी-वार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) आयातित मशीनों और उपकरणों की प्रतिशतता क्या है और उस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई है;

(ग) क्या उनका ध्यान 21 फरवरी, 1981 के 'ब्लिट्ज़" में "कोल इण्डिया हेल्प्स मल्टी-साइफन आउट 350 क्रोर्स" शर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) इस सूचना को दर्शाने वाला विवरण सभापटल पर रखा जा रहा है ।

(ग) जी, हाँ ।

(घ) भारी इंजीनियरी निगम ने 1980 में इंगलैंड के मेसर्स रैम्सन्स एण्ड रैपियर के साथ देश में हीड्रैग लाइनों के निर्माण के लिए विदेशी सहयोग समझौता किया है । कोल इण्डिया लिमिटेड ने भारी इंजीनियरी निगम को दो नग ड्रेग लाइनों के लिए पहले ही क्रय आदेश दे दिया है ।

विवरण

कोल इण्डिया लि० द्वारा वर्ष 1978-79, 1979-80 और 1980-81 में दिए गए क्रय आदेशों का कम्पनीवार विवरण

(लाख रुपए)

1978-79

कम्पनी	आयात	देशी	कुल	प्रतिशत आयात
1	2	3	4	5
ई० को० लि०	119.34	644.60	763.94	15.6 प्रतिशत
से० को० लि०	—	1,227.92	1,227.92	0 प्रतिशत
वे० को० लि०	104.26	2,199.84	2,304.10	4.5 प्रतिशत
भा० को० को० लि०	0.19	771.82	772.01	0.02 प्रतिशत
ना० ई० को०	—	66.00	66.00	0 प्रतिशत
के० खा० आ० और डि० सं० लि०	3.35	—	3.35	100 प्रतिशत
कुल	227.14	4910.18	5,137.32	4.4 प्रतिशत

खरीदे गए मुख्य उपकरण

मद	मात्रा	मद	मात्रा
35 टी डम्पर	115 नग	टैक्टर	24 नग
50 टी डम्पर	31 नग	डिटहेडर	4 नग
25 टी डम्पर	4 नग	आर० आई० सी०	4 नग
डोजर	34 नग	बी० एच० ड्रिलें	18 नग
स्क्रैपर	11 नग	पम्पस	50
शावेल	11 नग	चैन कनवेयर	158
रोड हेडर	4 नग	स्लशर	124

1979-80

1	2	3	4	5
ई०को०लि०	292.82	1,003.33	1,296.15	22.6
से०को०लि०	579.13	1,277.64	1,856.77	31.2
वे०को०लि०	99.04	2,071.80	2,170.84	4.5
भा०को०को०लि०	101.70	761.75	863.45	11.8
ना०ई०को०	—	17.60	17.60	0
कुल	1,072.69	5.132.12	6,204.81	17.3

को०इ०लि० द्वारा खरीदे गए मुख्य उपकरण

डोजूर	62 नग	वेल्ट कनवेयर	28 नग
35 टी डम्पर	95 नग	चेन कनवेयर	30 नग
एच०एच० डम्पर	9 नग	सी०सी०एम०	21 नग
50 टी० डम्पर	14 नग	ए०एफ०सी०	10 नग
25 टी डम्पर	25 नग	पम्प	287 नग
स्क्रेपर	17 नग	हालेज	119 नग
टिपिंग ट्रक	240 नग	बी०एच०ड्रिल	4 नग
एफ०ई०लोडर	24 नग	शियरर	2 सेट्स
डीजल/हाइड्रो/ विद्युत शावेल	10 नग		
ड्रैगलाइन	1 नग		
क्रेन	4 नग		
लांगवाल फेस	1 नग		
ट्रैक्टर	2 नग		

1980-81—दिसम्बर तक

1	2	3	4	5
ई०को०लि०	629.05	919.56	1,548.61	40.6
से०को०लि०	1,579.13	2,587.33	4,166.46	37.9
वे०को०लि०	89.66	3,594.28	3,593.94	2.5
भा०क़ो०को०लि०	3.88	688.73	992.61	0.5
ना०ई०को०	—	172.39	172.39	0
के०खा०आ० और डि०सं०	—	0.21	0.21	0
दानकुनी	—	2.14	2.14	0
कुल	2,301.72	7,874 64	10,176.36	22.6

कोल इण्डिया लि० द्वारा खरीदे गए मुख्य उपकरण

शावेल	18 नग	बी०एच० ड्रिले	43 नग
ड्रिलिंग रिंग	18 नग	पम्पस	103 नग
स्क्रेपर	148 नग	लोकोमोटिव	4 नग
35 टी डम्पर	148 नग	सी०सी०एम०	22 नग
50 टी डम्पर	40 नग	कोल/स्टोन ड्रिल	397 नग
85 टी डम्पर	14 नग		
डोजर	96 नग	हालेज	2 नग
क्रेन	8 नग	एम/आर हालेज	2 नग
फीडर ब्रेकर	4 नग	चेन कनवेयर	10 नग
ड्रिगलाइन	6 नग	बेल्ट कनवेयर	49 नग
लोंगवाल फेस	2 नग		
रॉक ब्रेकर	2 नग		

आकाशवाणी के पटना केन्द्र का क्षमता में वृद्धि करना

5719. **श्री रामविलास पासवान** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के पटना केन्द्र की प्रसारण क्षमता कितने किलोवाट है और उसके कार्यक्रम कितने किलोवाट की दूरी तक साफ-साफ सुने जा सकते हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार पटना केन्द्र की क्षमता बढ़ा कर इसे 100 किलोवाट तथा "विविध भारती" को क्षमता बढ़ा कर 20 किलोवाट कर देने की हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) आकाशवाणी के पटना केन्द्र के ट्रांसमीटर की शक्ति 20 कि० वा० मीडियम वेव है। यह ट्रांसमीटर लगभग 87,340 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सेवा प्रदान करता है। इस ट्रांसमीटर की सेवा परिधि 150 किलोमीटर और 210 किलोमीटर के बीच, जहाँ दिन के समय स्पष्ट संग्रहण की उम्मीद है, भिन्न-भिन्न है।

(ख) और (ग) : पटना केन्द्र के वर्तमान ट्रांसमीटर की शक्ति 20 किलोवाट से बढ़ा कर 100 किलोवाट करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

विविध भारती सेवा के लिए 20 किलोवाट ट्राँसमीटर का उपयोग करने का भी कोई प्रस्ताव नहीं है। इसके अलावा, अन्तर्राष्ट्रीय दूर संचार करार के अनुसार, पटना में द्वितीय चैनल के लिए 20 किलोवाट के ट्रासमीटर का उपयोग नहीं किया जा सकता है।

समाचार-पत्रों की स्वतन्त्रता पर नई लेवी का प्रभाव

5720. **प्रो० मधु दंडवते :** क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1981-82 के सामान्य बजट में अखबारी कागज पर लगाई गई नई भारी लेवी से समाचार पत्रों का स्वतन्त्रता पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या मन्त्रालय ने समाचार-पत्र जगत में और विशेषकर लघु तथा मध्यम समाचार-पत्रों में भारी असन्तोष की ओर ध्यान दिया है ; और

(ग) क्या मन्त्रालय अखबारी कागज पर लगाई गई लेवी के कारण पड़े प्रभाव से समाचार-पत्रों की स्वतन्त्रता को मुक्त रखने के लिए अपने अधिकारों का उपयोग करेगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) सरकार प्रेस की स्वतन्त्रता के लिए वचनबद्ध है। अखबारी कागज का आयात, जो 1976-77 में 1,50,000 मीट्रिक टन के आस-पास था जिसमें लगभग 53 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा का व्यय अन्तर्निहित था, 1980-81 में बढ़कर लगभग 3,30,000 मीट्रिक टन हो गया है जिसमें लगभग 140 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा का व्यय अन्तर्निहित है। आया-

तित अखबारी कागज पर 15 प्रतिशत सीमा शुल्क लगाया गया है, क्योंकि अखबारी कागज के आयात पर बहुत विदेशी मुद्रा खर्च होती है।

(ख) और (ग) : सरकार छोटे और मझोले समाचार पत्रों के संवर्धन के लिए वचनबद्ध है और इस सन्दर्भ में एक यह सुझाव दिया गया है कि दोहरी मूल्य नीति अपनाई जाय। तथापि, इस सम्बन्ध में अभी तक कोई ब्यौरा तैयार नहीं किया गया है।

कोयले की कमी के कारण औद्योगिक उत्पादन में कमी

5721. **श्री अशोक गेहलोत** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयले की कमी के कारण देश में उद्योगो, रेलवे तथा विद्युत उत्पादन में बहुत बड़ी कमी की ओर ध्यान दिया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने कोयले की सप्लाई एवं मांग में संतुलन बनाए रखने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी नई कोयला खानें खोली जानी हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) : कोयले की कमी को लेकर कुछ रिपोर्टें मिली हैं जिनके कारण उद्योगों में उत्पादन, रेलवे और बिजली घरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। खान मुहानों पर उत्पादन और पिछले स्टाक दोनों से पर्याप्त कोयला उपलब्ध है जो कि देश की कोयले की कुल माँग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। परन्तु कोक कर कोयले और रानीगंज बढ़िया ग्रेड के कोयले की कुछ कमी जरूर है।

उपभोक्ताओं को कोयले की कमी होने का मुख्य कारण कोयला ले जाने के लिए परिवहन क्षमता का अपर्याप्त होना है। उपभोक्ताओं को अधिक कोयला उपलब्ध कराने की दृष्टि से रेलवे के साथ परामर्श करके 10920 वैगन प्रतिदिन लादने का कार्यक्रम बनाया गया है। हाल ही के महीनों में रेलवे द्वारा कोयले के लदान में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। कुछ निर्धारित खानों से बिना किसी प्रतिबन्ध के सड़क से ले जाने के लिए भी कोयला दिया जा रहा है और औद्योगिक उपभोक्ताओं को रेल से कोयला भेजने में जो कमी रह जाती है वह सड़क द्वारा ले जाने के लिए कोयला देकर पूरी कर दी जाती है।

(ग) छठी योजना की अवधि में लगभग 46 खानें खोली जाने की सम्भावना है।

सूरत और भड़ौच जिलों में गैस और तेल की खोज

5722. **श्री छीतू भाई गामित** : क्या पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने गत दो वर्षों के दौरान सूरत और भड़ौच जिले के किन-किन स्थानों पर प्राकृतिक गैस और तेल की खोज की ;

(ख) उनमें से किन-किन स्थानों पर प्राकृतिक गैस और तेल के मिलने की संभावनाएं हैं ; और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन स्थानों पर प्राकृतिक गैस और तेल का उत्पादन कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) वर्ष 1979-80 तथा 1980-81 (फरवरी, 1981 तक) के दौरान गुजरात के सूरत एवं भड़ौच जिलों में निम्नलिखित स्थानों पर खुदाई का कार्य किया गया ।

(1) सूरत जिला —कोसाम्बा ।

(2) भड़ौच जिला—दाबका, देवला, दाहेज, पश्चिम मोटवान, मोटवान, दक्षिण-पश्चिम मोटवान, सिसोदरा, अंकलेश्वर, कुदारा तथा पनौली ।

इसके अलावा, उपरोक्त समय के दौरान अंकलेश्वर परियोजना के क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्र जिसमें सूरत तथा भड़ौच जिले शामिल हैं, मैं भूकम्पीय सर्वेक्षण भी किए गए ।

(ख) पश्चिम मोटवान तथा अंकलेश्वर में तेल प्राप्त हुआ था तथा पश्चिम मोटवान सिसोदरा, दाहेज तथा कोसाम्बा में गैस प्राप्त हुई ।

(ग) दाहेज के अलावा, ऊपर वर्णित चार अन्य तेल एवं गैस वाले क्षेत्रों में उत्पादन हो रहा है ।

अशोधित तेल की वार्षिक कमी

5723. **श्री चित बसु : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अशोधित तेल की 140 लाख मीट्रिक टन की चालू वार्षिक कमी 1984-85 तक बढ़कर 210 लाख मीट्रिक टन हो सकती है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कमी घटाने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां । यह अनुमान इस परिकल्पना पर आधारित है कि कोचीन रिफाइनरीज लि०, मद्रास रिफाइन्रीज लिमिटेड में कम लागत विस्तार शोधनशालाएं

परियोजनाएं और बी० पी० सी० में विशाख, मथुरा और कैट क्रेकर 1984-85 के दौरान काम करना चालू कर देंगे। इन परियोजनाओं के पूरे हो जाने से, देश में शोधन क्षमता बढ़ जाएगी और शोधन के लिए कच्चे तेल की और अधिक मात्राओं की आवश्यकता पड़ेगी।

(ख) बम्बई हाई खनिज तेल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। उत्पादन के बढ़ जाने से, खनिज तेल की आयात आवश्यकताएं कम हो जाएंगी।

कोटा, राजस्थान में ताप बिजली घर

5725. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोटा, राजस्थान में ताप बिजलीघर, योजना में उसकी निर्धारित समय सूची के अनुसार कब तक पूरा हो जाना चाहिए ;

(ख) उपर्युक्त योजना में वर्ष-वार कुल कितनी धनराशि खर्च की जानी है;

(ग) क्या यह सच है कि धन की कमी से विलम्ब हो रहा है; और

(घ) मशीनों तथा अन्य सामान की सुपुर्दगी लेने के लिए रेलवे को कितना विलम्ब शुल्क दिया गया और उसकी बकाया राशि कितनी है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) (क) कोटा ताप विद्युत परियोजना चरण-1 की 110-110 मेगावाट की 2 यूनिटों को मूल रूप से क्रमशः मार्च, 81 तथा सितम्बर 81 में चालू करने का कार्यक्रम था।

(ख) मार्च, 80 के अन्त तक हुआ व्यय 54.56 करोड़ रुपए था। 1980-81 के दौरान प्रत्याशित व्यय 44.40 करोड़ रुपए है तथा 1981-82 के लिए 21.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

(ग) उपस्कर के मुख्य सप्लाई कर्त्ताओं, विशेषकर मैसर्ज भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्ज लि० तथा इण्डियन केबल कम्पनी ने सूचित किया है कि उनकी देय रकम का भुगतान राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड द्वारा समय पर नहीं किया जा रहा है।

(घ) राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड ने सूचित किया है कि विलम्ब शुल्क प्रभारों के लिए रेलवे को 65177.30 की राशि का भुगतान किया गया है।

समाचार पत्रों द्वारा देश का चित्र प्रस्तुत किया जाना

5726. **श्रीमती मोहसिना किदवई** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कौन से प्रस्ताव अथवा ठोस उपाय सरकार के विचाराधीन है कि देश में समाचार पत्र केवल गरीबी, बलात्कार, दंगों और अप्रिय घटनाओं को बढ़ा-चढ़ाकर समाचार देने के बजाय देश की परिलब्धियों और विकास का सच्चा चित्र प्रस्तुत करें;

(ख) क्या इस प्रकार के हालात के कारणों का विश्लेषण किया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी)

(क) से (ग) भारतीय प्रैस पूर्णतया स्वतन्त्र है और सरकार प्रैस की स्वतन्त्रता के लिए वचनबद्ध है। समाचार पत्रों को समाचारों, आदि का संग्रह करने उनको प्रस्तुत करने और उन पर टिप्पणियाँ करने के मामले में पूरी स्वतंत्रता है। ऐसा करने में, प्रेस से यह उम्मीद की जाती है कि वह समाचारों को प्रस्तुत करने में अपनी व्यावसायिक आचार संहिता के अंग के रूप में वस्तुनिष्ठता, यर्थाता और निष्पक्षता सुनिश्चित करे। तथापि, भारतीय प्रेस में कभी-कभी ऐसे समाचारों जिनकी अच्छी तरह छानबीन न की गई हो, अथवा सनसनीदार समाचारों को देने की ओर रुझान देखा गया है। इस प्रकार के रुझानों को देश के नियमों के अन्दर, पत्र सूचना कार्यालय की दैनिक सामान्य गतिविधियों के रूप में, खण्डनों, स्पष्टीकरणों, प्रेस ब्रीफिगों आदि को जारी करके सही करने की कोशिश की जाती है। सरकारी हैण्ड आउटों और फीचर लेखों के अतिरिक्त, पत्रकारों को चालू विभिन्न परियोजनाओं को स्वयं देखने के अवसर दिए जाते हैं। महत्वपूर्ण अवसरों पर, प्रेस सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है और पत्रकारों को महत्वपूर्ण समारोहों में आमन्त्रित किया जाता है ताकि वे स्रोत से सीधे सूचना प्राप्त कर सकें।

हाल ही में सूचना और प्रसारण मन्त्री ने समूची भारत सरकार की विभिन्न उपलब्धियों पर पत्रकारों को समूहों में ब्यौरा देने की पहल की। यह व्यवस्था काफी सफलतापूर्वक काम कर रही है।

आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के स्तर में सुधार

5727. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आकाशवाणी में केवल विशेषज्ञों को नियुक्त करने का है, जिससे कि कार्यक्रमों के स्तर में सुधार आ सके; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है और इससे स्टाफ-आर्टिस्ट और विशेषज्ञ श्रेणी के प्रोड्यूसर किस प्रकार लाभान्वित होंगे ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) :

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि अपेक्षित विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्ति भर्ती हों, आकाश वाणी में विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न शैक्षिक/व्यावसायिक अर्हताएं और अनुभव निर्धारित किए गए हैं।

(ख) प्रोड्यूसरों सहित स्टाफ आर्टिस्टों के पदोन्नति अवसरों को बढ़ाने के प्रस्तावों का अध्ययन किया जा रहा है।

बदरपुर बिजली घर में आरक्षित पदों का भरा जाना

5728. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बदरपुर ताप बिजली घर में इस समय अधिकारियों और कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटा वहाँ पर भरा गया है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और क्या सरकार इन श्रेणियों के लिए आरक्षित कोटे को निकट भविष्य में भरने के लिए कोई कार्यवाही कर रही है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र में विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की कुल संख्या इस समय निम्न प्रकार है :

श्रेणी 'क'	...	207
श्रेणी 'ख'	...	15
श्रेणी 'ग'	...	1712
श्रेणी 'घ'	...	881
तथा अन्य	...	70

प्रतिनियुक्ति पर आए तथा दैनिक वेतन पर लगे कर्मचारियों की संख्या इन आंकड़ों में सम्मिलित नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) जिन विभिन्न श्रेणियों में रिक्त स्थान मौजूद हैं उन श्रेणियों में उपयुक्त अर्हता प्राप्त कार्मिकों की सामान्य कमी के कारण अपेक्षित संख्या में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशी राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के प्रबन्धकों द्वारा बार-बार प्रयास किए जाने के बावजूद भी रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध नहीं हुए हैं।

इसके साथ ही अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों द्वारा स्थापना से बाहर रोजगार के लिए आवेदन करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। इसके फलस्वरूप, इन श्रेणियों में बाहर जाने वाले कर्मचारियों की संख्या सामान्यतः अधिक रहती है। इस कारण इस स्थापना में काम करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या में कमी आई है।

आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के प्रबन्धकों ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों की आयु, अनुभव आदि में सामान्य छूट देने के अलावा केवल इन वर्गों के प्रत्याशियों के लिए ही विज्ञापन देने तथा मूल्यांकन सम्बन्धी मानदण्डों में ढील देकर साक्षात्कार करने का कार्य हाथ में लिया है।

आकाशवाणी दिल्ली का उड़िया अनुभाग

5729. **श्री राम बिहारी बहेरा : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी दिल्ली के उड़िया अनुभाग में कितने व्यक्ति कार्यरत हैं और कितने पद खाली पड़े हैं; और

(ख) ये खाली पद कब भरे जाएंगे ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग में एक उड़िया यूनिट है जिसमें समाचार वाचक-व-अनुवादकों की स्वीकृत संख्या छः है। एक व्यक्ति की रेडियो मास्को में प्रतिनियुक्ति होने के परिणामस्वरूप एक स्थान 11-3-1981 से रिक्त हुआ है। रिक्ति अस्थाई होने के कारण काम को व्यक्तियों को नैमित्तिक संविदाओं/कार्यों पर लगाकर चलाया जाता है।

प्रबन्ध निदेशकों की नियुक्ति के बारे में सच्चर समिति

5730 **श्री आर० प्रभू : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच्चर समिति ने प्रबन्ध निदेशकों की नियुक्ति के बारे में प्रावधानों के कार्यान्वयन की सिफारिश की है,

(ख) यदि हां, तो वे प्रावधान क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ये सिफारिशें लागू करेगी; और

(घ) क्या सरकार का विचार अधिनियम में ही पारिश्रमिक के बारे में कुछ

अधिकतम सीमा निर्धारित करके वैयक्तिक मामलों में अनुमोदन की आवश्यकता समाप्त करने का है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) प्रबन्ध निदेशकों की नियुक्ति की बाबत, उपबन्धों के कार्यान्वियन के लिए सच्चर समिति की सिफारिशों का निर्देश, बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, क्योंकि इस बाबत उपबन्ध, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 269 में पहले से विद्यमान है, और लागू भी हैं।

(ख) ऊपर कथित सांविधिक उपबन्धों में साथ साथ उल्लिखित है कि एक पब्लिक कम्पनी, अथवा एक प्राइवेट कम्पनी, जो किसी पब्लिक कम्पनी की सहायक हो, के प्रबन्ध/पूर्णकालिक निदेशक की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के बिना, प्रभावी नहीं होगी। पुन: यह भी उल्लेख है कि केन्द्रीय सरकार जब तक निम्न प्रकार से संतुष्ट नहीं होगी, तब तक अपना अनुमोदन प्रदान नहीं करेगी :

(1) एक प्रबन्ध/पूर्णकालिक, निदेशक होना, कम्पनी के हित में है;

(2) एक कम्पनी का प्रस्तावित प्रबन्ध/पूर्णकालिक, निदेशक, उसकी राय में इस प्रकार की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के लिए एक योग्य एवं उचित व्यक्ति है तथा इस व्यक्ति को नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति जनहित के विरुद्ध नहीं है।

(3) प्रस्तावित प्रबन्ध/पूर्णकालिक, निदेशक की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के निबंधन एवं प्रतिबन्ध उचित एवं तर्कसंगत है।

(ग) धारा 269 में ऊपर कथित उपबन्ध अन्त: स्थापित करने के लिए, अपनी रिपोर्ट के पैरा 5.12 में की गई सच्चर समिति की सिफारिशें, तथा साथ ही कम्पनी अधिनियम, 1956, के संशोधनार्थ अन्य अनेक सिफारिशें, सरकार के सक्रिय विचाराधीन हैं, एव उन्हें प्रभावी बनाने के लिए, समुचित समझी जाने योग्य कार्यवाही की जाएगी।

(घ) सच्चर समिति ने इस बाबत भी कुछ सिफारिशें की हैं, जो, जैसा कि पहले विनिर्दिष्ट किया गया है, वर्तमान में सरकार के विचाराधीन हैं।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान औषधियों के लिए मांग

5731. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान औषधियों की मांग किस दर से बढ़ने की आशा है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में बढ़ी हुई मांग पूरी करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) औषध और भेषज पर गठित कार्यदल ने यह परिकल्पना की है कि छठी योजना के दौरान औषधों की माँग प्रति वर्ष लगभग 16 प्रतिशत तक बढ़ने की सम्भावना है ।

(ख) कार्यदल ने अनुमान लगाया है कि छठी योजना के दौरान अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए 325 करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता होगी । औषध उद्योग में औद्योगिक लाइसेंसों और पंजीकरण प्रमाण पत्रों के लिए प्रस्ताव निरन्तर प्राप्त हो रहे हैं और उनको समयबद्ध कार्यक्रम तथा औषध नीति को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मामले के गुणदोषों के आधार पर निपटाया जाता है ।

राजस्थान में रसायन उर्वरक कारखाना

5732. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत :** क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक **मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में सरकारी क्षेत्र में एक रसायन उर्वरक कारखाने की स्थापना करने का विचार है, और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) छठी योजना अवधि के दौरान राजस्थान में गैस पर आधारित एक उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है । उसके सही स्थान के ब्यौरे, स्वामित्व और उत्पाद मिश्रण आदि के बारे में निर्णय नहीं किया गया है । छठी योजना में, झामर कोटा से प्राप्त बेनेफिसिएटिड रॉक फास्फ़ेट और सलादीपुरा पाइराइट्स भण्डारों से प्राप्त सल्फ़र पर आधारित फास्फेटिक उर्वरक संयंत्रों की भी व्यवस्था है ।

कम्पनी कानून के उल्लंघन के मामले

5733. **श्री नवलकिशोर शर्मा :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कम्पनी कानूनों के उल्लंघन के कुल कितने मामले सरकार के नोटिस में लाए गए; और

(ख) उनमें अन्तर्ग्रस्त पार्टियों के क्या नाम हैं तथा सरकार द्वारा उन मामलों में क्या कार्यवाही की गई ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) तथा (ख) कम्पनी कानून के उल्लंघन के मामलों की कुल संख्या, जिन पर सरकार ने 31-3-1980 को

समाप्त हुए, तीन वर्षों की अवधि में कार्यवाही की है, 24261 है। उपरोक्त सभी माम में देश के विभिन्न न्यायालयों में अभियोग चलाए गए हैं।

इन अभियोगों से सम्बन्धित पार्टियों (कम्पनियों, निदेशकों और/या कम्पनियों अधिकारियों) की कुल संख्या काफी हजारों में है और उनके नामों की सूचियों के संकलन काफी समय, श्रम और धनराशि लगानी पड़ेगी, सम्भवतः जो आशातीत परिणामों के समानुपातिक भी नहीं हो। तथापि, विशेष मामलों में सूचना मांगने पर विधिवत दी जाएगी।

मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड के तापीय बिजली संयंत्रों द्वारा उत्पादित बिजली की उत्पादन लागत

5734. **श्री बी०आर० नहाटा :** क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एन०टी०पी०सी० द्वारा उत्पादित बिजली की प्रति यूनिट उत्पादन लागत की तुलना में मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड के तापीय बिजली संयंत्र द्वारा उत्पादित बिजली की प्रति यूनिट उत्पादन लागत क्या है;

(ख) मध्य प्रदेश में अधिष्ठापित क्षमता की तुलना में वहाँ अन्य राज्यों में विद्यमान स्थिति के मुकाबले में बिजली उत्पादन की प्रतिशतता क्या है, और

(ग) क्या मध्य प्रदेश में बिजली की उत्पादन लागत अन्य राज्य की तुलना में कम है और यदि हां, तो मध्य प्रदेश में इसकी आवश्यकता तथा राष्ट्रीय आवश्यकता के अनुसार नए तापीय विद्युत संयंत्रों का निर्माण-कार्य शुरू न किए जाने के क्या कारण हैं?

उर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्ष 1978-79 के लिए विद्युत उत्पादन की प्रति यूनिट औसत लागत 12.98 पैसे है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के बदरपुर विद्युत संयंत्र से विद्युत की वर्तमान प्रति यूनिट लागत लगभग 30.54 प्रति यूनिट है। बदरपुर में विद्युत की अधिक लागत का मुख्य कारण है—ईंधन की बहुत अधिक लागत होना तथा मूल्यह्रास तथा व्याज और प्रचालन और अनुरक्षण खाचों के कारण ऊंची लागत होना। मध्य प्रदेश में पहले ही कई अन्य ताप विद्युत केन्द्र हैं जिनका निर्माण कम पूंजीगत लागत पर हुआ है।

(ख) फरवरी 1981 के मास के लिए मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड के ताप विद्युत संयंत्रों के संबंध में संयंत्र भार अनुपात का प्रतिशत 59.2 है। अन्य राज्यों के बारे में संयंत्र भार अनुपात संलग्न **विवरण** में है।

(ग) मध्य प्रदेश में बिजली की उत्पादन लागत अन्य राज्यों की उत्पादन लागत के बिल्कुल बराबर है। मध्य प्रदेश की विद्युत और ऊर्जा की मांगों का मूल्यांकन केन्द्रीय

विद्युत प्राधिकरण द्वारा राज्य के परामर्श से किया गया है। राज्य की विद्युत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता का निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में है।

विवरण

राज्य बिजली बोर्डों के ताप विद्युत संयंत्रों के सम्बन्ध में फरवरी, 1981 के लिए संयंत्र भार अनुपात का प्रतिशत

राज्य बिजली बोर्ड का नाम	संयंत्र भार अनुपात (प्रतिशतता)
हरियाणा	28.9
राजस्थान	41.9 (केवल न्युक्लीय)
पंजाब	34.2
उत्तर प्रदेश	45.9
गुजरात	63.2
मध्य प्रदेश	59.2
महाराष्ट्र	49.0
आन्ध्र प्रदेश	42.6
तमिलनाडु	49.4
बिहार	33.1
उड़ीसा	41.1
पश्चिम बंगाल	43.5
असम	47.3
अखिल भारत	49.3

कार्बन ब्लैक का आयात

5735. **श्री जेवियर अराकल :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977 और उसके बाद कार्बन ब्लैक की कितनी मात्रा का आयात किया गया और किस मूल्य पर;

(ख) लाइसेंस का ब्यौरा क्या है तथा लाइसेंस कब दिए गए थे;

(ग) क्या भारत में कार्बन ब्लैक का उत्पादन होता है; और

(घ) यदि हाँ, तो भारतीय उद्योग को कितनी सहायता दी गई और इन यूनिटों के नाम क्या हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) उपलब्ध सूचना अनुबन्धित विवरण में दर्शाई गई है।

(ख) आयात लाइसेंस की विवरण "आयात लाइसेंस, निर्यात लाइसेंस और औद्योगिक लाइसेंस के साप्ताहिक बुलेटिन" में प्रकाशित किए जाते हैं जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय को भेजी जाती हैं।

(ग) जी हाँ।

(घ) फिलहाल 6 औद्योगिक उपक्रम कार्बन ब्लैक का निर्माण कर रहे हैं। वे हैं :—

1. मैसर्स फिलिप्स कार्बन ब्लैक लि०
2. मैसर्स यूनाइटेड कार्बन लि०
3. मैसर्स आरिएन्टस कार्बन लि०
4. मैसर्स गुजरात कार्बन लि०
5. मैसर्स यूरेका कैमिकल्स
6. मैसर्स फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया लि०

औद्योगिक उपक्रमों को उपलब्ध सभी सामान्य सहायता इन यूनिटों को दी जाती है।

विवरण

मात्रा : 000 किलो ग्राम में
मूल्य : लाख रु० में

क्रम संख्या	मद का विवरण	आई०टी०सी०रेव० 2 कोड न०	1977-78		1978-79		1979-80 (जनवरी 80 तक)	
			मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1.	रबड़ उद्योग के लिए कार्बन ब्लैक	522.1802	42	4.27	61	5.83	458	23.77
2.	कार्बन ब्लैक, एन०ई०एस०	522.1809	727	71.98	594	67.68	3029	171.76

नोट : आंकड़े अस्थाई हैं और परिवर्तन हो सकता है।

स्रोत : I 1977-78 और 1978-79 के लिए महा निदेशक वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित भारत का विदेशी व्यापार की मासिक सांख्यिकी।

II 1979-80 (जनवरी 1980 तक) के लिए महा निदेशक वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी से आर्थिक सलाहकार के कार्यालय, वाणिज्य विभाग में प्राप्त अग्रिम आंकड़े।

"फरदर राइज इन पोलिस्टर फाइबर यार्न प्राइसिस" शीर्षक समाचार

5736. **श्री एस०एम० कृष्ण : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 4 मार्च, 1981 के "फाइनेन्सियल एक्सप्रैस" नई दिल्ली संस्करण में "फरदर राइज इन पोलिएस्टर फाइवर यार्न प्राइसिस" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस पर उनकी प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या सरकार के स्वामित्व वाले भारतीय केमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स निगम के कार्य का सरलीकरण और सप्लाईकर्ता एजेंसी के रूप में कोई मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) इस निगम के सुचारू कार्यकरण और उसके व्यापार कार्यों के लिए क्या उपाय किए गए हैं या किए जाएगे।

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) पोलिऐस्टर फिलामेंट यार्न के घरेलू मूल्यों में अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के अनुरूप यथोचित वृद्धि हुई है कि इस समय स्वदेशी उत्पादन मांग से कम है। देश में पोलिऐस्टर फिलामेंट यार्न के निर्माण के लिए अतिरिक्त क्षमता के सृजन के लिए उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) और (घ) कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन आफ इण्डिया ही केवल एक सरणीबद्ध एजेन्सी है और पालिऐस्टर फिलामेंट यार्न के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर कोई नियंत्रण नहीं रखा जा सकता है।

उपहार स्वरूप मिली फिल्में

5737. **श्री निहाल सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पाँच वर्षों के दौरान विदेशों से उपहारस्वरूप प्राप्त हुई फिल्मों की देशवार संख्या क्या है और ये फिल्में किन विषयों से सम्बद्ध हैं; और

(ख) क्या उनके मन्त्रालय ने विदेशों को उपहारस्वरूप फिल्में दी हैं, यदि हाँ, तो इसकी संख्या और ऐसी फिल्मों का स्वरूप क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) दूरदर्शन को पश्चिम जर्मन के एक संगठन "ट्रान्सटेल" से उपहारस्वरूप 28 फिल्में, जिनकी सूची विवरण के रूप में संलग्न है, 1978 में प्राप्त हुई थी।

(ख) शून्य।

विवरण

दूरदर्शन को "ट्रान्सटेल" से उपहारस्वरूप प्राप्त फिल्मों की सूची।

संख्या	फिल्म का नाम
1.	वाइल्ड वाटर एण्ड कयक्स
2.	दि स्काई शो
3.	दि ग्रेट एक्सटासी आफ वुडकारवर वाल्टर स्टीनर
4.	गलेडियेटर्स आफ दि रोड
5.	कयक हिमालय
6.	वैलूनिंग
7.	वर्ल्ड रिकोर्ड्सनाट रिक्वायर्ड
8.	टोलरक्रेन्सटोन्स
9.	इकारूस 2000
10.	टेल्स फ्रोम दि ग्रोडन वैली
11.	गोल्फ
12.	दि कंचचेनजुंगा एक्सपेडीशन
13.	फ्री फाल
14.	एक्रोबेट्स आन दि वाल्स
15.	दि 1954 फुटबाल चेम्पियनशिप्स इन दि स्विटजरलैंड
16.	दि 1954 फुटबाल चेम्पियनशिप्स इन स्विटजरलैंड
17.	फुटबाल वर्ल्ड चेम्पियनशिप्स क्वालिफाइंग गेम—वेस्ट जर्मनी/स्काटलैंड (भाग—एक)
18.	फुटबाल वर्ल्ड चेम्पियनशिप क्वालिफाईंग गेम—वेस्ट जर्मनी/स्काटलैंड (भाग दो)
19.	दि वर्ल्ड फुटबाल चेम्पियनशिप्स।
20.	दि वर्ल्ड फुटबाल चेम्पियनशिप्स।
21.	दि वर्ल्ड फुटबाल चेम्पियनशिप्स।
22.	दि वर्ल्ड फुटबाल चेम्पियनशिप्स।
23.	दि वर्ल्ड फुटबाल चेम्पियनशिप्स।
24.	दि वर्ल्ड फुटबाल चेम्पियनशिप्स।
25.	दि वर्ल्ड फुटबाल चेम्पियनशिप्स।
26.	दि वर्ल्ड फुटबाल चेम्पियनशिप्स।
27.	दि वर्ल्ड फुटबाल चेम्पियनशिप्स।
28.	दि वर्ल्ड फुटबाल चेम्पियनशिप्स।

नये कुकिंग कनेक्शन

57:8. **श्री एस० एम० कृष्ण : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नये कुकिंग कनेक्शन के आवंटन में किसी प्रकार के कदाचारों को रोकने के लिए यदि कोई पूर्वोपाय निर्धारित किए गए हैं तो वे क्या हैं; और

(ख) एजेंसियों को कोटा किस प्रकार रिलीज किया जायेगा और एक ही एजेंसी में एक ही तारीख को पंजीकृत व्यक्तियों का क्या होगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) नये गैस कनैक्शनों का आवंटन तेल कम्पनियों के वितरकों द्वारा उनके पास दर्ज व्यक्तियों । प्रतीक्षा सूचियों के बिल्कुल अनुसार किया जाता है । इसके अतिरिक्त, तेल कम्पनियों के क्षेत्रीय कर्मचारी यह सुनिश्चित करने के लिए आवधिक निरीक्षण करते हैं कि आवंटन प्रतीक्षा सूचियों के अनुसार ही किया गया हैं ।

(ख) सम्बन्धित वितरक के पास प्रतीक्षा सूचियों के और बाजार में प्रत्येक श्रेणी में रिफिलों की अधिकतम बिक्री के आधार पर वितरकों को आवंटन किया जाता है । वितरक के पास प्रतीक्षा सूचियोंमें दर्ज व्यक्तियों की अवस्था (स्थिति) के अनुसार कनैक्शन रिलीज किए जाते हैं ।

पटना में खाना पकाने की गैस (एल० पी० जी०) के कनैक्शन

5739. **श्री रामावतार शास्त्री : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटना में खाना पकाने की गैस के कनेक्शनों के लिए आवेदनों की एक लम्बी प्रतीक्षा सूची है;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है; और

(ग) सरकार का उन सबको गैस कनेक्शन कब तक देने का विचार है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) पटना में खाना पकाने की गैस के कनैक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में लगभग 7000 आवेदन-कर्त्ता हैं ।

(ग) बम्बई हाई और मथुरा तथा कोयाली शोधन-शालाओं से बढ़ी मात्रा में खाना पकाने की गैस की बढ़ी हुई उपलब्धता से इस महीने के बाद से पटना सहित देश में एल० पी० जी० के नये कनैक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूचियों में दर्ज आवेदनकर्त्ताओं का एक चरणबद्ध ढंग से निपटान किया जाए ।

विदेशी औषध फर्मों को लाइसेंसों/आशय-पत्रों का जारी किया जाना

5740. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई औषधों/फरम्यूलेशनों के लिए उत्पादन के लिए अथवा औषधों/फारम्यूलेशनों की विद्यमान क्षमता के विस्तार के लिए किन-किन विदेशी औषध कम्पनियों को लाइसेंस/आशय-पत्र प्रदान किए गए;

(ख) ऐसी कौन-कौन सी कम्पनियां हैं, जिनके द्वारा गत दो वर्षों में किए गए अधिक उत्पादन को नियमित कर दिया गया है;

(ग) इन में से ऐसी कंपनियां कौन-कौन सी हैं जो विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अपनी विदेशी साम्य पूंज़ी (इक्विटी) को कम करने के लिए सहमत हो गई हों; और

(घ) क्या इन कंपनियों ने हाल ही में बाजार में अपने उत्पादों की बनावटी कमी पैदा कर दी है और यदि हां, तो इस स्थिति से निवटने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) आई (डी० एण्ड आर०) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत औद्योगिक लाइसेंस धारी (40 प्रतिशत से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी साम्यपूंजी वाली) विदेशी औषध निर्माता कम्पनियों के नामों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) औषध नीति 1978 के अनुसार अभी तक औषधों के अधिक उत्पादन को नियमित नहीं किया गया है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए निर्देशों और मार्ग दर्शन 1 78 की औषध निति की शर्तों के अनुसार अबोट लैबोरेटरीज लि० स्मिथ क्लाइन एण्ड फ्रेंच लि० और ज्योफरी मैनर्स एण्ड कम्पनी अपनी विदेशी साम्य पूंजी को कम करने के लिए सहमत हो गए हैं।

(घ) उपरोक्त भाग (क) में बताई गई कंपनियों के कुछ अनिवार्य और जीवन रक्षक उत्पादों की कमी के बारे में समय-समय पर रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इनमें से अनेक मामलों में समान उत्पाद उपलब्ध होने की रिपोर्ट मिली है। सरकार अनिवार्य और जीवन रक्षक औषधों की उपलब्धता की देख-रेख करती है और जिन निर्माताओं के उत्पादों की कमी के बारे में रिर्पोट प्राप्त होती है, उन निर्माताओं तथा उन्हीं के समान उत्पादों के निर्माताओं को कमी वाले क्षेत्रों में शीघ्र स्टाफ भेजने की सलाह देती है।

विवरण

40. प्रतिशत से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी साम्य पूंजी वाली विदेशी कंपनियों की सूची।

1. मैसर्स अवोट लैरेबोटरीज (इंडिया) प्रा० लि०, बम्बई।
2. मैसर्स स्मिथ क्लाइन एण्ड फ्रेंच (इंडिया) लि०, बंगलौर।
3. मैसर्स ज्योफरीमानर्स एण्ड कम्पनी लि०, बम्बई।
4. मैसर्स रिचर्डसन हिन्दुस्तान लि० बम्बई।
5. मैसर्स व्हीफिन (इंडिया) लि० बम्बई।
6. मैसर्स वरोज वैलकम एण्ड कम्पनी (इंडिया) लि० बम्बई।
7. मैसर्स मै एण्ड वेकर लि०, बम्बई।
8. मैसर्स रोशा प्रोडक्टस लि०, बंबई।
9. मैसर्स पार्क डेविस (इंडिया) लि० बम्बई।
10. मैसर्स ग्लैक्सो लैबोरेटरीज (इंडिया) लि०, बम्बई।
11. मैसर्स जानसन एण्ड जानसन आफ इंडिया लि०, बंबई।
12. मैसर्स फाइजर लि०, बंबई।
13. मैसर्स सीबा गेगी आफ इंडिया लि०, बंबई।
14. मैसर्स ई० मर्क (इंडिया) प्रा० लि०, बंबई।
15. मैसर्स मर्क शार्प एण्ड डोहम आफ इण्डिया लि०, बंबई।
16. मैसर्स सेण्डोज (इंडिया) लि०, बंबई।
17. मैसर्स होक्सट फार्मास्यूटिकल्स, लि०, बंबई।
18. बूट्स कंपनी (इंडिया) लि० बंबई।
19. मैसर्स वारनर हिंदुस्तान लि०, कलकत्ता।
20. मैसर्स आर्गानोन इंडिया लि० कलत्तत्ता।
21. मैसर्स यूनीसेसों, लि०, हैदरावाद।
22. मैसर्स वैमथ लैबोरेटरीज, लि० बंबई।
23. मैसर्स वेयर (इंडिया) लि० बंबई।
24. मैसर्स साइनामाइड इंडिया लि०, बंबई।
25. मैसर्स अल्कली एण्ड कैमिकल्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०, कलकत्ता।

उद्योगों का लेखा परीक्षण

3741. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निम्नलिखित उद्योगों की लागत लेखा परीक्षा पिछली बार कब किया गया था;

(एक) पोलिएस्टर (दो) एक्रीलिक (तीन) नायलोन रेशा : (चार) रेयन रेशा (पाँच) ऊनी वस्त्र (छः) सीमेंन्ट (स) कागज और पेपर बोर्ड;

(ख) क्या इनमें बहुत अधिक लाभ होने के कारण उक्त इन सभी अथवा कुछ उद्योगों के लागत लेखा परीक्षण नए सिरे से कराए जाने की हाल ही में मांग की गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इनका लेखा परीक्षण नए सिरे से कब करवाए जाने की सम्भावना है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) लागत लेखा परीक्षा, निम्नांकित उद्योगों में, प्रत्येक के सम्मुख उल्लिखित तारीखों से पुरःस्थापित की गई है :—

नाम :	तारीख, जिसे प्रथम बार लागत लेखा परीक्षा के अन्तर्गत आया (से अथवा पश्चात् से वित्तीय वर्ष प्रारम्भ)	वर्ष जिसमें एककों में से अधिकाँश पिछली बार, लागत लेखा—परीक्षाँतर्गत थे।
1. पोलिस्टर	1. 4. 1978	1979
2. नायलोन धागे	1. 4. 1978	1979
3. रेयन धागे	1. 1. 1977	1978
4. सीमेंन्ट	1. 1. 1969	1980
5. कागज व कागज बोर्ड	1. 1. 1977	1979

(ख) नहीं, श्रीमान् जी।

(ग) उत्पन्न नहीं होता।

परिवार नियोजन पर वृत्त चित्र

5742. **श्री राम चन्द्र रथ** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979-80 और 1980-81 में फिल्म डिवीजन द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रमों पर कितने वृत्त चित्र दिखाए गए;

(ख) क्या उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी कोई फिल्में दिखाई गई हैं और यदि हाँ, तो उनके नाम क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विभिन्न राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक वृत्त चित्र दिखाने का प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) 1979-80 के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रमों पर थियेट्रिकल सर्किट में 13 फिल्में प्रदर्शित की गई थी। 1978-79 में रिलीज की गई दो फिल्में 1979-80 के दौरान भी सर्कुलेशन में रही। 1980-81 में परिवार कल्याण कार्यक्रमों पर 7 फिल्में प्रदर्शित की गई थी।

(ख) जी, हाँ। फिल्मों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। संलग्न विवरण में उल्लिखित फिल्मों के अलावा, परिवार कल्याण सम्बन्धी फिल्मों की 16 मि० मी० की प्रिण्टें भी चलते फिरते वाहनों के माध्यम से विभिन्न राज्यों में प्रदर्शन के लिए परिवार कल्याण विभाग और क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय को सप्लाई की जाती हैं।

(ग) सरकार ने परिवार कल्याण पर अतिरिक्त फिल्मों के निर्माण के लिए परिवार कल्याण विभाग की ओर से फिल्म प्रभाग, दिल्ली में एक अलग फिल्म यूनिट स्थापित करने की स्वीकृति दे दी है। इस समय, फिल्म प्रभाग परिवार कल्याण कार्यक्रमों पर 40 फिल्में बना रहा है। इनके मुकम्मिल हो जाने के बाद, इन फिल्मों के विभिन्न राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में रिलीज किए जाने की उम्मीद है।

विवरण

1. अम्ब्रेला (रंगीन)
2. हैप्पी वैडिंग (रंगीन)
3. एज आफ मैरिज (रंगीन)
4. मिलाडिस च्वाइस (रंगीन)
5. मैजिक (रंगीन)
6. दि डिसीजन (रंगीन)
7. एंगल आफ दी ट्राँइगल (रंगीन)
8. ट्वन्टी सेकण्ड नवम्बर (रंगीन)
9. विल सुष्मा लिव (रंगीन)

10. जब जागे तभी सवेरा (रंगीन)
11. बैंड लाक (रंगीन)
12. प्लांट्स इन फील्ड् (सादी)
13. फार ए स्ट्रोंगर इंडिया (सादी)
14. स्टाप दि थर्ड (रंगीन)
15. गांव की ओर (सादी)
16. गो स्लो (रंगीन)
17. एक बहन (रंगीन)
18. हिज (रंगीन)
19. इट हैपण्ड एट मिड नाइट (सादी)
20. रूप का गहना (रंगीन)
21. आइटम नम्बर वन (रंगीन)
22. केयर फ्री (रंगीन)

जीवन रक्षक औषधियों के उत्पादन में आत्म-निर्भरता

5743. **श्री चिरंजीलाल शर्मा :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश को जीवन रक्षक औषधियों के उत्पादन में आत्म निर्भर बनाने सम्बन्धी योजना की रूपरेखा तैयार कर ली गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में देश को आत्म-निर्भर बनाने के लिए कुल कितनी धनराशि खर्च की जाएगी ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) वर्ष 1980 में स्थापित किए गए योजना कार्य दल ने वर्ष 1984-85 तक क्रमश: 815 करोड़ रुपए के बल्क औषधों (जिनमें 150 करोड़ रुपए के आयातित औषध भी शामिल हैं) और 2450 करोड़ रुपए के फार्मूलेशनों की आवश्यकता का अनुमान लगाया है। कार्य-दल के अनुसार बल्क औषधों के लिए 275 करोड़ रुपए और फार्मूलेशनों के लिए 50 करोड़ रुपए का निवेश अपेक्षित होगा।

कार्यदल की परिकल्पना के अनुसार उत्पादन में वृद्धि के बावजूद आयात किए जाने की सम्भावना है जिनको निम्नलिखित कारणों से टाला नहीं जा सकता :—

(1) कुछ औषधों की माँग बहुत तेजी से बढ़ रही हैं।

(2) नए औषधों के लिए विदेशों से प्रौद्योगिकी···प्राप्त करनी होगी।

(3) स्वदेशी उत्पादन में कुछ स्थानीय कारणों से कमी हो सकती है जैसे बिजली की कटौती, औद्योगिक अशान्ति आदि और उसकी पूर्ति के लिए आयात करना आवश्यक होगा; और

(4) कुछ ऐसे औषध हैं जिनकी माँग उत्पादन आरम्भ करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी।

1980-81 में निर्मित-फिल्में

5744. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 के दौरान कुल कितनी फिल्मों का निर्माण हुआ ; और

(ख) उपयुक्त अवधि के दौरान उन फिल्मों के नाम क्या है जिन्हें "यू-सार्टीफिकेट" नहीं दिया गया है; और तत्संबंधी कारण क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और उसको यथाशीघ्र सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

औषधियों के आयात पर व्यय की गई धनराशि

5745. **श्री चिरंजीलाल शर्मा** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 के दौरान औषधियों के आयात पर कुल कितना व्यय किया गया, और

(ख) वर्ष 1981-82 के दौरान औषधियों के आयात पर कितना व्यय किए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) स्टेट कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन आफ इण्डिया (सी० पी० सी०) द्वारा 1980-81 (15 मार्च 1981 तक) के दौरान सारणीबद्ध औषधों के किए गए आयात का सी० आई० एफ० मूल्य 26.58 करोड़ रुपये है।

(ख) इस समय यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा गांव को विद्युतीकृत घोषित करने के लिए अपनाया गया मानदंड

5746. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण घोषित करने के लिए क्या मानदंड अपनाया जाता है;

(ख) क्या इस संदर्भ में गांव के "पूर्ण" विद्युतीकरण का अर्थ जनसंख्या गाँव की सीमाओं में सभी मकानों को विद्युत कनेक्शन देना है;

(ग) यदि नहीं, तो गांव के सम्पूर्ण "विद्युतीकरण" की वास्तविक परिभाषा क्या है और शेष बची झोपड़ियों का भाग्य क्या है;

(घ) क्या कोई युक्तिसंगत परिभाषा अपनाई जाएगी जिससे कि देश में विद्युतीकरण प्रक्रिया का स्पष्ट चित्र सामने आ सके;

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा अपनाए गए मानदण्ड के अनुसार किसी गांव की राजस्व सीमा के अन्तर्गत यदि विद्युत का उपयोग किसी भी प्रयोजन के लिए जैसे कृषि, उद्योग या घरेलू प्रयोजन के लिए किया जा रहा है तो उस गांव को विद्युतीकृत गाँव की श्रेणी में रख दिया जाता है।

(ग) से (ङ) गाँव को एक बार बिजली उपलब्ध करा दिए जाने पर यह इच्छुक उपभोक्ता पर निर्भर है कि वे इस सुविधा का लाभ उठाएं। जहां तक छूटे हुए खेड़ों तक विद्युत के विस्तार का सम्बन्ध है, इन क्षेत्रों का विद्युतीकरण करने के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम अपनी मिनी स्कीमों के अन्तर्गत ऋण मंजूर करता रहा है। इसी प्रकार, ग्राम विद्युतीकरण निगम की स्कीम पूरा हो जाने के पश्चात् अगर अतिरिक्त भार शक्यता विकसित होती है तो निगम अपनी विशेष परियोजना (कृषि) स्कीमों एवं विशेष परियोजना (उद्योग) स्कीमों के अन्तर्गत पम्पसेटों, उद्योगों आदि के विद्युतीकरण हेतु ऋण मंजूर करता रहा है। यह राज्य बिजली बोर्डों, स्थानीय निकायों तथा उपभोक्ताओं यथा घरेलू एवं उद्योग क्षेत्र के उपभोक्ताओं आदि पर निर्भर है कि वे बिजली के कनेक्शनों का लाभ उठाएं।

प्रत्येक पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर घरेलू एवं औद्योगिक प्रयोजनों के लिये बिजली की प्रति व्यक्ति खपत

5747. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर देश में एवं प्रत्येक राज्य में घरेलू/औद्योगिक प्रयोजनों के लिए बिजली की प्रति व्यक्ति खपत के आंकडे क्या हैं;

(ख) सम्पूर्ण देश की प्रति व्यक्ति खपत की तुलना में छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्रत्येक राज्य के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या पहाड़ी राज्यों/क्षेत्रों में कुछ गाँव ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा नियत वर्तमान मानदण्डों के अनुसार विद्युतीकृत नहीं हो पाते;

(घ) यदि हाँ, तो ये मानदण्ड क्या हैं और क्या पहाड़ी राज्यों/क्षेत्रों के सम्बन्ध में कोई छूट दी जायेगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) प्रत्येक पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर, घरेलू और औद्योगिक प्रयोजनों के लिए बिजली की प्रति व्यक्ति खपत का देश का तथा प्रत्येक राज्य का ब्यौरा संलग्न विवरण—1 में दिया गया है।

(ख) योजना आयोग द्वारा तैयार किए गए छठी योजना सम्बन्धी प्रलेख में, छठी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर घरेलू/औद्योगिक प्रयोजनों के लिए बिजली की खपत का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। छठी योजना की समाप्ति पर अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति खपत (यूटिलिटीज में और गैर यूटिलिटीज में) 210 यूनिट के लगभग होगी जबकि छठी योजना के अन्त तक केवल यूटिलिटीज में ही यह खपत 202 यूनिट के लगभग होगी। वर्ष 1984-85 के लिए यूटिलिटीज में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत का राज्यवार ब्यौरा विवरण – 2 में संलग्न है।

(ग) ग्राम विद्युतीकरण निगम, पहाड़ी क्षेत्रों की ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिए वित्तीय सहायता अविकसित क्षेत्रों के लिए लागू होने वाली रियायती शर्तों पर दे रहा है। ये स्कीमें राज्य बिजली बोर्डों द्वारा तैयार की जाती हैं और निगम द्वारा वित्तीय सहायता स्वीकृत कर दिए जाने के पश्चात् इन्हीं बोर्डों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं तथा जिन राज्यों में राज्य बिजली बोर्ड नहीं हैं उन राज्यों में राज्य सरकार का सम्बन्धित विभाग यह कार्य करता है। स्कीमों की स्वीकृति के लिए मानदण्ड तैयार करते समय निगम ने पहाड़ी राज्यों/क्षेत्रों में पिछड़े/अविकसित क्षेत्रों की परिस्थितियों को ध्यान में रखा है। यह समझा जाता है कि परियोजना को ठीक ढंग से तैयार करके और इसके कार्यान्वयन के लिए सतत् प्रयास करके राज्य बिजली बोर्ड/बिजली विभाग इस स्थिति में होंगे कि ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों में बहुत अधिक पिछड़े हुए क्षेत्रों को भी शामिल कर लें। विभिन्न राज्यों में पहाड़ी क्षेत्रों में 37625 गांवों के विद्युतीकरण के लिए निगम ने जनवरी, 1981 के अन्त तक 218.35 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की 506 स्कीमें स्वीकृत

की हैं। इन स्कीमों के अन्तर्गत सितम्बर 19081 के अन्त तक 15528 गांवों का विद्युतीकरण हुआ है । रिपोर्ट इसी अवधि तक की उपलब्ध है ।

(घ) और (ङ) पहाड़ी क्षेत्रों की स्कीमें निगम से वित्तीय सहायता की पात्र बन सकें इसके लिए यह यह आवश्यक है कि पूंजीगत आधार पर वे 7वें वर्ष की समाप्ति पर 6 प्रतिशत का निवल लाभ या 10 प्रतिशत का सकल लाभ प्राप्त करें, 15वें वर्ष की समाप्ति पर लाभ अलाभ की स्थिति पर पहुंचे तथा 25वें वर्ष की समाप्ति पर 3.1/2 प्रतिशत का निवल लाभ प्राप्त करें । निवेश पर लाभ का हिसाब लगाने के प्रयोजन के लिए 11 के० वी० (मुख्य तथा स्पर) लाइनों पर किया गया निवेश परियोजना के पूंजीगत आधार में शामिल नहीं किया जाता ऋण की अदायगी 30 वर्ष की अवधि में की जानी होती है। मूलधन की चुनौती के लिए पहले पांच वर्ष का समय ऋण स्थगन काल होता है । ब्याज की दर 6 प्रतिशत से 9.1/2 प्रतिशत तक अलग-अलग होती है । समय पर भुगतान के लिए सभी चरणों पर 1/4 प्रतिशत की छूट दी जाती है। जीवन क्षमता सम्बन्धी जो मानदण्ड चुकौती की जो अवधि तथा ब्याज की जो दरें ऊपर बताई गई हैं वे सामान्यतः पिछड़े (ओ० बी०) क्षेत्रों तथा सामान्यत: उन्नत (ओ० ए०) क्षेत्रों पर लागू जीवन क्षमता सम्बन्धी मानदण्ड, चुकौती की अवधि तथा ब्याज की दरों की तुलना में अधिक उदार है । पिछड़े- क्षेत्रों के विद्युतीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के मामले में निगम उदार और लचीली नीति का पालन करता आ रहा है तथा किसी भी राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त किसी भी स्कीम को पिछले कुछ महीनों के दौरान केवल इसी आधार पर स्वीकृति के लिए मना नहीं किया गया है कि यह स्कीम वित्तीय दृष्टि से जीवन क्षमनहीं है । यद्यपि जीवन क्षमता सम्बन्धी मानदण्डों में आम छूट देना आवश्यक नहीं समझा जाता है, तथापि जिन अलग-अलग मामलों में छूट की आवश्यकता होती उन मामलों पर, जब और जैसे वे आते हैं, विचार किया जाता है ।

विवरण—1

घरेलू तथा औद्योगिक प्रयोजनों के लिए बिजली की राज्यवार प्रति व्यक्ति खपत

क्षेत्र/राज्य का नाम	पहली योजना के अन्त में (12/55)**		दूसरी योजना के अन्त में (1960-61)		तीसरी योजना के अन्त में (1965-66)	
	घरेलू	औद्योगिक	घरेलू	औद्योगिक	घरेलू	औद्योगिक
1	2	3	4	5	6	7
उत्तरी क्षेत्र						
1. हरियाणा	*	*	*	*	*	*
2. हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	2.51	4.68
3. जम्मू व कश्मीर	1.60	1.29	6.29	1.96	...	...
4. पंजाब	2.87	8.11	3.44	21.34	4.75	83.46
5. राजस्थान	0.58	1.15	1.03	8.32	1.64	15.94
6. उत्तर प्रदेश	1.06	4.19	1.67	8.70	2.30	27.10
6. चण्डीगढ़	*	*	*	*	*	*
8. दिल्ली	23.67	32.90	39.50	99.04	53.90	80.76
9. पेपसू	1.32	3. 8	...	...	...	...
पश्चिमी क्षेत्र						
1. गुजरात (सौराष्ट्र)	2.18	9.76	3.47	43.42	5.94	69.56
2. मध्य प्रदेश	1.00	6.57	1.40	16.37	2.01	33.46
3. महाराष्ट्र (बम्बई)	4.75	42.61	6.58	50.81	9.89	76.17
4. गोवा, दमन और दीव	...	...	...	...	2.75	5.03
5. दादरा और नागर हवेली	...	...	...	—	—	—
6. मध्य भारत	1.18	0.93	—	—	—	—

*पंजाब में सम्मिलित हैं।

1	2	3	4	5	6	7
पूर्वी क्षेत्र						
1. बिहार	0.58	5.43	0.96	35.46	1.16	47.50
2. उड़ीसा	0.24	0.33	1.04	40.96	1.52	74.66
3. पश्चिम बंगाल	9.42	44.42	10.11	65.61	12.65	88.15
4. अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	...	...	...	...	11.54	5.75
5. सिक्किम	...	...	...	...	...	...

क्षेत्र/राज्य का नाम	वार्षिक योजना के अन्त में (1968-69)		चौथी योजना के अन्त में (1973-74)		पांचवी योजना के अन्त में (1978-79)	
	घरेलू	औद्योगिक	घरेलू	औद्योगिक	घरेलू	औद्योगिक
1	2	3	4	5	6	7
उत्तरी क्षेत्र						
1. हरियाणा	4.[illegible]9	49.17	8.34	74.00	15.37	105.75
2. हिमाचल प्रदेश	4.56	4.16	10.96	8.78	12.33	17.32
3. जम्मू व कश्मीर	12.36	7.92	15.25	14.48	14.48	21.51
4. पंजाब	8.8[illegible]	134.12	14.83	25.97	25.97	153.78
5. राजस्थान	2.14	23.09	3.46	5.67	5.67	59.80
6. उत्तर प्रदेश	3.24	44.06	4.38	7.48	7.48	51.32
7. चण्डीगढ़	64.73	177.33	63.68	106.36	106.36	160.62
8. दिल्ली	67.35	107.70	87.35	105.84	105.84	125.41
पश्चिमी क्षेत्र						
1. गुजरात	7.65	87.62	11.18	108.99	18.30	156.00
2. मध्य प्रदेश	2.99	41.32	3.69	55.23	5.35	73.26
3. महाराष्ट्र	12.58	97.45	15.62	118.20	24.39	142.20
4. गोवा दमन और दीव	5.97	63.23	13.20	89.05	21.73	141.08
5 दादरा और नागर हवेली	2.57	4.14	2.91	7.72	8.10	38.63

1	2	3	4	5	6	7
पूर्वी क्षेत्र						
1. बिहार	1.42	49.01	1.87	59.48	2.85	72.78
2. उड़ीसा	1.39	82.79	2.05	84.13	3.73	100.66
3. पश्चिम बंगाल	14.17	87.44	14.99	82.98	13.34	80.97
4. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	14.25	6.11	19.01	2.75	13.00	9.41
5. सिक्किम	...	...	...	...	20.88	9.67

राज्य/क्षेत्र का नाम	1955**		1960-61		1965-66	
	घरेलू	औद्योगिक	घरेलू	औद्योगिक	घरेलू	औद्योगिक
1	2	3	4	5	6	7
दक्षिणी क्षेत्र						
1. आंध्र प्रदेश	1.04	2.91	1.97	14.20	2.15	18.96
2. कर्नाटक	5.52	46.63	3.20	35.60	4.92	42.13
3. केरल (त्रेवनकोर कोचीन)	1.87	23.77	3.03	23.51	4.66	34.18
4. तमिलनाडु (मद्रास)	2.83	12.61	4.54	27.93	5.80	49.91
5. पांडिचेरी	—	—	—	—	7.93	66.71
6. लक्षद्वीप	—	—	—	—	0.73	2.67
7. हैदराबाद	0.58	1.12	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7
उत्तरी पूर्वी क्षेत्र						
1. असम	0.28	0.13	0.83	2.11	1.70	4.38
2. मणिपुर	—	—	—	—	3.44	0.64
3. मेघालय	×	×	×	×	×	×
4. नागालैण्ड	—	—	—	—	1.62	0.18
5. त्रिपुरा	—	—	—	—	1.96	0.40
6. अरूणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—
7. मिजोरम	×	×	×	×	×	×
शेष	0.93	0.82	1.55	5.12	---	—
अखिल भारत	2.35	12.98	3.41	28.18	4.73	45.55

× असम में शामिल है।

— उपलब्ध नहीं।

** आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण अपना निजी विद्युत का उत्पादन करने वाले उद्योगों के सम्बन्ध में प्रति व्यक्ति उपभोग इसमें शामिल नहीं है।

उद्योगों में अपना निजी उत्पादन करने वाले उद्योगों में होने वाली प्रति व्यक्ति खपत शामिल है।

क्षेत्र/राज्य का नाम	1968-69		1973-74		1978-79	
	घरेलू	औद्योगिक	घरेलू	औद्योगिक	घरेलू	औद्योगिक
1	2	3	4	5	6	7
4. दक्षिणी क्षेत्र						
1. आन्ध्र प्रदेश	3.01	25.48	4.63	35.65	8.59	56 99
2. कर्नाटक	6.70	51.27	9.91	106.65	14.83	118.62
3. केरल	3.93	57.65	6.38	67.42	11.72	73.68
4. तमिलनाडु	7.06	66.57	9.05	68.87	14.47	103.66
5. पाण्डिचेरी	8.41	81.45	14.60	100.92	26.21	129.05
6. लक्षद्वीप	3.67	नगण्य	5.29	0.67	13.71	0.75

1	2	3	4	5	6	7
5. उत्तरी पूर्वी क्षेत्र						
1. असम	1.98	8.76	2.54	14.19	2.97	27.58
2. मणिपुर	2.54	0.18	6.62	1.11	3.51	0.51
3. मेघालय	*	*	*	*	9.47	12.06
4. नागालैण्ड	5.64	0.38	15.42	5.79	7.91	4.90
5. त्रिपुरा	2.78	1.13	3.29	1.23	5.33	1.82
6. अरूणाचल प्रदेश	...	...	3.95	0.70	5.28	0.87
7. मिजोरम	*	*	*	*	4.76	0.55
अखिल भारत	6.04	56.15	8.06	66.67	11.81	84.86

*इनके आंकड़े असम में शामिल हैं।

...उपलब्ध नहीं।

विवरण 2

बिजली की प्रति व्यक्ति वार्षिक खपत केवल युटिलिटीज से (1984-85)

क्षेत्र/राज्य का नाम	केवल युटिलिटीज (अनन्तिम) (1984-85)
(1)	(2)
उत्तरी क्षेत्र	
हरियाणा	360
हिमाचल प्रदेश	136
जम्मू व कश्मीर	105
पंजाब	447
राजस्थान	132
उत्तर प्रदेश	153
चण्डीगढ़	485
दिल्ली	484
पश्चिमी क्षेत्र	
गुजरात	317

1	2
मध्य प्रदेश	164
महाराष्ट्र	336
गोवा दमन और दीव	457
दादरा और नागर हवेली	85
दक्षिणी क्षेत्र	
आन्ध्र प्रदेश	174
कर्नाटक	292
केरल	174
तमिलनाडु	236
पाण्डिचेरी	376
लक्षद्वीप	
पूर्वी क्षेत्र	
बिहार	93
उड़ीसा	159
पश्चिमी बंगाल	186
अण्डमान और निकोबार	
सिक्किम	92
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	
असम	60
मणिपुर	40
मेघालय	101
नागालैण्ड	111
त्रिपुरा	39
अरुणाचल प्रदेश	3[illegible]
मिजोरम	66
अखिल भारत	202

टिप्पणी : 1984-85 के लिए प्रति व्यक्ति खपत के आँकड़ो का अनुमान केवल युटि-लिटीज में माँग के आधार पर लगाया गया है तथा ये आँकड़े अनन्तिम हैं क्योंकि जनसंख्या के आंकड़ों का भी अनुमान लगाया गया है ।

छठी योजना में जिला आकाशवाणी केन्द्र

5748. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना में "जिला आकाशवाणी केन्द्रों" के प्रावधान के लिए कोई आवंटन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो 1980-81 और 1981-82 में इस प्रयोजन के लिए कितनी धन-राशि आवंटित की गई; और

(ग) राज्यवार उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां इस तरह के आकाशवाणी केन्द्रों की मंजूरी दी गई हैं और उनमें प्रत्येक की स्थापना कब तक किए जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (ग) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित स्थानों पर स्थानीय रेडियो स्टेशन स्थापित करने का स्वीकृत योजनागत प्रस्ताव है :—

1. दिफू (असम)
2. कोटा (राजस्थान)
3. क्योंझर (उड़ीसा)
4. आदिलाबाद (आन्ध्र प्रदेश)
5. शोलापुर (महाराष्ट्र)
6. नागर कोइल (तमिलनाडु)

इस प्रयोजन के लिए वर्ष 1980-81 के लिए आवंटित राशि 40 हजार रुपए और वर्ष 1981-82 के लिए 10.50 लाख रुपए है।

इन परियोजनाओं के चालू "योजना" अवधि के दौरान चालू हो जाने की उम्मीद है।

पंजाब के लिये डीजल और मिट्टी के तेल का मासिक कोटा

5749. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 के दौरान पंजाब के लिए (एक) डीजल और (दो) मिट्टी के तेल का कितना मासिक कोटा निर्धारित किया गया था और वास्तव में उनको कितना सप्लाई किया गया ;

(ख) क्या इस बात को सुनिश्चित किया गया है कि पंजाब में फसल की कटाई

के काम की जो कि देश में गेहूं उगाने वाले प्रमुख क्षेत्र हैं, डीजल की कम सप्लाई के कारण कोई हानि न हो; और

(ग) क्या कटाई के आगामी मौसम को ध्यान में रखते हुए पं .ाब के लिए डीजल की पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित का गई है, यदि हां, तो कितनी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाशचन्द्र सेठी) : (क) वर्ष 1980-81 के लिए पंजाब के सम्बन्ध में हाई स्पीड डीजल (एच० एस० डी०) तेल और मिट्टी के तेल के आबंटन और अप्रैल, 1980 और फरवरी, 1981 के दौरान इन दोनों उत्पादों की वास्तविक बिक्री निम्न रूप में है :—

आंकड़े मीट्रिक टनों में

	एच० एस० डी०		मिट्टी का तेल	
माह	आवंटन	बिक्री	आवंटन	बिक्री
अप्रैल, 80	45000	40020	9300	10480
मई, 80	59000	54560	12500	12570
जून, 80	47700	43690	12590	13470
जुलाई, 80	47700	41590	12950	10810
अगस्त, 80	46300	44480	14200	13190
सितम्बर, 80	53100	46560	14200	12610
अक्तूबर, 80	50140	51550	10690	12780
नवम्बर, 80	56600	50550	9610	11430
दिसम्बर, 80	48700	47000	11100	12060
जनवरी, 8	48000	42550 (अस्थायी)	12300	12605 (अस्थायी)
फरवरी, 81	43600	40099 (अस्थाई)	10100	11413 (अस्थाई)
मार्च, 81	48000		10600	

(ख) यह मन्त्रालय पंजाब सहित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों का डीजल का कुल आबंटन करता है। इस उत्पादन का खपत के विभिन्न क्षेत्रों में वास्तवित आबंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि कृषि क्षेत्र में डीजल के वितरण के मामले को सबसे उच्चतम प्राथमिकता दें।

(ग) पंजाब सहित सभी राज्यों में वर्तमान बाधाओं के अन्तर्गत डीजल की सप्लाई को अधिकतम किया जाता है। मार्च और अप्रैल, 1981 के महीनों की वास्तविक बिक्री से 15 प्रतिशत अधिक स्तर पर किए गए हैं। समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा बतायी गई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए डीजल के आवंटनों में पंजाब को मार्च में तदर्थ वृद्धियाँ दी गई थी।

पंजाब को आवंटित "स्लैक" कोयले तथा साफ्ट कोक का कोटा

5750. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब को वर्ष 1980-81, तथा वर्ष 1981-82 के दौरान (1) स्लैक कोयले तथा (2) साफ्ट कोक का कितना मासिक कोटा आवंटित किया गया और वर्ष 1980-81 के दौरान वास्तव में कुल कितनी मात्रा की सप्लाई की गई;

(ख) वास्तविक मांग और सप्लाई में से यह किस प्रकार तुलनीय है और मांग की तुलना में सप्लाई कितनी कम है ; और

(ग) पंजाब की इन दोनों प्रकार के कोयले की माँग पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) : कोयला नियंत्रक ने 1980-81 के लिए पंजाब की कोयले की मांग 4.75 मि० टन निर्धारित की है। स्लैक, स्टीम और साफ्ट कोक की मांग का अलग-अलग निर्धारण नहीं किया गया है। अप्रैल 1980 जनवरी, 1981 के बीच पंजाब को रेल और सड़क से एक लाख टन साफ्ट कोक सप्लाई किया गया। इसी अवधि में पंजाब को लगभग 1.25 मि० टन कोयला भेजा गया। कोयला कम्पनियां विभिन्न उपभोक्ताओं को भेजे गए कोयले का आकार के अनुसार ब्यौरा नहीं रखतीं और इसलिए पंजाब को भेजे गए स्लैक कोयले की मात्रा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

(ग) पंजाब और अन्य राज्यों को कोयले और कोक की सप्लाई बढ़ाने की दृष्टि से "आधारभूत औद्योगिक सुविधाओं संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति" ने 10,920वैगन प्रतिदिन लदाई कार्यक्रम अनुमोदित किया है। इसके अलावा कोयला कम्पनियों के पास स्लैक कोयले और का साफ्ट कोक की सारी मांग पूरी करने के लिए खान मुहानों पर पर्याप्त स्टाक है। कोयला कंपनियां कुछ निर्धारित खानों से बिना किसी प्रतिबंध के भी कोयला देती रही हैं। कोयले की उपलब्धि में सुधार करने की दृष्टि से जलन्धर में साफ्ट कोक का एक टाल खोला गया है। साफ्ट कोक राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रायोजन के लिए सड़क द्वारा ले जाने के लिए भी दिया जा रहा है।

गुजरात में गांवों का विद्युतीकरण

5751. **श्री आर० पी० गायकवाड :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में कितने गाँवों में बिजली की सुविधा उपलब्ध है; और

(ख) गुजरात के सभी गाँवों को कब तक बिजली उपलब्ध करा दी जाएगी ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) गुजरात बिजली बोर्ड से प्राप्त अद्यतन प्रगति रिपोर्ट के अनुसार दिसम्बर, 1980 के अन्त तक राज्य में 11,879 गांव विद्युतीकृत किए गए हैं।

(ख) गुजरात बिजली बोर्ड से प्राप्त संदर्शी योजना से पता चलता है कि यदि वित्त व्यवस्था सहित अपेक्षित साधन उपलब्ध हुए तो 1987-88 तक राज्य में सभी गांवों के विद्युतीकृत हो जाने की सम्भावना है।

पंजाब में उर्वरक परियोजना की स्थापना

5752. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अब तक पंजाब में बम्बई हाई गैस पर आधारित वृहत-आकार की एक उर्वरक परियोजना स्थापित करने का निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो परियोजना की क्षमता कितनी होगी और उस पर अनुमानतः कुल कितना पूंजीगत परिव्यय होगा,

(ग) परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी, और

(घ) इसके निष्पादन का कार्य कब आरम्भ होगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

ऊर्जा मन्त्रालय की केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा के काडर का पुनरीक्षण

5753. **श्री कमला मिश्र मधुकर :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय की केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवाओं के काडर का पुनरीक्षण पिछले अनेक वर्षों से नहीं किया है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में उनके मन्त्रालय ने कोई प्रस्ताव किया है;

(ग) यदि हाँ, तो कब; और

(घ) यदि नहीं, तो इस दिशा में कोई पहल न किए जाने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (घ) : ऊर्जा मन्त्रालय सहित केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में भाग लेने वाले कार्यालयों के संवर्ग का पुनरीक्षण, अवर श्रेणी ग्रेड में गतिरोध के विशिष्ठ सन्दर्भ में, अखिल सचिवालय के आधार पर, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा 1979 में किया गया था। चूंकि सेवा के संवर्ग का पुनरीक्षण, अखिल सचिवालय के आधार पर, केवल 1979 में किया गया था, इसलिए दूसरा पुनरीक्षण करना अभी जल्दबाजी होगी।

"विडीओ कैसेट" का महत्व

5754. **श्री गुफरान आजम : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय को ग्रामीण जनता की शिक्षा और मनोरंजन के लिए जहाँ टेलीविजन और सिनेमा अब तक नहीं पहुंचे हैं, "विडीयो कैसेट प्लेयर" के महत्व की जानकारी है ;

(ख) यदि हाँ, तो श्रव्य-दृश्य माध्यम, जो हमारे देश में शायद अधिक शक्तिशाली है, को इन क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए क्या योजना है; और

(ग) "विडीयो कैसेट प्लेयर" की वास्तविक लागत क्या है और एक सेट पर कुल कर कितना है और एक कैसेट का क्या मूल्य है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) : जी हाँ, यह सही है कि एक वीडियो कैसेट यूनिट में लोगों को शिक्षा और विकास का सन्देह पहुंचाने की बहुत ज्यादा क्षमता है। तथापि, यह एक ऐसा मामला है जिसमें इस प्रकार के आधुनिक माध्यम का पूरा उपयोग करने के लिए निर्णय भीतरी भागों में संसाधनों, प्राथमिकताओं और प्रोद्योगिकी सुविधाओं के आधार पर लिया जाना है। ग्रामीण लोगों को सूचना के प्रसार के लिए वीडियो कैसेट रिकार्डरों का उपयोग करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। तथापि, परम्परागत प्रोजैक्टरों, स्लाइडों, फिल्मों, प्रदर्शनियों, इत्यादि जैसे अन्य माध्यमों का उपयोग किया जा रहा है। छठी "योजना" के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में फिल्में दिखाने के लिए सुपर 8-एम० एम० टैक्नालाजी का चयनात्मक उपयोग भी किए जाने की सम्भावना है।

(ग) पता चला है कि स्थानीय रूप से उपलब्ध एक कैसेट रिकार्डर की कीमत लगभग 29,000/- रुपए होगी जिसमें करों की बावत लगभग 3,000/- रुपए और एक वर्ष तक अनिवार्य सर्विस करने के प्रभारों की बावत लगभग 8,500/-रुपए शामिल होंगे।

स्थानीय रूप से उपलब्ध कैसेट की कीमत लगभग 450/-रुपए है।

ट्रांसफोरमर ग्रायल

5755. **श्री गुफरान ग्राजम :** क्या पेट्रोलियम, रसायन ग्रौर उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "ट्रांसफोरमर ग्रायल" का रसायनिक नाम क्या है, उसका उपयोग क्या है, हमारे देश में प्रतिवर्ष कितने मूल्य के इस "ग्रायल" का उपयोग होता है और उसका प्रति लिटर मूल्य क्या है;

(ख) हमारे देश में इसकी उपलब्धता का स्रोत क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को "ट्रांसफोरमर आयल" नहीं मिल रहा है ग्रौर परिणामत: उक्त संस्थान ने दिल्ली में एक शोधक यूनिट स्थापित किया है ताकि उसका बार-बार उपयोग किया जा सके और इस प्रकार कम शक्ति वाले तेल से ट्रांसफोरमर को क्षति होती है ग्रौर नगर में बिजली बार-बार गायब हो जाती है; और

(घ) "ट्रांसफोरमर तेल" पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई है और हमारे देश में वितरकों के नाम क्या हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन ग्रौर उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ)-- सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम

5756. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह :** क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम के पास देश में तथा विदेशों में क्या-क्या काम है और विदेशों में से प्रत्येक देश का नाम क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस निगम ने प्रतिवर्ष विदेशों में कितना लाभ कमाया; और

(ग) क्या ईरान-इराक युद्ध के कारण इस निगम की गतिविधियों को कोई आघात पहुंचा है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) इसे संलग्न विवरण सं० 1 में देखा जा सकता है।

(ख) इसे संलग्न विवरण स० 2 में देखा जा सकता है।

(ग) ईरान ग्रौर इराक युद्ध में बम वर्षा के दौरान इराक में दोनों परियोजनाओं; ग्रेन साइलोज परियोजना तथा नाहर साद परियोजना में राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम के कार्यकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था।

विवरण-1

क्र० सं०	परियोजना का नाम	राज्य
1	2	3
1.	मेट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, कलकत्ता	पश्चिम बंगाल
2.	दुर्गापुर ताप विद्युत केन्द्र, दा० घा० नि०	पश्चिम बंगाल
3.	आई०आई०एस०सी०ओ० हाऊसिंग प्रोजेक्ट, बर्नपुर	पश्चिम बंगाल
4.	राऊरकेला इस्पात संयंत्र	उड़ीसा
5.	बोकारो ताप विद्युत केन्द्र, दा० घा० नि०	बिहार
6.	जलढ़ाका जल विद्युत परियोजना	पश्चिम बंगाल
7.	भीम बैराज—मोहम्मदगंज	बिहार
8.	सिंगदा बाँध	मणिपुर
9.	लोकतक जल विद्युत परियोजना, रा० ज० वि० निगम	मणिपुर
10.	तुली पल्प और पेपर फैक्ट्री	नागालैण्ड
11.	गोदावरी बराज नजदीक राजामुन्द्री	आन्ध्र प्रदेश
12.	बसर ब्रिज	—वही—
13.	बनसागर बाँध	मध्य प्रदेश
14.	टोटलाडोह मुख्य बाँध	महाराष्ट्र
15.	सलाल व्यपवर्तन टनल, रा०ज०वि० निगम	जम्मू व कश्मीर
16.	बैरा स्यूल जल विद्युत परियोजना, रा०ज०वि०निगम	हिमाचल प्रदेश
17.	खरयू सीमेंट फैक्ट्री	जम्मू व कश्मीर
18.	सिंगरौली सी० डब्ल्यू० एस०, सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र, रा० ता० वि० निगम	उत्तर प्रदेश
19.	सिंगरौली वाटर ट्रीटमेंट संयंत्र, सिंगरौली सु०ता०वि० केन्द्र—रा०ता०वि० निगम	उत्तर प्रदेश
20.	टिहरी बाँध—सुरंग-जल विद्युत परियोजना	उत्तर प्रदेश
21.	दुर्गापुर बिल्डिंग	पश्चिम बंगाल
22.	राउरकेला सिलिकोन इस्पात संयंत्र और सी०आर०सी० ओ० काम्पलैक्स	उड़ीसा

1	2	3
23.	बोकारो हाऊसिंग काम्पलैक्स	बिहार
24.	चन्द्रपुरा बिल्डिंग्स	बिहार
25.	महारानी बराज	त्रिपुरा
26.	हैदराबाद शहरी विकास प्राधिकरण हाऊसिंग काम्पलैक्स	आन्ध्र प्रदेश
27.	रामागुण्डम एस०टी०पी०, रा०ता०वि० निगम	आन्ध्र प्रदेश
28.	टी०टी०डी० यूनिट, तिरुमाला, तिरुपति देवासथानम	आन्ध्र प्रदेश
29.	व्हील और एक्सल संयंत्र, बंगलौर	कर्नाटक
30.	टोटलाडोह पर सैडल बाँध	महाराष्ट्र
31.	विद्युत इंजीनियर्स प्रशिक्षण संस्थान, नागपुर	महाराष्ट्र
32.	चाइपोरा ब्रिज	गोआ
33.	सलाल हिल प्रोटेक्शन वर्क्स, रा०ज०वि० निगम	जम्मू व कश्मीर
34.	सेवा नागल फ्लाई-ओवर-एशियाड गेम्स,	नई दिल्ली
35.	अनपारा ताप विद्युत केन्द्र	उत्तर प्रदेश
36.	फील्ड एंड बेस वर्कशाप जयन्त-सिंगरौली एरिया	उत्तर प्रदेश
37.	मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना	उत्तर प्रदेश
38.	बेतवा नदी पर राजघाट बांध अन्तर्राज्यीय परियोजना	उत्तर प्रदेश
39.	फरक्का यूनिट	पश्चिम बंगाल
40.	सलाल बिजली घर, रा०ज०वि० निगम	जम्मू व कश्मीर
41.	सुवर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना	बिहार
42.	टेल पुल बाँध	पश्चिम बंगाल
	विदेशी निर्माण कार्य	
1.	चुखा जल विद्युत परियोजना	भूटान
2.	ग्रेन सिलोस	ईराक
3.	नाहर साद केनाल परियोजना	ईराक
4.	अल-एदुवियाह पम्पिग केन्द्र	ईराक

विवरण-2

यूनिट का नाम	1978-79 लाभ/हानि	1979-80 लाभ/हानि	1980-81 लाभ/हानि	टिप्पणी
×	(सभी आँकड़े रुपयों में हैं)			×
ग्रेन सिलोस	—1,63,105	+27,17,493	लेखों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।	वित्त वर्ष के समाप्त होने के 3 महीने पहले ही केवल जनवरी, 1979 में कार्य का आबंटन किया गया था। इस अल्प अवधि के दौरान, लाभ प्राप्त करने के लिए वास्तविक कार्य निष्पादन के बिना, केवल संघटन पर ही व्यय किया गया।
नाहर साद केनाल परियोजना (ईराक)	—	—1,31,393	—वही—)	कार्य केवल 1980-81 में ही आरंभ किया गया था। कार्य प्राप्त होने से पहले की प्रारंभिक अवस्था में बोली-पूर्व विपणन संबंधी व्यय किया गया। इसके परिणामस्वरूप हानि हुई।
चुखा जल विद्युत परियोजना (भूटान)	—	—11,02,499	—वही—)	

उड़ीसा, बिहार, मध्यप्रदेश, गुजरात और राजस्थान में आदिवासी बोलियों के लिये आकाशवाणी के केन्द्रों में अनुभाग

5757. **श्री भीखाभाई : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान जैसे आदिवासी प्रभुत्व

वाले राज्यों में कौन-कौन से टेलीविजन केन्द्र और रेडियो स्टेशन हैं;

(ख) उपरोक्त केन्द्रों/स्टेशनों में से प्रत्येक द्वारा आदिवासी बोलियों में लोक गीतों, लोक नृत्यों और अन्य रुचि के कार्यक्रमों के लिए, जिला वार कितने प्रतिशत समय दिया गया; और

(ग) आदिवासी संस्कृति और बोलियों के विकास के लिए उनके मंत्रालय द्वारा क्या अन्य ठोस उपाय किए गए हैं/करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) उड़ीसा में तीन केन्द्र है—कटक, *जैपोर और *सम्बलपुर। बिहार में चार केन्द्र हैं—पटना, *राँची, भगलपुर और दरभंगा। मध्य प्रदेश में नौ केन्द्र हैं—भोपाल, इन्दौर, *रायपुर, *जगदलपुर, *अम्बिकापुर, रीवा, छत्तरपुर, जबलपुर और ग्वालियर। गुजरात में तीन केन्द्र हैं—अहमदाबाद-वड़ौदा, राजकोट और भुज तथा राजस्थान में केन्द्रों की संख्या 5 है—जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और सूरतगढ़। (* चिन्हित केन्द्र आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में स्थिति हैं)।

(ख) आम तौर पर आकाशवाणी केन्द्रों से संगीत कार्यक्रमों को आवंटित समय का औसत कुल प्रसारण समय का 40 प्रतिशत है जिसमें से लोक संगीत की प्रतिशतता लगभग 8 से 9 प्रतिशत तक है। सभी बोलियों को दिया गया वास्तविक समय उपलब्ध नहीं है।

(ग) आकाशवाणी की आदिवासी संगीत सहित लोक संगीत का संग्रह और परिरक्षण करने के लिए 20 यूनिटें स्थापित करने की योजना है। अब तक आकाशवाणी के 30 केन्द्रों में स्थापित की गई ओ० वी० यूनिटें आदिवासी क्षेत्रों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में मनाए जाने वाले त्यौहारों और मेलों तथा अन्य समारोहों को यथा सम्भव कवरेज प्रदान करती है। 30 सरकार का और केन्द्रों पर इस प्रकार की 30 और यूनिटें स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसके आतिरिक्त, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में स्थित आकाशवाणी केन्द्रों को यह निर्देश है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में प्रचलित विभिन्न प्रकार के संगीत को समुचित प्रतिनिधित्व दें।

जहां तक दूरदर्शन का संबंध है, सूचना एकत्र की जा रही है और उसको सदन की मेज पर रख कर दिया जाएगा।

रूमानिया से स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट की खरीद

5758. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री स्टेट केमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स कारपोरेशन आफ इंडिया द्वारा औषधों की खरीद में की गई अनियमितताओं के बारे में 16 दिसम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4026 के उत्तर के

सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूमानिया शिष्टमंडल से बिना टेंडर के 330 रुपए प्रति किलोग्राम से अधिक मूल्य पर 10 टन स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेड खरीदी गई थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त खरीद के पोत-लदान से पूर्व सी० पी० सी० को चीन से अनुमानतः 230 रुपए प्रति किलोग्राम की पेशकश की गई थी; और

(ग) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की प्रति क्रिया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) दि स्टेट कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन आफ इंडिया लि० (सी० पी० सी०) ने सूचित किया है कि व्यापार योजना प्रावधानों के अन्तर्गत मई, 1980 में रूमानिया के भ्रमण करने वाले व्यापार प्रतिनिधि मंडल से बातचीत के परिणामस्वरूप जुलाई, 1980 में 350 रुपए प्रति किलोग्राम सी० आई० एफ० समुद्री मार्गों की दर पर 10 मी० टन स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट की खरीद प्रभावित रही। यह खरीद स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन के पेरिस, हाँग-कांग, फ्रेंकफर्ट, न्यूयार्क, लंदन और टोकियो के विदेशी कार्यालयों से उस समय के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य की जाँच करने के बाद, सी० पी० सी० की स्वीकृत क्रम प्रक्रिया के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी मूल्य पर सम्पन्न हुई थी।

(ख) और (ग) जी नहीं। सी० पी० सी० ने सूचित किया है कि दिनांक 18 सितम्बर, 1980 के उनके 20 मी० टन की निविदा के उत्तर में दिनाँक 29 सितम्बर 1980 को 253.82 रुपए प्रति किलोग्राम सी० आई० एफ० वायु मार्ग से 7 मी० टन का चीनी प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। मई, 1980 में 10 मी० टन स्ट्रेप्टोमाइसीन सल्फेट की खरीद को अन्तिम रूप दिए जाने के लिए सी० पी० सी० के पास दो प्रस्ताव थे—एक रूमानिया से तथा दूसरा सोवियत संघ से और दोनों ने सी० आई० एफ० समुद्री मार्ग की दर 350/- रुपए प्रति किलोग्राम लिखा था। लिखे मूल्य पर दोनों पार्टियों से बराबर मात्रा में खरीद को प्रभावी बनाया गया अर्थात 10 मी० टन सोवियत संघ से और 10 मी० टन रूमानिया से।

हंगरी से क्लोरोक्वीन फास्फेट की खरीद

5759. श्री पीयूष तिरकी : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विमान भाड़े का वह सामान्य मूल्य अन्तर क्या है जो भारतीय राज्य रसायन तथा फार्मास्यूटिकल्स निगम लि० द्वारा किसी औषधि की खरीद में अन्तर को स्वीकार करते समय अन्तर के रूप में माना जाता है;

(ख) क्या यह सच है कि इस वर्ष क्लोरोक्वीन फास्फेट की खरीद का निर्णय करते समय इस मान दण्ड का ध्यान नहीं रखा गया था; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और इस मामले में हंगरी के सप्लायरों से क्लोरीक्वीन फास्फेट की खरीद का आधार है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) स्टेट कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन आफ इंडिया लि० (सी० पी० सी०) ने रिपोर्ट दी है कि हवाई मार्ग से सारणीबद्ध बल्क औषधों के आयात के लिए उनके द्वारा केवल हवाई मार्ग से प्रेषण के आधार पर कोटेशन पर विचार किया जाता है और जब समुद्री मार्ग से औषधों का आयात किया जाता है तब केवल इन कोटेशनों पर विचार किया जाता है जो समुद्री मार्ग से माल भेजने पर आधारित हों, बशर्ते हवाई मार्ग के कोटेशनों में दी गई दरें समुद्री मार्ग के कोटेशनों की दरों से कम न हों ।

(ख) और (ग) सी० पी० सी० ने रिपोर्ट दी है कि वर्ष 1981 में 10 मार्च, 1981 तक हंगरी से क्लोरोक्विन फास्फेट का कोई क्रय नहीं किया गया है और वर्ष 1980 में प्रतियोगिता के आधार पर स्वीकृत क्रय पद्धति के अनुसार प्रस्तावों का ध्यान पूर्वक मूल्यांकन करने के बाद क्रय किया गया था ।

उत्तर प्रदेश विद्युत् बोर्ड में केन्द्रीय सरकार का पूंजी-निवेश और बोर्ड को हुई हानि

5760. **श्री तारिक अनवर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश विद्युत बोर्ड में केन्द्रीय सरकार का प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सभी प्रकार से कितना पूंजी-निवेश है;

(ख) बोर्ड को कितनी संचयी हानि हुई है और गत पाँच वर्षों का हानि का वर्षवार ब्योरा क्या है;

(ग) इस अवधि में जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और मुख्य इन्जीनियर इन बोर्डों के प्रमुख रहे उनके नाम क्या हैं;

(घ) वर्ष प्रति वर्ष बार-बार बढ़ने वाली हानियों के बारे में इन अधिकारियों की रिपोर्टें क्या हैं और इन हानियों को दूर करने के लिए क्या विशेष कार्यवाही की गई है; और

(ङ) इन अधिकारियों के कार्यकरण का उनके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किस प्रकार का मूल्यांकन किया गया; क्या केन्द्रीय और राज्य सरकार ने उनके असन्तोषजनक कार्यकरण के लिए कोई कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) मुख्यत: वित्तीय निवेश राज्य सरकार द्वारा किया गया है। जहां तक केन्द्र सरकार का सम्बन्ध है, योजना के अन्तर्गत ऋण दिए जाते हैं और ये राज्य सरकार को उपलब्ध कराए जाते हैं और यह राज्य

सरकार पर निर्भर करता है कि वह आगे राज्य बिजली बोर्डों को अपनी शर्तों पर ऋण दे। राज्य बिजली बोर्डों को जीवन बीमा निगम, ग्राम विद्युतीकरण निगम और अन्य वित्तीय संस्थानों से भी ऋण प्राप्त होते है। 31 मार्च, 1980 की स्थिति के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड में संचयी निवेश लगभग 2140 करोड़ रुपए हैं।

(ख) सरकार द्वारा दी गई आर्थिक सहायता को हिसाब में लेने के बाद, 31-3-1979 की स्थिति के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड की संचयी हानि लगभग 422.71 करोड़ है।

(ग) उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड का अध्यक्ष सितम्बर, 1974 से इंजीनियर रहा है। इन इंजीनियरों के नाम निम्नलिखित हैं :—

1. श्री एच० एन० बालिगा
2. श्री जी० डी० पन्त
3. श्री ए० एन० भार्गव
4. श्री आर० एन० भार्गव
5. श्री वी० सी० मित्तल

(घ) बोर्ड में आवर्ति हानियाँ इन कारणों की वजह से हुई है; स्वदेशी विद्युत संयंत्रों का कार्य-निष्पादन घटिया होना, ताप विद्युत केन्द्रों को घटिया गुणवत्ता वाले कोयले की सप्लाई तथा कोयले की अपर्याप्य सप्लाई होना, निवेशों की लागत में वृद्धि के समरूप ही टैरिफों में वृद्धि किए जाने में बाधाएं होना तथा कृषि उपभोक्ताओं की ओर बकाया राशि में वृद्धि होना। सूखे/बाढ़ों आदि के कारण सप्लाई काटना संभव नहीं है। हानियों को कम करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। इन उपायों में ये शामिल हैं; तकनीकी तथा प्रशासनिक दोनों ही प्रकार के उपायों द्वारा पारेषण और वितरण हानियों को कम करना, मितव्ययिता सम्बन्धी उपाय करना, कम्प्यूटर द्वारा बिल बनाना शुरू करना तथा बोर्ड और सरकार के स्तरों पर प्रणालियों की लगातार मानीटरिंग करना शुरू करना।

(ङ) उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को होने वाली वित्तीय हानियों के लिए किसी विशेष अधिकारी को उत्तरदायी नहीं समझा गया है।

कतिपय जिलों में कम्पोजिट विद्युत् केन्द्र की स्थापना

5761. **श्री जी० वाई कृष्णन् : क्या ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश के कतिपय जिलों में कम्पोजिट विद्युत प्रणाली स्थापित करने के लिए हाल ही में किसी योजना की घोषणा की है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, नहीं। विद्युत

संयंत्रों की स्थापना, उपलब्ध भौतिक साधनों को तथा भार केन्द्रों को ध्यान में रखकर, सर्वाधिक उपयुक्त स्थान पर की जाती है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मध्य प्रदेश को पेट्रोल और डीजल का कोटा

5762. **श्री सुन्दर शर्मा :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश को दिया जाने वाला डीजल और पेट्रोल का कोटा राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या कोटा बढ़ाने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) पेट्रोल का राज्यवार कोई मासिक आवंटन नहीं किया जाता/विभिन्न सप्लाई क्षेत्रों की पेट्रोल की आवश्यकता की गणना तेल कम्पनियों द्वारा पिछली बिक्री और अन्य सम्बन्धित तथ्यों के आधार पर की जाती है। इन क्षेत्रों के लिए उत्पाद भेजने के लिए वहां की आवश्यकताओं के अनुसार मासिक योजनाएं तैयार की जाती हैं। मध्य प्रदेश में पेट्रोल की उपलब्धता की स्थिति सन्तोषजनक है। हाल के महीनों में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य की हाई स्पीड डीजल तेल की आवश्यकता 40,000 मीट्रिक टन प्रतिमाह बताई है। दिसम्बर, 1980 और फरवरी, 81 के दौरान मध्य प्रदेश की इस उत्पाद का आवंटन नीचे दिए गए अनुसार किया गया है :—

मास	मीट्रिक टनों में आँकड़े एच० एस० डी० के आवंटन
दिसम्बर, 1980	40,000
जनवरी, 1981	43,300
फरवरी, 1981	37,200

इन आवंटनों को राज्य की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझा गया है। जहाँ तक मार्च, 1981 मास का सम्बन्ध है, एच०एस० डी० का आवंटन मार्च, 1980 में हुई वास्तविक बिक्री से 15 प्रतिशत अधिक स्तर पर किया गया है जबकि पिछले महीनें में किए गए आवंटन पूर्व वर्ष के इसी महीने में किए गए मूल आवंटन से 5 प्रतिशत अधिक पर आधारित थे। मध्य प्रदेश का राज्य सरकार द्वारा बताई गई आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एच० एस० डी० के आवंटन में वृद्धियाँ की गई थी।

गोआ में दूरदर्शन रिले केन्द्र

5763. **श्री एडुआर्डो फलीरो :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ में एक दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो यह कहाँ स्थापित किया जाएगा और यह कब कार्य करना शुरू करेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) (क) जी, हाँ ।

(ख) रिले ट्रांसमीटर को पणजी में लगाया जाएगा और उसके 1983-84 तक चालू हो जाने की उम्मीद है ।

15 वर्षीय विद्युत योजना

5764. **श्री एस० राम गोपाल रेड्डी :**
श्री वी एस० विजय राघवन :
श्री जी० वाई० कृष्णन् : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई 15 वर्षीय विद्युत योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) (क) और (ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, देश में विद्युत विकास के लिए एक 15 वर्षीय संदर्शी योजना तैयार कर रहा है । इस योजना में देश में एकीकृत प्रचालन के माध्यम से, अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए इष्टतम परियोजनाओं का निर्धारण किया जाएगा ।

छठी पंच वर्षीय योजना तैयार करने के लिए विद्युत पर कार्यकारी दल द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रम के आधार पर इस समय एक दस वर्षीय संदर्शी योजना उपलब्ध है । इस संदर्शी योजना में छठी पंच वर्षीय योजना के लिए आवश्यक परियोजनाओं का निर्धारण कर दिया गया है और लाभों को मात्रात्मक रूप में बताया गया है तथा सातवीं पंच वर्षीय योजना की आवश्यकताओं के बारे में और मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक परियोजनाओं के बारे में सूचना दी गई है ।

कोककर कोयले का उत्पादन

5765. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**
श्री बी० वी० देसाई : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1981 में कोककर कोयले का प्रतिदिन उत्पादन बढ़कर 62,000 टन हो गया था;

(ख) यदि हाँ, तो जनवरी, 1981 में उत्पादन कितना था; और

(ग) वह मार्च 1 81 में बढ़कर कितना हो गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) कोल इण्डिया लिमिटेड में ही कोककर कोयले का औसत उत्पादन फरवरी, 1981 में 99,000 टन प्रतिदिन रहा था।

(ख) और (ग) कोल इण्डिया लिमिटेड में कोककर कोयले का औसत उत्पादन 88,000 टन प्रति दिन और 22 मार्च,1981 तक 1,13,000 टन प्रतिदिन था।

कोल इण्डिया लिमिटेड को हुई हानि

5766. **श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**
श्री बी०वी० देसाई : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इण्डिया लिमिटेड की स्थिति में सुधार हो गया है और जो कम्पनी सरकारी क्षेत्र की कम्पनिभों को समग्र रहे घाटे को बढ़ाने की जिम्मेदार रही है अब अगले साल तक उसके इस संकट से निकल जाने की संभावना है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या चालू वर्ष के दौरान कम्पनी की हानि अनुमान से बहुत कम होने की संभावना है;

(ग) यदि हाँ; तो क्या 125 करोड़ रुपए में 130 करोड़ रु० की अनुमानित हानि की तुलना में यह हानि 100 करोड़ रुपए की सीमा के भीतर होने ही की संभावना है; और

(घ) हानि को कम करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी) : (क) कोयले की खान मुहाना कीमतों में हाल ही में वृद्धि होने से आशा है कि को०इ०लि० और उसकी सहायक कम्पनियों की कुल वित्तीय हालत में अगले वर्ष सुधार होगा किन्तु शर्त यह है कि उत्पादन सामग्री की लागत, मजदूरी और अन्य खर्चों में वृद्धि न हो।

(ख) कोयले की खान मुहाना कीमतों में 14 फरवरी, 1981 से ही वृद्धि की गई

है और इसलिए संभव है कि इस वृद्धि से 1980-81 में आशंकित घाटे में कोई खास कमी न आए।

(ग) घाटे की वास्तविक स्थिति 1980-81 के खातों की लेखा परीक्षा हो जाने पर ही स्पष्ट होगी।

(घ) घाटे को कम करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

1. उत्पादन बढ़ाने के लिए उपाय-ओपेनकास्ट खानों का तेजी से विकास, उन्नत प्रौद्योगिकी और आधुनिक उपकरणों का प्रयोग शुरू करना, बिजली विस्फोटक पदार्थ आदि उत्पादन सामग्रियों की बेहतर उपलब्धि सुनिश्चित करना, भूमि अधिग्रहण में तेजी, राज्य सरकारों से घनिष्ठ संपर्क द्वारा कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार, आदि।

2. खनिकों में अनुपस्थिति की आदत पर नियंत्रण।

3, जनशक्ति पर नियंत्रण और उत्पादकता में वृद्धि।

4. उत्पादन सामग्री की सूची पर नियंत्रण और भंडार सामग्री के प्रयोग में किफायत।

जयन्त विटामिन लि०, रतलाम द्वारा विटामिन सी का उत्पादन

5767. **श्री फूल चन्द वर्मा :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में रतलाम में जयन्त विटामिन्स लि० ने वित्तीय कठिनाइयों के बावजूद विटामिन सी का रिकार्ड उत्पादन किया है;

(ख) क्या इस कम्पनी ने अपना विस्तार करने की मांग की है;

(ग) क्या ताराभाई कैमिकल्स जैसी बड़ी कम्पनियां इस क्षेत्र में मुकाबला करने वाली है, और

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने जयन्त विटामिन्स लि० जैसी छोटी कम्पनियों को कुछ सुविधाएं अथवा प्रोत्साहन देने के लिए कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) :

(क) जी, नहीं। प्रतिवर्ष 500 टन लाइसेंस शुदा क्षमता की तुलना में वर्ष 1978-79 और 1979-80 के दौरान जयन्त विटामिन्स लि० का उत्पादन क्रमश: 360 टन और 234 टन हुआ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) संगठित क्षेत्र में मैसर्स साराभाई एम० कैमिकल्स और मैसर्स हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि० ही ऐसी दो अन्य कम्पनियाँ हैं जो क्रमशः 240 टन और 125 टन की लाइसेंसशुदा क्षमता के साथ विटामिन 'सी' का निर्माण कर रही है।

(घ) सरकार ने मैसर्स जयन्त विटामिन्स लि० और मैसर्स हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि० के लिए विटामिन 'सी' प्लेन और कोटेड के अलग प्रतिधारणा मूल्य निर्धारित किए हैं और मैसर्स साराभाई एम० कैमिकल्स के लिए अलग प्रतिधारणा मूल्य निर्धारित किए हैं। प्रतिधारणा मूल्य इस दृष्टि से निर्धारित किए गए हैं ताकि मैसर्स जयन्त विटामिन्स लि० जैसी कम्पनियाँ उत्पादन क्षेत्र में बाद में प्रवेश करने से स्वदेशी उत्पादन बढ़ा सके।

कडप्पा आकाशवाणी केन्द्र

5768. **श्री के० ओबुल रेड्डी :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वे जानते हैं कि कडप्पा आकाशवाणी केन्द्र में कोई केन्द्र निदेशक नहीं है यद्यपि दस वर्ष से भी ज्यादा समय पूर्व इसकी स्थापना हुई थी;

(ख) यदि हां, तो सरकार का तत्काल एक केन्द्र निदेशक नियुक्त करने का विचार है जिससे नियमित कार्यक्रमों की संख्या बढ़े;

(ग) सरकार द्वारा स्टूडियों और कार्यालयों के लिए भवन निर्माण का कार्य शुरू न किए जाने के क्या कारण हैं जब कि दो वर्ष पहले 2 लाख रुपये मूल्य से जमीन खरीदी गई थी और स्टूडियो तथा कार्यालय के भवन निर्माण के लिए 55 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई थी; और

(घ) क्या कडप्पा केन्द्र पर एक शक्तिशाली ट्रांसमीटर स्थापित करने का विचार है क्योंकि वर्तमान में पड़ौसी जिलों के श्रोता धीमी आवाज के कारण कार्यक्रम ठीक से नहीं सुन सकते हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) :

(क) और (ख) आकाशवाणी, कुडप्पा में केन्द्र निदेशक का कोई स्वीकृत पद नहीं है। आकाशवाणी, कुडप्पा के लिए केन्द्र निदेशक के पद सहित अतिरिक्त पदों को मंजूर करने के बारे में नए स्टूडियो के बन जाने के बाद ही विचार किया जा सकता है। तभी मूल रूप से तैयार किए गए कार्यक्रमों की संख्या बढ़ाना सम्भव होगा।

(ग) स्टूडियो और कार्यालय के निर्माण के लिए स्थान 7-11-79 को कब्जे में

ाया गया था । इस स्कीम के लिए प्रशासनिक स्वीकृति 12-2-80 को दी गई थी । दीर्घ-ालिक डिलीवरी वाली वस्तुओं के लिए इन्डैण्ट दिए जा चुके हैं । स्टूडियो-व-कार्यालय ावन के निर्माण के सिविल प्राक्कलन विचाराधीन हैं और व्यय मंजूरी शीघ्र ही जारी कर ःए जाने की उम्मीद है ।

(घ) वर्तमान ट्रांसमीटर की शक्ति 20 किलोवाट से बढ़ाकर 100 किलोवाट ःरने की योजना को स्वीकृत छठी "योजना" (1980-85) में शामिल किया गया है ।

तापीय विद्युत संयंत्रों में सुधार लाना

:769. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में तापीय विद्युत संयंत्रों में तत्काल किए जाने के लेए सुझाए गए उपायों में कुछ ये हैं—मानवीय नियंत्रण के स्थान पर मशीनी नियंत्रण ाना और बंकरों में डाले जाने वाले कोयले के साथ जाने वाले अन्य पदार्थों की मात्रा में कमी करना;

(ख) यदि हाँ, तो हाल ही में नई दिल्ली में हुई विचार गोष्ठी में विशेष वेशेषज्ञों ने जिन समस्याओं का पता लगाया था, उनके लिए अन्य क्या सुझाव दिए गए; ौर

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) ताप विद्युत केन्द्रों को ोयले की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कोयला खानों पर यंत्रीकृत कोयला ंडलिंग संयंत्र सोपानवद्ध रूप में प्रतिष्ठापित किए जा रहे हैं ।

(ख) और (ग) माननीय सदस्य द्वारा किस गोष्ठी का उल्लेख किया गया है, ःसकी हमें जानकारी नहीं है । तथापि, कुछ समय पहले नई दिल्ली में हुई एक गोष्ठी में, जसमें कोयला कम्पनियों के मुख्य कार्यपालक तथा कोयले के उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि ामिल थे, प्रश्न के भाग (क) में उल्लेख किए गए मामले के बारे में विचार-विमर्श नहीं ुआ था, यद्यपि इसमें कोयले की गुणवत्ता में सुधार लाने के उपायों पर सामान्य विचार-विमर्श हुआ था ।

लद्दाख के लिए तरल कुकिंग गैस का आवंटन

5770. **श्री पी० नामग्याल :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू एवं काश्मीर राज्य को वर्ष 1977-78, 1978-79, 1979-80 और 1980-81 में पृथक-पृथक तरल कुकिंग गैस की कुल कितनी मात्रा आवंटित की गई;

(ख) क्या यह सच है कि जम्मू एवं काश्मीर राज्य ने लद्दाख क्षेत्र के लिए तरल गैस के पृथक कोटा की मांग की है और क्या सरकार ने यह आवंटित कर दिया है;

(ग) यदि हाँ, तो लद्दाख के कोटे के लिए कुकिंग गैस की कुल कितनी मात्रा आवंटित की गई; और

(घ) यदि उत्तर नकारात्मक है तो क्या उस क्षेत्र में जलाने की लकड़ी की अनुपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सरकार का लद्दाख के लिए पृथक कोटा आवंटित करने का विचार है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) राज्यों को खाना पकाने की गैस का आवंटन करने की कोई प्रणाली नहीं है। तथापि जम्मू और काश्मीर राज्य में 1977-81 के दौरान सप्लाई की गई तरल पैट्रोलियम गैस की कुल मात्रा लगभग निम्न प्रकार है :

वर्ष	**मात्रा**	आंकड़े मीट्रिक टनों में
1977-78	1773	
1978-79	1682	
1979-80	1942	
1980-81	1452	

(आंकड़े दिसम्बर, 1980 तक)

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जम्मू और काश्मीर के लद्दाख-क्षेत्र के लिए खाना पकाने वाली गैस का अलग कोटा आवंटन करने के लिए इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव मन्त्रालय के विचाराधीन नहीं है।

राज्यों को कुकिंग गैस का आवंटन

5771. **श्री पी० नामग्याल :** क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1978-79, 1979-80 और 1980-81 के वर्षों में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र को, अलग-अलग, वर्ष वार कुल कितनी मात्रा में तरल कुकिंग गैस का आवंटन किया गया था; और

(ख) तरल ईंधन गैस के आवंटन के लिए निर्धारित किए गए मानदंड क्या है?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) :

(क) राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को खाना पकाने की गैस (एल० पी० जी०) के आवंटन की कोई प्रणाली नहीं है। तथापि वर्ष 1978-79 और 1979-80 के लिए राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को तेल कम्पनियों द्वारा सप्लाई की गई एल० पी० जी० की कुल मात्रा लगभग निम्न प्रकार रही :—

आंकड़े मीटरी टनों में

राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	1978-79	1979-80	1980-81
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	24,560	24,017	
असम	3,024	2,695	तत्काल
बिहार	6,059	8,524	उपलब्ध
गुजरात	33,980	33,274	नहीं हैं
हरियाणा	6,855	7,559	
हिमाचल प्रदेश	412	471	
कर्नाटक	16,681	15,470	
केरल	8,541	8,414	
मध्य प्रदेश	14,668	14,642	
मणीपुर	130	110	
मेघालय	354	278	
मिजोरम	119	63	
नागालैण्ड	174	175	
उड़ीसा	2,328	2,327	
पंजाब	6,244	6,900	
राजस्थान	5,652	5,488	
सिक्किम	192	159	
तामिलनाडू	34,560	33,071	
त्रिपुरा	87	61	
उत्तर प्रदेश	27,900	28,747	
पश्चिमी बंगाल	19,580	19,500	

1	2	3	4
महाराष्ट्र	1,20,335	1,17,845	
जम्मू और काश्मीर	1,682	1,942	
चंडीगढ़	3,246	2,305	
दिल्ली	30,581	46,327	
पांडीचेरी	479	592	
गोवा दमन और द्वीव	1,559	1,316	

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बड़े एककों की आधुनिकीकरण योजनाओं को एकाधिकार अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग की स्वीकृति

5772. श्री एस० एम० कृष्ण : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समवाय विधि विभाग बड़े एंककों की आधुनिकीकरण योजनाओं के लिए एकाधिकार अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग की स्वीकृति के लिए आग्रह कर रहा है;

(ख) यदि हाँ; तो बड़े औद्योगिक गृहों के आधुनिकीकरण कार्यक्रमों के ऐसे जो आवेदन इस समय समवाय विधि आयोग के पास विचाराधीन पड़े हैं, उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त विभाग का विचार इन पर क्या कार्यवाही करने का है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यवहार अधिनियम 1969की धारा के 21 उपबन्धों के अन्तर्गत, एक उपक्रम की सारवान रूप से विस्तारित तभी समझा जाता है, जबकि इस प्रकार के विस्तार के पश्चात्, उसकी परिस्थितियों का मूल्य, विस्तार के पूर्व के मूल्य के 25 प्रतिशत से कम नहीं की अभिवृद्धि का परिमापी हो अतः यदि, आधुनिकीकरण प्रस्ताव से, उपक्रम को परिसम्पत्तियों के मूल्य में, 25 प्रतिशत या इससे अधिक की अभिवृद्धि होती हो, तो सम्बन्धित उपक्रम की, अधिनियम के ऊपर कथित उपबन्धों के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2257/81)

(ग) प्रस्तावों पर अनेक प्रक्रमों पर विचार किया जा रहा है। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के दूरगामी उपलक्षणों युक्त एक आर्थिक कानून होने से, प्रस्तावों पर अन्य सम्बन्धित विभागों के साथ परामर्श करके अनेक सम्बद्ध दृष्टिकोणों से, गहराई से परीक्षा की जानी है, तथा मामलों की यथासम्भव शीघ्रातिशीघ्र समय के अन्दर निपटाने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं।

गुजरात राज्य उर्वरक निगम से कैपरीलेक्टम की खरीदारी

5773. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कैपरीलेक्टम के एक मात्र उत्पादक संयुक्त क्षेत्र के गुजरात राज्य उर्वरक निगम से नायलोन स्पिनर्स द्वारा बड़ी मात्रा में कैपरीलेक्टम की खरीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार के हस्तक्षेप करने की सम्भावना हैं;

(ख) यदि हां, तो कब और किस रूप में; और

(ग) कैपरीलेक्टम न उठाये जाने की स्थिति में गुजरात राज्य उर्वरक निगम को बर्बादी से बचाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) तथा (ख) नायलोन स्पिनर्स द्वारा जी० एस० एफ० सी० द्वारा उत्पादित कैपरीलेक्टम को उठाने में सुविधा देने के लिए पहले से ही कार्य व्यवस्थाएं विद्यमान हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में राजनीतिक दलों और ग्रुपों को रेडियो और टेलीविजन पर दिया गया प्रसारण समय

5774. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री कलकत्ता दूरदर्शन और आकाशवाणी द्वारा प्रसारण के बारे में 3 मार्च 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2023 के उत्तर सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल में 1 जनवरी से 28 फरवरी, 1981 की अवधि के दौरान कलकत्ता दूरदर्शन और आकाशवाणी केन्द्रों द्वारा प्रत्येक राजनीतिक दल और ग्रूप को दिए गए प्रसारण समय का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : माननीय सदस्य ने 59 दिन के सम्बन्ध में सूचना माँगी है। अकेले आकाशवाणी के बारे में 708 बुलेटिनों जिनमें 4,00,000 से अधिक शब्द हैं, की छानबीन करनी होगी। कलकत्ता केन्द्र में इस प्रकार की परिश्रमी छानबीन करने का काम हाथ में लेने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इसी प्रकार, दूरदर्शन भी इस प्रकार की विशाल सूचना का विस्तृत विश्लेषण उपलब्ध करने के लिए सुसज्जित नहीं है। इसके अलावा, यह महसूस किया जाता है कि

इस प्रकार की विशाल सूचना के संकलन में अन्तर्निहित प्रयास प्राप्त होने वाले परिणामों के अनुरूप नहीं होगा।

आयल इण्डिया का राष्ट्रीयकरण

5775. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयल इंडिया, जिसमें एक बहुराष्ट्रिक निगम के 50 प्रतिशत इक्विटी शेयर हैं, का पूर्ण राष्ट्रीयकरण करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ख) इस बारे में विदेशी कम्पनी के साथ बातचीत कब शुरू हुई थी ;

(ग) बातचीत में कहाँ तक प्रगति हुई है ;

(घ) इस मामले को अन्तिम रूप देने में इतना समय क्यों लग रहा है ; और

(ङ) असम आयल कंपनी द्वारा पिछले वर्षों के दौरान वर्षवार कुल कितनी राशि बाहर भेजी गई अथवा दी गई ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) बातचीत के लिए देय क्षतिपूर्ति के बारे में ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

(ख) बर्मा शैल के साथ, आयल इंडिया लिमिटेड के 1971 से 1976 तक के लेखों के सम्बन्ध में कुछ विवादों के समाधान के लिए तथा उनके कम्पनी में हितों के अधिग्रहण के लिए बातचीत सितम्बर, 1976 में प्रारम्भ हुई थी।

(ग) 1971 से 1976 तक के समय में अशोधित तेल के मूल्यों के बारे में 20 अगस्त, 1977 को समझौता हुआ था। यह भी स्वीकार कर लिया गया है कि पहले समझौते के अन्तर्गत 13 प्रतिशत के स्थान पर 1971 से 1976 तक के समय में केवल 11 प्रतिशत लाभाँश निवल करों सहित देय होगा।

(घ) (1) आयल इंडिया लिमिटेड (एक रूपी कम्पनी) में बर्मा शैल कम्पनी के 50 प्रतिशत शेयरों के अधिग्रहण को असम आयल कम्पनी (बर्मा आयल कम्पनी की एक स्टरलिंग सहायक कम्पनी) की सम्पत्ति तथा दायित्व के अधिग्रहण से सम्बद्ध करने के गुणों एवं अवगुणों तथा

(2) कानून के अन्तर्गत प्रस्ताव के समाकलित अधिग्रहण की तर्कसंगत जांच में कुछ समय लगा। बातचीत के शीघ्र ही पुन: आरम्भ किए जाने की संभावना है।

(ङ) पिछले पांच वर्षों अर्थात 1976 से 1980 (दोनों वर्ष शामिल) में असम

आयल कंपनी द्वारा स्वदेश भेजे गए (देश को प्रत्यावर्तित) या लौटाई गई धनराशि के वर्षवार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

वर्ष	देश को प्रत्यावर्तित की गई धनराशि रुपए/लाखों में	टिप्पणी
1976	27.6	यह आयल इण्डिया लिमिटेड के 1964 के लिए लाभांश की तीसरी किश्त के लिए हैं जिसका असम आयल कंपनी द्वारा यथा समय प्रारम्भिक अवस्था में अपने देश को प्रत्यावर्तित करने के लिए प्रयोग किया गया था ।
1977 से 1980	कुछ नहीं	

हिन्दी कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि

5776. **श्री निहालसिंह : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय में हिन्दी को राजभाषा के रूप में प्रयोग करने के लिए हिन्दी अनुवाद कार्य हेतु हिन्दी कर्मचारियों की संख्या में कितनी वृद्धि की गई है ;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान कितने गैर-हिन्दी भाषी कर्मचारियों को हिन्दी का प्रशिक्षण दिया गया ; और

(ग) अंग्रेजी की कितनी पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद किया गया ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) इस मन्त्रालय में हिन्दी स्टाफ की संख्या इस प्रकार है :—

हिन्दी अधिकारी	——2
वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक	——3
कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	——3
टाइपिस्ट	——4
योग :	12

(ख) नौ।

(ग) शून्य।

कोचीन तेल शोधक कारखाने में लगाई गई पूंजी

5777. **श्री निहाल सिंह : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोचीन तेल शोधक कारखाने में कुल कितनी राशि का पूंजी निवेश किया गया है और इस कम्पनी ने कितना मुनाफा कमाया था ;

(ख) इस कम्पनी के कुल कितने भागीदार हैं और प्रत्येक भागीदार द्वारा कुल कितना पूंजी निवेश किया गया है; और

(ग) 1978-79 और 1979-80 में इस तेल शोधक कारखाने ने कुल कितना उत्पादन किया था और इसके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) कोचीन रिफाइन्रीज लि० की कुल प्रदत्त शेयर पूंजी 7 करोड़ रुपए है। 1978-79 और 1979-80 के दौरान कम्पनी द्वारा अर्जित लाभ क्रमशः 574 लाख रुपये तथा 669 लाख रुपए है।

(ख) **शेयरधारी का नाम**	**शेयरों की संख्या**
भारत का राष्ट्रपति	3,69,818
फिलिप्स पेट्रोलियम कम्पनी	1,85,006
केरल का गवर्नर	50,000
भारतीय जीवन बीमा निगम	46,105
यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया	7,000
सार्वजनिक (आम बीमा)	43,071
कम्पनियां, (बैंक आदि को शामिल करके)	7,00,000

प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य 100 रुपए है।

(ग) 1978-79 और 1979-80 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन प्रत्येक वर्ष करीब 2.74 मि० मी० टन था।

सहायक (पूरक) शोधन योजना पर कार्य चालू हो गया है। जब काम पूरा हो

जाएगा शोधनशाला की स्थापित क्षमता प्रतिवर्ष मौजूदा 3.3 मि० मी टन से 3.5 मि० मी टन बढ़ जाएगी।

गुजरात में उद्योगों पर बिजली की कमी का प्रभाव

5778. **श्री आर० पी० गायकवाड़ :** क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या गुजरात राज्य में बिजली की अभूतपूर्व कमी का लगभग सभी उद्योगों पर प्रभाव पड़ा है और इसके आर्थिक विकास में अत्यधिक बाधा पहुंच रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : यद्यपि गुजरात में विद्युत की कुछ कमी है, परन्तु राज्य में विद्युत का कोई अभूतपूर्व विद्युत संकट नहीं है। विद्युत की मांग और उपलब्धता के बीच वर्तमान अन्तर को समाप्त करने के लिए कुछ मांग कटौतियाँ/प्रतिबंध लागू हैं परन्तु उपभोक्ताओं द्वारा ऊर्जा के उपभोग पर कोई कटौती/प्रतिबंध लागू नहीं है। तदनुसार, उद्योगों पर इन प्रतिबंधों का प्रभाव सीमान्त होगा।

आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए स्थानीय क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तरों पर सलाहकार समितियां

5779. **श्री आर० पी० गायकवाड़ :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिये स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तरों पर कौन-कौन सी और कितनी सलाहकार समितियां हैं ;

(ख) ऐसी समितियों का कार्यकाल क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार इन समितियों के पुनर्गठन पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर रही है ; और

(घ) गुजरात स्थित समितिओं के पुनर्गठन के सम्बन्ध में यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) ये विवरण में दी गयी हैं।

(ख) इस प्रकार की समितियों का कार्यकाल 2 वर्ष हैं।

(ग) और (घ) आकाशवाणी केन्द्रों और दूरदर्शन केन्द्रों पर कार्यक्रम सलाहकार समितियों को पिछले वर्ष भंग कर दिया गया था। इनको पुनर्गठिन करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

विवरण

आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए सलाहकार समितियां।

(1) राष्ट्रीय स्तर	समितियों के नाम	संख्या
आकाशवाणी	(क) उर्दू कार्यक्रम सलाहकार समिति	1
	(ख) संस्कृत कार्यक्रम सलाहकार समिति	1
	(ग) खेलकूद सलाहकार समिति	1
	(घ) तकनीकी सलाहकार समिति	1
	(ङ) विज्ञापन प्रसारण सेवा के लिए केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड	1
दूरदर्शन	शून्य	
(2) स्थानीय स्तर		
आकाशवाणी	शून्य	
दूरदर्शन	दूरदर्शन केन्द्र दिल्ली पर कृषि कार्यक्रमों की विषय समिति	1
(3) क्षेत्रीय स्तर		
आकाशवाणी	आकाशवाणी केन्द्रों पर कार्यक्रम सलाहकार समितियां	55
	आकाशवाणी केन्द्रों पर ग्रामीण कार्यक्रम सलाहकार समितियां	40
दूरदर्शन	दूरदर्शन केन्द्रों पर कार्यक्रम सलाहकार समितियां	12
	दूरदर्शन केन्द्रों पर फीचर फिल्म छान-बीन समितियां	5

उपरोक्त के अलावा, जहां तक आकाशवाणी का सम्बन्ध है, (क) आकाशवाणी के 23 केन्द्रों पर औद्योगिक कार्यक्रमों के लिए परामर्शदात्री पैनल कार्य कर रहे हैं, (ख) आकाशवाणी के 10 केन्द्रों पर स्कूल प्रसारणों के लिए परामर्शदात्री पैनल कार्य कर रहे हैं; (ग) आकाशवाणी के 6 केन्द्रों पर विश्वविद्यालय-व-विज्ञान तथा टैक्नोलाजी के लिए परामर्शदात्री पैनल कार्य कर रहे हैं।

क्िन्हीं पत्रकारों को गिरफ्तार किया जाना

5780. **श्री एन० के० शेजवलकर :**

श्री सतीश अग्रवाल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले 6 महीनों के दौरान पुलिस द्वारा बहुत से पत्रकारों, संपादकों तथा संवाददाताओं के साथ हाथापाई उनको हथकड़ियां लगाने तथा कुछ मामलों में उनको यातनायें देने की घटनायें हुई हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि न्यायालय का एक स्पष्ट निर्णय है कि हथकड़ियां नहीं लगाई जानी चाहियें ;

(ग) ऐसे कितने मामले सरकार के ध्यान में आये हैं और उनकी गिरफ्तारी के कारण क्या हैं; और

(घ) क्या पत्रकारों की इस प्रकार गिरफ्तारी देश में समाचारपत्रों की स्वतंत्रता को गंभीर खतरा हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) से (घ) : एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

पत्रकार के साथ कथित हाथापाई और उन पर हमले किए जाने की कतिपय प्रेस रिपोर्टें सरकार के ध्यान में आई हैं । अन्य नागरिकों की तरह पत्रकार भी देश के सामान्य कानूनों के अन्तर्गत अपने जीवन और स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए हकदार हैं ।

2. जहाँ तक हथकड़ियाँ लगाने के बारे में न्यायालय की रूलिंग का सम्बन्ध है, स्थिति इस प्रकार है :—

"प्रेम शंकर शुक्ल बनाम दिल्ली प्रशासन (1980) 3 उच्चतम न्यायालय के प्रकरणों 526 में, उच्चतम न्यायालय ने हथकड़ियाँ लगाए जाने के बारे में नियम निर्धारित किया है । निर्णय का सार यह है कि ऐसे व्यक्तियों जिन पर मुकदमा चल रहा हो, को हथकड़ियाँ लगाने का सहारा तब तक नहीं लिया जाना चाहिए जब तक राज्य यह प्रमाणित न कर सके कि भाग निकलने से रोकने का और कोई व्यावहारिक तरीका उपलब्ध नहीं है, कैदी इतना खतरनाक और भयंकर है तथा परिस्थितियाँ इतनी प्रतिकूल हैं कि कैदी को सुरक्षा में रखना आवश्यक है । कैदी के जेल और न्यायालय के बीच लाने ले जाने के बारे में नियम हथकड़ियाँ न लगाना है और निर्णय में निर्दिष्ट न्यायिक पर्यवेक्षण की स्थितियों के अन्दर अपवाद हथकड़ियों के साथ नियंत्रण होगा जिसका औचित्य पहले या बाद

में किया जाएगा। यह प्रश्न कि ऐसे व्यक्ति जिस पर मुकदमा चल रहा हो को हथकड़ियां लगाई जायें या उस पर अन्य नियंत्रण रखा जाए, मुख्यतया एक ऐसा मामला है जिस पर निर्णय में की गई टिप्पणियों की रोशनी में उसकी सुरक्षा के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी द्वारा लिया जाना है।"

प्रस परिषद अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत 1-3-1979 से भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना प्रेस की स्वतंत्रता के परिरक्षण तथा भारत के समाचारपत्रों और समाचार एजेंसियों के स्तरों को बनाए रखने और उनमें सुधार करने के लिए की हुई है। यह स्वायत्तशासी और सांविधिक निकाय है; शिकायत प्राप्त होने पर या स्वत: प्रेस की स्वतंत्रता के उल्लंघनों के आरोपों की जांच करने के लिए यह उपयुक्त प्राधिकारी है।

4. प्रेस परिषद ने सूचित किया है कि उसको पत्रकारों की गिरफ्तारियों और उनके साथ हाथापाई के निम्नलिखित मामलों की जानकारी है और उनके बारे में जांच पेंडिंग है :—

(1) ऐसे समाचार जिनसे साम्प्रदायिक वैमनस्य उत्पन्न हो सकता था, भेजने के आरोप पर इण्डियन एक्सप्रेस के जम्मू संवाददाता श्री सी० बी कौल की गिरफ्तारी के बारे में भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ के भूतपूर्व महासचिव श्री विक्रम राव की शिकायत।

(2) झूठे समाचार देने के आरोप पर "नवभारत टाइम्स" के अलीगढ़ संवाददाता श्री पी० के० जैन को नजर बन्द करने और उन पर अभियोगच लाने के बारे में भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ के भूतपूर्व महासचिव श्री विक्रम राव की शिकायत।

(3) 23 फरवरी, 1981 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "अलैज्ड पुलिस एक्सेस आन जर्नलिस्ट्स" शीर्षक नामक प्रकाशित समाचान के बारे में प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 13 (2) (ई) के अन्तर्गत स्वत: कार्रवाई।

(4) लखनऊ में "दैनिक जागरण" के सम्पादक श्री नरेन्द्र मोहन की पत्रकारों के एक वर्ग द्वारा कथित मारपीट किए जाने की शिकायत।

(5) "लंकेश पत्रिका" बंगलौर के सम्पादक द्वारा अपने पत्र में कुछ समाज विरोधी तत्वों के बुरे कामों का पर्दाफाश करने वाले कुछ लेखों के छापने पर इन तत्वों द्वारा उक्त सम्पादक की मारपीट किए जाने के बारे में शिकायत।

5. उपरोक्त केस अभी जांच की विभिन्न अवस्थाओं में हैं, अत: यह कहना समय पूर्व होगा कि उक्त मामलों में पत्रकारों की गिरफ्तारियाँ प्रेस की स्वतंत्रता के उल्लंघना से सम्बन्धित हैं।

6. उपरोक्त केसों के अतिरिक्त, कटक के तीन समाचार पत्रों अर्थात् "समाज", 'प्रजातंत्र' और 'मातृ भूमि' के कार्यालयों पर आक्रमण और 150 गुण्डों द्वारा पत्रकारों की मारपीट के बारे में कुछ समाचार प्रेस परिषद के ध्यान में आए हैं। उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि 8-3-1981 को कटक के तीन समाचार पत्रों में एक निराधार समाचार, जिसमें एस०सी०बी० मेडिकल कालेज, कटक के कुछ छात्रों को बदनाम किया गया था, के प्रकाशन से उस कालेज के छात्र क्रोधित हो गए थे। इन तीनों समाचार पत्रों में से एक अर्थात् "समाज" ने 9-3-1981 को एक समाचार प्रकाशित किया जिसमें पहले के समाचार का खण्डन किया गया था, किन्तु अन्य दो समाचार पत्रों अर्थात् "प्रजातन्त्र" और मातृ भूमि ने 9-3-1981 को इस प्रकार का खण्डन प्रकाशित नहीं किया। मैडिकल कालेज के छात्र इन तीनों समाचार पत्रों के कार्यालियों में गए और गलत समाचार छापने के विरुद्ध हिंसात्मक प्रदर्शन किया। स्थानीय प्रशासन के समय पर हस्तक्षेप से स्थिति नियंत्रण में आई। तथापि, समाचार पत्रों ने इन घटनाओं के विरोध में एक दिन के लिए प्रकाशन रोक दिया और इस बीच प्रकाशन पुनः शुरू हो चुका है। कालेज यूनियन के प्रधान सहित मैडिकल कालेज के 6 छात्रों को गिरफ्तार किया गया और बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया। मैडिकल कालेज के प्रधानाचार्य ने अपने छात्रों के व्यवहार पर क्षमा मांगी। गुण्डों के विरुद्ध उपयुक्त कानूनी कार्रवाही की गई है। सम्पति को थोड़ी क्षति हुई और हिंसा की प्रकृति को ज्यादा नहीं समझा जा सकता। राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में इस प्रकार की अनुचित घटनाएं न हों, सभी निवारक उपाय किए हैं।

7. यह घटना नागरिकों के गोप्यता के अधिकारों के प्रश्न पर भी प्रकाश डालती है। इस मामले में मेडिकल कालेज, कटक की एक महिला छात्रा को एक बिल्कुल झूठा समाचार छाप करके बदनाम किया गया था जिससे उसके चरित्र और प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा। दो समाचार पत्रों ने इसका कोई खण्डन प्रकाशित नहीं किया। इससे छात्रों में उत्तेजना पैदा हुई। सरकार ने समाचार पत्रों का ध्यान बार-बार ऐसी सामग्री, जो किसी नागरिक के गोप्यता के अधिकार को बुरी तरह प्रभावित करे, को प्रकाशित करने से पहले तथ्यों की जांच कर लेने की आवश्यकता की ओर आकर्षित किया है।

8. उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि हाल ही में वाराणसी में पत्रकार पर हमला करने की केवल एक घटना प्रकाश में आई है जिस पर तुरत कार्रवाई की गई और सभी अपराधियों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह भी सूचित किया है कि सभी जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस अधीक्षकों को इस बात से सचेत कर दिया है कि वे पत्रकारों की, अपने कर्त्तव्यों को स्वतन्त्रतापूर्वक और विश्वासपूर्वक निभाने में सहायता करें।

बिजली की कमी

5781. **श्री तारिक अनवर** : क्या ऊर्जा मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष देश में (राज्य-वार, महीनेवार) ताप-विद्युत उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रति मास विद्युत उत्पादन में हुई कमी के विस्तृत कारण क्या हैं;

(ग) कुछ विशेष महीनों में यह कमी कहाँ तक मुख्यतः कोयले के अभाव के कारण हुई;

(घ) क्या यह बात कोयला विभाग की जानकारी में लाई गई थी, यदि हाँ, तो स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए थे; और

(ङ) कोयले की पुनः कमी न होने देने के लिए ऊर्जा विभाग ने क्या कदम उठाए हैं और उनसे इस विभाग को कहाँ तक सफलता मिली है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) पिछले वर्ष जनवरी से दिसम्बर, 1980 तक देश में हुए ताप विद्युत उत्पादन का राज्यवार तथा महीने वार ब्यौरा उपाबंध में दिया गया है ।

(ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी०—2258/81)

(ख) यद्यपि यूनिटों में बार-बार बन्दियां होने तथा मानसून के मौसम के दौरान काफी संख्या में यूनिटों को अनुरक्षण के लिए हाथ में लेने के कारण शुरू के कुछ महीनों के दौरान ताप विद्युत उत्पादन कुछ कम था, तथापि अक्तूबर, 1980 से फरवरी, 1981 तक की अवधि के दौरान हुए ताप विद्युत उत्पादन में पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान हुए ताप विद्युत उत्पादन की तुलना में लगभग 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई । नवम्बर और दिसम्बर, 1980 में ताप विद्युत उत्पादन में लगभग 22 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई ।

(ग) यद्पि कोयले की कमी का प्रभाव विद्युत उत्पादन पर कुछ सीमा तक पड़ा है, परन्तु केवल कोयले की कमी के कारण ही विद्युत उत्पादन में हुई हानि की सही मात्रा बता सकना संभव नहीं है ।

(घ) कोयले की कमी सम्बन्धी मामले कोयला विभाग और रेलवे बोर्ड के ध्यान में लाए जाते हैं ।

(ङ) कोयले की सप्लाई में कमी के मुख्य कारणों में से एक कारण है, ताप विद्युत उत्पादन में वृद्धि होने के कारण कोयले की बढ़ी हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ताप विद्युत केन्द्रों तक कोयले की ढुलाई के लिए रेलवे वैगनों की उपलब्धता में

कमी। ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की पर्याप्त और नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। इनमें निम्नलिखित कदम शामिल हैं :

(1) ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की ढुलाई के लिए वैगनों की सप्लाई बढ़ाने के लिए रेलवे को कहा गया है;

(2) विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई की मानीटरिंग करने के लिए विद्युत विभाग तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा कोयला विभाग और रेल मन्त्रालय के बीच घनिष्ठ सम्पर्क रखा जा रहा है। विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई की समीक्षा करने के लिए उच्च स्तरीय अन्तःमंत्रालयीय बैठकें भी समय-समय पर की जाती हैं तथा उपचारी उपाय किए गए हैं।

(3) यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोयले की सप्लाई में कमी के कारण उत्पादन में कोई हानि न हो, ऐसे विद्युत केन्द्रों को, जिनके पास कोयले के बहुत कम भण्डार होते हैं, कोयले की सप्लाई बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाते हैं।

(4) वैगनों को रोके रखने की अवधि को कम करने के लिए विद्युत केन्द्रों से कहा गया है कि वे कोयले की शीघ्रता से उतराई और वैगनों को शीघ्र छोड़ा जाना सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएं।

इन उपायों के परिणामस्वरूप पिछले कुछ महीनों के दौरान विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई में सुधार हुआ है।

भाखड़ा और सतलुज ब्यास सम्पर्क परियोजना से हरियाणा को पानी की सप्लाई

5782. **श्री चिरन्जी लाल शर्मा :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरियाणा के किसानों को भाखड़ा और सतलुज ब्यास संपर्क परियोजना से सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या है; और

(ग) इस बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) जहाँ तक सतलुज नदी से हरियाणा को सप्लाई का सम्बन्ध है, उसे अपना पूरा हिस्सा मिल रहा है। कुछ अवधियों के दौरान, सतलुज नदी से हरियाणा को उनके हिस्से से अधिक जल दिया गया था।

जहाँ तक रावी-ब्यास के जल की सप्लाई का सम्बन्ध है, जब तक सतलुज यमुना-लिंक नहर परियोजना का निर्माण पूरा नहीं हो जाता तब तक हरियाणा अपना पूरा हिस्सा नहीं ले सकता। उस समय तक, हरियाणा को रावी-ब्यास जल के उसके हिस्से का एक भाग भाखड़ा मेन लाइन नहर से दिया जा सकता है। इस नहर की क्षमता सीमित है। 21.5.1980 से 20.9.1980 तक की जल भरने की अवधि के दौरान हरियाणा को कुछ हद तक कम सप्लाई प्राप्त हुई थी। 21.9.1980 से 20.11.1980 तक की कमी की अवधि के दौरान हरियाणा को उसका हिस्सा, भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड द्वारा अनुमोदित निरुपणों के अनुसार दिया गया था। 1.12.1980 से 28.2.1981 तक की अवधि के दौरान हरियाणा को उसके हिस्से की पूरी मात्रा भारत सरकार के दिसम्बर, 1980 के तदर्थ निर्णय के आधार पर लगाए हिसाब के अनुसार दी गई थी।

भाखड़ा मेन लाइन की क्षमता को, इसकी मूल अभिकल्पित क्षमता पर लाने का प्रस्ताव भी बोर्ड के विचाराधीन है।

यद्यपि रावी-ब्यास के जल के बटवारे का मामला उच्चतम न्यायालय में लड़ा जा रहा है, तथापि इस विवाद को सद्भाव और विचार-विमर्श के द्वारा हल करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

विद्युत संयंत्र स्थापित करने की बड़े औद्योगिक गृहों की पेशकश

5783. **श्री जयनारायण रौट** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छठी पंचवर्षीय योजना में बड़े औद्योगिक गृहों ने विद्युत संयंत्र स्थापित करने की पेशकश की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि वे राजस्थान में भी विद्युत संयंत्र स्थापित करने को राजी हो गए हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) अभी तक केवल बिहार सरकार तथा कर्नाटक सरकार ने ही सूचित किया है कि ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए उन्हें निजी क्षेत्र से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ये प्रस्ताव हैं :—

बिहार :—राज्य सरकार को दो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं—एक जमशेदपुर में लगभग 200 मेगावाट के विद्युत संयंत्र की प्रतिष्ठापना के लिए टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड से तथा दूसरा पालाम में 135 मेगावाट के विद्युत केन्द्र की प्रतिष्ठापना के लिए

बिहार कास्टिक एण्ड केमिकल लिमिटेड से। इस प्रयोजन के लिए अलग कम्पनियाँ स्थापित करके संयुक्त क्षेत्र में ये संयंत्र स्थापित किए जाने के बारे में ये प्रस्ताव हैं।

कर्नाटक : मैसर्ज बल्लापुर इंडस्ट्रीज ने डाण्डेली में अपने कास्टिक सोडा और क्लोराइन प्लांट के केप्टिव उपयोग के लिए 45 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर डाण्डेली बाँध और 30 मेगावाट की विद्युत क्षमता वाले बिजली घर की वित्त व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। राजस्थान बिजली बोर्ड को अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

राजस्थान में डीजल की खपत

5784. **श्री जयनारायण रौट** : क्या **पैटोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में राजस्थान राज्य में हाई-स्पीड डीजल की कुल कितनी खपत हुई; और

(ख) वर्ष 1981 में राज्य में हाई-स्पीड डीजल की अनुमानित कुल खपत कितनी होगी और क्या सरकार वर्ष 1981 में इतनी मात्रा सप्लाई करने में समर्थ होगी; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में हाई स्पीड डीजल (एच०एस०डी०) की लगभग कुल खपत निम्न प्रकार है :

वर्ष	खपत
1978-79	4.10 लाख मी० टन
1979-80	4.60 लाख मी० टन
1980-81	4.66 लाख मी० टन (अस्थाई)

(ख) और (ग) 1981 के दौरान, राजस्थान में हाई स्पीड डीजल की सम्भाव्य खपत को संक्षिप्त रूप में बताना सम्भव नहीं है। हाल ही के महीनों में सभी राज्यों जिनमें राजस्थान भी शामिल है, को हाई स्पीड डीजल का आवंटन पिछले वर्ष के इन्हीं महीनों में मूल आवंटन की तुलना में 5 प्रतिशत अधिक स्तर पर किया जा रहा है। तथापि, जनवरी और फरवरी 1981 के दौरान राजस्थान राज्य को राज्य सरकार द्वारा बताई गई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, हाई स्पीड डीजल का 4,000 मी० टन और 9,500 मी० टन अतिरिक्त आवंटन किया गया था। मार्च और अप्रैल 1981 के लिए हाई

स्पीड डीजल का आवंटन पिछले 1980 के इन्हीं महीनों के वास्तविक बिक्री के 15 प्रतिशत अधिक के आधार पर किया गया है। राजस्थान को 1981 के आगामी महीनों के लिए हाई स्पीड डीजल का आवंटन राज्य में उत्पाद की कुल उपलब्धता, परिवहन क्षमता और गत आवंटन/खपत को ध्यान में रखकर निश्चित किया जायेगा।

कोचीन तेल-शोधक कारखानों के श्रमिकों द्वारा आन्दोलन

5785. **प्रो० पी० जे० कुरियन :** क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन तेल-शोधक कारखानों के श्रमिकों ने हाल ही में आन्दोलन किया था;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले को सुलझाने तथा कोचीन तेल-शोधक कारखानों में औद्योगिक शांति बनाए रखने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) कोचीन शोधनशाला के श्रमिक गत कुछ महीनों से पर्यवेक्षी पदों की प्रथम पंक्ति में प्रोन्नति नीति और अनुग्रह पूर्व भुगतान की अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन कर रहे हैं।

(ग) एक सौहार्दपूर्ण समझौते के लिए राज्य का श्रम विभाग प्रयास कर रहा है।

केरल को स्प्रिट का आबंटन

5786. **प्रो० पी०जे० कुरियन :** क्या पैटोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पाँच वर्षों के केरल को स्प्रिट की कितनी मात्रा आबंटित की गई और केरल सरकार द्वारा स्प्रिट की कितनी मात्रा की वर्षवार मांग की गई;

(ख) मांगी गई पूरी मात्रा की सप्लाई न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या केरल को स्प्रिट का कोटा बढ़ाने का सरकार का विचार है ?

पैटोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :

(लाखा लिटरों में)

अल्कोहल वर्ष (दिसम्बर से नवम्बर)	कमी जैसी कि राज्य सरकार द्वारा सूचित की गई है।	अल्कोहल का अन्तर्राज्य आवंटन
1976-77	25.00	25.00
1977-78	79 00	62.00
1978-79	35.30	25.30
1979-80	39.70	20.00
1980-81	94.94	10.00 (प्रथम तिमाही के लिए)

(ख) अधिशेष वाले राज्यों से कमी वाले राज्यों को अल्कोहल का अन्तर्राज्य आबंटन देश में अल्कोहल की कुल उपलब्धता और मांग को ध्यान में रखकर किया जाता है।

(ग) आगामी आवंटन पर विचार, अधिशेष वाले राज्यों में अल्कोहल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

पनबिजली परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता

5787. श्री जनार्दन पुजारी : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पन बिजली परियोजनाओं के लिए कुछ विदेशी कम्पनियों ने परामर्शदात्री तथा इंजीनियरी सेवाएं उपलब्ध कराने की पेशकश की है;

(ख) यदि हाँ, तो इन विदेशी कम्पनियों के नाम क्या हैं; और

(ग) उनकी पेशकशों के ब्यौरे क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) इस देश के जल विद्युत कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कई विदेशी कम्पनियों ने सामान्यत: अपनी रुचि दिखाई है। तथापि केवल एक विशिष्ट प्रस्ताव कनाडा की एक प्रमुख इन्जीनियरी परामर्शदात्री फर्म, मैसर्ज सर्वेयर, नेनीगर एण्ड चेनेवर्ट (एस०एन०सी०) से, जिसे केरल में बांध के कार्यान्वियन में लगे होने के कारण भारत में कार्य करने का लम्बा अनुभव है, प्राप्त हुआ है। यह प्रस्ताव विशेषज्ञों को भेजने के लिए केनेडियन इन्टरनेशनल डवलपमेंट एजेन्सी (सी०आई०डी०ए०) के माध्यम से 2,50,000 केनेडियन डालर के अनुदान का है।

मैसर्ज एस०एन०सी० ने हिमाचल प्रदेश में चमेरा जल विद्युत परियोजना का अन्वेषणों में सहायता देने का प्रस्ताव किया है। यहाँ उन्हें उम्मीद है कि कार्य 8 से 10 महीने की अवधि में पूरा हो जाएगा। इस अवधि के अन्त में मैसर्ज एस०एन०सी० तथा राष्ट्रीय जल विद्युत निगम संयुक्त रूप से (क) क्षेत्र अन्वेषण रिपोर्ट (ख) व्यवहार्यता रिपोर्ट (ग) परियोजना के अन्तिम अनुमानों तथा (घ) परियोजना की निर्माण योजना प्रस्तुत करेंगे, हमारे देश को होने वाले सुनिश्चित लाभ को, मैसर्ज एस०एन०सी० के सुनिश्चित अनुभव को तथा विदेशी विशेषज्ञों की लागत पर विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कोई दायित्व वस्तुतः न होने की बात को ध्यान में रखते हुए वित्त मन्त्रालय से परामर्श करके उपयुक्त परियोजना के अन्वेषण कार्य में उनके सहयोग के लिए अनुमोदन दे दिया गया है।

पैरा फैनीटिडाइन का उत्पादन

5788. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई०डी०पी०एल० पैरा फैनीटिडाइन की मांग को पूरा करने की स्थिति में नहीं है;

(ख) यदि हाँ, तो इसकी वार्षिक मांग और स्वदेशी उत्पादन क्या है;

(ग) क्या सरकार इसके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ताकि इसका आयात न करना पड़े, और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) इण्डिया ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० ने सूचित किया है कि उनके पास पंजीकृत उपभोक्ताओं के लिए वे पैराफैनेटिडाइन की माँग पूरी करने की स्थिति में है। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि 1.4.1980 को उनके पास 16.6 टन पैराफेनेटिडाइन की वस्तु सूची थी और वे इस स्टाक को बड़ी कठिनाई के बाद बेच सके।

राष्ट्रीय पन बिजली निगम में भारी परिवर्तन

5789. **श्री जनार्दन पुजारी :**
प्रो० के०के० तिवारी : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय पनबिजली निगम में भारी परिवर्तन करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, नहीं । बल्कि देश के जल विद्युत साधनों का उपयोग किए जाने पर दिए जा रहे अधिकाधिक बल को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के बढ़ते हुए दायित्वों को पूरा करने के लिए निगम को सुदृढ़ किया जा रहा है । एक प्रभावी मानीटरिंग प्रणाली एक सुसज्जित निगम योजना यूनिट, माल-सूची की प्रबन्ध व्यवस्था की एक आधुनिक प्रणाली आदि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनको सुदृढ़ किए जाने का प्रस्ताव है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

गुजरात में हजीरा स्थित उर्वरक संयंत्र के लिए विश्व बैंक से ऋण

5 90. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने गुजरात में हजीरा स्थित उर्वरक परियोजना के दो एककों के लिए 320 करोड रुपए की धनराशि के ऋण को स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसको पूरा करने के लिए अनुमानतः कितनी अवधि नियत की गई है,

(ग) इस परियोजना में कौन-कौन से उर्वरकों का प्रतिदिन उत्पादन किया जाएगा; और

(घ) परियोजना से कितने लोगों को रोजगार मिलने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) हाजिरा उर्वरक परियोजना के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु विश्व बैंक से फरवरी 1981 में बातचीत की गई थी । ऋण के लिए बैंक की अनुमति की प्रतीक्षा है ।

(ख) परियोजना के वर्ष 1985 तक पूरी होने की आशा है ।

(ग) परियोजना में 4400 टन प्रतिदिन की दर से यूरिया के उत्पादन का विचार है ।

(घ) जब परियोजना पूर्ण उत्पादन प्रारम्भ कर देगी तब परियोजना की प्रत्यक्ष रोजगार सम्भावना लगभग 2000 है ।

नैपथा झाकरी पन-बिजली परियोजना की विद्युत के उपयोग के लिए समझौता

5791. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नैपथा झाकरी पन-बिजली परियोजना की विद्युत के उपयोग के लिए किसी नए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) (क) और (ख) उत्तरी क्षेत्र में कुछ राज्यों को लाभ प्रदान करने की दृष्टि से इस परियोजना के उपयोग के लिए हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और केन्द्र सरकार के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते को योजना आयोग के परामर्श से अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स द्वारा तकनीकी ग्रेड के कीटनाशी पदार्थों का उत्पादन

5792. **श्री प्रताप भानु शर्मा :** क्या पेट्रोलियम, रसायन **और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड्स द्वारा तकनीकी ग्रेड के किन-किन कीटनाशी पदार्थों का उत्पादन किया जा रहा है और प्रत्येक की वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान तकनीकी ग्रेड के इन कीटनाशी पदार्थों का वास्तविक वार्षिक उत्पादन कितना हुआ;

(ग) क्या तकनीकी ग्रेड के किन्हीं नए कीटनाशी पदार्थों के उत्पादन की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) फिलहाल हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लि० द्वारा निर्मित तकनीकी ग्रेड कीटनाशी के नाम, वार्षिक स्थापित क्षमता और पिछले पांच वर्षों में उनमें से प्रत्येक का उत्पादन निम्न प्रकार है :

उत्पादन	स्थापित क्षमता	उत्पादन				(टनों में)
		1975-76	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80
डी०डी०टी० तकनीकी	4088	4421	4478	4177	4475	4734
बी०एच०सी० तकनीकी	3000	1752	1572	1526	1928	2442
मेलाथियोन तकनीकी	1800	—	—	—	—	2.75*

*25.3.1980 को वाणिज्यक उत्पादन प्रारम्भ ।

(ग) जी हाँ।

(घ) छठी योजना अवधि में तकनीकी ग्रेड कीटनाशी के उत्पादन के लिए निम्नलिखित नई योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं।

मद	क्षमता टन/वर्ष	अनुमानित लागत (रु० करोड़ में)
1. डायमेथेएट	500	1.76
2. फेनीटोथियोन	200	
3. मेटासिस्टोक्स	300	1.24
4. कार्बोक्सिन	50	1.30
5. कार्डेन/हेप्टाक्लोर	100	3.73
6. डिकोफोल	100	1.42
7. टेमोफास	50	1.32
8. मिथाइल पैराथियन	100	2.18
9. बुटाक्लोर	400	3.11
10. डेकामेथ्रीन	200	6.94
11. आइसोप्रोटुरोन	50	2.42
12. ऑक्सीकार्बोक्सिन	100	2.08
13. इथेपान	100	1.02
14. इडिफेनफास	200	1.80
		30.32

घाटे पर चल रही कम्पनियां

5793. **श्री जेवियर अराकल** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 में कितनी उर्वरक कम्पनियां घाटे पर चलती रही हैं और इसके क्या कारण है;

(ख) इन कम्पनियों का कुल उत्पादन [कितना होता है और प्रतिदन लागत क्या है;

(ग) क्या यह सच नहीं है कि बहुत सी सरकारी उर्वरक कम्पनियों के पास बहुत पुरानी मशीनें और अप्रचलित उपकरण हैं;

(घ) इन कम्पनियों के नाम क्या हैं और उनको आधुनिक बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार केरल राज्य के फर्टिलाईजर एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर को आधुनिक बनाने का है और यदि हां, तो तत्सबन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) वर्ष 1980-81 के दौरान उर्वरक कम्पनियों की हानि के ब्यौरे लेखा वर्ष के समाप्त होने और लेखा तैयार होने के बाद ही ज्ञात हो सकेंगे।

(ख) वर्ष 1980-81 के दौरान उर्वरकों के स्वदेशी उत्पादन 21 लाख टन नाइट्रोजन और 8.3 लाख टन पी० 2 ओ०5 के रूप में होने की आशा है। प्रति टन उर्वरक की लागत एक प्लांट से दूसरे प्लांट में बदलती रहती है और जो प्लांट की पूंजी लागत, प्लांट की आयु, प्रयुक्त फीडस्टाक और अन्य सम्बद्ध मुद्दों पर निर्भर करती है।

(ग) से (ङ) सरकारी क्षेत्रीय उपक्रमों में सिर्फ फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि० के उद्योग मण्डल प्रभाग के कुछ पुराने प्लांट हैं। उद्योग मण्डल यूनिट में उत्पादों में विविधता लाने के लिए विभिन्न प्रस्तावों का पता लगाया जा रहा है। जांचाधीन विभागों में से एक हैं कैप्रोलैक्टम परियोजना लगाना।

उन गैर-सरकारी कोयला खान कम्पनियों की बकाया राशियों की अदायगी जिनकी सम्पत्ति राष्ट्रीयकरण के समय अर्जित की गई थी

5794. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैर सरकारी कोयला खान कम्पनियों के 1974 में अर्जन के समय हजारों सप्लायरों की सम्पत्ति और एजेंसियाँ भी अधिग्रहीत की गई थीं;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन लोगों को मुआवजे का भुगतान करने के लिए जिनकी हानि हुई थी भुगतान आयोग भी नियुक्त किया गया तथा जांच करने के बाद कोयला सप्लायरों को प्रमाण-पत्र जारी किए गए थे; और

(ग) यदि उपरोक्त भागों के उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो कितने लघु कोयला सप्लायरों को मुआवजे के लिए प्रमाण-पत्र जारी किए गए थे तथा बंगाल कोल कम्पनी और अन्य कम्पनियों के कितने कोयला सप्लायरों को मुआवजा अदा किया गया और कितनों को अभी अदा किया जाना है तथा शेष सप्लायरों को भुगतान कब तक करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) कोयला खानों का

राष्ट्रीयकरण कोककर कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 और कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के अधीन में दी गई खान की परिभाषा के अनुसार किया गया था। खान मालिकों को देय राशि इन अधिनियमों की अनुसूची में दिखाई गई है।

(ख) धनबाद और कलकत्ता में भुगतान आयुक्त नियुक्त किए गए हैं जिनका काम इन दोनों अधिनियमों में दी गई अग्रता के अनुसार दावेदारों और मालिकों को भुगतान करना है।

(ग) भुगतान आयुक्तों की नियुक्ति कोककर कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 और कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के अधीन की गई है और उनके सामने एक लाख से अधिक दावे दायर किए गए हैं। मांगी गई सूचना को एकत्र करने में अत्यधिक काम करना पड़ेगा और इस प्रकार एकत्र आंकड़े आदि अभीष्ट परिणामों की तुलना में लाभदायक नहीं होंगे। फिर भी, प्राप्त सूचना के अनुसार, 34 कोककर कोयला खान मालिकों और 40 अकोककर कोयला खान मालिकों के मामले में सप्लायरों के स्वीकृत दावों का अधिनियमों की व्यवस्थाओं के अनुसार भुगतान कर दिया गया है बंगाल कोयला कम्पनी के मामले में सप्लायरों के किसी दावे का भुगतान नहीं किया गया है। चालू अनुमानों के अनुसार कोककर कोयला खानों के मंजूर दावों का भुगतान तीन वर्षों के अन्दर और अकोककर कोयला खानों से सम्बन्धित दावों का एक वर्ष के अन्दर भुगतान हो जाने की संभावना है।

हिन्दुस्तान एन्टी बायोटिक्स लिमिटेड, पिम्परी महाराष्ट्र में परियोजनाओं को चालू किया जाना।

5795. **श्री आर० के० महालगी :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान एन्टी बायोटिक्स लिमिटेड, पिम्परी, महाराष्ट्र में निम्नलिखित परियोजनाओं को चालू किए जाने की प्रस्तावित तिथियाँ क्या हैं;

1. स्ट्रेप्टोमाइसीन विस्तार (क) फर्मेन्टेशन (ख) एक्ट्रेक्शन :
2. पेनसलीन विस्तार
3. अर्द्ध-संश्लिष्ट पेन्सलीन विस्तार
4. फर्मेन्टेशन संयंत्र II
5. इन परियोजनाओं के लिए सन्तुलन उपकरण।

(ख) क्या उक्त प्रत्येक परियोजना योजना के अनुरुप निष्पादित की गई है।

(ग) यदि नहीं, तो परियोजनाओं के पूरा किए जाने में कितने विलम्ब की संभावना है और उनको वास्तव में कब तक चालू किया जायेगा; और

(घ) उपरोक्त परियोजनाओं को आरम्भ करने में विलम्ब के विस्तृत कारण क्या हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) हिन्दुस्तान एन्टी बायोटिक्स लिमिटेड द्वारा परियोजनाओं के चालू होने की प्रस्तावित तिथि और उनके पूरा होने की प्रत्याशित तिथि निम्न प्रकार है :—

परियोजना	चालू होने की प्रस्तावित तिथि	चालू होने की प्रत्याशिततिथि
1. स्ट्रैप्टोमाइसीन विस्तार-फर्मेन्टेशन और एक्ट्रेक्शन	28.5.80	28.4.81
2. पेनसलीन विस्तार	30.9.79	निर्धारित समयपर चालू
3. अर्द्ध संश्लिष्ट पेनिसिलिन विस्तार	31.8.81	11.7.81
4. फार्मुलेश प्लांट—II	2.8.80	15.6.81
5. इन परियोजनाओं के लिए संतुलन उपकरण :		
(1) अतिरिक्त बिजली के लिए 20 एम० वी० ए० बिंजली सब स्टेशन	31.5.80	इस समय बताना संभव नहीं है चूंकि महाराष्ट्र राज्य बोर्ड द्वारा लगाई जाने वाली सुविधाओं के पूरा होने पर निर्भर करती है।
(2) नि:स्त्राव जल प्लांट	31.3.80	भौतिक रूप से 28.2.81 को पूरा हो गया ;

(घ) विस्तृत कारण है—सिमेन्ट और इस्पात की अनुपलब्धता/कमी, श्रमिक अशान्ति और हड़ताल, अत्यातित और स्वदेशी आदि दोनों उपकरणों की सप्लाई में विलम्ब।

जैन्टामिसिन फार्मूलेशनों का उत्पादन

5796. **श्री आर० के० महालगी :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने के कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1980-81 के दौरान विभिन्न जैन्टामिसिन फार्मूलेशनों के उत्पादन सम्बन्धी लक्ष्य क्या थे और वास्तविक उत्पादन कितना हुआ;

(ख) इस अवधि से सम्बन्धित फार्मूलेशनों की प्रत्येक श्रेणी के पृथक-पृथक आंकड़े क्या है; और

(ग) वर्ष 1980-81 के दौरान हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि० द्वारा न वे गए भिन्न-भिन्न फार्मूलेशनों की सूची से सम्बन्धित नवीनतम आंकड़े क्या हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि० इन्जेक्शन और आंख (2 मि० लि०)/कान ड्राप्स (3 मि० लि०) के रूप में जेण्टामाइसीन फार्मूलेशनों के निर्माण में व्यस्त हैं। वर्ष 1980-81 (अप्रैल 1980—फरवरी 1981) के दौरान इनमें से प्रत्येक फार्मूलेशन के सम्बन्ध में उनके लक्ष्य और वास्तविक उत्पादन आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

लक्ष्य (लाख)	वर्ष 1980-81 के दौरान किया गया उत्पादन (फरवरी 1981 तक)	
	मात्रा	मूल्य
जेण्टामाइसीन 6.00 इन्जेक्शन 2 मि० लि०	467434	23.40 लाख रु०
जेण्टामाइसीन आंख/कान 18.00 ड्राप्स 3 मि० लि०	771557	25.08 लाख रु०

(ग) वर्ष 1980-81 के दौरान 28.2 1981 को बिना बेचा गया 13.25 लाख रु० के मूल्य के 265000 जेण्टामाइसीन इन्जेक्शन (2 मि० लि०) और 14.39 लाख रु० के मूल्य के 443000 जेण्टामाइसीन आंख/कान ड्राप्स (3 मि० लि०) कम्पनी के पास था।

हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि०, पिम्परी, महाराष्ट्र द्वारा बल्क औषधियों का उत्पादन

5797. **श्री आर० के० महालगी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि० पिम्परी, पुणे महाराष्ट्र में निम्नलिखित बल्क औषधियों के उनके अलग-अलग लक्ष्यों सहित उत्पादन के आंकड़े क्या है (क) स्ट्रैप्टोमाइसीन (ख) पेनीसिलीन (ग) सेमी सिंथेटिक पेनीसिलीन (घ) हैमाइसीन (ङ) विटामिन-सी

(ख) इन औषधियों की बल्क बिक्री के अलग-अलग आंकड़े क्या हैं और हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि० में फोर्मूलेशनों के लिए ये औषधियाँ कितने प्रतिशत उपयोग में लाई जाती है;

(ग) भिन्न-भिन्न फार्मूलेशनों के इसी अवधि के बिक्री के आंकड़े क्या है;

(घ) हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि० में 31 मार्च, 1979, 31 मार्च, 1980 को बिना बेचे गए फार्मूलेशनों की वस्तु सूची के आंकड़े और 1981 के लिए नवीनतम आंकड़े क्या हैं;

(ङ) हिन्दुस्तान एन्टीबयोटिक्स लि० में इस समय आयातित बल्क औषधियों का (नवीनतम आंकड़ों सहित) कितना स्टाक है; और

(च) क्या भिन्न-भिन्न फार्मूलेशनों के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार इन आयातित बल्क औषधियों का उपयोग किया गया है, क्या लक्ष्यों में कोई कमी आई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (च) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०2259/81]

हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि०, पिम्परी, महाराष्ट्र को धन राशि का आवंटन ।

5798. **श्री आर० के० महालगी :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान निम्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि० (हाल) को कितनी धनराशि आवंटित की गई थी;

(क) स्ट्रेप्टोमाइसिन विस्तार
(ख) पेनिसीलीन विस्तार
(ग) सेमी-सिंथेटिक पेनिसिललन विस्तार
(घ) फार्मूलेशन संयंत्र-दो
(ङ) जेन्टामाइसिन उत्पादन संयंत्र
(च) उपर्युक्त परियोजनाओं के लिए संतुलन-उपकरण ।

(ख) क्या ये धनराशि केवल उसी कार्य के लिए खर्च की गई है जिसके लिए यह स्वीकृत की गई थी अथवा अनुदानों का कोई अंश हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि० में अन्य गैर-योजनागत कार्यों के लिए खर्च किया गया;

यदि हां, तो अलग-अलग आंकड़े क्या हैं और इस तरह के योजनातर खर्च किए जाने की अनुमति देने के क्या कारण है; और

(ग) क्या गैर योजनागत व्यय के लिए परियोजना धन के इस तरह के उपयोग के सम्बन्ध में सरकार का कम से कम भविष्य में ज्यादा कड़ा वित्तीय अनुशासन लागू करने का विचार है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड को आवंटित और वास्तविक निर्गत धन के वर्षवार ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

(रु० लाखों में)

वर्ष	**आवंटन**	**वास्तविक निर्गत**
1978-79	541	398
1979-80	1138	938
1980-81	1270	1070

(ख) आवंटन की तुलना में प्रत्याशित व्यय के आधार पर धनराशि दी गई थी। एच० ए० एल० ने पुष्टि की है कि योजनाओं के लिए अब तक खर्च की गई राशि खास कर स्वीकृत योजआओं पर ही खर्च की गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में टी० वी० सैटों की व्यवस्था

5799. **श्री के० प्रधानी :** क्या सूचना **और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार ने केन्द्र सरकार से कुछ टी० वी० सैट देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो कितने टी० वी० सैट मंजूर किए हैं और उनकी कहां-कहां स्थापित किए जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) इस प्रकार का कोई अनुरोध हाल ही में नहीं था। केन्द्रीय सरकार ने पहले उड़ीसा को 280 सामुदायिक अवलोकन सैट जिनमें फालतू सैटों के रूप में रखे जाने वाले 20 सैट शामिल थे, आवंटित किए थे। 115 सैटों को राज्य सरकार द्वारा चुने गए गांवों में पहले ही लगाया जा चुका है। शेष सैट राज्य सरकार द्वारा अपनी पसन्द के गांवों के सामुदायिक केन्द्रों में बिजली की व्यवस्था, केयर टेकर की नियुक्ति, आदि जैसी आवश्यक व्यवस्थायें उपलब्ध कर दिए जाने पर लगा दिए जाएंगे।

जल-विद्युत योजनाओं के लिए कोंकण क्षेत्र का सर्वेक्षण

5800. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक बृहत पन बिजली योजना तैयार करने के प्रथम चरण के रूप में जो दक्षिणी घाट विकास योजना के अन्तर्गत आने वाले तटीय क्षेत्र के लिए वरदान सिद्ध हो सकती है, कोंकण क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण शुरू किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सर्वेक्षण कार्य 15 मार्च, 1981 को पूरा हो गया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय पन बिजली निगम ने सरकार को पेश करने के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की है; और

(घ) क्या जनवरी, 1981 के महीने में उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री से बातचीत की थी जिसमें महाराष्ट्र में बिजली के विकास की भारी सफलता के उपाय ढूंढने और कोंकण में उपर्युक्त जल क्षमता को काम में लेने का निर्णय लिया गया है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां। प्रथम कदम के रूप में कोंकण क्षेत्र में कुछ परियोजनाओं का सर्वेक्षण कार्य हाथ में लिया गया है।

(ख) कार्य का सोपान 31 मार्च, 1981 तक पूरा हो जाने की आशा है।

(ग) कार्य पूरा हो जाने के बाद, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करेगा।

(घ) जो कार्य हाथ में लिया गया है वह कोंकण क्षेत्र में उपलब्ध जल विद्युत शक्यता का उपयोग करने की दिशा में एक प्रयास है।

बेरोजगार मैट्रिक्यूलेट और स्नातकों को पेट्रोलियम उत्पादों की एजेंसियों के आवंटन में प्राथमिकता

5801. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरोजगार (एक) मैट्रिक्युलेट, (दो) स्नातकों को भारतीय तेल निगम और भारत पेट्रोलियम द्वारा वर्ष 1979-80 और 1980-81 के लिए गैस कनेक्शनों अथवा पेट्रोलियम और डीजल की एजेन्सियों के लिए आवंटन के विज्ञापन में प्राथमिकता दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जिनके लिए इस तरह की प्राथमिकता विज्ञापित की गई थी और 1 या हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्यों में आवंटन किस-किस प्रकार किया गया ;

(ग) क्या उनमें से किसी स्थान पर इन श्रेणियों (एक) तथा (दो) में कोई परिवर्तन किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इस तरह के स्थानों के क्या नाम हैं और परिवर्तन के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) बेरोजगार स्नातकों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों के पेट्रोलियम उत्पादों की सभी प्रकार की एजेंसियों का आरक्षण केवल 1980-81 से ही आरम्भ किया गया है। बेरोजगार मैट्रिक्यूलेटों के लिए न तो कोई आरक्षण है और ना ही उन्हें कोई प्राथमिकता दी जाती है। तथापि बेरोजगार स्नातकों के अलावा, सभी वर्गों के लिए मैट्रिक्यूलेशन न्यूनतम अर्हता है, अगर वे अन्य पात्र कसौटी को पूरा करते हैं तो मैं विशिष्ट प्रेस विज्ञापनों के उत्तर में आवेदन कर सकते हैं।

(ख) पंजाब और हरियाणा राज्यों में 1980-81 के दौरान, बेरोजगार स्नातकों की श्रेणी के अन्तर्गत एजेन्सियां देने के लिए स्थानों के नाम जहां के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं, निम्न प्रकार हैं :—

	पंजाब	हिमाचल प्रदेश
फुटकर पेट्रोल बिक्री केन्द्र (पेट्रोल 1 डीजल पम्पस)	चाकशेरवाला	ज्वालामुखी
खाना पकाने की गैस एजेंसियां	अमृतमर, जालन्धर और पटियाला	—

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मन्त्रालयों में डीजल/पेट्रोल की खपत में मितव्ययता लाना

5802. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम और डीजल की कमी को देखते हुए सरकार ने प्रत्येक मंत्रालय में इनकी खपत में मितव्ययता लाने के लिए कोई लक्ष्य निश्चित किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) : डीजल से चलने वाली गाड़ियों की संख्या भारत सरकार के मन्त्रालयों में बहुत कम है और

ऐसी गाड़ियों के हाई स्पीड डीजल की खपत देश में कुल डीजल खपत जो प्रतिवर्ष में करीब 10 मि० मी० टन है की तुलना में नगण्य है । मन्त्रालयों में पेट्रोल की खपत प्रत्येक वर्ष में इंधन की खरीद सम्बन्धी बजट प्रावधानों के द्वारा शासित होनी है । अपनाए गए वित्तीय उपाय अर्थात समय-समय पर पेट्रोल के मूल्यों में वृद्धि करके ही अपने आप में पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों के अन्धाधुन्ध प्रयोग को निरुत्साहित किया जाएगा । इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय मन्त्रालय और विभाग और राज्य सरकारें तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को भी परामर्श दिया गया है कि वे अपनी स्टाक कारों में पेट्रोल की बचत करें ।

आरक्षित पदों का भरा जाना

5803. **श्री भीखाभाई : क्या ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऊर्जा मंत्रालय के विभिन्न विभागों में भिन्न सेवा श्रेणियों अर्थात् बी० सी० और डी० में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित अनेक पदों को सामान्य उम्मीदवारों से भर दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1978, 1979 और 1980 में इस प्रकार के पदों का श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के हित में आरक्षित पदों को सामान्य पदों में बदलने पर प्रतिबन्ध लगाने का सरकार का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी ।

मंत्रालय में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों का आरक्षण

5804. **श्री भीखाभाई : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय के विभिन्न विभागों में सेवा की विभिन्न श्रेणियों अर्थात बी० सी० और डी० श्रेणी में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पद भारी संख्या में उनकी पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये बिना सामान्य उम्मीदवारों से भरे गए थे ;

(ख) यदि हां तो 1978, 1979 और 1980 के वर्षों के दौरान इस तरह के पदों की श्रेणीवार और विभाग वार ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के हित में आरक्षित पदों का सामान्य पदों में बदले जाने पर प्रतिबंध लगाने का सरकार का विचार है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, नहीं । जहां तक नियमित भर्ती/पदोन्नति का सम्बन्ध है ऐसा नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) यह एक आम नीति सम्बन्धी मामला है और इस पर गृह मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा विचार किया जाना है।

खाना पकाने की गैस के कारण दुर्घटनायें

5805. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाना पकाने की गैस के कारण बर्ष 1970-80 के दौरान (एक) वर्षवार (दो) राज्यवार कुल कितनी दुर्घटनायें हुई ;

(ख) क्या ऐसी दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि होती जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके लिये तत्सम्बन्धी शिक्षण देने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) 1970-80 के दौरान खाना पकाने की गैस सिलैण्डरों से हुई दुर्घटनाओं की वर्ष-वार और राज्य वार, संख्या से सम्बन्धित सूचना इस मंत्रालय में तुरत उपलब्ध नहीं है। तथापि उपलब्ध सूचना के अनुसार 1978-80 के दौरान देश में कुल करीब 1‘0 ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं।

(ख) देश में वर्षों से खाना पकाने की गैस उपभोक्ताओं की संख्या में नियमित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, खाना पकाने की गैस के सिलैण्डरों से हुई दुर्घटनाओं में वृद्धि होना नहीं माना जा सकता है ।

(ग) तेल कम्पनियों द्वारा उपभोक्ताओं को तरल पेट्रोलियम गैस उपकरणों के सही तौर से और सुरक्षापूर्वक प्रयोग में लाने के सम्बन्ध में उपभोक्ताओं को प्रयोग सम्बन्धी अनुदेश देकर। उपभोक्ताओं आदि को सुरक्षा सम्बन्धी अनुदेशों की छपी हुई सामग्री जारी करके शिक्षण देने के लिए उपाय किये गये हैं। इसके अतिरिक्त, वितरको और उनके कर्मचारियों को सिलैण्डरों का सुरक्षापूर्वक प्रयोग में लाने के लिए तेल कंपनियों के फील्ड स्टाफ द्वारा अनुदेश भी दिये जाते हैं।

बीकानेर में एक ताप बिजलीघर की स्थापना

5806. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने बीकानेर के समीप भूरा कोयला उपलब्ध होने के

कारण बीकानेर, राजस्थान में एक ताप बिजलीघर की स्थापना किये जाने का अनुमोदन कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर कुल कितनी धनराशि खर्च होगी और इसका कार्य कब शुरू होगा तथा कब पूरा होगा ?

उर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) (क) और (ख) : राजस्थान के बीकानेर जिले में पालना में 2×60 मेगावाट का एक ताप विद्युत केन्द्र प्रतिष्ठापित करने के लिए एक स्कीम का, तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकन कर लिया गया है और इसकी निवेश सम्बन्धी स्वीकृति की प्रतीक्षा है । वहां उपलब्ध लिगनाइट का उपयोग इस स्कीम में किया जाएगा । परियोजना की अनुमानित लागत 6735 लाख रुपए है । इस परियोजना की तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति देते समय केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने पालना विद्युत परियोजना तथा पालना खान परियोजना को साथ-साथ स्वीकृति देने की सिफारिश की है ताकि वांछित समयावधि में लिगनाइट की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके । लिगनाइट खनन परियोजना के लिए किसी वित्तीत प्रावधान का प्रस्ताव इस समय राज्य सरकार ने नहीं किया है । इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, स्कीम पर निवेश सम्बन्धी निर्णय फिलहाल आस्थगित रखा गया है ।

तेल छिद्रण के आंकड़े भेजने के लिए उपग्रह का प्रयोग करने का प्रस्ताव

5807. **श्री रामचन्द्र रथ** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तट दूर तेल छिद्रण के बारे में अधिक तेजी से विश्लेषण के लिये समुद्र तटीय केन्द्रों को आंकड़े भेजने के लिये उपग्रह का इस्तेमाल करने के लिये तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के पास कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उपयुक्त प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने अब तक क्या तैयारी की है ;

(ग) इस कार्यक्रम की कब शुरू होने की संभावना है ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां । यह तेल और गैस उत्पादन के आंकड़ों के मानीटरिंग के लिए है व्यधम के लिए नहीं ।

(ख) प्लेटफार्म और तट पर स्थापित किए जाने वाले उपकरण की सप्लाई के लिए आर्डर दिए जा चुके हैं ।

(ग) और (घ) : उपग्रह कड़ी का संचालन इंडियन सैटेलाइट 6 इन्सेट द्वारा

किए जाने का प्रस्ताव दिया गया है और ऐसी आशा का जाती है कि यह मार्च, 1982 तक बम्बई हाई उत्तरी प्लेटफार्म "बी० एच० एन०" तथा ऊरान तटीय टर्मिनल के बीच कार्य करना आरम्भ कर देगा।

दिल्ली दूरदर्शन पर चलचित्र

5808. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि दूरदर्शन कार्यक्रम न केवल उबाऊ है बल्कि अश्लील भी होते जा रहे हैं क्योंकि उनमें "हीरालाल पन्नालाल" तथा "लगाम" जैसे चलचित्र दिखाए जाते हैं;

(ख) क्या सिगरेटों, शीतल पेयों के विज्ञापन जिनमें अर्द्धनग्न जवान लड़कियां दिखाई जाती हैं, निरोध सेनिटरी नेपिकिन्स आदि के विज्ञापनों का बच्चों तथा युवाओं पर प्रायः बुरा प्रभाव पड़ता है, और

(ग) क्या सरकार का विचार दूरदर्शन पर अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष के दौरान विशेषतया शनिवार को "दोस्ती" तथा "कोशिश" जैसे अच्छे चलचित्र दिखाने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) दूरदर्शन अपने कार्यक्रमों में सुधार करने और अपने दर्शकों को अच्छे और रोचक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए सतत् प्रयास करता है। क्योंकि कार्यक्रमों को विभिन्न रूचियों वाले दर्शकों के विभिन्न वर्गों के लिए बनाया और प्रस्तुत किया जाता है, अतः यह आवश्यक नहीं है कि जो कार्यक्रम लोगों के एक भाग के लिए रुचिकर हो वह अन्यों के लिए भी उतना ही रुचिकर हो। तथापि, दूरदर्शन के कार्यक्रमों से अभद्रता और अनावश्यक हिंसा को दूर रखने के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्यक्रम परिवार के साथ देखने लायक हों, पूरी सावधानी बरती जाती है।

(ख) सिगरेटों के विज्ञापनों को दूरदर्शन पर टेलीकास्ट करने के लिए नीति के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। विज्ञापनों की स्क्रिप्टों और दृश्यों को स्वीकृत करने से पहले उनकी, उन तत्वों जो परिवार के साथ देखने लायक हो, को हटाने के लिए सावधानी पूर्वक छानबीन की जाती है।

निरोध का स्पाट केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालय द्वारा प्रायोजित किया जाता है और यह महसूस किया जाता है कि नियोजित परिवार की संकल्पना को बढ़ावा देने के लिए जन्म नियंत्रण के तौर-तरीकों को पर्याप्त रूप से प्रचारित किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य नैपकिनों के विज्ञापनों को यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक छानबीन की जाती है कि उनमें ऐसा कुछ नहीं हो जिससे दर्शकों की संवेदनशीलता को आघात पहुंचे।

(ग) दूरर्शन अपने साधनों के अन्दर और फिल्मों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए अच्छी फिल्में चुनने की कोशिश करता है। हाल ही में, दूरदर्शन ने पुराने प्रख्यात निर्देशकों की पुरानी उत्कृष्ट फिल्में टेलीकास्ट करना शुरू किया है। इस प्रकार की पुरानी उत्कृष्ट फिल्मों के लिऐ प्रत्येक तिमाही में एक मास रखने का प्रस्ताव है। बहतर फिल्मों को आकर्षित करने के लिए फिल्मों के लिए अदा की जाने वाली रायल्टी को बढ़ाने का प्रस्नाव भी विचाराधीन है।

टेलीकास्ट करने के लिए फीचर फिल्मों का चयन करते समय अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष को समुचित रूप से ध्यान में रखा जाएगा।

व्यापक विधिक सहायता के बारे में भगवती समिति

5809. **श्री एन० ई० होरो** : क्या विधि, **न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में विभिन्न विधिक सहायता स्कीमों के कार्यकरण को देखने के बाद व्यापक विधिक सहायता स्कीमों की सिफारिश करने के लिए एक समिति गठित की गई थी;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त भगवती समिति ने गत वर्ष के दौरान निर्धन लोगों को विधिक सहायता के लिए कुछ धन राशि देने की सिफारिश भी की थी;

(ग) क्या यह सच है कि उक्त राशि का उपयोग नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) सरकार ने जरूरमन्द लोगों को विधिक सहायता प्रदान करने के लिए 26 सितम्बर, 1980 को उच्चत्तम न्यायालय के एक न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी० एन० भगवती की अध्यक्षता के अधीन एक समिति नियुक्त की। उस समिति से यह अपेक्षा की गई कि वह विभिन्न राज्यों में विभिन्न सहायता स्कीमों के कार्यकरण पर विचार करने के पश्चात् व्यापक विधिक सहायता स्कीमें ब्यौरेवार तैयार करें और उन्हें क्रियान्वित करें तथा ऐसे अन्य कदम उठाए और उनकी सिफारिश करें जो उनके उचित कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं।

(ख) उक्त समिति तारीख 26 सितम्बर, 1980 को नियुक्त की गई थी। इसलिए वर्ष 1980-81 के लिए बजट में उपबंध के संबंध में उस समिति द्वारा कोई सिफारिश किए जाने का कोई प्रश्न नहीं था और उस समिति ने अपनी नियुक्ति के पश्चात् इस वर्ष के लिए निधियों की व्यवस्था के लिए कोई सिफारिश नहीं की थी।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विशेष न्यायालयों की व्यवस्था

5810. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या विधि, न्याय **और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक अपराधों के शीघ्र विचारण के लिए गत वर्ष देश में विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए कोई व्यवस्था की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में मंजूर की गई धनराशि के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस धन राशि का यथेष्ठ रूप से उपयोग किया गया है; और

(घ) यदि हां, जो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (घ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

कोइल-कारो परियोजना की क्रियान्विति में विलम्ब

5811. **श्रीमती माधुरी सिंह :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि एन० एच० पी० सी० ने बिहार सरकार द्वारा सौंपी गई कोइल-कारो परियोजना से सम्बन्धित कार्य में अनावश्यक रूप से दो कार्य मौसमों तक का विलम्ब किया है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त विलम्ब के लिए दायित्व निश्चित करने के प्रयोजन से कोई जांच करवाने का है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) : राष्ट्रीय जल विद्युत निगम ने सभी प्रारम्भिक कार्य पूरे कर लिए हैं और जैसे ही मन्त्रिमण्डल द्वारा निवेश सम्बन्धी निर्णय ले लिया जाएगा, वैसे ही निगम कार्यान्वियन शुरू करने के लिए तैयार है। तथापि निवेश सम्बन्धी स्वीकृति देने में विलम्ब हुआ है, क्योंकि बिहार सरकार ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है कि इस परियोजना का कार्यान्वियन किए जाने से नदी तटीय अधिकारों का ऐसा कोई अतिक्रमण नहीं होगा जिससे कि राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के हितों पर प्रभाव पड़े। बिहार सरकार के साथ मामले पर सक्रियता से कार्यवाही की जा रही है।

पौल्यूशन एट सिन्दरी शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित पत्र

5812. **श्री ए० के० राय :** क्या पेट्रोलियम रसायन **और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 23 फरवरी, 1981 के धनबाद वीकली न्यू स्कैच में पोल्यूशन सेट सिन्दरी शीर्षक के अन्तर्गत से प्रकाशित पत्र की ओर आकर्षित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) सिंदरी उर्वरक प्लांटों से प्रदूषण के स्रोत और उसकी मात्रा की पहचान करने तथा सुधारात्मक कार्यवाही के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। सल्फाडाय आक्साइड प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ब्रिक मिरट एलिमिनेटर जैसे कुछ उपकरणों का आयात किया जा रहा है। बुलाई ऐश को कम करने के लिए ब्यायलर प्लांटों में मल्टी-साइक्लोन्स की मरम्मत कर दी गई है। तेल निश्राव कों रोकने के लिए एक आयल सेपरेटर टैंक की स्थापना की गई है। प्रदूषण को निर्धारित मानक के अन्तर्गत लाने के लिए आगामी प्रयास किए जा रहे हैं।

मुजफ्फरपुर दूरदर्शन केन्द्र से समाचारों का प्रसारण

5813. **श्री रामविलास पासवान :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुजफ्फरपुर दूरदर्शन केन्द्र से समाचारों का प्रसारण नहीं किया जाता है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और वहां से समाचार प्रसारित करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है; और

(ख) क्या सरकार का विचार मुजफ्फरपुर दूरदर्शन केन्द्र को एक स्वायत्त केन्द्र के रूप में परिवर्तित करने का है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) मुजफ्फरपुर प्रेषण केन्द्र में स्टूडियों और निर्माण सुविधाओं के न होने के कारण वहां से दैनिक समाचार बुलेटिन टेलीकास्ट नहीं किए जाते। तथापि, एक साप्ताहिक समाचार पत्रिका हर रविवार को रात के आठ बजे टेलीकास्ट की जाती है। जो सप्ताह की महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर करती हैं। दैनिक समाचार बुलेटिनों को टेलीकास्ट करने के बारे में स्थानीय स्टूडियो और कार्यक्रम निर्माण सुविधाओं के उपलब्ध होने के बाद ही विचार किया जा सकता है।

(ख) स्वीकृत छठी "योजना" प्रस्तावों (1980-85) में मुजफ्फरपुर में कार्यक्रम निर्माण केन्द्र की स्थापना करने के लिए प्रावधान शामिल है।

विदेशी कम्पनियों द्वारा औषधों तथा रसायनों का उत्पादन

5814. **श्री रामविलास पासवान :** क्या पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री विदेशी कंपनियों द्वारा औषधों तथा रसायनों के उत्पादन के बारे में 16 दिसम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4082 के उत्तर के सम्बन्ध में निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण पत्र सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक क्या जानकारी एकत्रित की गई है, और

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) औषधों के निर्माण में लगी विदेशी कम्पनियों से संबन्धित अपेक्षित ब्यौरा देने वाला **विवरण-1** संलग्न है । तथापि रसायनों के निर्माण में लगी विदेशी कंपनियों के संबन्ध में अपेक्षित ब्यौरे अभी एकत्रित किए जा रहे हैं और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दिए जाएंगे ।

(ख) विभिन्न स्रोतों से एकत्र किए जाने वाले आँकड़ों की मात्रा अधिक है जिसमें और कुछ समय लगने की आशा है।

विवरण—1

वर्ष 1973 में उस कंपनी को विदेशी कंपनी मान लिया जाता था । यदि उसके पास 50 प्रतिशत से अधिक प्रत्यक्ष या अप्रत्क्ष विदेशी साम्य पूंजी थी । विदेशी कंपनियों के नाम जो 1973 में बल्क औषधों का निर्माण फार्मूलेशन से या बिना फार्मूलेशन से या फार्मूलेशन मे कर रही थी, **विवरण 2** में दिए गए हैं। नवम्बर, 1976 में विदेशी कम्पनी की परिभाषा संशोधित की गई थी जिसमें उस कम्पनी को विदेशी कम्पनी माना गया जिसकी प्रत्यक्ष विदेशी साम्य पूंजी 40 प्रतिशत से अधिक थी । तब से पाँच विदेशी कंपनियों ने स्वयं अपना भारतीयकरण कर लिया, यानि उन्होंने अपनी विदेशी साम्य पूंजी को 40 प्रतिशत के स्तर पर कर ली है। इन पांच कंपनियों के भारतीयकरण के वर्ष के लिए परिसम्पत्ति, साम्य पूंजी, लाभ, बिक्री प्रक्रिया आदि से संबन्धित ब्यौरे **विवरण 3** में दिए गए हैं ।

विदेशी औषध कंपनियों से संबन्धित स्थिति जिन्हें अपनी प्रत्यक्ष विदेशी साम्य-पूंजी को 40 प्रतिशत तक कम करने के निदेश दिए गए हैं, नीचे दर्शाए गए हैं :—

क्र०सं०,	कम्पनी का नाम	वर्तमान स्थिति
1	2	3
1.	मैसर्स सी० ईफुलफोर्ड (इंडिया) प्रा० लि०)	सरकार ने 40 प्रतिशत तक विदेशी साम्यपूंजी कम करने

1	2	3
	)))	की योजना को अनुमोदित कर दिया है और इसे कार्यान्वित किया जा रहा है।
2.	मैसर्स एबोट लेबोटरीज (इंडिया) प्रा० लि०))	
3.	मैसर्स स्मिथ क्लाइन एण्ड फ्रैन्च (इंडिया) लि०	कंपनी ने विदेशी साम्यपूंजी को कम करने की एक योजना प्रस्तुत की है और उसकी जांच भारतीय रिजर्व बैंक और इस विभाग द्वारा की जा रही है।
4.	मैसर्स रिचर्डसंस हिन्दुस्तान लि०	कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निदेशिका के खिलाफ एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। उन्होंने मेथामोल के निर्माण के लिए कृषि तकनीकों में उच्च प्रौद्योगिकी का दावा किया है। उनके अभ्यावेदन की जांच की जा रही है।

20 ऐसी विदेशी औषध कंपनियां हैं जिनके मामले में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत साम्य पूंजी के स्तर पर अभी निर्णय लिया जाना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 31 मार्च 1977 को समाप्त तीन वर्ष की अवधि के दौरान इन कंपनियों द्वारा निर्मित बल्क औषधों और फार्मूलेशनों से सम्बन्धित विस्तृत आँकड़े एकत्र किए हैं। हरेक मामले में भारतीय रिजर्व बैंक मत प्राप्त होने के बाद इन मामलों पर कार्यवाही किए जाने का विचार है।

विवरण 2

क्र० सं० विदेशी कम्पनी का नाम (50 प्रतिशत से अधिक साम्यपूंजी वाली)

1. अल्कली एण्ड कैमिकल्स कारपोरेशन आफ इंडिया लि०

* 2. एंग्लो-फ्रेन्च ड्रग कं० (इस्टर्न) लि०

* 3. अबोट लेबोरेटरीज (इं) प्रा० लि०

4. मैसर्स बायर (इंडिया) लिमिटेड
* 5. मैसर्स बीकेम (इंडिया) प्रा० लि०
6. मैसर्स बोइरिंगर-नोल लिमिटेड
7. मैसर्स बूट्स कं० (इंडिया) लिमिटेड
8. मैसर्स बरो वेलकम एण्ड कं० (इ) (प्रा०) लि०
9. मैसर्स सीबा ग्राफ इंडिया लिमिटेड
10. मैसर्स सिनामाइड इंडिया लि०
11. मैसर्स ई० मर्क (ई) प्रा० लि०
12. मैसर्स ग्लैक्सो लैब० (इ) लि०
† 13. मैसर्स जानसन एण्ड जानसन ग्राफ इंडिया लि०
14. मैसर्स मे एण्ड बेकर लिमिटेड
15. मैसर्स मर्क शार्प एण्ड डोम ग्राफ इंडिया लि०
16. मैसर्स पार्क डैविस (इंडिया) लि०
17. मैसर्स फाइजर लिमिटेड
* 18. मैसर्स रैकिट एण्ड कोलमैन ग्राफ इंडिया लि०
19. मैसर्स रिचार्डसन हिन्दुस्तान लि०
20. मैसर्स रोचे प्रोडक्टस लि०
21. मैसर्स सैन्डोज (इंडिया) लिमिटेड
22. मैसर्स सलै (इंडिया) लिमिटेड
* 23. मैसर्स स्मिथ क्लाइज एण्ड फ्रेन्च (इ) लि०
24. मैसर्स बायथ लेबोरेटरीज लि०
** 25. मैसर्स ग्रिफिन लेबोरेटरीज
* 26. मैसर्स सी० डब्ल्यू० कार्निक कं० (एशिया) ब्राँच
* 27. मैसर्स सी० ई० फुलफोर्ड लिमिटेड
** 28. मैसर्स कूपर लेबोरेटरीज
29. मैसर्स इथनोर लिमिटेड
* 30. मैसर्स निकोलस ग्राफ इंडिया लिमिटेड
* 31. मैसर्स इंडियन स्केरिंग लि०
* 32. मैसर्स रसेल फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
** 33. मैसर्स डेन्टल प्रोडक्ट्स ग्राफ इंडिया लि०
†† 34. मैसर्स जान वायथ (ब्रादर्स)

* सिर्फ औषध फार्मूलेशन के निर्माण में लगे हैं
** संगठित क्षेत्र में नहीं हैं

† सल्य उपकरणों के निर्माण में
†† व्यापार कार्यकलाप में लगे हैं

विवरण 3

क्र० स०	कम्पनी का नाम	भारतीयकरण की तिथि/वर्ष	भारतीयकरण की तिथि को परिसम्पति	भारतीयकरण की तिथि को साम्य पूंजी की प्रतिशतता	भारतीयकरण की तिथि को लाभ	भारतीयकरण की तिथि को बिक्री प्रक्रिया
1	2	3	4	5	6	7
1.	मैसर्स इंडियन स्केरिंग लि० बम्बई) *	7.2.80	49,39,806 (शुद्ध)	39.95	85,35,602 (कर से पूर्व)	704,30,979
2.	मैसर्स निकोलस आफ इण्डिया लि० बम्बई) *					
3.	मैसर्स सुहीर्द गायगा लि० बम्बई	13.9.76	11,72,00,000 (31.3.79 को कुल पूंजी पर)	शून्य	343,71,000 (31.3.79 को समाप्त वर्ष के लिए कर से पूर्व)	3673,58,000 (31.3.79 को समाप्त वर्ष के लिए)
4.	मैसर्स एंग्लो फ्रेन्च ड्रग कं० ईर्स्टन लि० बम्बई	31 अगस्त 1979	82,68,205	40	5,44,707	424,46,585
5.	मैसर्स कार्ट्रर वेलेस लि० गोवा	17.7.78	5,26,143	40	19,51,415 (कर से पूर्व)	184,02,171 (बिक्री कर और उत्पादन शुल्क समेत)

* मैसर्स निकोलस आफ इण्डिया लि०, यू० के० की भारत में पूरे व्यापार और उपक्रम को 1,7.79 से मैसर्स इण्डियन स्केरिंग लि० ने अधिग्रहण कर लिया और इण्डियन स्केरिंग का गैर अधिशासी ब्याज 40 प्रतिशत से कम हो गया ।

मध्य प्रदेश में खाना पकाने की गैस के कनेक्शन

5815. **श्री शिव कुमार सिंह :**

श्री सुभाष यादव : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में 31 दिसम्बर, 1980 तक खाना पकाने की गैस के लिए पंजकृत लोगों की संख्या कितनी थी ; और

(ख) मध्य प्रदेश में खाना पकाने की गैस के लिए प्रतीक्षा सूची में पंजीकृत व्यक्तियों को गैस कनेक्शन कब तक मिल जाने की आशा है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) मध्य प्रदेश में 31 दिसम्बर, 1980 की यथा स्थिति के अनुसार खाना पकाने की गैस के नए कनेक्शन प्राप्त करने के लिए पजीकृत व्यक्तियों की संख्या लगभग 2,00,000 थी।

(ख) बम्बई हाई तथा मथुरा और कोयाली शोधनशालाओं से एल० पी० जी० की उपलब्धता के आधार पर देश मध्य प्रदेश सहित प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों को गैस कनेक्शन एक चरणबद्ध ढंग से इस माह के बाद से प्रदान किए जायेंगे।

प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित पत्रिकाएं

5816. **श्री कमला मिश्र मधुकर :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रकाशन विभाग द्वारा हिन्दी और अंग्रेजी में प्रकाशित पत्रिकाओं के क्या नाम हैं और उनमें से प्रत्येक के सम्पादकीय बोर्ड, सलाहकार समिति और सम्पादकीय कर्मचारियों की व्यवस्था का ब्यौरा क्या है तथा उनके कितने कर्मचारी कार्यरत है ;

(ख) क्या राजभाषा अधिनियम के अनुसार प्रत्येक हिन्दी पत्रिका के लिए उपलब्ध की गई संपादकीय कर्मचारियों और अन्य सुविधाओं को अंग्रेजी पत्रिकाओं के लिए उपलब्ध की गई सुविधाओं के समान होना चाहिए और इस उपबन्ध में कार्यान्वित करने के लिए पत्रिकावार की गई व्यवस्था का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि "योजना", "कुरुक्षेत्र" और भागीरथ" पत्रिका के हिन्दी सम्पादकीय कर्मचारियों को निचला दर्जा और कम सुविधाएं दी गई हैं ; और

(घ) भारत सरकार ने प्रकाशनों में हिन्दी सम्पादकीय कर्मचारियों को उचित

दर्जा, वेतनमान और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उठाए जा रहे कदमों का पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) (क) हिन्दी और अंग्रेजी में प्रकाशित की जा रही पत्रिकाओं के नामों तथा उनमें से प्रत्येक में कार्यरत सम्पादकीय कर्मचारियों का ब्यौरा **विवरण** में दिया गया है। इन पत्रिकाओं के लिए कोई सम्पादकीय मंडल या सलाहकार समिति नहीं है।

(ख) जी, नहीं। तथापि, केन्द्रीय हिन्दी समिति ने 12 और 13 दिसम्बर, 1977 की अपनी बैठक में यह सिफारिश की थी कि हिन्दी की पत्रिकाओं में काम करने वाले सम्पादकीय कर्मचारियों तथा अंग्रेजी पत्रिकाओं में काम करने वाले संपादकीय कर्मचारियों के वेतनमानों, पदनामों और अन्य सेवा शर्तों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।

(ग) और (घ) : जहां तक "योजना" और "कुरूक्षेत्र" का सम्बन्ध है, भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक है और इसलिए भाग (घ) का प्रश्न नही उठता। "भागीरथ" के बारे में अपेक्षित सूचना एकत्रित करके सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

विवरण

क्र० सं०	प्रकाशन का नाम	संवैधिकता	प्रधान सम्पादक (वेतनमान 1500-1800 रु०)	सम्पादक (वेतनमान 1100-1600 रु०)	सह सम्पादक (वेतनमान 650-1200 रु०)	उप-सम्पादक (वेतनमान 470-750 रु०)	कैफियत
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	"योजना (अंग्रेजी)	पाक्षिक	1*	1	2**	1	
	"योजना" (हिन्दी)	—तथैव—	—	1	1	1	
2.	"कुरूक्षेत्र" (अंग्रेजी)	—तथैव—	—	1***	2***	1	
	"कुरूक्षेत्र" (हिन्दी	मासिक	—	—	1	1	
3.	"एम्पलायमेंट न्यूज" (अंग्रेजी)	साप्ताहिक	—	1****	—	—	
	"रोजगार समाचार" (हिन्दी)	—तथैव—	—	—	1	—	

नोट:—1. * प्रधान सम्पादक (योजना) के पद का पदधारी "योजना" के सभी भाषायी संस्करणों के सम्पादकीय कार्य के समन्वय और पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी है।

** अंग्रेजी का एक सह-सम्पादक "योजना" के सभी संस्करणो का समन्वय करने में प्रधान सम्पादक की सहायता करने के लिए है।

2. *** यह आवधिकता के कारण है अर्थात् "कुरूक्षेत्र" (अंग्रेजी) पाक्षिक पत्रिका है, जवकि "कुरूक्षेत्र" (हिन्दी) मासिक पत्रिका है।

3. **** "रोजगार समाचार" "एम्लायमेंट न्यूज" (अंग्रेजी) का हिन्दी अनुवाद है। सम्पादक को सभी तीनों संस्करणों अर्थात् अंग्रेजी, हिन्दी और उर्दू को देखना होता है।

4. प्रकाशन विभाग द्वारा अन्य पत्रिका 'भागीरथ" हिन्दी और अंग्रेजी में केन्द्रीय जल आयोग, सिंचाई मन्त्रालय की ओर से मुद्रित की जाती है। सम्पादकीय कर्मचारी/सहायता प्रकाशन विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं की जाती।

विभिन्न क्षेत्रों में कोयले का खानों से अवैध रूप से निकाला जाना

5818. **श्री चित्त बसु :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न क्षेत्रों में अब भी बड़े पैमाने पर अवैध रूप से खानों से कोयला निकाला जाना जारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन अवैध कार्यों के सम्बन्ध में व्यापक रूप से सूचना एकत्रित करने के अब तक कोई प्रयास किए हैं;

(ग) यदि हां, तो इन प्रयासों के क्या परिणाम रहे; और

(घ) इन अवैध कार्यों को रोकने के लिए अब तक क्या दाण्डिक और उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) उच्चतम न्यायालय ने अपने 11.4.1980 और 7.5. 1980 के निर्णयों के द्वारा कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अधिनियम 1976 की व्यवस्थाओं को वैध ठहराया था जिनके अनुसार, अधिनियम द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों को छोड़कर, किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी रूप में भारत में कोयला खनन की मनाही है तथा लोहा और, इस्पात के उत्पादन में लगी कंपनियों को छोड़कर, कोयला निकालने अथवा खनन के लिए गैर-सरकारी कंपनियों को दिए गए सभी पट्टे समाप्त कर दिए गए हैं। इन निर्णयों के बाद कोयले के गैर कानूनी खनन को बहुत बड़ी सीमा तक रोक दिया गया है। फिर भी, कभी कभी कुछ लोग कानून की इन व्यवस्थाओं का उल्लंघन करके कोयले का गैर कानूनी खनन करते हैं। कोयला कंपनियाँ और राज्य सरकारें ऐसे अपराधियों के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई कर रही हैं।

(घ) कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम में संशोधन करके कोयले के गैर कानूनी खनन को 1978 में दण्डनीय अपराध पहले ही बना दिया गया है जिसके लिए तीन साल तक की सजा और रु० 20,000 तक का जुर्माना किया जा सकता है। राज्य सरकारों ने जिला प्राधिकारियों को पहले ही अनुदेश दे दिए हैं कि इन अधिनियमों की व्यवस्थाओं—भारतीय दण्डसंहिता के साथ पठित—के अनुसार दण्ड की और अपराध न होने देने की कार्रवाई की जाए। कोयला कंपनियों से भी कहा गया है कि कोयले के गैर कानूनी खनन का पता चलने पर उसकी रिपोर्ट सम्बद्ध प्राधिकारियों को की जाए।

अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में गांवों के विद्युतीकरण की कम प्रतिशतता

5819. **डा० बसंत कुमार पंडित :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में गांवों के विद्युतीकरण की प्रतिशतता बहुत कम है;

(ख) मध्य प्रदेश में कुल कितने गाँव हैं और अब तक कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है;

(ग) वर्ष 1981-82 के दौरान मध्य प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण का क्या लक्ष्य है;

(घ) ग्रामीण विद्युतीकरण योजना पर अब तक मध्य प्रदेश राज्य केन्द्र द्वारा कुल कितना व्यय किया गया है; और

(ङ) मध्य प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण के वर्ष 1981-82 में राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी धनराशि मंजूर की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) मध्य प्रदेश में 70,883 गाँव हैं, जिनमें से 31-12-1980 तक 23,719 गाँव विद्युतीकृत किए जा चुके हैं।

(ग) पंच वर्षीय योजना (1980-85) के दौरान, देश के विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 1,00,000 नए गांवों को विद्युतीकृत किए जाने का प्रस्ताव है। योजना आयोग ने वर्ष 1981-82 के दौरान मध्य प्रदेश में 58,000 कृषि पम्पसेटों/ट्यूबवैलों के उर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। राज्य में गाँवों के विद्युतीकरण के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) और (ङ) मार्च, 1980 के अन्त तक, राज्य में ग्राम विद्युतीकरण पर लगभग 267.08 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। वर्ष 1980-81 और 1981-82 के लिए ग्राम विद्युतीकरण (जिसमें ग्राम विद्युतीकरण तथा पम्पसेटों का ऊर्जन, दोनों शामिल हैं) के लिए योजना आयोग द्वारा यथा निर्धारित परिव्यय क्रमश: 29.74 करोड़ रुपए तथा 29.00 करोड़ रुपए हैं। इसके अतिरिक्त, ए० आर० डी० सी० और वाणिज्यिक बैंकों जैसे वित्तीय संस्थानों से भी राज्य में ग्राम विद्युतीकरण के लिए निधियाँ उपलब्ध होने की आशा है।

भारत में नई विद्युत परियोजनाओं के लिए सोवियत रूस के साथ करार

5820. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में नई विद्युत परियोजनाओं के लिए सोवियत रूस के साथ करार को अन्तिम रूप दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो सोवियत रूस द्वारा स्थापित किए जाने वाले टर्बो-जेनरेटरों तथा परमाणु रिएक्टरों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सोवियत रूस ने बिजली की मांग को पूरा करने हेतु भारत में टर्बो-जेनरेटरों और परमाणु रिएक्टरों को लगाने/उत्पादन करने की भी पेशकश की है और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार सोवियत रूस को इस बारे में प्रतिनिधिमण्डल भेजने का है; यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं और कब ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (घ) भारत में नई विद्युत प्रणाली आरम्भ करने के लिए सरकार ने सोवियत संघ के साथ किसी समझौते को अन्तिम रूप नहीं दिया है। तथापि विद्युत विकास के कुछ क्षेत्रों में दो देशों के बीच सहयोग के समझौतों को हाल में अन्तिम रूप दिया गया है। इन समझौतों की प्रमुख विशेषताएं नीचे दी गई हैं :—

नवम्बर, 1980 में भारत और सोवियत संघ के प्रतिनिधियों के बीच हस्ताक्षर किए गए समझौता-ज्ञापन में, भारतीय विद्युत केन्द्रों में मुख्यत: पतरातू और ओबरा विद्युत केन्द्रों में सोवियत सहायता से प्रतिष्ठापित की गई ताप विद्युत यूनिटों का नवीकरण करने के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई है ताकि यूनिटों की उपलब्धता और विश्वसनीयता में सुधार हो तथा विद्युत संयंत्रों के प्रचालन कम ऊष्मा वाले ईंधन के समुपयोजन, तथा बड़े ताप विद्युत परियोजनाओं की तथा स्थापना तथा विद्युत प्रणालियों के विकास के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच अनुभव तथा जानकारी का आदान-प्रदान हो।

इसके अतिरिक्त 10 दिसम्बर, 1980 को दिल्ली में दो देशों के बीच हस्ताक्षर किए गए आर्थिक और तकनीकी-सहयोग समझौते में (300 ; मेगावाट तक के विस्तार की संभाव्यता वाले) 1000 मेगावाट की क्षमता के एक समेकित ताप विद्युत संयंत्र के निर्माण की तथा सम्बद्ध पारेषण तथा कोयला विकास की सुविधाओं के निर्माण की परिकल्पना की गई है।

आर्थिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग के लिए भारत-सोवियत संघ संयुक्त आयोग के छठे सत्र के प्रोतोकाल में, अन्य बातों के साथ-साथ ऊपर बताए समेकित ताप विद्युत संयंत्र के निर्माण तथा विद्युत संयंत्रों के प्रचालन तथा अनुरक्षण, फुटकर पुर्जों की सप्लाई तथा प्रशिक्षण के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग के बारे में भी उल्लेख हुआ है।

खम्भात की खाड़ी में गैस के लिए कुओं का परीक्षण

5821. **डा० वसन्त कुमार पण्डित** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने खम्भात की खाड़ी के मध्य ताप्ती क्षेत्र में निर्धारित कुओं का परीक्षण कार्य पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम रहे हैं;

(ग) वाणिज्यिक दोहन के लिए नए कुओं में अनुमानित गैस क्षेत्र कितना है; और

(घ) खम्भात की खाड़ी के क्षेत्र में तट-दूर तेल छिद्रण के सम्बन्ध में प्रयास किए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) फरवरी, 1981 के पहले सप्ताह तक तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने काम्बे की खाड़ी में मध्य तापती संरचना में एक कूप की खुदाई की तथा इसे पूरा कर लिया गया।

(ख) कूप की खुदाई से इस संरचना में बालू की आठ परतों का पता चला है। इस कूप में बालू की छह परतों की जाँच किए जाने पर एक परत सूखी पाई गयी है।

(ग) 0.2 से 0.3 मि० घन मी० गैस प्रतिदिन की कूप क्षमता का अनुमान है। इस संरचना की उत्पादन सम्भावना को आंका जा रहा है।

(घ) जी, हाँ।

आर्थिक अपराधों के शीघ्र विचारण के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना

5822. **श्री के० मालन्ना** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और उनमें मुनाफाखोरी को रोकने तथा मूल्यों में असामान्य वृद्धि को रोकने के लिए आर्थिक अपराधों के शीघ्र विचारण के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में चालू वर्ष के दौरान यदि कोई व्यवस्था की गई है तो इसके सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) नागरिक पूर्ति मंत्रालय के अनुसार आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) विधेयक, 1980 का जो तारीख 24 2.81 को राज्य सभा में पुर:स्थापित किया गया है, उद्देश्य है कि आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी, चोरबाजारी और मुनाफाखोरी करने वाले व्यक्तियों और दूषित मूल्यवृद्धि जैसी बुराई से अधिक प्रभावकारी रूप में निपटने के लिए और उनसे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1957 में संशोधन करके कतिपय विशिष्ट उपबंध कर दिए जाए

उक्त विधेयक के खण्ड 11 का उद्देश्य आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 12क में संशोधन करने का है जिससे कि राज्य सरकारें उक्त अधिनियम के अधीन

अपराधों के शीघ्र विचारण के लिए इतने विशेष न्यायालयों का जितने किसी क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए आवश्यक हों गठन कर सकेंगी। विधेयक के अनुसार विशेष न्यायालय में एक न्यायाधीश होगा जो उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

जिन विशेष न्यायालयों को स्थापित करने की प्रस्थापना की गई है वे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के न्यायालयों के भाग होंगे।

राज्यों में गठित किए जाने वाले विशेष न्यायालयों पर होने वाला व्यय सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाएगा। उन संघ राज्य क्षेत्रों में जिनकी अपनी संचित निधियां है, गठित किए जाने वाले ऐसे न्यायालयों पर व्यय उन संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा उपगत किया जाएगा किन्तु अन्य संघ राज्य क्षेत्रों में ऐसे न्यायालयों पर व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

राज्यों को डीजल और उर्वरकों के मासिक कोटा का निर्धारण

5823. श्री रामावतार शास्त्री : क्या पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या सरकार खरीफ और रबी फसलों के बढ़ते उत्पादन को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक राज्य के लिए डीजल और उर्वरकों का मासिक कोटा निर्धारित करती है;

(ख) यदि हां, तो जनवरी, फरवरी और मार्च, 1 81 के महीनों के लिए निर्धारित मासिक कोटा और वास्तव में सप्लाई हुई मात्रा का राज्यवार ब्योरा क्या है; और

(ग) पूरा कोटा सप्लाई न करने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाशचन्द्र सेठी) : (क) हाई स्पीड डीजल (एच० एस० डी०) तेल के मामले में राज्यों/संघशासित प्रदेशों को मासिक आवंटन केन्द्रीय सरकार द्वारा किए जाते हैं। जहां तक उर्वरकों का संबंध है, मासिक आबंटन नहीं किए जाते हैं। प्रत्येक फसल मौसम अर्थात् खरीफ और रबी के लिए उर्वरकों की आवश्यकताओं का मूल्यांकन प्रत्येक फसल मौसम से पहले होने वाले क्षेत्रीय सम्मेलन में राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है।

(ख) और (ग) राज्यों/संघशासित प्रदेशों को जनवरी—मार्च 1981 के महीनों के लिए एच० एस० डी० के आवंटन, और जनवरी और फरवरी, 1981 के लिए वास्तविक बिक्री दर्शाने वाला विवरण 1 संलग्न है। कुछ राज्यों में उत्पाद की पर्याप्त उपलब्धता के बावजूद कम मांग होने के कारण कम बिक्री हुई तथापि कुछ राज्यों में परिवहन बाधाओं के कारण सप्लाई पर असर पड़ा। वर्ष 1980-81 के रबी मौसम (अगस्त

1980 जनवरी, 1981) के लिए उर्वरकों की कुल वास्तविक आवश्यकता और वास्तविक की गई सप्लाई/उठान और वर्ष 1981 के खरीफ मौसम (फरवरी-जुलाई, 1981) के लिए मूल्यांकित की गई कुल शुद्ध आवश्यकता के ब्यौरे देने वाला दूसरा विवरण 2 संलग्न है। वर्ष 1980-81 के रबी मौसम के दौरान सप्लाई में यदि कोई कमी आई है वह राज्यों द्वारा कम उठान के कारण थी यद्यपि संबंधित राज्यों में उर्वरकों के बफर स्टाक उपलब्ध थे।

विवरण-1

(आंकड़े मी० टनों में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	जनवरी, 81		फरवरी, 81		मार्च, 81
	आवंटन	बिक्री	आवंटन	बिक्री (अस्थायी)	आवंटन
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश	67000	62152	67300	61366	78600
अरुणाचल प्रदेश	900	486	800	325	700
अण्डमान और निकोबार	900	547	900	अनुपलब्ध	900
असम	14700	14901	12300	12504	15500
बिहार	42100	38177	38300	35142	45000
चण्डीगढ़	1700	1540	1500	1452	1900
दादर तथा नागर हवेली	400	*931	400	†	800
दिल्ली	36000	31310	29300	28147	36000
गुजरात	63480	57710	64000	50868	65300
गोवा, दमन और दीव	8600	5488	8500	7252	9300
हरियाणा	22900	24510	20400	21869	25200
हिमाचल प्रदेश	3900	3650	3300	2989	4200
जम्मू और कश्मीर	6600	5010	5600	4669	7200
कर्नाटक	47000	45527	45100	40913	52800
केरल	29500	31314	28000	27526	36800
मध्य प्रदेश	42300	39520	37200	38395	46600
महाराष्ट्र	105000	105909	105200	102858	130800
मणिपुर	1700	779	1700	498	1300
मेघालय	1200	1240	1100	1253	1500

1	2	3	4	5	6
मिजोरम	400	221	600	24	500
नागालैण्ड	800	750	600	496	600
उड़ीसा	15000	13850	14000	13384	16200
पंजाब	48000	42320	43600	40099	48000
पांडिचेरी	1700	1892	1800	689	2400
राजस्थान	46300	44790	45500	40140	48900
सिक्किम	500	332	300	225	500
तमिलनाडू	73700	83262	76000	80931	98300
त्रिपुरा	1300	768	1000	798	1300
उत्तर प्रदेश	92000	89470	80500	81944	92000
पश्चिम बंगाल	57000	55932	57000	46373	66000
लक्षद्वीप	100	अनुपलब्ध	100	अनुपलब्ध	100
योग :	832680	804388	791900	743354	936100

*दमन और दिव के विक्रय भी सम्मिलित हैं ।

†गुजरात की बिक्री शामिल है ।

विवरण-2

उर्वरकों की आवश्यकताएं और सप्लाई दर्शाने वाला विवरण

(हजार मी० टनों में)

रबी 1980-81 खरीफ 1981

राज्य का नाम	कुल शुद्ध आवश्यकता	सप्लाई का वास्तविक उठान	कुल शुद्ध आवश्यकताएं
1	2	3	4
	एन+पी+के	एन+पी+के	एन+पी+के
दक्षिणी क्षेत्र			
1. आंध्र प्रदेश	353.13	349.70	282.72
2. केरल	39.95	52.64	59.47
3. कर्नाटक	177.95	172.44	260.70

1	2	3	4
4. तमिलनाडू	344.74	309.41	229.90
पश्चिम क्षेत्र			
1. गुजरात	190.98	174.49	236.69
2. मध्य प्रदेश	153.54	132.60	111.61
3. महाराष्ट्र	174.87	204.68	311.81
4. राजस्थान	146.70	67.02	78.51
उत्तरी क्षेत्र			
1. हरियाना	139.79	133.49	100.45
2. पंजाब	480.82	387.62	273.95
3. उत्तर प्रदेश	787.05	635.06	436.65
4. हिमाचल प्रदेश	23.30	11.25	12.68
5. जम्मू और कश्मीर	14.42	3.56	25.41
पूर्वी क्षेत्र			
1. असम	12.21	11.23	12.21
2. बिहार	127.49	139.40	75.73
3. उड़ीसा	47.73	33.92	44.74
4. पश्चिम बंगाल	166.66	121.71	144.65
5. मणीपुर	2.75	0.53	3.58
6. मेघालय	2.29	0.95	2.33
7. नागालेण्ड	0.44	......	0.33
8. त्रिपुरा	3.40	1.47	2.52
9. सिक्कम	0.29	0.63	0.61

एन.+पी.+के. नाइट्रोजन+फास्फेट+पोटास के लिए प्रयोग में लाए गए हैं।

ग्रामीण जनता के लिए दूरदर्शन कार्यक्रम

5824. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उस बात की जानकारी है कि दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण जनता अथवा किसानों को लाभ पहुंचाना है ;

(ख) क्या सरकार ने इस बात की ओर ध्यान दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगे टेलीविजन कुछ तकनीकी कठिनाइयों अथवा सामान्यत: इस कारण से नियमित रूप से नहीं खोले जाते हैं कि कृषि दर्शन कार्यक्रम एक अच्छे ढंग से, जिससे ज्यादा से ज्यादा दर्शक इनकी ओर आकर्षित हो सकें, नहीं दिखाया जाता है इससे वे केवल रविवार को ही, जब फीचर फिल्म दिखाई जाती है, दूरदर्शन में रुचि लेते हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार दूरदर्शन पर दिखाए जाने के लिए कुछ नई किस्मों के कार्यक्रमों की व्यवस्था करेगी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) :

(क) जी, हाँ। दूरदर्शन का एक मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या और हमारे समाज के अन्य शोषित वर्गों को सेवा प्रदान करना है।

(ख) और (ग) जी, नही। कुल मिलाकर, सामुदायिक अवलोकन योजना सुचारु रूप से चल रही है, यद्यपि दर्शकों की संख्या स्थान-स्थान पर भिन्न-भिन्न होती है। दूरदर्शन अपने कार्यक्रमों को अधिक आकर्षक बनाने के लिए अपने कार्यक्रमों के स्तर में आगे सुधार करने का सदा प्रयत्न करता रहता है।

छठी योजना में रेडियो स्टेशन

5825. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में छठी पंचवर्षीय योजना में किन-किन रेडियो स्टेशनों का विस्तार किए जाने का प्रस्ताव है, और

(ख) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के कटक प्रसारण केन्द्र के कार्यक्रम 25 किलो मीटर से अधिक दूरी पर सुनाई नहीं देते हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) :

(क) और (ख) : छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा के किसी भी वर्तमान रेडियो स्टेशन का विस्तार करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। आकाशवाणी के कटक केन्द्र का 100 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर एकल मास्ट पर विकीर्ण कर रहा है। स्थल सर्वेक्षण से पता चला है कि दिन के समय प्राथमिक ग्रेड सिग्नल कटक से लगभग 150 से 180 किलोमीटर तक की दूरी तक पहुंचता है। तथापि, अनुदिक एंटेना पद्धति उपलब्ध करने के लिए वहाँ दूसरा मास्ट लगाने का प्रस्ताव है। दूसरा मास्ट लग जाने पर उड़ीसा राज्य में कवरेज में और सुधार होने की सम्भावना है।

डीजल/पेट्रोल की कमी के कारण सप्ताह में एक बार वाहनों का प्रयोग करने का निषेध

5826. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोल और डीजल की कमी को ध्यान में देखते हुए पेट्रोल बचाने के लिए निजी वाहनों तथा सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त वाहनों को सप्ताह में कम से कम एक बार उपयोग का निषेध करने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हाँ, तो वह निषेध कब लगाया जाएगा : और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसा निषेध लागू करने में सरकार को किन कठिनाइयों का सामना करने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) :

(क) ऐसा कोई प्रस्ताव इस मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीय ताप बिजली निगम के प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन

5827. **प्रो० के० के० तिवारी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप बिजली निगम के प्रशासनिक ढांचे में जल्दी ही भारी परिवर्तन होने वाला है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) (क) राष्ट्रीय ताप विद्युत् निगम के प्रशासनिक ढांचे में भारी परिवर्तन का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

निदेशकों की नियुक्ति सम्बन्धी विचाराधीन मामले

5828. **श्री आर० प्रभु** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कम्पनियों के प्रबन्ध निदेशकों अथवा पूर्ण कालिक निदेशकों को नियुक्तियों/पुनर्नियुक्तियों सम्बन्धी कितने मामले 1 फरवरी, 1981 को सरकार के पास विचाराधीन पड़े थे ;

(ख) इन में से कितने मामले गत छः मास के अधिक समय से निर्णयाधीन पड़े हैं ; और

(ग) इन में विलम्ब के क्या कारण हैं और इन मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) (क) से (ग) : 1.2.1981 तक, छै मास से अधिक के अनिर्णीत 166 आवेदन-पत्रों सहित, 435 ऐसे आवेदन-पत्र अनिर्णीत थे। इन 166 आवेदन-पत्रों में से, 109 सम्बन्धित कम्पनियों से पूर्ण सूचना/अभिलेख प्राप्त न होने के कारण अनिर्णीत थे तथा 29 आवेदन-पत्र, प्रबन्ध के विरुद्ध प्राप्त हुई शिकायतों के कारण तथा/अथवा कम्पनी की लेखा-बहियों के निरीक्षण/जाँच द्वारा प्रकाश में आई अनियमितताओं के कारण, अनिर्णीत थे, जिसके प्रस्तावित नियुक्ती के, प्रश्नास्पद पद धारण करने के लिए "योग एवं समुचित" समझे जाने के पूर्व अनुशीलन करना आवश्यक था ; तथा सरकार इस प्रकार से सन्तुष्ट न हो कि इस व्यक्ति की नियुक्ति सांविधिक उपबन्धों के अन्तर्गत यथा निर्धारित "जनहित के विरुद्ध" नहीं होगी।

देरियों का एक और कारण है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में प्रबन्धकीय परिश्रमिक पर 1978 के मार्गदर्शक नियमों को उच्छिन्न कर दिया है, एवं सर्वोच्च न्यायालय ने अपील करने पर, दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर, अन्तरिम रोकादेश प्रदान करते समय, निदेश दिया है कि केन्द्रीय सरकार उन कम्पनियों, जिनको अपने आवेदन-पत्रों को, उपर कथित मार्गदर्शक नियमों के अन्तर्गत विधायन किए जाने पर आपत्ति हो, के प्रबन्धकीय कार्मिकों के परिश्रमिक की स्वीकृति के लिए उनके अन्तर्गत विधायत नहीं करेंगी। इस स्थिति की दृष्टि से कम्पनियों से अपने आवेदन-पत्रों को 1978 के मार्गदर्शक नियमों के अनुसरण में अथवा अन्य प्रकार से विधायत किए जाने को लिखित इच्छा बताने का निवेदन किया जाता है।

अतः जबकि इन मामलों पर कार्यवाही करने में कोई गम्भीर देरियां नहीं है, तो भी यह सुनिश्चित करने के सभी प्रयास किए जाते हैं कि सभी परिहार्य देरियां निरस्त की जायं।

निदेशकों की परिलब्धियों में वृद्धि

5829. **श्री आर० प्रभु : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कम्पनियों को अपने निदेशकों की परिलब्धियों में थोड़ी सी भी वृद्धि करने के लिए सरकार से बात-चीत करनी पड़ती है ;

(ख) यदि हाँ, तो एक हजार अथवा इससे कम मासिक राशि के कितने मामले इस समय सरकार के पास विचाराधीन पड़े हुए हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त तंत्र को सुनिश्चित करने का है ताकि कम्पनियों को अपने निदेशकों की परिलब्धियों में छोटी-छोटी वृद्धियां करने के लिए सरकार की अनुमति न मांगनी पड़े ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) (क) विद्यमान सांविधिक उपबन्धों के अन्तर्गत, जहाँ इस प्रकार की वृद्धि के परिणाम स्वरूप, बोर्ड या समिति की प्रत्येक बैठक में, उपस्थिति के लिए देय बैठक शुल्क 250 रु० से अधिक नहीं हो, को छोड़कर, कम्पनियों को ऐसा करना पड़ता है ।

(ख) 1 मार्च, 1981 तक, 10 आवेदन-पत्र अनिर्णीत थे ।

(ग) इस सम्बन्ध में सच्चर समिति ने कतिपय सुझाव दिए हैं, जो अब सरकार के विचाराधीन हैं ।

निदेशकों के पारिश्रमिकों के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त

5830. **श्री आर० प्रभु :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रबन्ध/पूर्ण कालिक निदेशकों को दिए पारिश्रमिकों के बारे में कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त तय किए हैं ;

(ख) क्या इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों की वैधता को किसी न्यायलय में चुनौती दी गई है ;

(ग) यदि हाँ, तो न्यायालय में यह मामला इस समय किस स्थिति में है ;

(घ) क्या सरकार तत्सम्बन्धी कानून में संशोधन करने पर विचार कर रही है ;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्सम्बम्धी ब्यौरा क्या है ;

(च) क्या न्यायालय का पूर्व निर्णय न होने के कारण कई मामलों में अन्तिम निर्णय रुका पडा है ; और

(छ) यदि हाँ, तो निर्णय करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) हाँ श्रीमान जी ।

(ख) तथा (ग) : केन्द्रीय सरकार ने प्रारम्भ में नवम्बर, 1969 में इस विषय पर कुछ मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्धारित किए थे । इनका अनुवर्ती नवम्बर 1978 का मार्ग दर्शक सिद्धान्तों का द्वितीय भाग था । नवम्बर, 1969 के मार्ग दर्शक सिद्धान्तों पर मै० सीबातुला

लिमिटेड द्वारा गुजरात उच्च न्यायालय में आपत्ति उठाई गई थी, जिसने अप्रैल, 1980 में मार्ग दर्शक नियमों को उच्छिन्न कर दिया। सरकार ने इस निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर दी है। नवम्बर, 1978 के मार्ग दर्शक सिद्धान्तों पर भी मै० महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लिमिटेड द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में आपत्ति उठाई गई थी, जो उन्हें कम्पनी अधिनियम की धारा 637 (क) के उपबन्धों का उल्लंघनकारी प्रतीत हुआ था। इस मामले पर भी सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में अपील की गई थी. जिसने उच्च न्यायालय के आदेश पर अन्तरिम रोकादेश प्रदान करते समय निदेश दिया है कि केन्द्रीय सरकार उन कम्पनियों, जिनको अपने आवेदन-पत्रों को नवम्बर, 1978 के मार्गदर्शक नियमों के अन्तर्गत विधायन किए जाने पर आपत्ति हो, के प्रबन्धकीय कार्मिकों के पारिश्रमिक की स्वीकृति के लिए, विधायत नहीं करेगी। इस दृष्टि से, कम्पनियों से, उनके प्रबन्धकीय पारिश्रमिक के अनुमोदनार्थ आवेदन-पत्रों को इन कथित मार्ग-दर्शक नियमों के अनुसरण में विधायत करने की इच्छा बताने का निवेदन किया जाता है। जहाँ यह स्वीकृति दे दी जाती है, वहाँ आवेदन-पत्र विधायत किए गए हैं, तथा किए जा रहे हैं।

(घ) तथा (ङ) : सच्चर समिति ने प्रबंधकीय पारिश्रमिक की बाबत कुछ सिफारिशें की हैं। ये सरकार के विचाराधीन हैं।

(च) तथा (छ) : जैसा कि पहले बतलाया गया है, केवल उन कम्पनियों, जिन्होने मार्गदर्शक नियमों के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है, के प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में विधायत किए जा रहे हैं। ये मामले यथा सम्भव शीघ्रता से विधायत किए जा रहे हैं। इस मध्य, सर्वोच्च न्यायाल के निर्णय की प्रतिक्षा की जा रही है।

सरकारी क्षेत्र में उर्वरक कम्पनियों को हुआ घाटा

5831. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :** क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र की उन उर्वरक कंपनियों की संख्या कितनी है जो अब भी घाटे में चल रही है ; और

(ख) वर्ष 1978-79, 1979-80 और 1980-81 में प्रत्येक कंपनी को हुए घाटे का ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) : वर्ष 1978-79 और/अथवा 1979-80 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की निम्नलिखित उर्वरक कंपनियों ने निम्नलिखित संचालन हानियां (कर पश्चात) उठाई :—

उपक्रम का नाम	वर्ष 1979-80 के दौरान हानि (करोड़ रु०)	वर्ष 1979-80 के दौरान हानि (करोड़ रु०)
1. फर्टिलाइजर कारपोरेन ग्राफ इण्डिया	21.83	48.63
2. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन	22.92	34.67
3. फर्टिलाइजर (पी० एण्ड डी०) इडिण्या लि०	1.72	1.29
4. मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	17.22 (लाभ)	0.57
5. नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	2.28	14.26
6. फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि०	5.54	0.65(लाभ)

वर्ष 1980-81 के लिए वित्तीय परिणाम वर्ष के लिए खातों के तैयार हो जाने के पश्चात ही जाने जायेंगे।

1980 में प्राकृतिक गैस का उत्पादन

5832. **श्री सुभाषचन्द्र बोस ग्रल्लूरी : क्या पेट्रोलियम, रसायन ग्रौर उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980 में प्राकृतिक गैस का कुल कितना उत्पादन हुग्रा ;

(ख) 1981 में प्राकृतिक गैस का ग्रनुमानित उत्पादन क्या है ; ग्रौर

(ग) देश में प्राकृतिक गैस के उत्पादन में वृद्धि के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम, रसायन ग्रौर उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) लगभग 2080 मि० घन मीटर।

(ख) लगभग 3576.85 मि० घन मीटर।

(ग) अशोधित तेल के उत्पादन में वृद्धि होने से, संबद्ध गैस की मात्रा में भी तदनुरूपी वृद्धि होगी। इसके ग्रलावा, ग्रब तक खोजे गए सबसे बड़े अपतटीय मुक्त गैस क्षेत्र ग्रर्थात दक्षिण बेसिन गैस क्षेत्र सहित तेल एवं प्राकृतिक गैस ग्रायोग के मुक्त गैस क्षेत्रों के विकास के लिए भी कार्यवाही की जा रही है जिससे ग्राने वाले वर्षों में ग्रसम्बद्ध गैस की उपलब्धता में वृद्धि होगी।

जहां तक ग्रायल इण्डिया लिमिटेड का सम्बन्ध है, मुक्त गैस का उत्पादन तभी किया जाएगा जब ग्रावश्यकता उत्पन्न होगी।

कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण के समय बकाया देय राशि का भुगतान

5833. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1973-74 में कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण के समय कोयला खानों को लकडी, बांस, लोहा, लिखने का कागज आदि की की गई सप्लाई के कारण बकाया देय राशि का भुगतान कोयला खानों को भुगतान आयुक्त का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर भी अब तक नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो

(1) बंगाल कोल कंपनी तथा अन्य कंपनियों के सप्लाई कर्ताओं की संख्या कितनी है और उनकी संख्या कितनी है जिनके सम्बन्ध में हानि के प्रमाणपत्र जारी किए गए थे ;

(2) उनमें से कितने सप्लाई कर्ताओं को मुआवजा दिया गया था ; और

(3) शेष सप्लाई कर्ताओं को कब तक भुगतान किया जाएगा ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) भुगतान आयुक्तों की नियुक्ति कोककर कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 और कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1973 के अधीन की गई है। यह अधिकारी इन दोनों अधि-नियमों में निर्धारित अग्रता के अनुसार दावों की जांच करते हैं। यह दो आयुक्त राष्ट्रीयकृत कोलियरियों के सम्बन्ध में सभी दावों के निपटान के बाद भुगतान करते हैं।

(ख)—(1), (2) और (3) : दोनों भुगतान आयुक्तों के सामने एक लाख से अधिक दावे दायर किए गए हैं। मांगी गई सूचना को एकत्र करने में अत्यधिक काम करना पड़ेगा और इस प्रकार एकत्र आंकड़े आदि अभीष्ट परिणामों की तुलना में लाभदायक नहीं होंगे। फिर भी, प्राप्त सूचना के अनुसार, 34 कोककर कोयला खान मालिकों और 40 अकोककर कोयला खान मालिकों के मामलों में सप्लायरों के स्वीकृत दावों का अधिनियमों की व्यवस्थाओं के अनुसार भुगतान कर दिया गया है। अनुमान है कि कोककर कोयला खानों से संवद्ध स्वीकृत दावों का भुगतान तीन वर्षों में और अकोककर कोयला खानों से संबद्ध स्वीकृत दावों का भुगतान एक वर्ष में हो जाने की सम्भावना है।

मध्य प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए निर्धारित मानदण्ड

5834. **श्री बी० आर० नहाटा** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के कार्य-निष्पादन के लिए निर्धारित किए गए मानदण्डों के अनुसार ये योजनायें केवल उन क्षेत्रों में ही कार्यान्वित

की जा सकती हैं जो पिछड़े हुए नहीं हैं; और जब तक इन मानदण्डों में छूट नहीं दी जाती तब तक पिछड़े क्षेत्रों में इन योजनाओं को कार्यान्वित करना संभव नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या मन्त्रालय इन मानदण्डों में छूट देने के लिए कोई योजना बना रहा है और यदि हां, तो यह योजना कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है।

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) जी, नहीं। ग्राम विद्युतीकरण निगम अपने द्वारा स्वीकृत की गई ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिए अलग-अलग मानदण्ड अपनाता रहा है। यह स्कीमों में शामिल किए जाने वाले क्षेत्र के विकास पर निर्भर रहता है। पिछड़े क्षेत्रों और विशेष रूप से अविकसित क्षेत्रों के लिए ऋण सहायता संशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (आर० एस० एन० पी०) तथा विशेष रूप से अविकसित क्षेत्र (एस० यू०) कार्यक्रम के अन्तर्गत ब्याज की पर्याप्त कम दरों पर, अदायगी की लम्बी अवधियों तथा कम जीवन क्षमता सम्बन्धी मानदण्ड के आधार पर स्वीकृत की जाती है।

मध्य प्रदेश में, निगम द्वारा 31-1-1981 तक स्वीकृत की गई 551 ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीमों में से 307 स्कीमें पिछड़े तथा अविकसित क्षेत्रों के लिए हैं।

गुजरात के विभिन्न जिलों में कोयले की कमी

5835. **श्री नवीन रवाणी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह है कि अमरेली, राजकोट और भावनगर जिलों के विभिन्न भागों में कोयले की भिन्न-भिन्न किस्मों की बहुत कमी थी जिससे वहाँ पर लघु तथा बड़े उद्योगों तथा बिजली घरों को इसकी अत्यन्त कमी का सामना करना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो दिसम्बर, 1980 से फरवरी, 1981 तक के दौरान विभिन्न लघु तथा बड़े औद्योगिक क्षेत्रों की मांग क्या थी ;

(ग) विभिन्न स्रोतों से इसमें से कितना कोयला सप्लाई किया गया था ;

(घ) कम सप्लाई के क्या कारण हैं ; और

(ङ) उनकी माँग के अनुसार कोयले की सप्लाई करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) रेल द्वारा कोयला ढुलाई के लिए वैगनों के आवंटन में निचली अग्रता वाले उपभोक्ताओं को इन जिलों में कोयले की कुछ कमी रही है। इन जिलों में कोई बिजलीघर नहीं है।

(ख) और (ग) : विभिन्न उपभोक्ता क्षेत्रों की दिसम्बर 1980 से फरवरी 1981 के बीच कोयले की मांग और वास्तविक सप्लाई संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) और (ङ) : खान मुहानों पर कोयले का पर्याप्त स्टाक है परन्तु लघु उद्योगों, ईंट भट्टों आदि उपभोक्ताओं को कोयले की कमी महसूस हुई है क्योंकि रेलवे ऐसे उपभोक्ताओं को कोयले की ढुलाई के लिए वैगन आवंटन में निचली अग्रता रखते हैं। कोयला कम्पनियां कोयले की ढुलाई के लि वैगनों की उपलब्धि में सुधार के लिए रेलवे से लगातार सम्पर्क रखे हैं। इस संबन्ध में कुछ सुधार हुआ है और उपभोक्ता क्षेत्रों की मांग पूरी करने के लिए कोल इण्डिया लि० और सिंगरेनी कोलियरीज के लिए 10,920 वैगन प्रतिदिन का लक्ष्य निश्चित किया गया है। रेल द्वारा ढुलाई में इतनी कमी रह जाती है उतना कोयला सड़क से ले जाने के लिए भी कोयला कंपनियां दे देती हैं। कुछ निर्धारित खानों से कोयला उपभोक्ताओं को बिना किसी प्रतिबन्ध के भी दिया जा रहा है।

विवरण

(चार पहिए वाले वैगनों में)

जिला	अग्रता	दिसम्बर, 80		जनवरी, 81		फरवरी, 81	
		मांग	सप्लाई	मांग	सप्लाई	मांग	सप्लाई
भावनगर	बंदरगाह	34	25	28	20	28	25
	वस्त्र	37	10	37	10	37	12.1/2
	डेरी	26	7.1/2	24	5	25	7.1/2
	रिफ्रेक्टरी	5	5	5	—	5	2.2/1
	लघु उद्योग	7	—	—	—	—	—
	विविध	71	59	82	48	71	32
	कुल	180	106.1/2	176	83	166	79.1/2
राजकोट	सूती	—	—	10	5	10	5
	रिफ्रेक्टरीज	46	45	37	10	30	12.1/2
	पाटरी	22	22.1/2	11	2.1/2	13	5
	रसायन	2	2.1/2	3	—	3	2.1/2
	तेल	7	2.1/2	7	2.1/2	7	2.1/2
	विविध	—	—	7	4	17	10
	कुल	77	72.1/2	75	24	80	37.1/2
अमरेली	विविध	16	8	8	2	8	2

बेरोजगार स्नातक महिलाओं और अल्पसंख्यक समुदायों आदि को पैट्रोल पम्प तथा अन्य पैट्रोलियम उत्पादों की एजेंसियों का आवंटन करने की योजना

5836. **श्री नवीन रवानी :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बेरोजगार स्नातक महिलाओं, अल्पसंख्यक समुदायों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों, मूक तथा बधिरों और नेत्रहीनों आदि को पैट्रोल पम्प और मिट्टी का तेल और गैस वितरण एजेन्सियां आवंटित करने की कुछ योजनाएं तैयार की हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त योजनाओं की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) प्रत्येक वर्ग के ऐसे कितने व्यक्तियों को गुजरात और देश के अन्य विभिन्न भागों में फरवरी, 1980 से जनवरी 1981 के दौरान ऐसी एजेन्सियां दी गई हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 1981 के लिए उनके आवंटन हेतु क्या लक्ष्य है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) 1980-81 के लिए नीति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों की सभी प्रकार की एजेंसियों का आरक्षण 25 प्रतिशत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, 25 प्रतिशत बेरोजगार स्नातक/इन्जीनियर्स, 10 प्रतिशत युद्ध में अंगहानि हुए सैनिकों तथा युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं; 10 प्रतिशत विकलांग व्यक्तियों के लिए तथा शेष 30 प्रतिशत अन्य वर्ग के व्यक्तियों के लिए व्यापारिक दृष्टिकोण पर किया जाता है।

(ग) उपर्युक्त नीति जून 1980 से लागू की गई थी। तब से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों द्वारा बताया गया है कि उन्होंने देश भर में कुल 345 फुटकर पैट्रोल (पैट्रोल/डीजल पम्प) बिक्री केन्द्रों तथा 234 खाना पकाने की गैस की एजेन्सियों के लिए विज्ञापित दिए हैं। 1980-81 के दौरान करीब 150 एस०के०ओ०/एल०डी०ओ० अन्य एजेंसियों की प्रतिस्थापना के लिए प्रक्रियाएं भी चालू किए जाने की आशा है। विज्ञापित एजेंसियों के सम्बन्ध में डीलरों/वितरकों को चयन की प्रक्रिया अभी चल रही है। विभिन्न वर्गों के अधीन डीलरों के चयन सम्बन्धी ब्यौरों का चयन प्रक्रिया के पूरे हो जाने के पश्चात ही पता चलेगा।

(घ) 1981-82 से आरक्षण नीति में निम्न प्रकार से संशोधन किया गया है :

25 प्रतिशत	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों
20 प्रतिशत	बेरोजगार स्नातक/इन्जीनियर्स

15 प्रतिशत	शारीरिक रूप से विकालांग जिनमें युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाएं युद्ध में अंगहानि हुए सैनिक शामिल हैं।
10 प्रतिशत	उत्कृष्ट सामाजिक कार्यकर्त्ता और/अथवा स्वतन्त्रता सेनानी।
30 प्रतिशत	अन्य

एजेन्सियाँ जिनके लिए चयन प्रक्रियाएं आरम्भ हो गई हैं के अलावा, करीब 3*0 फुटकर पैट्रोल बिक्री केन्द्र और 300 तरल पेट्रोलियम गैस की एजेंसियों का 1981-82 के दौराम नई नीति के अनुसार आवंटन किए जाने की सम्भावना है।

थाल बेसेट तथा हाजिरा परियोजना के बारे में वर्गीकृत दस्तावेजों का भेद खुलने का आरोप

5837. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय के निदेशक के निजी सहायक ने थाल वेसेट और हाजिरा में गैस पर आधारित उर्वरक परियोजना संबंधी गोपनीय परियोजना प्रतिवेदन तथा अन्य दस्तावेज किसी विदेशी कम्पनी के एजेन्टों को दे दिए थे;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस मामले में कुछ उच्च अधिकारियों का भी हाथ है;

(घ) इस संदिग्ध सौदे में विदेशी पार्टियाँ कौन-कौन हैं, और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्सम्बंधी सम्पूर्ण ब्यौरा क्या है और इससे सम्बन्धित अन्य मामलों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) (क) से (ङ) थाल वैशठ और हजीरा के अमोनिया प्लाँटों के लिए परामर्शदाताओं के चयन से सम्बन्धित फाइल से कुछ वर्गीकृत प्रलेख में से सूचना बाहर भेजने से सम्बन्धित जांच के सिलसिले में अन्यों के साथ-साथ रसायन और उर्वरक विभाग के एक आशुलिपिक को गिरफ्तार किया गया है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। इस समय कोई और ब्यौरा देना जनहित में नहीं होगा।

दण्डकारण्य परियोजना के पुनर्वास कर्मचारी संघ द्वारा आन्दोलन का नोटिस

5838. **श्री अनादि चरण दास :** क्या **पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य परियोजना के पुनर्वास कर्मचारी संघ ने 29 दिसम्बर, 1980 को इस आशय का नोटिस दिया है कि यदि उनके 23 सूत्री मांग पत्र में उल्लिखित मांगें पूरी नहीं की गई तो वे आन्दोलन/सीधी कार्यवाही आरम्भ कर देंगे,

(ख) यदि हाँ, तो सम्बन्धित क्षेत्रीय श्रम आयुक्त/समझौता अधिकारी ने उक्त विवादो पर समझौता करने का कार्य आरम्भ कर दिया है; और

(ग) यदि हाँ, तो उक्त समझौता वार्ता तथा आन्दोलन संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) :
(क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता । संघ द्वारा कोई आन्दोलन/सीधी कार्यवाही नहीं की गई है ।

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पद

5840. **श्री भीखाभाई :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय विभिन्न विभागों में सेवा की विभिन्न श्रेणियों में अर्थात् दूसरी तीसरी तथा चौथी श्रेणी में अनुसूचित जन-जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित अनेक पदों को सामान्य उम्मीद-वारों से भरा गया था;

(ख) यदि हाँ, तो वर्ष 1978, 1979 और 1980 के दौरान इस तरह के पदों का श्रेणीवार ब्यौरा है और ऐसा किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के हित में आरक्षित पदों को सामान्य पदों में बदले जाने पर प्रतिबन्ध लगाएगी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) :
(क) और (ग) आरक्षित पदों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों से भरने का सरकार द्वारा पूरा प्रयास किया जाता है। इस सम्बन्ध में कार्मिक

और प्रशासिनिक सुधार विभाग द्वारा जारी किए गए सामान्य नियमों और मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाता है ।

(ख) समूह "ख", "ग" और "घ" के उन पदों जो आरक्षित किए गए थें, किन्तु उनको अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों से उनके उपलब्ध न होने के कारण भरा नहीं जा सका था और इसलिए उनको इन तीन वर्ष के दौरान अनारक्षित करना पड़ा था, के संबंध में सूचना एकत्रित करके सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा फिल्म समारोहों का आयोजन

5841. **श्री रामविलास पासवान : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने आठवें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में एक घोषणा की थी कि भविष्य में फिल्म समारोहों का आयोजन राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा किया जाएगा; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी, हां ।

(ख) भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों के आयोजन का काम राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को अंतरित करने से सम्बन्धित रीतियों और उसके लिए अपेक्षित संरचनात्मक तथा अन्य संगठनात्मक परिवर्तनों को प्रौसेस किया जा रहा है ।

दिल्ली दूरदर्शन और आकाशवाणी के नवम्बर 1980 के बाद छुट्टी पर गए स्टाफ आर्टिस्टों और तकनीशियनों की संख्या

5842. **डा० वसन्तकुमार पंडित : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गांधी जी पर फिल्म बना रहे ब्रिटिश फिल्म निर्माता दिल्ली दूरदर्शन और आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों और तकनीशियनों को काफी संख्या में आकर्षित करने में सफल हुए हैं;

(ख) नवम्बर, 1980 से अब तक दिल्ली दूरदर्शन और आकाशवाणी के कितने स्टाफ आर्टिस्टों और तकनीशियनों ने लम्बी छुट्टियां लीं; और

(ग) उनके नाम क्या हैं और उन्होंने कितने दिन की छुट्टी ली और सरकार ने सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) :

(क) जी, नहीं।

(ख) दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली और उपग्रह दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली में, नवम्बर, 1980 से फरवरी, 1981 तक की अवधि के दौरान 71 व्यक्तियों ने विभिन्न अवधियों के लिए छुट्टी ली थी जिनमें से केवल 5 ने (जो स्टाफ आर्टिस्ट थे) फिल्म में भाग लिया। एक और स्टाफ आर्टिस्ट ने भी फिल्म में भाग लिया, परन्तु यह उसकी ड्यूटी के समय से बाहर था।

आकाशवाणी, दिल्ली में 149 स्टाफ आर्टिस्टों और तकनीशियनों ने नवम्बर, 1980 से फरवरी, 1981 तक की अवधि के दौरान 12 दिन से अधिक की छुट्टी ली जिनमें से केवल 3 ने फिल्म में भाग लिया।

(ग) दूरदर्शन और आकाशवाणी के उन कर्मचारियों जिन्होंने फिल्म में भाग लिया और उनके द्वारा ली गई छुट्टियों का ब्यौरा क्रमशः विवरण-1 और विवरण-2 में दिया गया है। फिल्म में भाग लेने वाले 9 स्टाफ आर्टिस्टों में से 7 व्यक्तियों ने अनुमति मांगी थी। शेष दो से अपना आचरण स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है।

विवरण—1

दिल्ली दूरदर्शन के उन कर्मचारियों का ब्यौरा जिन्होंने एक ब्रिटिश निर्माता द्वारा गांधी जी पर बनाई जा रही फिल्म में भाग लिया।

केन्द्र का नाम	स्टाफ आर्टिस्ट	तकनीशियन
दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली	5	—
उपग्रह, दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली	1	—
	6	

दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली

क्रम संख्या	स्टाफ आर्टिस्ट का नाम	छुट्टी ली/छुट्टी के लिए आवेदन किया
1.	श्री योग बत्रा, प्रोड्यूसर	10-11-80 से 30-4-80 तक
2.	श्री राजेश्वर नाथ, प्रोड्यूसर	शून्य
3.	श्री चमन बग्गा, प्रोड्यूसर	4-11-80 और 9,10-12-80 (आकस्मिक छुट्टी) 1-12-80 (एवजी छुट्टी)

4.	श्री भीष्म भसीन, प्रोडक्शन सहायक	1-12-80 से 5-12-80 तक (आकस्मिक छुट्टी) 8-12-80 से 14-3-81 तक (अर्जित अवकाश)
5.	श्री डी०के० आनन्द, फ्लोर मैनेजर	24-11-80 से 13-3-81 तक
उपग्रह दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली		
6.	श्री अशोक श्रीवास्तव, मेकअप आर्टिस्ट	1-12-80 से 31-1-81

विवरण-2

आकाशवाणी, दिल्ली के उन कर्मचारियों का ब्यौरा जिन्होंने एक ब्रिटिश निर्माता द्वारा गाँधी जी पर बनाई जा रही फिल्म में भाग लिया।

क्रम संख्या	स्टाफ आर्टिस्ट का नाम	छुट्टी ली/छुट्टी के लिए आवेदन किया
1.	श्री सुरजीत सेन, मुख्य समाचार वाचक (अंग्रेजी) (समाचार सेवा प्रभाग)	27-11-1980 से 10-12-80 तक 14 दिन की अर्जित छुट्टी। और 17-2-81 से 18-2-81 तक 2 दिन की अर्जित छुट्टी
2.	श्री सुशील जावेरी, अंग्रेजी समाचार वाचक (समाचार सेवा प्रभाग)	9-11-80 से 21-11-80 तक 13 दिन की अर्जित छुट्टी।
3.	श्री दीना नाथ, प्रोड्यूसर (आकाशवाणी)	16-1-81 से 25-2-81 तक 41 दिन

कीटनाशक दवाओं का उत्पादन

5843. **श्री वी०एस० विजयराघवन :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ बड़ी कम्पनियों ने कीटनाशक दवाओं के उत्पादन के लिए अनुमति मांगी है;

(ख) क्या इस मामले में अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) हां, श्रीमान जी।

(ख) तथा (ग) कीटनाशक दवाओं के विनिर्माण के लिए, भारी विस्तार या नए एककों की स्थापना के लिए, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा-21 और 22 के अन्तर्गत, इस प्रकार की कम्पनियों से प्राप्त आवेदन पत्रों के ब्यौरों का संलग्न विवरण में उल्लेख किया जाता है। ये अभी विचार के विभिन्न स्तरों पर है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० —2260/81]

पश्चिम बंगाल के माल्दा जिले के लोगों को कोयला खान भविष्य निधि में रोजगार दिया जाना

5844. **श्री सुशील भट्टाचार्य : क्या ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान धनबाद से प्रकाशित होने वाले दिनांक 11-12-1980 के एक स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र "आवाज" में छपे इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के लगभग 50/60 लोगों ने कोयला खान भविष्य निधि में रोजगार के लिए आवेदन दिए थे परन्तु उनमें से किसी को भी रोजगार नहीं दिया गया; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) इस समाचार पर कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं समझी गई है।

प्योर ड्रिंक्स (नई दिल्ली) लिमिटेड

5845. **श्री पीयूष तिरकी : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्योर ड्रिंक्स (नई दिल्ली) लि० ने सार्वजनिक जमा राशि की माँग करते हुए वर्ष 1979-80 में विज्ञापन दिया था;

(ख) क्या यह सच है कि सार्वजनिक जमा राशि मांगने का प्रयोजन कम्पनी के परिचालन के लिए था;

(ग) क्या वर्ष 1979-80 में दिए गए विज्ञापन और दिए गए आंकड़ों से पता चलता है कि कम्पनी के परिचालन के लिए 30 लाख रुपए की जमा राशि का उपयोग किया गया था अथवा यह अन्य कम्पनियों को ऋण देने के लिए उपयोग में लाई गई थी; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) हाँ, श्रीमान जी । कम्पनी ने जनता से निक्षेपों की मांग करते हुए दिनांक 9-2-1980 को विज्ञापन दिया था । इसी विषय पर एक अन्य विज्ञापन, उसके द्वारा 31-10-1980 को प्रकाशित कराया गया था ।

(ख) उपरोक्त (क) में उल्लिखित दोनों विज्ञापनों में, यह कहा गया था कि निक्षेपों को कम्पनी के संचालन के लिए प्रयुक्त किया जाएगा ।

(ग) उपरोक्त दोनों विज्ञापन, कम्पनी द्वारा निक्षेपों को केवल अभिग्रहण करने के लिए मांगे गए थे और विज्ञापनों में न तो 30 लाख रु० के आँकड़े, ना ही उक्त राशि के प्रयुक्त किए जाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया था ।

(घ) उपरोक्त भाग (ग) में उल्लिखित वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, कम्पनी के विरुद्ध किसी भी कार्यवाही के किए जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

———

स्थगन प्रस्तावों आदि के बारे में

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कही गई कोई बात कार्यवाही बृत्तान्त में सम्मिलित नहीं की जाएगी ।

(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली): अध्यक्ष जी, दिल्ली में पुलिस की गोली से एक लड़के के मरने की घटना···

अध्यक्ष महोदय : मैं आपका मसला हल कर देता हूं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष जी, यह अकेली घटना नहीं हैं ।······ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप देखिए जिसको मैंने अलाऊ किया है वही बोलेगा ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष जी, दिल्ली में इस तरह की घटनाओं का एक सिलसिला हो रहा है ।···

(व्यवधान)

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कही गई कोई बात कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं की जाएगी।

(व्यवधान) **मैंने आपको अनुमति देनी है।

मेरे पास आपका एडजर्नमेंट मोशन और काल अटेंशन दोनों का नोटिस आया है।

मैंने तथ्य मंगवाए हैं। मैंने स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया है। पर मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विचार कर रहा हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष जी, हमारा कहना एडजर्नमेंट मोशन के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : एडजर्नमेंट मोशन नहीं। क्योंकि कल; परसों होम मिनिस्ट्री की डिमान्ड्स आ रही हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : और यह अकेली घटना नहीं है। दिल्ली में पुलिस पागल हो गई है।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, हमने भी एडजर्नमेंट मोशन दिया हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं एडजर्नमेंट मोशन की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने इनको यह बताया था कि एडजर्नमेंट मोशन इस बात का मैंने रिजेक्ट कर दिया है।

मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब तक मेरे पास फैक्टस नहीं आते, तब तक मैं कालिंग अटेंशन पर डिसाइड नहीं कर सकता। अतः मैंने तथ्य मंगाए हैं उसके बाद मैं फैसला करूंगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। (व्यवधान)**

मैं जिसको एलाऊ करता हूं...(व्यवधान) मैंने किसी को एलाऊ नहीं किया। (व्यवधान) आप बैठ जाइए, मैं बारी-बारी आपकी बात भी सुनूंगा। कृपया आप बैठने का कष्ट करें। यह सब क्या हो रहा है ? आप भी वही कर रहे हैं (व्यवधान) वाजपेयी जी, मैंने आपकी बात का जवाब दे दिया। (व्यवधान) आप मानें न मानें, आपकी मर्जी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं मानने को तैयार हूं, आप मनवायें तो। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा कि मैंने फैक्ट्स मंगवाये हैं। (व्यवधान)

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपने गृह मंत्रालय से तथ्य मंगवाए हैं। वे अपने तरीके से तथ्य भेजेंगे। श्री बाजपेयी और अन्य सदस्यों का कुछ और ही कहना है। आप इसका फैसला कैसे करेंगे। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मेरी अपनी बात हैं। फैसला मैंने देना है। यह किन्हीं तथ्यों पर आधारित होगा। इस पर किसी का असर नहीं होगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यही अकेली घटना नहीं है। हम दिल्ली में कानून और व्यवस्था टूट जाने के बारे में सरकार की भर्त्सना करना चाहते हैं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप इसमें देख लीजिए, आप मेरी कुर्सी पर बैठे तो···

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप होम मिनिस्टर को कहिए कि 4 बजे स्टेटमेंट करें फिर एडजार्नमेंट मोशन के बारे में तय करें। (**व्यवधान**) यह मामला रुक नहीं सकता।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : वह तो मैंने कह दिया। (**व्यवधान**) क्या यह आपको शोभा देता है ? क्या यह आप सबको अच्छा लगता है ? यह क्या कर रहे हैं आप ? (**व्यवधान**) मि० चक्रवर्ती, आप बड़ें प्रोफेसर हैं, आप क्या कर रहे हैं ? आप आपस में क्यों बातें कर रहे हैं ? (**व्यवधान**)

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके लिए रास्ता तैयार कर रहा हूं।

श्री मनीराम बागड़ी : मैं बीच का रास्ता बताता हूं। पहली बात है गोली का सवाल है, (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मुझे मालूम नहीं।

श्री मनीराम बागड़ी : अगर आप रूल-आऊट करते हैं तो यह सदन कितने दिन चलेगा ? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं एलाऊ नहीं करता हूं। दिल्ली कोई लाट साहब नहीं है, दिल्ली भी देश का अंग है।

(**व्यवधान**)

गृह मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : महोदय, मेरा मंत्रालय दिल्ली प्रशासन से सम्पर्क बनाए हुए है और मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि आज शाम मन्त्री महोदय एक बयान देंगे···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको सुन लिया है। अब मैंने एक मैम्बर को एलाऊ किया है। उन्हें सुन लेने दीजिए। (**व्यवधान**) आप बैठिए। आपको भी सुन लूंगा। (**व्यवधान**)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, स्टेटमेंट हो रहा है, यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन स्टेटमेंट के बाद हमको भी सवाल पूछने की इजाजत दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : जो रूल्ज में होगा, वह करूंगा। **(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह स्टेटमेंट हमारी मांग पर हो रहा है। वह सुओ मोटो नहीं हो रहा है। हमें सवाल पूछने का अधिकार होना चाहिए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अगर आप लोग ऐसे ही हाऊस को चलाना चाहते हैं, तो यह आपकी इच्छा है। मुझे तो कुछ नहीं करना है। आप आपस में क्यों बात करते हैं? जब मैंने एक बात कही है कि सब की ···**(व्यवधान)**

(व्यवधान)

मैं कुछ नहीं कहता। आप जो चाहे करें। मैं आपको क्यों रोकूं? **(व्यवधान)**

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, आपने मुझे यह मामला उठाने की आज्ञा दी है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको सुन लेता हूं। लेकिन जब कोई सुनने ही नहीं देता, तो क्या फायदा होगा? **(व्यवधान)**

प्रो० मधु दण्डवते : मैं स्थगन प्रस्ताव की सूचना दे चुका हूं। असम सरकार को बरखास्त करने में केन्द्रीय सरकार की असफलता के कारण···

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैंने स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया है। मैं अपना फैसला दे चुका हूं। मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है···नहीं, मैंने स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया है। **(व्यवधान)****मैं उस पर विचार कर चुका हूं। मैं उसे अस्वीकार कर चुका हूं।

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमा गाओ) : महोदय, कल तीन बज कर तीस मिनट पर इस सभा के एक सदस्य श्री अशोक सेन को कलकत्ता में गिरफ्तार किया गया···

अध्यक्ष महोदय : यह अलग मामला है। **(व्यवधान)**

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मैंने आपके कार्यालय में पूछताछ की थी। कल आधीरात तक कोई सूचना नहीं मिली।

अध्यक्ष महोदय : मैं तथ्य मंगवा रहा हूं।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : आपको यथाशीघ्र सूचना देना पुलिस आयुक्त का कर्त्तव्य है। यदि उसने आपको सूचना नहीं दी है तो यह विशेषाधिकार के हनन का मामला बनता

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

है । मैंने कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर के विरुद्ध विशेषाधिकार के उलंघन की सूचना दी है ॥ आप से अनुरोध है कि इस मामले को उठाने की आज्ञा दी जाए । (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों बोल रहे है ? क्या मैंने आपको बोलने को कहा है ? आप अपने सदस्यों को रोकते क्यों नहीं ।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : महोदय...

अध्यक्ष महोदय : मैंने तथ्य मंगवाए हैं । तथ्यों के मिलने पर ही मैं फैसला कर सकता हूं ।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जब कोई संसद सदस्य गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी सूचना तुरन्त आपको भेजी जानी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि मुझे...... (व्यवधान)

श्री एडुआर्डो फैलीरो : पिछली रात तक उन्होंने सूचित नहीं किया था । (व्यवधान) आपका विनिर्णय क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे सूचना प्राप्त हो गई है ।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : किस समय ? साढ़े तीन बजे तो घटना हुई थी । कलकत्ता से दिल्ली के लिए टेलीफोन से सीधा सम्पर्क हैं क्यों... (व्यवधान)

श्री वसन्त साठे : वास्तव में यह विशेषाधिकार का सीधा उल्लंघन है ।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : यह विशेषाधिकार भंग का प्रश्न है । मैंने विशेषाधिकार भंग के सम्बन्ध में एक नोटिस दिया है । (व्यवधान) मुझे विशेषाधिकार भंग का प्रश्न उठाने की अनुमति दी जाए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं तथ्यों के अभाव में कुछ नहीं कह सकता ।

श्री नीरेन घोष : (व्यवधान) महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है (व्यवधान) मैं आपका विनिर्णय चाहता हूं । यह राज्य का विषय है (व्यवधान) जो भी श्री एडुआर्डो फैलीरो और अन्य लोगों ने कहा है उसे कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं अपने कार्य को जानता हूं । (व्यवधान)** मेरी अनुमति के बिना कार्यवाही-वृतान्त में कुछ शामिल नहीं किया जाएगा । (व्यवधान)** श्री भीष्म नारायण सिंह, आपके सदस्य क्या कर रहे हैं ? (व्यवधान)** मुझे कलकत्ता के पुलिस आयुक्त से आज निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है ।

** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री एडुआर्डो फलीरो : किस समय ?

अध्यक्ष महोदय : आप सुनते हैं नहीं, पहले ही समय की बात पैदा हो जाती है। यह क्या बचपना है ?

सदस्य की गिरफ्तारी

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा को सूचित करता हूं कि मुझे कलकत्ता के पुलिस आयुक्त का दिनांक 30 मार्च, 1981 का निम्नलिखित बेतार सन्देश प्राप्त हुआ है :

> "श्री अशोक सेन, सदस्य लोक सभा को कलकत्ता में 30-3-81 को दोपहर बाद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत जारी की गई निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर गिरफ्तार किया गया। पत्र भेजा जा रहा है।
>
> टिप्पणी : सन्देश नई दिल्ली कंट्रोल रूम को टेलीफोन द्वारा 30.3.81 के 20.35 बजे भेजा गया।"

(व्यवधान)

श्री एडुआर्डो फलीरो (मारमागाओ) : नियम 229 के अन्तर्गत मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह निम्नलिखित है।

> "जब कोई सदस्य किसी दोषारोप या किसी दंड अपराध के लिए बन्दी किया जाए अथवा उसे किसी न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया जाए या किसी कार्यपालिका के आदेश से निरुद्ध किया जाए तो, यथास्थिति, सम्पर्क न्यायाधीश या दंडाधिकारी या कार्यपालिका प्राधिकारी ऐसे तथ्य की सूचना तुरन्त अध्यक्ष को देगा ..."

यह सूचना आपके पास कब आई ? साढ़े तीन बजे गिरफ़्तारी हुई और पिछली रात तक, मैं पूछताछ नहीं कर सका और हालांकि सीधा टेलीफोन सम्पर्क है फिर भी गिरफ्तारी की सूचना नहीं दी गई। इससे यह मालूम होता है कि किस तरह काम चल रहा है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : उन्हें शीघ्र ही छोड़ दिया गया था।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर विचार करेंगे।

(व्यवधान)

श्री एडुआर्डो फलीरो : आपका विनिर्णय क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि हम इस पर विचार करेंगे ।

(व्यवधान)

श्री एडुआर्डो फैलीरो : आप उस पर विचार करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : हां करेंगे ।

(व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : किस नियम के अंतर्गत ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : नियम 376 के अन्तर्गत । जो बात श्री एडुआर्डो फैलीरो ने कही है··· (व्यवधान) मैं इसे पुर्तगाली ढंग से कह रहा हूं (व्यवधान) । श्री फैलीरो ने अभी हाल में कुछ कहा है । (व्यवधान) मुझे सदन को बताते हुए खेद हो रहा है कि सरकारी बेंचों की ओर से एक मन्त्री आए और उन्होंने टेलीप्रिंटर समाचार बताया (व्यवधान) मुझे यह भय है कि श्री फैलीरो ने एक सरकारी गोपनीय समाचार बता दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ नहीं कह सकता ।

(व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : मन्त्री महोदय ने टेलीप्रिन्टर समाचार श्री एडुआर्डो फैलीरो को बताया है ।

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : क्या मैं आपकी अनुमति से सदन से एक निवेदन कर सकता हूं ? वास्तव में यह बड़ी दुभाग्यपूर्ण बात है कि कलकत्ता में प्रदर्शन हुए जिसमें दो बहु मूल्यवान जीवन समाप्त हो गए और हमारे दल के एक सदस्य··· (व्यवधान) मैं सदन को आश्वासन दे सकता हूं कि हम पश्चिम बंगाल की सरकार से शीघ्र ही सम्पर्क स्थापित करेंगे और स्थिति का पता लगायेंगे । यदि सदन अनुमति देगा, तो सदन को सूचित कर दिया जायेगा । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बताया है कि पश्चिम बंगाल सरकार से सूचना प्राप्त कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप पक्षपात कर रहे हैं । महोदय, मैं आप पर पक्षपात करने का आरोप लगा रहा हूं । अध्यक्ष महोदय सत्तारूढ दल के कारण पक्षपातपूर्ण ढंग अपना रहे हैं । आपने मन्त्री महोदय को वक्तव्य देने की अनुमति दे दी । यह इसके क्षेत्राधिकार में नहीं आता ।

अध्यक्ष महोदय : वह अध्यक्ष पर आरोप लगा रहे हैं । (व्यवधान) वह अध्यक्ष

पीठ के विरुद्ध आरोप लगा रहे हैं। (व्यवधान) हम उसकी जांच करेंगे।

(व्यवधान)

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : उसे कार्यवाही—वृतान्त से निकालने का कोई प्रश्न नहीं है। (व्यवधान) उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए। नहीं तो वह अध्यक्ष पीठ के विरुद्ध आरोप लगाते ही चले जायेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, हम इस पर विचार करेंगे।

(व्यवधान)

श्री वसन्त साठे : उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए अथवा उनका नाम पुकारा जाना चाहिए। (व्यवधान) अध्यक्ष पीठ का आदर किया जाना चाहिए। (व्यवधान) दो ही विकल्प हैं।

(व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बदागरा) : अभी हाल में गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ने कुछ बातें कही हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह वक्तव्य सरकार की ओर से है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : हाँ, बिल्कुल।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सब लोग बैठ क्यों नहीं जाते ? मुझे नहीं मालूम कि आज इस सदन में क्या हो रहा है। (व्यवधान) ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने क्या वक्तव्य दिया है ? उन्होंने कहा है कि वह राज्य सरकार से तथ्य मंगा रहे हैं। यही बात उन्होंने कही है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उन्होंने कहा है "यह दुर्भाग्यपूर्ण है···दो बहुमूल्य जानें गई हैं।"

अध्यक्ष महोदय : मृत्यु हमेशा दुर्भाग्यपूर्ण होती हैं।

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : मन्त्री महोदय ने दिल्ली में मारे गये एक लड़के के बारे में कुछ नहीं कहा। किन्तु कलकत्ता के बारे में उन्होंने अपनी ओर से वक्तव्य दे दिया है···(व्यवधान) यह उचित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय ने उस लड़के की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु पर वक्तव्य देना स्वीकार कर लिया है और वह यहाँ है। उन्होंने तथ्य मंगाए हैं। उन्होंने कोई बात नहीं कही है। मृत्यु हमेशा दुर्भाग्यपूर्ण होती हैं। मुझे नहीं मालूम कि वह कभी अच्छी भी होती हैं।

(व्यवधान) कोई बात नहीं है। वह तथ्य प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने यही बात कही है।
(व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : किन्तु मुझे बहुत दुःख हुआ है। मुझे बहुत दुःख हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे भी दुःख हुआ है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपको इस प्रकार की बुराई के लिए दुःख नहीं होता है। (व्यवधान) किसी प्रकार का प्रश्न नहीं पूछा जायेगा।

श्री इ० बालानन्दन (मुकुन्द पुरम) : प्रत्येक राज्य में रोज लोगों को मारा जा रहा है। उन्हें उस सम्बन्ध में एक वक्तव्य देना चाहिए।

श्री बीजू पटनायक (केन्द्र पाड़ा) : प्रश्न यह है कि क्या मन्त्री महोदय सूचना एकत्रित कर रहे हैं अथवा अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। यदि वह सूचना एकत्रित कर रहे हैं और सदन को दे रहे हैं तो उस सीमा तक ही मन्त्री महोदय का स्पष्टीकरण उचित है। यदि मन्त्री महोदय घटना पर टिपण्णी करने जा रहे हैं···(व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : "दुर्भाग्य की बात है कि दो बहुमूल्य जानें चली गई।"
(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बसु, क्या आप सोचते हैं कि मौतें किसी अवस्था में अच्छी भी होती हैं? मौतें हमेशा दुर्भाग्यपूर्ण होती हैं।

(व्यवधान)

श्री नीरेन घोष (दमदम) : क्या आप सोचते है कि हिंसा अच्छी होती है, हिंसक प्रदर्शन अच्छे होते हैं? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं किन्हीं भी परिस्थितियों में मृत्यु की प्रशंसा नहीं कर सकता हूं।

श्री बीजू पटनायक : मन्त्री महोदय मृत्यु पर आंसू बहा सकते हैं। समूचे सदन मृत्यु पर···(व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा आशय आपका अपमान करना नहीं। लेकिन आप इस प्रकार का बर्ताव कर रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जायेगा। मैं श्री बीजू पटनायक को अनुमति दी है।

श्री बीजू पटनायक (केन्द्र पाड़ा) : मन्त्री महोदय ने उड़ीसा अथवा गुजरात में विद्यार्थियों के मारे जाने पर दुःख व्यक्त नहीं किया···

अध्यक्ष महोदय : सब जगह यही हुआ है मौतें। मृत्यु जहाँ भी होती है दुर्भाग्यपूर्ण होती हैं।

श्री बीजू पटनायक : किन्तु उनके दल के व्यक्ति होने से वह दु:ख व्यक्त कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, श्री पटनायक। यह गलत है।

श्र बीजू पटनायक : वह हिस्सा कार्यवाही वृतान्त में नहीं रहना चाहिए। उसे उसमें से निकाल दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल इससे सहमत हूं कि मृत्यु सभी स्थानों पर दुर्भाग्यपूर्ण होती हैं। मैंने यही कहा है।

श्री बीजू पटनायक : हाँ, मैं सहमत हूं।

(व्यवधान)**

श्री के० पी० उन्नी कृष्णन : क्या यह वक्तव्य सरकार की ओर से था। क्या उन्हें उसका पता सरकारी स्रोतों से अथवा समाचार-पत्रों से लगा था। आपने ऐसा नहीं बताया। (व्यवधान) हम यह जानने के अधिकारी हैं…

अध्यक्ष महोदय: वह तथ्य एकत्रित कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नाण्डीस : आपने एक ऐसी परम्परा आरम्भ की है कि जिसके बड़े गम्भीर परिणाम होंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं कोई नई परम्परा आरम्भ नहीं कर रहा हूं।

श्री जार्जफर्नाण्डीस (मुजफ्फरपुर) : हम यहाँ प्रत्येक राज्य के सम्बन्ध में चर्चा का स्वागत करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : देखिए, रूल्ज सबके लिए बराबर है। मैंने उसमें कोई ढील नहीं दी है और न मैं दे सकता हूं, न मेरे बस में है…

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप ने दी है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं दी है। मैंने किसी को कोई ढील नहीं दी है। हम तो यहाँ तक भी कर लेते हैं—पिछली दफा एक काल-एटेन्शन था जिसमें स्टेट का नाम आता था, उसको वापस ले लिया…

**कार्यवाही-वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आज किया है···

अध्यक्ष महोदय : आज भी कुछ नहीं किया है। जहाँ तक मेरे सुनने में आया है, जो मैंने कहा है, वही किया है···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ मैंने सुना है और जो कुछ देखा है और जो रिकार्ड पर है उसको देख लेंगे···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आज आप हाउस ऐसे चला रहे हैं जैसे मन बना कर आए हैं कि काम नहीं करेंगे। मेरा इसमें कोई वास्ता नहीं है, किसी से मतलब नहीं है, स्टेट-सब्जैक्ट स्टेट-सब्जैक्ट है, सेन्टर का सेन्टर का है। यह सीधी-सी बात है। मेरी राय बिल्कुल स्पष्ट है। मैं बिल्कुल भेदभाव नहीं बरतता।

(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : आप मिनिस्टर आफ स्टेट के बयान के रिकार्ड को मंगा लीजिए, उसके बाद निर्णय दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं अगर काल-एटेन्शन को भी कन्सीडर करता हूं --मैं तथ्य इक्ट्ठा करता हूं और तब निर्णय देता हूं। मैं तथ्यों के लिए कह रहा हूं और कुछ नहीं।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है। मैं आपकी अनुमति से यह चाहता हूं—इन सबका टेप होता है। आप टेप मंगा कर सुन लीजिए और सुनकर जो सही हो, उसके ऊपर फैसला दीजिए। इस सवाल को अब ज्यादा तूल मत दीजिए।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : मैं समझता हूं कि जहां तक सिद्धान्तों का का सम्बन्ध है, आपका ताजा निर्णय सही है। आपने कहा है कि जहाँ भी राज्यों के नामों का उल्लेख किया जाता है आप उनका लोप करते रहे हैं किन्तु महोदय, इस विशेष मामले में मंत्री महोदय के निष्कर्षों ने एकतरफा तसवीर पेश की है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : स्वतः।

श्री चन्द्रजीत यादव : इसी से यह स्थिति पैदा हुई है··· (व्यवधान) उन्होंने नहीं कहा है··· (व्यवधान) आपने कहा है कि यह केवल तथ्यों का कथन है। इससे मामला और भी अधिक पेचीदा बन जाता है।

अध्यक्ष महोदय : आपने फिर मेरी बात गलत सुनी है। मैंने कहा था कि उन्होंने यह कहा है कि वह पश्चिम बंगाल सरकार से तथ्यों का पता लगा रहे हैं। बस इतनी बात है।

श्री चन्द्रजीत यादव : उन्होंने यह नहीं कहा। अतः मेरा सुझाव यह है कि आपको पहले कार्यवाही वृत्तान्त देखना चाहिए और तभी मंत्री महोदय के निष्कर्ष कथन के बारे में है कहना चाहिए, अन्यथा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृत्तान्त देखूंगा।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है। आपने चेअर की तरफ से पहले ही कह दिया था कि फैक्ट्स मंगा रहे हैं, फिर उसके बाद मिनिस्टर को क्या आवश्यकता पड़ी कि मिनिस्टर स्टेटमेन्ट दे रहा है। जब चेयर ने कह दिया था, तो फिर उन्होंने क्यों कहा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा और मालूम करूंगा। मैं कार्यवाही-वृत्तान्त पढ़ूंगा और मालूम करूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, मैं आपकी अनुमति चाहता हूं। मुझे तब बड़ा गुस्सा आया जब मैंने देखा कि मंत्री महोदय, बिना आपके कहे, बिना आपकी अनुमति के राज्य सरकार पर दोषारोपण करने के लिए खड़े हुए... (व्यवधान) मेरा आशय आपका अपमान नहीं है। किन्तु मैं महसूस करता हूं कि जहाँ तक इस मामले का सम्बन्ध अध्यक्ष ने मंत्री महोदय को जो अनुमति दी वह गलत थी।

अध्यक्ष महोदय : साथ ही यह रिकार्ड में है। मैं इसे रिकार्ड में देखना चाहता हूं। मैं इसे पढ़ूंगा। (व्यवधान) आपके सामने सारी बात हो गई थी।

श्री जार्ज फर्नाण्डीस (मुजफ्फरपुर) : अविश्वास प्रस्ताव की क्या स्थिति है?

अध्यक्ष महोदय : उसको रिजेक्ट कर दिया था।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : सभा को इस बारे में चिन्ता है। मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है? किस नियम के अधीन?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : संविधान के अनुच्छेद 205 के अधीन।

अध्यक्ष महोदय : मैंनें इस पर अपना निर्णय पहले ही दे दिया है। वह क्या है?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : इसका राज्य से सम्बन्ध है। इसका सम्बन्ध विनियोग विधेयकों तथा अनुपूरक, अतिरिक्त अथवा अधिक अनुदानों से है... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं अपना कर्तव्य जानता हूं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मेरा निवेदन यह है कि कल असम विधान सभा में एक अनुपूरक मांग पर सरकार की हार हो गई थी।

एक माननीय सदस्य : क्या यह व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : सरकार की एक कटौती प्रस्ताव में हार हो गई थी ।

अध्यक्ष महोदय : यह यहाँ नहीं आता है। वहाँ संवैधानिक तंत्र है । वहाँ सरकार है । इस पर आप स्थगन प्रस्ताव नहीं ला सकते । आपको मेरे पास आना है । मैं संतुष्ट नहीं हूं ।

श्री जार्ज फर्नाण्डीस : यदि असम सरकार...नहीं कर पायी है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री जार्ज, मुझे खेद है ।

श्री जार्ज फर्नाण्डीस : आपको इसे सुनना है ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा ।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नाण्डीस : समाचार पत्रों की खबरों के अनुसार...

अध्यक्ष महोदय : मैं समाचार पत्रों की खबरों के अनुसार नहीं चलता हूं । यदि मैं समाचार पत्रों की खबरों के अनुसार चलूं तो यहाँ घोर अनर्थ हो जायेगा ।

(व्यवधान)

सभा पटल पर रखे गये पत्र

प्रत्यावर्तित व्यक्ति सहकारी वित्त तथा विकास बैंक लिमिटेड, मद्रास का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : मैं प्रत्यावर्तित व्यक्ति सहकारी वित्त विकास बैंक लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे सभा-पटल पर रखता हूं

(ग्रंथालय में रखे गये देखिए संख्या एल० टी० 2241/81)

श्रम मंत्रालय के वर्ष 1981-82 की अनुदानों का ब्यौरा

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : मैं वर्ष 1981-82 के लिए श्रम मंत्रालय के अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखती हूं ।

(ग्रंथालय में रखी गई—देखिए संख्या एल० टी० 2242/81)

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा। मेरे कंसिड्रेशन में वह है।

श्री राम विलास पासवान : हम लोगों ने लिख कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। क्या तूफान उठ गया अगर दे दिया।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे—प्रक्रिया का अध्ययन करना है। मुझे तथ्यों का पता लगाना होगा। (व्यवधान) आप मुझे समय क्यों नहीं देते ? मैंने तथ्यों का पता लगाने के लिए समय मांगा है।

श्री राम विलास पासवान : आपने कहां यह कहा था।

अध्यक्ष महोदय : और क्या बात कही थी ?

श्री राम विलास पासवान : पहले आप ने कहां कहा था।

अध्यक्ष महोदय : आप रिकार्ड को देखें।

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 और वित्त अधिनियम, 1979 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

1. सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक 14 मार्च, 1981 की अधिसूचना संख्या 64-सीमा-शुल्क के अधिलंघन में, रूसी रूबल को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को रूसी रूबल में संपरिवर्तन करने के लिए विनिमय दर सम्बन्धी सा० सां० नि० 190 (ङ) जो दिनांक 23 मार्च, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) ऐसे सामान की सूची का विस्तार करने, जिसके बारे में निर्यात उत्पादन के अग्रिम लाइसेंसों के प्रति निःशुल्क आयात करने की अनुमति है, के सम्बन्ध में सा० सां० नि० 204 (ङ) जो दिनांक 25 मार्च, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० सां० नि० 213 (ङ) जो दिनांक 27 मार्च, 1981 के भारत के

राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा दिनांक 2 अगस्त, 1976 की अधिसूचना संख्या 227-सीमा-शुल्क में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि उच्च घनत्व के पोलीएथिलीन मोल्डिंग चूर्ण और दानों पर मूल सीमा-शुल्क की प्रभावी दर को मूल्यानुसार 65 प्रतिशत से कम करके मूल्यानुसार 50 प्रतिशत किया जा सके।

2. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 214 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 27 मार्च, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा दिनांक 4 दिसम्बर, 1979 की अधिसूचना संख्या 302/79-सीई में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि उच्च घनत्व के पोलीएथिलीन पर मूल उत्पादन शुल्क की प्रभावी दर को मूल्यानुसार 27 प्रतिशत से बढ़ाकर मूल्यानुसार 35 प्रतिशत किया जा सके।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2243/81)

3. वित्त अधिनियम, 1979 की धारा 41 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 186 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 19 मार्च, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा विदेशी राजनयिक मशीनों/वाणिज्य दूतावासों के उन अधिकारियों को जो भारत के राष्ट्रिक अथवा स्थायी निवासी नहीं हैं तथा उनके कुटुम्बों को उनकी अन्तर्राष्ट्रीय यात्राओं के सम्बन्ध में विदेशी यात्रा कर की अदायगी से छूट दी गई है।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2244/81)

लोक लेखा समिति

34वां प्रतिवेदन

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : मैं भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के कर-निर्धारण के बकाया मामलों से सम्बन्धित वर्ष 1978-79 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल), राजस्व प्राप्तियाँ, खण्ड दो, के पैराग्राफ 7 पर लोक लेखा समिति का 34वाँ प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

नियम ३७७ के अधीन मामले

(एक) केरल में एलेप्पी पत्तन से निर्यात कार्य फिर से शुरू करने की आवश्यकता

श्री बी० के० नायर (क्विलोन) : अनुरक्षण कार्य पर उचित ध्यान के अभाव में केरल के पश्चिमी तट पर स्थित एलेप्पी पत्तन का कई महीनों से उपयोग नहीं हो रहा है। अब बेरोजगार पत्तन मजदूरों और उनके परिवार के हजारों भूखे मरने वाले सदस्यों के लम्बे आन्दोलन तथा जनता के कड़े विरोध के कारण आवश्यक सुविधाएं प्रदान कर दी गई हैं तथा आवश्यक मरम्मत भी कर दी गई है। समुद्र में स्थित पोत्त से समान लाने, ले जाने के लिए आवश्यक कुछ बजरा नौकाएं भी प्राप्त कर ली गई हैं और उन्हें काम पर लगा दिया गया है।

इन परिस्थितियों को देखते हुए मुझे भारत सरकार से इस पत्तन से आयात और निर्यात कार्य पुन; आरम्भ करने की व्यवस्था करने हेतु अनुरोध करना है। इसका उद्देश्य न केवल मजदूरों को उनके दुःखों से छुटकारा दिलाना है बल्कि कोचीन और बम्बई जैसे पत्तनों को भीड़-भाड़ से मुक्त करना और स्थिति में सुधार लाना है। कुछ सप्ताह बाद मानसून आरम्भ हो जाने के पश्चात्, जबकि पत्तन बन्द हो जाएगी, यह आशा की जाती है कि इस मामले पर आवश्यक ध्यान दिया जाएगा, चाहे आने वाले दिनों में कुछ पोत्तों को दूसरी ओर ही क्यों न मोड़ना पड़े।

(दो) राज्य में भयंकर सूखे का सामना करने के लिए राजस्थान सरकार को और अधिक सहायता दिए जाने की आवश्कता

श्री अशोक गहलोत (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष राजस्थान में 26 जिलों में से 25 जिले सूखाग्रस्त हैं जिसके कारण इन जिलों के 26 हजार से भी अधिक गाँवों की लगभग डेढ़ करोड़ जनसंख्या इस भीषण अकाल का सामना कर रही है। इसमें से कुछ क्षेत्र तो पिछले तीन-चार वर्षों से सूखे की विभीषिका से पीड़ित हैं।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में अकाल राहत कार्य भी धीमी गति से चल रहा है। गाँवों में तालाब, कुएं आदि का पानी सूख गया है और यदि कुओं में पानी है भी तो वह काफी नीचे है। जिन क्षेत्रों नलकूप लगे हुए है उनमें से भी कुछ नलकूपों की हालत खस्ता है। क्योंकि इन नलकूपों को समुचित मात्रा में बिजली प्राप्त नहीं हो रही है या फिर इन नलकूपों के समुचित रखरखाव के अभाव में ये बेकार हो रहे है जिससे स्थानीय जनता काफी प्रभावित है।

लोगों को पीने का पानी गाँवों से पाँच किलोमीटर से भी अधिक दूरी से लाना पड़ रहा हैं जिसके लिए लोगों को एक घड़े पानी के लिए दस रुपए तक भी देने पड़ते हैं

जबकि इन क्षेत्रों में कुओं को अधिक गहरा करके और नलकूपों का समुचित प्रयोग करके प्रभावित क्षेत्रों की जनता को पीने का पानी आसानी से सुलभ कराया जा सकता है।

अगर यही हालत रही तो आगामी गर्मियों में स्थिति और भी बद से बदतर हो जाएगी। जिन जिलों में पिछले तीन-चार वर्षों से बराबर अकाल पड़ रहा है वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो चली है। ये लोग अपने यहां रोजगार के अवसर के कोई आसार नजर न आने के कारण मजबूरन रोजगार की तलाश में पड़ोसी राज्यों को पलायन करने लगे हैं। राज्य सरकार इस स्थिति से पूर्ण रूपेण निपटने में विफल रही है और पूरा प्रदेश अकालग्रस्तता के कारण त्राहि-त्राहि करने लगा है।

अगर हालत यही रही तो आगामी गर्मियों में स्थिति और भी बद से बदतर हो जएगी। इसलिए सरकार को अविलम्ब अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत सर्वप्रथम पीने का पानी, पशुओं के लिए चारा और रोजगार के अधिक अवसर सुलभ कराने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों, कुओं, पटवार घरों, स्कूल भवनों, आयुर्वेदिक और पशु चिकित्सा-लयों, के निर्माण-वन और चारागाह विकास, पेयजल व्यवस्था और सहायक व्यवसायों के प्रशिक्षण आदि कार्य हाथ में लेकर इस समस्या के हल के लिए प्राथमिकता के आधार पर प्रभावित क्षेत्रों की जनता को रोजगार के अधिक अवसर सुलभ कराए जाएं। अगर समय रहते सूखाग्रस्त स्थिति को दूर करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाये गए तो स्थानीय जनता में यह आशंका व्यक्त की जाने लगी है कि प्रदेश में विगत भाँति सूखे की स्थिति यथावत् बनी रहेगी।

मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि वे राजस्थान की अकालग्रस्त स्थिति को हल करने के लिए राज्य सरकार को अधिक अनुदान प्रदान करें जिससे वह अपने प्रदेश में इस विकट समस्या को सदैव के लिए हल करने में गति ला सकें और लोगों में विश्वास जगा सकें।

(तीन) रानीगंज क्षेत्र में खाना पकाने की गैस का उपलब्ध न होना

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : नियम 377 के अन्तर्गत मैं निम्नलिखित वक्तव्य देता हूं।

रानीगंज क्षेत्र में अक्तूबर से कुकिगं गैस नहीं मिल रही जिसके फलस्वरूप गैस उपभोक्ताओं को भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। रानीगंज पूर्णतः हिन्दुस्तान पेट्रोलियम की सप्लायी पर निर्भर करता है। अधिकारियों तथा पेट्रोलियम तथा, रसायन मंत्री को रानीगंज क्षेत्र में कुकिगं गैस की अनुपलब्धता के बारे में दिए गए अनेक अभ्यावेदनों की ओर कोई भी ध्यान नही दिया गया है।

इन परिस्थितियों में मैं सरकार से अनुरोध करता हुं कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम तथा

इंडियन आयल कार्पोरेशन से रानीगंज क्षेत्र को गैस की सप्लायी के लिए शीघ्र उचित कदम उठाए जायें।

(चार) तमिलनाडु में भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत बेदखल किए गए लोगों के पुनर्वास के उपाय :

डा० वी० **कुलनदईवेलु (चिदम्बरम)** : नियम 377 के अन्तर्गत मैं वक्तव्य दे रहा हूं।

मैं इस सभा में जनहित में अनुरोध करता हूं कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत किसी स्थान से निकाले गए व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए।

मैं तमिलनाडु के नवेली कम्पलेक्स की जिक्र करना चाहूंगा। तमिलनाडु सरकार ने एन० एल० सी० परियोजना की विस्तार योजना के लिए भूमि का अधिग्रहण किया है और भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत ग्रामीणों को जमीन से बेदखल किया जा रहा है और बड़ी परियोजना के हित में यह प्रक्रिया जारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में जिन लोगों ने एन० एल० सी० लिमिटेड के लिए जमींन तथा घरेलू सम्पत्ति छोड़ रहे हैं वे पुनर्वास के मामले में अधिकारियों द्वारा उपेक्षित किए जाने के बारे में असन्तोष प्रकट कर रहे हैं। जिन लोगों की जमीन का अधिग्रहण किया गया है वे एन० एल० सी० लिमिटेड में प्रत्येक परिवार के लिए नौकरियों की भी माँग कर रहे हैं और समीपवर्ती शहरी क्षेत्रों के आधार पर जमीन तथा घरेलू सम्पत्ति का उचित मुआवजा निश्चित करने के लिए भी मांग कर रहे हैं।

जब हम अपने देश का तेजी से औद्योगिकीकरण चाहते हैं तो हमें समाज के कमजोर वर्ग गरीब ग्रामीणों की घरेलू सम्पत्ति तथा जमीन की बेदखली से उत्पन्न उनकी मानसिक स्थिति की गंभीरता को भी महसूस करना चाहिए। अतः मेरा अनुरोध है कि उनके पुनर्वास का पूरा-पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। यह कहना कोई ज्यादती नहीं है कि जिन लोगों को बेदखल किया गया है तथा जिन्हें अपने जन्म स्थान से, क्षोभ के ही वे छोटे हो और महत्वपूर्ण नहीं, वंचित किया जा रहा है तो उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है और उनकी मानसिक स्थिति बहुत ही गम्भीर है। चूंकि उनकी मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता अतः इन निराश किसानों को आन्दोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है और उन्हें जेल भेजा जाता है।

ऐसी स्थिति में मेरा यही अनुरोध है कि काफी समय से चली आ रही समस्या का मानवीय दृष्टिकोण से समाधान किया जाए। यह उसी दशा में सम्भव है यदि तमिलनाडु सरकार इस बारे उदारता बरते आए और केन्द्रीय सरकार विस्थापित परिवारों के पुनर्वास सहायता उपायों का उचित समर्थन करें।

पुनर्वास उपायों के बारे निम्नलिखित सुझावों को ध्यान में रखा जाना चाहिए :

(1) विस्थापित लोगों का पुनर्वास नेवेली कम्पलेक्स के नजदीक अथवा किसी ऐसे स्थान पर किया जाये जिसे अधिकांश ग्रामीण चाहते हैं।

(2) एन० एल० सी० लिमिटेड नेवेली में विस्थापित परिवारों को परिवार के सदस्यों की संख्या के अनुपात में रोजगार के पर्याप्त अवसर दिए जायें और न कि परिवार के आधार पर तथा आवश्यक हो तो नियमों में भी ढील दी जाए। न केवल सामाजिक समानता के आधार पर ही किन्तु कमजोर वर्ग की रक्षा करने के लिए भी इस बात को ध्यान में रखा जाए कि उन्हें उचित प्रतिनिधित्व मिले चाहे उन्होंने जमीन तथा घरेलू सम्पत्ति छोड़ दी है अथवा नहीं। तूफान पीड़ित अयोग्य महिलाओं तथा वृद्धों के लिए रोजगार प्रधान कृषि फार्मों तथा ग्रामीण उन्मुखी सरकारी योजनाओं में पुनर्वास के लिए उचित व्यवस्था की जाए।

इन सुझावों को देते समय मैं ऊर्जा तथा कोयला मन्त्रालय का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि मुझे यह पता चला है कि एन० एल० सी० लिमिटेड नेवेली के भर्ती अधिकारी निर्दोष गरीब वर्ग की कठिनाइयों को ध्यान में न रखते हुए ठीक काम नहीं कर रहे हैं। अतः कदाचारों के ऊपर लगातार निगरानी रखी जानी चाहिए और दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए।

(3) भूमि तथा घरेलू सम्पत्ति के मुआवजे के लिए कुछ ऊंची दर निश्चित की जाए।

(4) गरीब लोगों को मुआवजा देने तथा सरकार द्वारा पट्टा देने पर विचार किया जाए।

(5) विस्थापित परिवारों को एन० एल० सी० प्रोजेक्ट में निःशुल्क चिकित्सा तथा शिक्षा सुविधाएं दी जाएं।

इन शब्दों के एक साथ मैं आशा करता हूं कि सम्बन्धित अधिकारी इस सम्बन्ध में उदारता का रुख अपनाएंगे और भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अधीन इन पीड़ित लोगों की संमृद्धि के लिए उचित कार्यवाही करेंगे।

(पांच) हिमाचल प्रदेश के नाहन छावनी क्षेत्र में परम्परा से रहते आ रहे असैनिक परिवारों को उनके घरों और भूमि से हटाया जाना

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : हिमाचल प्रदेश के जिला नाहन में सैनिक छावनी है जिसमें असैनिक नागरिक कई पीढ़ियों से रहते चले आए हैं। उनके अधिकार में जो भूमि है वह रियासत नाहन के राजा ने उन्हें इसलिए दे रखी थी कि उनके परिवार के

लड़के वहाँ की फौज में सैनिक थे। देश की आजादी के बाद उन लोगों के परिवार के काफी सदस्य सेना में भर्ती हैं और देश की रक्षा के लिए काम करते चले आ रहे हैं। उनकी एक गोरखा सभा बनी हुई है जिसने मुझे एक ज्ञापन भेजा है। उसमें उन्होंने 53 परिवार ऐसे बताए जिन्हें उनके मकान और भूमि से निकाला जा रहा है। जिस भूमि पर ये रह रहे हैं वह 1977-78 में राज्य सरकार ने भारत सरकार को दे दी है। इसलिए यहाँ पर इनको बेदखल करने के लिए अदालत नाहन में सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के यहां और तहसीलदार के यहां कार्यवाही हो रही है। इस भूमि और मकान के बारे में मैं यह भी बता देना चाहूंगा कि जो-जो चुनाव म्यूनिसिपल कमेटी, नाहन के हुए या विधान सभा के, लोक सभा के हुए, इन सब में इन्होंने अपने मत का प्रयोग असैनिक आबादी के नाते किया है। परन्तु अब इस भूमि को भारत सरकार को देने के कारण उनसे इस भूमि का कब्जा इस बिना पर छुड़ाया जा रहा है कि इन 53 परिवारों के नाम कागजात माल में अमल नहीं हैं।

मैं प्रधान मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इनको वहां से बेदखल न किया जाए और भारत सरकार को भूमि की आवश्यकता हो तो जो भूमि इस वक्त सैनिक अधिकार में है उसमें ही वह गुजारा कर सकती है। और फिर भी आवश्यकता हो तो इसके साथ जो सरकारी भूमि पड़ी है उसको भारत सरकार लेने के प्रयत्न करे न कि इन गरीबों को यहां से निकाला जाए बल्कि इन्हें इस भूमि का मालिक बगैर मुआवजा बनाया जाए।

मैं प्रधान मन्त्री जी का खास तौर पर इस विषय की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वे इस पर ध्यान देकर इंसाफ करें।

(छ:) बंगलौर शहर को पानी की सप्लायी के लिए सहायता

श्री टी० आर० शमन्ना (बंगलौर दक्षिण): उपाध्यक्ष महोदय, बंगलौर देश भर में क्षेत्र और जनसंख्या दृष्टि से निरन्तर बढ़ने वाला शहर है। दो दशक पहले इस शहर का क्षेत्रफल 25 वर्गमील था और आबादी 9 लाख थी। 1977 में क्षेत्रफल दुगना हो गया और आबादी 16 लाख हो गयी। 1981 में क्षेत्रफल 90 वर्गमील हो गया और आबादी 29 लाख हो गयी।

शुरु से ही इस शहर में पानी की कमी रही है। बंगलौर समुद्र तट से 3000 फुट की ऊंचाई पर है और पानी पम्प द्वारा दूर के स्रोतों से 2000 फुट की ऊंचाई पर चढ़ाना पड़ता है।

बंगलौर को अच्छे जलवायु वाला बागों का शहर कहा जाता है। इसके अतिरिक्त यह दक्षिण का एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक तथा औद्योगिक केन्द्र है।

एक के बाद दूसरी राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से सहायता की मांग करती रही है। भारत सरकार ने बंगलौर से 80 किलोमीटर दूर स्थित कोरेकाडानाहाली में कावेरी नदी से प्रतिदिन 6 करोड़ गैलन पानी लेने के लिए एक योजना स्वीकार की लेकिन इस

योजना के निष्पादन में काफी विलम्ब हुआ। विश्व बैंक भी इस योजना के लिए धनराशि न दे सका। फिर भी केन्द्रीय सरकार ने इस ओर उचित ध्यान दिया और इस परियोजना को आन्तरिक साधनों से ही पूरा किया गया।

इस समय बंगलौर को तीन स्रोतों से 6 करोड़ 20 लाख गैलन पानी मिल रहा है। बंगलौर शहर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए यह जल बहुत कम है। शहर में पानी प्रतिदिन उसे 4 घंटों तक सप्लाई किया जाता है। एक से अधिक मंजिल वाले घरों तक ऊंचे स्थानों पर स्थित घरों को पर्याप्त पानी नहीं मिलता है। पानी की इस कठिन समस्या को हल करने के लिए कावेरी द्वितीय चरण की परियोजना शुरू की जाए जिसके द्वारा 3 करोड़ गैलन पानी मिलेगा।

बंगलौर के नागरिकों की ओर से मैं फिर केन्द्रीय तथा राज्य सरकार से अपील करता हूं कि कावेरी द्वितीय चरण परियोजना को शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जाए।

मेरा अनुरोध है कि इस समस्या पर गम्भीरता से विचार किया जाए और बंगलौर शहर को पर्याप्त तथा सस्ता पानी देने के लिए यथासम्भव प्रयास किए जायें।

धर्मार्थ अथवा धार्मिक न्यासों तथा संस्थाओं को धन के निवेश सम्बन्धी नई पद्धति के बारे में वक्तव्य

वित्त मन्त्री (श्री आर० वेंकटरामन) : कराधन कानून (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा आय कर अधिनियम की धारा 13 में एक नई उप-धारा (5) अतः स्थापित की गई थी जिसमें धर्मार्थ अथवा धार्मिक न्यासों अथवा संस्थाओं की निधियों के निवेश का एक तरीका निर्धारित किया गया था।

श्री जी० एम० बनात वाला (फेन्नानी) : हमारे धन्यवाद को भी रिकार्ड किया जाए।

श्री रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : मेरे साथ-साथ रिकार्ड किए जायें।

श्री आर० वेंकटरामन : ऐसे न्यास तथा संस्थाएं सुचारु ढंग से निवेश के नए तरीकों को अपना सकें, इस उद्देश्य से कानून में व्यवस्था की गई है कि नई पद्धति 1 अप्रैल 1978 से शुरू होने वाले लेखा वर्ष से शुरू किए जायें। बाद में यह तिथि 1 अप्रैल 1981 तक बढ़ाई गई। मैं पिछले वर्ष के अपने बजट भाषण में स्पष्ट कर चुका था कि यह अवधि और अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी।

इसलिए सभी धर्मार्थ अथवा धार्मिक न्यासों अथवा संस्थाओं को निवेश का निर्धारित तरीका अपनाना होगा जिससे कि वे 1 अप्रैल 1981 को शुरू होने वाले अथवा उसके बाद के किसी भी लेखा-वर्ष के लिए कर से छूट का लाभ बराबर उठाते रहें। परिणामत: इस प्रकार के न्यासों अथवा संस्थाओं द्वारा अर्जित परिसम्पत्तियों की कतिपय श्रेणियों को सरकारी प्रतिभूतियों, बैंक जमा, भारत के यूनिट ट्रस्ट के यूनिट और आय कर अधिनियम की धारा 13 (5) में निर्दिष्ट अन्य परिसम्पत्तियों में बदलना आवश्यक होगा।

यह अभ्यावेदन किया गया है कि धारा 13 (5) द्वारा निर्धारित निवेश के तरीकों से ब्याज के रूप में आय प्राप्त होती है जिसे स्वीकार करना इस्लाम के असूलों के खिलाफ है। इसलिए सरकार ने आयकर अधिनियम की धारा 13 (5) के अधीन निर्धारित निवेश के तरीके में संशोधन करने का निर्णय किया है ताकि धर्मार्थ अथवा धार्मिक न्यासों अथवा संस्थाओं को न्यास की निधियों को अचल सम्पत्ति में भी निवेश करने की अनुमति दी जा सके। आयकर अधिनियम में उपयुक्त संशोधन शीघ्र ही किया जाएगा और उसे 1 अप्रैल 1981 से प्रभावी बना दिया जाएगा।

अनुदानों की माँगें १६८१–८२ (जारी)

विदेश मन्त्रालय (जारी)

श्री पी० के० कोडियन (अडूर) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री की रिपोर्ट में अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति की गंभीरता का कोई भी जिक्र नहीं है।

आज अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति बहुत ही गम्भीर है। यद्यपि फारस की खाड़ी तथा हिन्द महासागर आज अशांति के क्षेत्र बनाए हैं जिससे इस देश के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है और यद्यपि इन खतरनाक घटनाओं के बारे में हमें सबसे अधिक चिन्ता है, फिर भी हमें समूची विश्व की स्थिति को नजर अन्दाज नहीं करना चाहिए। हमें इन घटनाओं को विश्व स्थिति के परिपथ्य में देखना चाहिए।

पिछले दशक के दौरान कुछ अच्छी घटनायें घटीं। इस अवधि में विश्व शस्त्रों की होड़ से पीछे हट कर तनाव शैथिल्य तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग तथा राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों की सफलताएं इस दशक की मुख्य उपलब्धियां रही हैं। लेकिन इन घटनाओं, राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलनों तथा शस्त्र-होड़ से हुई हानि के फलस्वरूप साम्राज्यवादी शक्तियों ने संयुक्त राज्य अमरीका के नेतृत्व में प्रत्याक्रमण शुरू किया गया जिसके फलस्वरूप हिन्द महासागर क्षेत्र में शस्त्र होड़ शुरू हुई, सैनिक अड्डे कायम किए गए तथा नौसेना तैनात की गई।

संयुक्त राज्य अमरीका में राष्ट्रपति रीगन के सत्ता में आने के साथ यह प्रत्याक्रमण

बहुत ही भयानक स्थिति पर पहुंचा और जिसके फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और भी खराब हो गई। इस अवसर पर मैं उस दुःखद घटना के प्रति खेद प्रकट करता हूं जिसमें श्री रीगन पर निर्मम हमला किया गया, मुझे आशा है कि वे शीघ्र ही ठीक हो जायेंगे। सैनिक अड्डों का बनाया जाना, नौसेना और सेना को तैनात करना और राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलनों को खुली धमकी देना आदि के कारण अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और अधिक बिगड़ गयी है। संयुक्त राज्य प्रशासन ने खुली तरह कह दिया है कि वे अफगान विद्रोहियों को शस्त्र भेजेंगे। कानूनी रूप से गठित स्वतन्त्र अंगोला की सरकार को यू० एन० आई० टी० ए० नामक अंगोला देशद्रोही आन्दोलन की सहायता द्वारा उलटने की अपनी आकांक्षा को इसने स्पष्ट कर दिया है। दक्षिण अफ्रीका की घृणित रंगभेद सरकार का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से संयुक्त राज्य अमरीका तथा अन्य पश्चिमी ताकतें ही समर्थन कर रही हैं। ऐल सेलवेडोर की सैनिक सरकार, जो विद्रोह में खड़े लोगों का संहार कर रही है, का समर्थन भारी सैनिक तथा आर्थिक सहायता द्वारा संयुक्त राज्य अमरीका कर रहा है। राष्ट्रपति रीगन ने सत्ता में आने के एक महीने के अन्दर विश्व के विभिन्न देशों को 15 अरब डालर की सैनिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। जिस गति से रीगन प्रशासन ने शस्त्रों का जमाव किया है और बिभिन्न देशों को शस्त्रों की सप्लाई की है उससे संयुक्त राज्य अमरीका के अपने ही लोग भी चकित हुए हैं। 'न्यूजवीक' पत्रिका में यह टिप्पणी की गईहै :

> "इस बात का खतरा है कि रीगन प्रशासन बहुत जल्दी ऐसी समस्याओं के सम्बन्ध में सैनिक नीति अपनाएगे जिसके लिए कूटनीति की अधिक तथा बन्दूकों की कम आवश्यकता है।"

संयुक्त राज्य अमरीका की इस धोखेबाजी की नीति से विश्व विनाश थर्मोनुकलियर विस्फोट के विनाशकारी कगार पर खड़ा हो गया है।

कल श्री चाव्हाण ने कहा है कि दोनों शक्तियां आणविक युद्ध के खतरों से अवगत हैं। अतः वे युद्ध की बात ही करेंगे, इसे शुरू नहीं करेंगे। लेकिन हम तथाकथित आतंक के सन्तुलन से सन्तुष्ट नहीं हो सकते। दुनिया में ऐसी शक्तियां भी हैं जो अपने विश्वव्यापी हितों की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक बढ़ सकते हैं। अतः विश्व को आणविक युद्ध में झोंकने की हर सम्भावना है। आज स्थिति बहुत गम्भीर है। शांति को खतरा है, राष्ट्रों तथा विश्व के लोगों की सुरक्षा को खतरा है। तीसरे युद्ध की पूरी सम्भावना है यदि देशों तथा राष्ट्रों के नेता अपने कार्यों तथा घोषणाओं में संयम तथा सावधानी से काम न लेते हैं। विश्व शांति के लिए उन्हें बुद्धिमानी तथा संयम से चलना चाहिए।

ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति ब्रेझनेव द्वारा सोवियत संघ की साम्यवादी पार्टी की 26 वीं कांग्रेस में रखे गए प्रस्ताव बहुत सामयिक हैं और उनके आधार पर सभी अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार विमर्श आरम्भ हो सकता है। उनके सुझावों का काफी स्वागत हुआ है। मुझे आश्चर्य है कि भारत सरकार ने इन सुझावों के बारे में अपने विचार क्यों प्रकट

नहीं किए। उन्होंने इन सुझावों की प्रतिक्रिया क्यों नहीं की। भारत पहले ही से विश्वशांति तथा विश्व के लोगों के बीच सहयोग मजबूत करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संकटों के समक्ष अपनी आवाज उठाता आया है। विभिन्न देशों के बीच मतभेद पैदा करने तथा तटस्थ देशों के बीच तनाव पैदा करने सम्बन्धी कुछ ताकतों के प्रयत्नों को इसने सफलतापूर्वक विफल किया है। भारत का स्थान तटस्थ देशों के आन्दोलनों में महत्वपूर्ण रहा है और यह हमेशा शान्ति तथा सभी अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के मैत्रीपूर्ण समाधानों के लिए प्रयत्न करता रहा है। इसे इस समय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। मन्त्री महोदय को राष्ट्रपति ब्रेझनेव की पहल के बारे में भारत सरकार की प्रतिक्रिया को स्पष्ट करना चाहिए। महोदय, हम सब स्वभावतः सयुक्त राज्य अमरीका द्वारा पाकिस्तान को भारी मात्रा में आधुनिक हथियारों तथा वमवर्षकों की सप्लाई से चिन्तित है। लेकिन यह सहायता एकमात्र मामला नहीं है। हमें पाकिस्तान को दो जाने वाली संयुक्त राज्य अमरीका की सहायता को उन बातों के सन्दर्भ में देखना चाहिए जो संयुक्त राज्य अमरीका हमारे पड़ोस अर्थात हिंद महासागर और पश्चिमी एशिया में करता आ रहा है···।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का समय पूरा हो चुका है।

श्री पी० के० कोडियन : संयुक्त राज्य अमरीका की पाकिस्तान को दी जाने वाली सहायता उस सैनिक घेरेबन्दी की एक खतरनाक कड़ी है जो वाशिंगटन, पैकिंग और इस्लामाबाद ने भारत के विरुद्ध की है। हमें इसका ध्यान रखना चाहिए।

हिंद महासागर में दिआगो गार्सिया सैनिक अड्डे को अभूतपूर्व ढंग से शक्तिशाली बनाकर इसे 'नाटो' शक्तियों के सीमा क्षेत्र से बाहर अमरीका का सबसे बड़ा वायु सेना और नौसेना का परमाणु अड्डा बनाकर तथा श्री लंका और मालद्वीप में अमरीकी नौसेना को कथित सुविधाएं प्रदान करके घेराव की श्रृंखला में नई कड़ियां जोड़ी गई हैं जो भारत की प्रभुसत्ता और स्वतन्त्रता के विरुद्ध तैयार की गई है। अमरीका द्वारा पाकिस्तान को हथियार दिए जाने के इस कदम के विरुद्ध भारत को कड़ा विरोध करना चाहिए और इसे शत्रुतापूर्ण कार्यवाही घोषित करना चाहिए। भारत की जनता को इस खतरे से सचेत किया जाना चाहिए। मुझे कोई संदेह नहीं है कि भारत की जनता देश की प्रभुसत्ता, एकता और स्वतन्त्रता की रक्षा करने हेतु विगत की तरह संगठि होकर खड़ी हो जाएगी।

हिन्द महासागर के बारे में मुझे यह कहना है --चूंकि मेरे पास समय नहीं है और आपने घंटी बजा दी है तो मैं अपने भाषण को संक्षिप्त कर रहा हूं। मैं केवल मुद्दों का ही उल्लेख करूंगा। अमरीका का व्यवहार हिंद महासागर में ऐसा रहा है जैसे कि वह अमरीका की कोई झील हो। यह एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्पत्ति है, जिसका उपयोग शांतिपूर्ण उद्देश्यों और शान्पूर्ण पोत—सचालन के लिए किया जाना चाहिए। अतः सरकार को तटवर्ती तथा भीतरी-प्रदेश वाले देशों को जागृत करने में पहल करनी चाहिए तथा हिंद महासागर को मुसीबतों का केन्द्र बनाने के अमरीकी प्रयासों के विरुद्ध कठोर और सामूहिक

कार्यवाही करनी चाहिए। इस सम्बन्ध में भारत सरकार को हिंद महासागर पर श्रीलंका में होने वाले प्रस्तावित सम्मेलन को सफल बनाने हेतु अथक प्रयास भी करने चाहिए और हमें जोरदार ढंग से हिन्द महासागर में स्थित दिआगो-गार्सिया तथा अन्य अड्डों को नष्ट कराने की मांग करनी चाहिए। इसमें हमें खाड़ी के देशों का समर्थन भी मिल सकता है क्योंकि दिआगो गार्सिया को तुरन्त सैन्य संचालन बल के लिए मुख्य अड्डों के रूप में विकसित किया जा रहा है जिसका मुख्य उद्देश्य खाड़ी के तेल क्षेत्रों को हथियाने का है।

अफगानिस्तान की समस्या के बारे में हमारे सामने एक ही रास्ता खुला हुआ है। जो राजनैतिक समझौते का है। मैं अफगानिस्तान समस्या पर भारत सरकार के उत्तम रवैये का पूर्ण समर्थन करता हूं। जब तक अफगान समस्या हल नहीं होती है, इसे खाड़ी क्षेत्र में तथा पाकिस्तान में सभी प्रकार के शस्त्रास्त्र जमा करने का बहाना बनाया जाता रहेगा जिसके खतरनाक परिणाम होंगे।

जहां तक गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की बात है, दिल्ली में गुट-निरपेक्ष देशों के विदेश मन्त्रियों का जो सम्मेलन हुआ था उसमें यद्यपि उन बहुत से मसलों पर समझौता हुआ था जो उसमें विचारार्थ रखें गए थे, फिर भी मैं कहूंगा कि इस दृष्टि से सम्मेलन कुल मिलाकर सफल ही रहा कि गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की एकता को कायम रखा जा सका। परन्तु मेरा ऐसा विचार है कि कुछ मामलों में भारत सम्मेलन की विभिन्न बैठकों में अपनी निश्चित स्थिति को भी स्पष्ट नहीं कर सका। इस प्रकार के सम्मेलन में अन्त में हमें विभिन्न समस्याओं पर किसी प्रकार के मतैक्य पर पहुंचना होता है। परन्तु उससे हमारे प्रतिनिधियों को हमारी अपनी स्थिति को स्पष्ट करने और अपनी बात पर बल देने से कौन रोकता है ? मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि ऐसा नहीं हुआ। गुट-निरपेक्ष आन्दोलन को विभाजित करने का जान बूझकर प्रयास किया जा रहा है। कुछ देश आन्दोलन में ऐसी स्थिति अपना रहे हैं जो गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के मूल सिद्धान्तों के साथ मेल नहीं खाती हैं। मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि मतैक्य पर पहुंचने के नाम पर, साम्राज्यवाद विरोध जैसे कुछ मूलभूत सिद्धान्तों को कमजोर बनाया जा रहा है।

गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के साम्राज्यवाद विरोधी प्रयासों को हलका करने की कुछ देशों की सम्मिलित चाल के विरुद्ध मैं विदेश मन्त्री महोदय को सचेत करता हूं।

यदि कुछ समस्याओ, मसलों पर भारत को अलग भी कर दिया जाता है तो भी हमें आन्दोलन के मूलभूत सिद्धान्तों को अपनाते रहना चाहिए। मतैक्य की उत्सुकता में हमें दूसरों की तुष्टि नहीं करनी चाहिए और अपने मूलभूत सिद्धान्तों को तिलान्जलि नहीं देनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती ऊषा वर्मा। इससे पहले कि आप अपना भाषण आरम्भ करें मैं यह बता देना चाहता हूं कि इसके बाद प्रत्येक सदस्य केवल पांच मिनट का समय लेगा। मन्त्री महोदय ढ़ाई बजे वाद-विवाद का उत्तर देंगे।

श्रीमती वर्मा।

श्रीमती ऊषा वर्मा (खेरी) : उपाध्यक्ष महोदय, आप ने जो समय दिया है उसके लिए मैं आभारी हूं। माननीय मन्त्री जी जो यह डिमांड लाए हैं और सदन में जो महत्वपूर्ण विषय चल रहा है उसके ऊपर बोलने के लिए मैं खड़ी हुई हूं।

मैं इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के पूर्व दूरदर्शिता की मूर्ति प्रधान मन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी के विवेक की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकती, जो अपने सतत व अथक प्रयास से जनता सरकार द्वारा चरमरा दिए गए सम्बन्ध को देश-विदेश में पुनः सुधारने व अच्छा करने का ऐसा पुल बांध रही हैं जिससे सम्पूर्ण मानवता आसानी से पार हो सके और किसी भी प्रकार की खून खराबी नहीं हो।

हाल ही में दिल्ली में हुए निर्गुट सम्मेलन की प्रशंसा करती हुई मैं यह कहना चाहूंगी कि हमारी सरकार का प्रयास मार्शल टीटो, नासिर तथा पं० जवाहर लाल नेहरू द्वारा आरोपित बीज को बढ़ाने में पानी और उर्वरक का काम करेगा और ऐसा ही प्रयास शीघ्र ही इसे एक फलदायक वृक्ष बनाने में नहीं चूकेगा जो सारी मानवता के लिए वरदान होगा।

इसके सम्बन्ध में मैं यह भी कहना चाहूंगी कि भारत की भूमिका प्रधानमन्त्री के नेतृत्व में इस ओर सराहनीय है। आज हमारे सम्बन्ध अपने पड़ोसियों से मधुर ही नहीं, वरन और ज्यादा गहरे हो रहे हैं और अन्य पड़ोसी देश भी हमारी तरफ हाथ फैलाए हुए हैं जिसके लिए हमें अपने देश का हित देखते हुए अवसर का लाभ लेना ही चाहिए।

यह भारत देश सदैव से अहिंसा का पुजारी रहा है और यहीं से ही विश्व के अन्य देशों के लोग अपने-अपने विषयों को सीखे हैं। तो हमें अपनी उस गुरूता को किसी भी कीमत पर कम नहीं करना है, जिसकी पूर्ति में आज इस सरकार का महान हाथ है, उदाहरणार्थ ईराक-ईरान समस्या, कम्पूचिया की मान्यता दक्षिणी अफ्रीका की समस्या तथा अफगान समस्या को सुलझाने का सतत प्रयास हमारी ओर से जारी है।

मैं मन्त्री महोदय से यह भी कहना चाहूंगी कि विश्व की बढ़ती हुई इस अराजकता में जहां चीन, अमेरिका, पाकिस्तान अपनी रक्षा पर अधिक से अधिक खर्च कर रहे हैं तो हमारी सरकार को भी चाहिए कि इस ओर अधिक ध्यान दें ताकि अवसर आने पर मुंह तोड़ जवाब देने में हम भी न चूकें।

पाकिस्तान की न्यूक्लियर अस्त्र-शस्त्रों की ओर बढ़ती हुई प्रवृत्ति को हमें आपसी मधुर सम्बन्ध से रोकने का प्रयास करना चाहिए और चीन तथा अमेरिका द्वारा इस क्षेत्र में दी जाने वाली मदद की हानि को अवगत कराते हुए उसे सद्व्यवहार की ओर प्रेरित करना चाहिए ताकि मानवता तथा मानव मूल्यों का हनन होने से बचाया जा सके। सदैव से भारत ने शांति का तथा मानवता पाठ पढ़ाया है तो आज भी आवश्यकता इसी बात की

है। जितने भी पड़ोसी देश हैं उनसे जो मधुर सम्बन्ध हैं उन्हें मधुरतम बनाया जाए और चीन तथा पाकिस्तान से सुधरते हुए सम्बन्ध की गाड़ी को और अधिक तीव्रता दी जाए। आश्यकता आज इस बात की है कि पाकिस्तान को शिमला समझौता मानने के लिए मधुर वार्तालापों से समझाया जाए और यदि वह अपने नापाक इरादे को सुधारना नहीं चाहता तो "शठे शाठ्यम समाचरेत्" के सिद्धान्त से हमें मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी कटिबद्ध व तत्पर रहना चाहिए। हमें अपने पड़ोसियों के साथ सम्बन्ध अच्छे रखने है किन्तु अपनी इज्जत और मर्यादा को बरकरार रखते हुए। ऐसी दशा में यदि कोई गलत निगाह उठाना चाहे तो हमें मूकदर्शक न बनकर उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ना है...क्योंकि "अति हूं सिधाई में बड़ दोषू।"

अतः सरकार की दूरदर्शिता तथा पड़ोसियों के मधुर सम्बन्ध रखने की प्रशंसा करते हुए मैं कहना चाहूंगी कि भारत की मर्यादा की सभी प्रकार से प्रशंसा होनी चाहिए तथा विश्व बन्धुत्व की भावना लोगों में जाग्रत करने में हमारा पूर्ण योगदान होना चाहिए। आपसी मामलों को झगड़े से नहीं, प्रेम से सुलझाने का प्रयास नितान्त आवश्यक है ताकि विश्व कल्याण के मूल मन्त्र के शंख की ध्वनि गूज उठे और यह सम्पूर्ण मानवता पथ-भ्रष्ट होने से बच जाए।

श्री दौलतसिंह जी जादेजा (जामनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विदेश मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थम करने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, मैं प्रतिवेदन के अध्याय सात तक ही अपने विचारों को सीमित रखूंगा और वह भी उसके एक भाग तक ही। यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई है कि गत वर्ष भारत ने लातीनी अमरीका की ओर अधिक ध्यान दिया है। सांस्कृतिक और व्यापारिक बातचीतों में वृद्धि हुई है और इस बात से खुशी वाले इस रुख का पता चलता है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात, प्रथम बार, गणतन्त्र दिवस पर हमारे मुख्य अतिथि लातीनी अमरीका के एक देश के राज्याध्यक्ष थे।

महोदय, श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में लातीनी अमरीका के साथ हमारे सम्बन्धों में वृद्धि होती रही है और मुझे मालूम है कि हमारी इस रुचि की सराहना की जा रही है और उसका प्रत्युत्तर भी मिलेगा। लातीनी अमरीका के साथ और गहरे सम्बन्धों में सम्भवतः अवरोध पैदा करने वाला एक कारण यह है कि विदेश मन्त्रालय पर वित्तीय रोक लगी हुई है। मेरे एक साथी ने कल इसके बारे में उल्लेख किया था, परन्तु उदाहरण स्वरूप मैं सदन का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि ब्रिटेन अपने संगठन पर लगभग 400 करोड़ रुपए व्यय करता है और जापान 1021 करोड़ रुपए व्यय करता है। मलेशिया जैसा छोटा देश भी 57.5 करोड़ रुपए व्यय करता है जबकि हम अपने विदेश मन्त्रालय के प्रशासन के लिए केवल 54 करोड़ रुपए ही व्यय करते हैं। मैं केवल यही आशा कर सकता हूं कि एक अच्छा कदम उठाया जाएगा और इस काम के लिए और अधिक धन आवंटित किया जाएगा।

महोदय, श्रीमती गांधी ने 1968 में ही लातीनी अमरीका के अपने दौरे के वाद कहा था कि भारत में एक लातीनी अमरीकी अध्ययन केन्द्र की स्थापना करना अनिवार्य है, जिससे कि हमारे लोगों को लातीनी अमरीका के देशों के मामलों में रुचि लेने की प्रेरणा मिले।

इससे भी पहले पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि यद्यपि भौगोलिक दृष्टि से भारत और दक्षिणी अमरीका एक दूसरे से बहुत दूर हैं, मन के भूगोल में हम एक-दूसरे के निकट हैं।

अतः यह बड़े दुःख की बात है कि हमारे दो प्रिय नेताओं की दूरदर्शितापूर्ण आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त कार्यवाही नहीं की गई है। लातीनी अमरीका अध्ययन केन्द्र खोलने की आवश्यकता के बारे में श्रीमती इन्दिरा गाँधी की इच्छा और सूझबूझ के बावजूद, आज तक इस देश के एक भी विश्व-विद्यालय को एक दूसरे देश को समझने के इस महत्वपूर्ण उपाय को लागू करने के लिए निदेश नहीं दिए गए हैं। सरकार से या विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग से किसी प्रकार की सहायता के बिना भी, यह बड़ी ही खुशी की बात है कि बुद्धिजीवी समाज अपना लघु एवं महत्वपूर्ण योगदान इस दिशा में देता रहा है।

ऐसा एक ठोस प्रयास जवाहरलाल नेहरू विश्व-विद्यालय के अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन विद्यालय के डा० नारायणन कर रहे हैं। अपने साथियों के सहयोग से उन्होंने लातीनी अमरीका के साथ शैक्षिक हितों को वढ़ावा देने के लिए एक कक्ष स्थापित कर रखा है।

इस प्रकार के प्रयासों की तुलना में, सरकार को यह मालूम होना चाहिए कि प्रत्येक लातीनी अमरीकी देश में कम से कम एक विश्वविद्यालय ऐसा है, जिसमें पूर्ण भारतीय अध्ययन विभाग कार्य कर रहा है। यह भी हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमने ऐसे विश्वविद्यालयों के साथ सम्पर्क बढ़ाने की दिशा में कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई है या उनको अपने प्रयासों को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया है। इससे लातीनी अमरीका में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा भारत के साथ सम्बन्ध बढ़ाने के लिए किए जा रहे अच्छे कार्य तत्काल मेरे मस्तिष्क में कौंध जाते हैं। मैं कुछ नाम बताता हूं और आशा करता हूं कि सरकार सम्बन्धित दूतावासों को उनकी ओर ध्यान देने तथा हमारे संगठनों द्वारा उनका अधिक सहयोग प्राप्त करने और उन्हें भारत में आमन्त्रित करने के लिए भी निदेश देगी। वे हैं :

कोस्टा राइसा की मादाम हिल्दा चेन अपूयी वेन्जुएला के सीनियर विक्टर बेन टाटा मैक्सिको के सीनियर विक्टर उरीक्यूदी अर्जेन्टीना की मादाम रीन क्यूरा पीरू की मादाम अनीता फर्नान्डिनी डी-नारान्जो उनके द्वारा हमारे प्रति, हमारे देश के प्रति, हमारे नेताओं के प्रति दिखाई गई रुचि वास्तव में बहुत ही उत्साहवर्धक है।

उपाध्यक्ष महोदय : यहां नामों का उल्लेख करने के लिए क्या आपने आवश्यक अनुमति प्राप्त की है।

श्री दौलत सिंह जी जादेजा : मुझे खेद है, मैं अनुमति लूंगा। यदि सरकार ऐसे उत्साही व्यक्तियों को मान्यता प्रदान करती है, तो यह भारत और लातीनी अमरीका के बीच बड़े वैयक्तिक सम्पर्क बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी।

महोदय, मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि लातीनी अमरीका ही संसार का एकमात्र ऐसा भाग है जिसे भारत के विरुद्ध कोई ऐतिहासिक, राजनैतिक, धार्मिक या जातिगत पूर्वाग्रह नहीं हैं। यह भारत के लिए उत्कृष्ट संभावनाओं से परिपूर्ण क्षेत्र है।

लातीनी अमरीका एक बड़ा दल है जो गुट निरपेक्ष आंदोलन का समर्थन करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में इसके 24 वोटो की महत्ता बढ़ गई है क्योंकि वे स्वयं को तीसरे विश्व के साथ दृढ़ता पूर्वक सम्बद्ध करने को तत्पर हैं। इस कारण यह आश्चर्य जनक बात है कि सरकार लातीनी अमरीका के ऐसे लाभदायक पहलू की उपेक्षा क्यों करती है। और भी प्राय: देखा गया है कि लातीनी अमरीका के साथ बेहतर संपर्क बढ़ाने की विद्यमान संभावनाओं को छोड कर कम महत्वपूर्ण देशों पर अधिक समय खर्च किया जा रहा है। इस संदर्भ में तेल के सम्भरण और नियन्त्रण के सम्बन्ध में सरकार मेक्सिको और वेन्जुएला के बढ़ते हुए महत्व से भलिभांति अवगत है।

प्रतीकात्मक धरातल पर भी भारत ने लातीनी अमरीका में हो रही समसामयिक घटनाओं को पर्याप्त महत्व नहीं दिया है। इस वर्ष, पूरे लातीनी अमरीका और विश्व भर में साइमन बोलीवर के अर्धशताब्दि समारोह मनाए जा रहे हैं। बोलीवर उनके उतने ही श्रद्धेय नेता हैं जितने महात्मा गांधी हमारे हैं। फिर भी उनकी स्मृति में हमने अभी तक कोई डाक टिकट जारी नहीं किया है। भारतीय पर्यटक लातीनी अमरीका में विभिन्न स्थानों और गलियों, सड़कों के नाम भारतीय नेताओं के नाम पर देख कर प्राय: आश्चर्य चकित होते हैं। इन सुन्दर कार्यों का हमारी ओर से कोई अनुगमन नहीं हुआ है। अब समय है कि हम इन छोटी-छोटी मनभावनी बातों के विषय में विचार करें।

मुझे विश्वास है कि सरकार को एन्डियन देश के समूह अगले कुछ वर्षों में विकास की एक संयुक्त योजना एर 400 करोड़ डालर खर्च करने की योजनाओं की जानकारी है।

इस संदर्भ में, कोरिया, जापान, चीन तथा कुछ एशियाई और अफरीकी देशों ने पहले ही अपने उत्साहपूर्ण सहयोग की पेशकश की है। यह आश्चर्य की बात है कि भारत तथा हमारे विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी एककों द्वारा इन योजनाओं में सहयोग करने की सम्भावनाओं का पता लगाने में रुचि क्यों नहीं दिखाई है।

यह सोचना गलत होगा कि हमें लातीनी अमरीकी देशों के साथ सम्बन्ध बढ़ने का समय मिलने तक वे देश हमारी प्रतीक्ष कर सकते हैं। शून्यताएं कभी अकेली नहीं छोड़ी

जातीं, इसका एक अच्छा उदाहरण कनाडा का है, जो पिछले दशक में विभिन्न लातीनी अमरीकी देशों के प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में उभर कर सामने आया है जब कनाडा लातीनी अमरीका की ओर ध्यान देने हेतु अपने ऐतिहासिक और आर्थिक सम्बन्धों को तोड़ सकता है, तो इस उदाहरण का अनुसरण करने में भारत को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। दूरी, भाषा आदि के बहाने बनाना कदापि वास्तविक बाधाएं नहीं हैं।

लातीनी अमरीका की ओर ध्यान देने के लिए वर्तमान समय हमारे लिए सर्वोत्तम है। ऐसे प्रयास अन्यत्र किए गए प्रयासों अपेक्षा की अधिक लाभप्रद होंगे। लातीनी अमरीका अभी भी विकासोन्मुख विश्व का एक भाग है। उसके साथ सम्बन्ध होने की बहुत गुंजाइश है और व्यापारिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध लम्बे समय तक कायम रहते हैं। असबद्ध तरीके से कुछ व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल और सांस्कृतिक दल भेज देना पर्याप्त नहीं है। विशिष्ट लक्ष्यों तथा ऐसे प्रयासों के पर्यवेक्षण सहित एक संगठित प्रयास होना चाहिए ताकि और समय व्यर्थ न होने पाये।

सरकार को ऐसे कदम उठाने में पहल करनी चाहिए जो व्यक्तियों और उद्योग के लिए लातीनी अमरीका और उसकी सम्भावनाओं की खोज करने के लिए लाभप्रद सिद्ध हो सके। इस उद्देश्य के लिए प्रोत्साहन भी दिए जाने चाहिए। इस काम के लिए विभिन्न सम्बन्धित आर्थिक मंत्रालयों को अपने प्रयासों को समन्वित करना चाहिएं। यदि हम आज लातीनी अमरीकी देशों को समझने और उनके प्रति अपनी रुचि दर्शाने में विफल रहे तो मैं चेतावनी देता हुं कि कल को बहुत देर हो चुकी होगी।

श्री ए० नीलालोहिथा दसन नाडार (त्रिवेन्द्रम): महोदय जैसाकि हम सब जानते हैं कि विदेश नीति को हमारे महान स्वतन्त्रता संग्राम के दिनों में बनाया संवारा और तैयार किया गया था। उस समय केवल हमारे अपने लोगों की स्वतन्त्रता ने लिए ही नहीं बल्कि सारे संसार के लोगों को स्वतन्त्रता को हम प्यार करते थे। अतः अफरीका और लातीनी अमरीका में आरम्भ हुए स्वतन्त्रता आन्दोलनों के प्रति हमने अपनी सहानुभूति और समर्थन प्रकट किया था। उसका अर्थ यह है कि साम्राज्यवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी संघर्ष के हम भी साझेदार थे।

प्रश्न यह है कि क्या अब विश्व साम्राज्यवाद के भय से मुक्त है। जब हम साम्राज्यवाद से मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रहे थे तो साम्राज्वाद विश्व पर अधिकार जमाने का प्रयत्न कर रहा था। आज भी साम्राज्यवाद न किसी तरीके से संसार पर अधिकार जमाने की योजना बना रहा है। क्या हम पहले की तरह ही साम्राज्यवाद के विरूद्ध संघर्ष कर रहे हैं ? इस पृष्ठ भूमि में हमें संसार के प्रश्नों और हमारे इर्द-गिर्द के प्रश्नों को देखना चाहिए, चाहे वह प्रश्न दियागो गार्सिया का हो, चाहे अमरीका द्वारा पाकिस्तान को शस्त्रास्त्र सप्लाई करने का हो या अमरीका और चीन द्वारा भारतीय उप-महाद्वीप में प्रवेश करने का प्रश्न हो। कई माननीय सदस्यों ने पहले ही दियागो गार्सिया

के प्रश्न का विस्तारपूर्वक उल्लेख किया है। मैं इसमें विस्तार से नहीं जाना चाहता। परन्तु मैं एक बात के प्रति अधिक उत्सुक हूं। दियागो गार्सिया द्वीप केरल के बहुत समीप है और अमरीकी युद्धपोत, नौसैनिक पोत तथा सैनिक विमान अतिशीघ्र दियागो गार्सिया से केरल में पहुंच सकते हैं। प्रश्न यह है कि क्या हम अमरीकी साम्राज्यवादी शक्तियों जो विश्व के अधिकांश भागों को घेर रहे हैं चाहे वह उत्तर से हो या दक्षिण से, के विरुद्ध या अपना संघर्ष करने के लिए अपने प्रयासों के प्रति ईमानदार हैं ?

परन्तु मैं खेद सहित कहता हूं कि अब हम, विशेषकर भारत सरकार और केन्द्र में तथा अधिकांश राज्यों में सत्तारूढ़ दल भारत में ही साम्राज्यवाद विरोधी शक्तियों को विभाजित करने का प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में भारत सरकार तथा सत्तारूढ़ दल द्वारा भारत-रूस मैत्री संगठनों और भारत, जी० डी० आर० मैत्री संगठनों में फूट डालने के लिए किए गए निर्णय से, मुझे नहीं पता यह निर्णय सरकारी है या गैर-सरकारी साम्राज्यवादी शक्तियों को ही सहायता मिलेगी। भारत सरकार अब बहुराष्ट्रिकों का भारतीय भूमि पर सभी प्रोत्साहनों सहित स्वागत कर रही है। ये बहुराष्ट्रिक कौन लोग हैं ? ये बहुराष्ट्रिक विश्व साम्राज्यवाद का एक अंग हैं। विश्व साम्राज्यवाद क्या हैं और पूंजीवादी शक्तियाँ क्या हैं ? विश्व की पूंजींवादी शक्तियाँ ही विश्व साम्राज्यवाद का भाग हैं। आज, भारत सरकार और सत्तारूढ़ दल साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष को चलाने में अपने प्रयासों के प्रति ईमानदार नहीं हैं। अपनी अर्थ व्यवस्था को विदेशी निर्भरता से मुक्त कराए बिना हम स्वतन्त्र विदेशी नीति का पालन नहीं कर सकते। 1947 में, संविधान सभा में बोलते समय भारतीय विदेशी नीति के प्रमुख रचनाकार पंडित जवाहर लाल नेहरू ने स्पष्ट रूप से कहा था :

> "आखिरकार विदेश नीति आर्थिक नीति का ही परिणाम है और जब तक भारत अपनी आर्थिक नीति को उचित ढंग से विकसित नहीं कर लेता है तब तक उसकी विदेशी नीति अनिश्चित, अपक्व रहेगी तथा भटकाव पूर्ण होगी।"

पुन: 1957 में लोक सभा में विदेशी मामलों पर चर्चा का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा था :

> "विश्व के मामलों में हम जो भी भूमिका निभाना चाहते है, वह हमारे देश की आंतरिक शक्ति, एकता तथा स्थिति पर निर्भर है। हमारे विचार कुछ समय के लिए दूसरों पर कुछ प्रभाव डाल सकते हैं परन्तु वे हमारी बात पर, हमारे पास उपलब्ध शक्ति के अनुपात में ही जिसे वे जानते हैं, महत्व देंगे। अत: हमारी बुनियाद आवश्यकताओं की दृष्टि से तथा विश्व के मामलों में कोई भूमिका निभाने की हमारी इच्छा की दृष्टि से हमें सर्वप्रथम अपने देश के मामलों की ओर ध्यान देना होगा।"

क्या मैं स्पष्ट रुप से पूछ सकता हूं कि क्या भारत सरकार, प्रधान मंत्री, श्री मति

इंदिरा गाँधी या केन्द्र और अधिकांश राज्यों में उनका दल आज देश के सामने उपस्थित समस्याओं को सुलझाने के अपने प्रयासों के प्रति ईमानदार हैं ? क्या वे देश की एकता कायम रखने के अपने प्रयासों के प्रति ईमानदार हैं ? वे ईमानदार नही हैं । मैं खेद सहित कहता हूं कि अधिकांश राज्यों में उनके मुख्यमंत्री प्रांतीयता की भावना को बढ़ावा दे रहे हैं ? कर्नाटक के मुख्य मंत्री श्री गुन्डु राव बंगलौर में तमिलों तथा मलयालियो के विरुद्ध आन्दोलन को बढ़ावा दे रहे हैं और महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री श्री अन्तुले शिव सेना का समथन कर रहे हैं तथा शिव सेना को सहारा दे रहे हैं जो कि बम्बई के दक्षिण भारतीयों पर हमला कर रहे हैं । सत्तारुढ़ दल, और प्रधान मंत्री तथा भारत सरकार किस प्रकार देश की एकता को कायम रख सकते हैं और विश्व के सामने सशक्त भारत का चित्र प्रस्तुत कर सकते हैं । यही प्रश्न है 1966 और उसके बाद से प्रधान मन्त्री के रुप में श्री मति गाँधी के साथ हमारा अनुभव रहा है······

उपाध्यक्ष महोदय : अभी आपने प्रान्तीयता की निन्दा की है, परन्तु आप बहुत डरे हुए हैं क्योंकि दियागो गार्सिया विशेष रुप से केरल के बहुत समीप है ।

श्री ए० निलालोहिथा दसन नाडार : महोदय, वह किसी भी विचारधारा के प्रति वचनवद्ध नहीं हैं, वह उन व्यक्तियों के प्रति भी वचनबद्ध नहीं हैं जिन्होने सदा उनका साथ दिया है । यह उनका चरित्र और इतिहास है । ऐसा नेता कैसे इस देश के हितों को बढ़ावा दे सकता है और पंडित जवाहर लाल नेहरु, श्री कृष्ण मेमन तथा अन्यों के समान देश को नेतृत्व प्रदान कर सकता है ?

मैं अपना भाषण आगे नहीं बढ़ाना चाहता । आज, स्पष्टता का अभाव है, विचार धारा के प्रति वचनवद्धता के अभाव है और साहस तथा क्षमता का अभाव है । आज हमारे नेता अमरीका के विरुद्ध विश्व मत को तैयार करने में असमर्थ है, चाहे वह दियागो गार्सिया का प्रश्न हो, चाहे वह पाकिस्तान को शास्त्रास्त्र देने का प्रश्न हो, चाहे भारतीय उप-महाद्वीप में अमरीकी-चीन गठबन्धन का प्रश्न हो, क्योंकि हमारी नैतिक कमजोरी है, अपनी आंतरिक कमजोरी है, हम इस प्रश्न पर विचार करने तथा विश्व मत को तैयार करने में असमर्थ हैं ।

महोदय, पंडित नेहरू ने सदैव ही बड़ी शक्तियों की गुटबाजी पर आधारित यूरोपीय दृष्टिकोण की अपेक्षा एशियाई दृष्टिकोण को विश्व समस्याओं के समाधान में महत्व दिया । पर क्या आज हम उस एशियाई दृष्टिकोण का अनुसरण कर रहे हैं ? दो गुट निरपेक्ष देश आपस में लड़ रहे हैं । भारत सरकार इन दो देशों में समझौता नहीं करा पाई है । विदेश मंत्रालय के वर्ष 1980-81 की रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है :

> "संघर्ष को समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ, इस्लामिक सम्मेलन, पी० एल० ओ० के चैयरमैन की यस्सर अराफत तथा गुटनिरपेक्ष देशों के एक ग्रुप द्वारा, जिसके साथ भारत भी सहयोगित था, प्रयास किए गए । पर उनको अपने प्रयासों

में सफलता नहीं मिली क्योंकि ईराक और ईरान दोनों अपनी-अपनी बात पर अड़े रहे।"

अतः आप भारत की दुर्दशा का अनुमान लगा सकते हैं। पंडित नेहरू के जमाने में हमने जो पहल की थी वह समाप्त हो गई है। मुझे यह कहते दुःख होता है कि हाल ही में दिल्ली में हुए गुटनिरपेक्ष देशों के विदेशी मंत्रियों का सम्मेलन असफल रहा क्योंकि भारत डियगो गार्सिया, अमरीका द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई जैसे मसले सफलतापूर्वक नहीं उठा सका। सारे विश्व को और विश्व शान्ति को तथा भारत को साम्राज्यवाद से जो खतरा है उसे भी भारत इस सम्मेलन में सफलतापूर्वक नहीं उठा पाया। इस ओर तथा उस ओर बैठे मेरे मित्र कह रहे थे कि यह सम्मेलन सफल रहा है क्योंकि हम गुट-निरपेक्ष देशों की एकता को कायम रख सके हैं। पर क्या मैं पूछ सकता हूं कि इस एकता का क्या प्रयोजन है ? इन देशों की एकता साम्राज्यवादी ताकतों से लड़ने के लिए जरूरी है। पर खेद है कि साम्राज्यवादी ताकतों के कुछ ऐजेंट इस गुट-निरपेक्ष आंदोलन में शामिल हो गए हैं।

मैं पंडित नेहरू के शब्दों को पुनः उद्धृत कर अपना भाषण समाप्त करता हूं। जो भारत को विदेश नीति और आधुनिक भारत के निर्माता थे। 15 अगस्त, 1947 को जब हम आजाद हुए थे, प्रेस को संदेश देते हुए पंडित जी ने कहा था :

"इस पावन अवसर पर जब कि भारत के लोगों ने संघर्ष और बलिदान दे कर आजादी हासिल की है मैं भारत की संविधान सभा को स्मरण करता हूं और स्वयं को विनम्रता से भारत की सेवा में अर्पित करता हूं।"

उन्होंने आगे कहा :

"हम भारतीयों के लिए समस्त एशिया और सारे विश्व के लिए यह एक महत्वपूर्ण क्षण है। एक नया तारा चमका है, पूर्व में आजादी का तारा उदित हुआ है। आपके लिए एक नई आशा पैदा हुई है। एक लम्बे अर्स से संजोए अरमान आज पूरे हुए हैं। भगवान करे यह तारा कभी अस्त न हो और जो आशा जागी है वह पूरी हो।"

उस आशा के साथ कभी विश्वासघात नहीं होना चाहिए। आजादी के पहले दिन ही 1947 में पंडित जी ने यह इच्छा व्यक्त की थी। पर खेद है कि पंडित जी की आशाओं के साथ उनकी अपनी प्यारी बेटी श्रीमती गाँधी ने विश्वासघात किया है।

मैं इन अनुदानों की मांगों का समर्थन नहीं कर सकता जो विश्वासघात से उद्भूत हुई हैं। अतः मैं इन अनुदानों का विरोध करता हूं।

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) : महोदय, एक व्यक्तिगत स्पष्टीकरण का मुद्दा। श्री नादार ने देश में और देश के बाहर साम्राज्यवाद विरोधी ताकतों को विभाजित

करने के भारत सरकार और सत्ताधारी दल के प्रयासों का जिक्र किया है और परिणाम-स्वरूप आई० एस० सी० यू० एस० तथा अन्य संगठनों का उल्लेख किया है। मेरा सम्बन्ध फ्रेंडशिप सोसाइटी, फ्रेंड्स आफ सोवियत यूनियन से है और एक संगठनकर्त्ता की हैसियत से मैं जानता हूं कि ये आरोप बिल्कुल झूठे हैं और थोड़े हैं। फ्रेंड्स आफ सोवियत यूनियन पूर्वतन संसद सदस्यों एवं भूतपूर्व संसद सदस्यों द्वारा गठित की गई है। मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि इसका गठन प्रतिक्रियावादी ताकतों को देखते हुए किया गया है।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : यह क्या है, महोदय ? यह कैसा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण है ?

श्री नवल किशोर शर्मा : अतः यह आरोप पूर्णतः असत्य, घृणित एवं पूर्व-प्रेरित है।

श्री मनीराम बागड़ी : आपने इन्हें अनुमति क्यों दी।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने अनुमति दी है। आप मुझसे नहीं पूछ सकते।

श्री मनीराम बागड़ी : आप भी नियमों से ऊपर नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री अजित सिंह दाभी बोलेंगे।

श्री अजित सिंह दाभी (कैरा) : पड़ोसियों के साथ दोस्ती बढ़ाना और दोस्ती बनाए रखना भारत की विदेश नीति का एक स्थायी आधार है। पर पाकिस्तान को जिसका जन्म उसी माता यानी भारत माता की कोख से हुआ है काबू में करना मुश्किल हो रहा है। वह हमारी विदेशी नीति में कठिनाई पैदा कर रहा है, यद्यपि भारत हमेशा शान्ति और तनावशैथिल्य की नीति अपनाता रहा है।

जब श्री भुट्टो ने पाकिस्तान में लोकतंत्र पुनः कायम किया तो तनाव में कमी के आसार नजर आने लगे थे। पर जिया-उल-हक की सरकार ने इन सम्भावनाओं को पीछे धकेल दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को कायम रखना वर्तमान सैनिक शासकों के, जिनके अध्यक्ष जनरल जिया-उल-हक हैं, हित में है क्योंकि तभी वह पाकिस्तान की लोकतांत्रिक राजनीति को नियंत्रित कर सकते हैं और उस देश के वित्तीय संसाधनों के एक बहुत बड़े भाग को रक्षा और रक्षाजनित मामलों पर लगाने का औचित्य सिद्ध कर सकते हैं। आज वहां के सैनिक शासकों की राजनीतिक श्रेष्ठता काफी हद तक भारत के साथ अधिकाधिक तनाव बनाए रखने पर निर्भर है। यही कारण है कि वहाँ यह झूठा प्रचार किया जाता है कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला करने के उद्देश्य से अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा ली है।

जनरल जिया मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष हैं। ताइफ में हुए इस्लामिक सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया : और अन्य मुसलमान राष्ट्रों के अध्यक्षों के साथ उन्होंने भी यरुसलम को आजाद कराने की प्रतिज्ञा की है। इसीलिए अब उनका हौसला बढ़ गया

है और वह कश्मीर प्रश्न को यरुसलम के प्रश्न की कक्षा में रखना चाहते हैं। इसीलिए श्री जिया ने हाल में इस आशय*****का बयान दिया है। उन्होंने यह झूठा बयान दिया कि भारत की 80 प्रतिशत सेना पाकिस्तान सीमा पर है। भारत को इस भेड़िया आया की चिल्लाहट के प्रति सावधान रहना चाहिए।

भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री अटल बिहारी वाजपेयी यह अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान ने पहले दो बार भारत पर हमला किया है। जब हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में 1971 में भारत ने पाकिस्तान को परा जेत कर दिया था तब उन्होंने श्रीमती गांधी की तुलना दुर्गा से की थी। पर वही वाजपेयी आज पाकिस्तान के मित्र की भूमिका अदा कर रहे हैं। अब वही श्रीमती गांधी स इस बात का प्रमाण चाहते हैं कि भारत को वस्तुतः बाहरी खतरा है। समाचार पत्रों जिनमें अमरीकी अखबार भी हैं छपी इन खबरों को देखते हुए कि पाकिस्तान अमरीकी मदद से भारी मात्रा में हथियार इकट्ठे कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी का पाकिस्तान समर्थक दृष्टिकोण मात्र पाखण्ड प्रतीत होता है।

यह कहा गया है कि हमारी विदेश नीति का रूस की ओर झुकाव है। यह आलोचना सही नहीं है। हमें याद रखना चाहिए कि गुटनिरपेक्षता केवल तटस्थता मात्र नहीं है, गुटनिरपेक्ष का अभिप्राय स्वतंत्र चिंतन और धर्म है। रूस हमारा महान मित्र है और 1971 के बंगला देश युद्ध के दौरान उसने अपनी दोस्ती का प्रमाण दिया था पर फिर भी हमारी माननीय प्रधान मंत्री श्रीमती गांधी ने श्री ब्रेझनेव के एशियाई सामूहिक सुरक्षा सिद्धान्त का समर्थन करने से इनकार कर दिया है और साम्यवादी चीन के साथ राजदूतों का आदान-प्रदान किया है।

अफगानिस्तान की हाल की घटना को ही लें। जब रूसी सेना ने अफगानिस्तान में प्रवेश किया तो हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने निडर हो कर और दृढ़ता से कहा कि भारत किसी भी देश में विदेशी सेना की मौजूदगी के खिलाफ है। राष्ट्रपति ब्रेजनेव की हाल की भारत यात्रा के दौरान भी भारत अपने सिद्धान्तों पर अडिग रहा। गुटनिरपेक्षता की शक्ति ऐसे स्वतंत्र चिंतन और धर्म में निहित है जिसमें राष्ट्र के आत्म-सम्मान और प्रभुसत्ता का बलिदान न हो।

इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अपने आप को महात्मा गाँधी का शिष्य कहने वाले भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई का रूस के साथ हमारी शान्ति, मैत्री और सहयोग संधि को राष्ट्रपति श्री ब्रेझनेव की भारत यात्रा के दौरान यह कह कर समाप्त करवाने का घृणित प्रयास विफल रहा कि रूस ने उन्हें पाकिस्तान पर हमला करने के लिए उकसाया था।

***अध्यक्षपीठ* के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

गुटनिरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों का हाल ही में दिल्ली में जो सम्मेलन हुआ, जिसमें भारत ने मेजबान की भूमिका अदा की, उससे विश्व के राष्ट्रों में भारत की प्रतिष्ठा और प्रभुत्व बढ़ा है । हमारे विदेश मंत्री, श्री नरसिंह राव हार्दिक बधाई के पात्र हैं क्योंकि वह इस सम्मेलन को सफल बना पाए हैं । अमरीकी-समर्थक, रूस-समर्थक तथा इस्लाम-समर्थक भिन्न-भिन्न देशों के बीच श्री नरसिंह राव ने बड़ी चतुरता से गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का संचालन किया है और इसका सोवियत और गैर-सोवियत गुटों में ध्रुवीकरण होने से बचाया । उनके चतुराई से काम करने के कारण भारत गुट-निरपेक्ष आन्दोलन को ऐसे समय सक्रिय बना पाया । जब स्वयं इसकी विद्यमानता पर सन्देह हो रहा था । हमारे विदेश मंत्री, श्री नरसिंह राव ने पश्चिम एशिया में ईरान और ईराक में तनाव दूर करने में सराहनीय भूमिका निभायी है ।

साथ ही यरुशलम के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव संख्या 242 के क्रियान्वयन के भारत के प्रयत्नों की अरब देशों में सराहना की जा रही है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप विस्तार में जा रहे हैं । आपके दल के अन्य सदस्यों को भी बोलना है । मंत्री महोदय को 2.30 बजे उत्तर देना है ।

श्री अजीत सिंह दाभी : भारत किसी भी प्रकार के उपनिवेशवाद का विरोधी है चाहे यह अमेरिका, रूस या चीन का हो । किन्तु अफ्रीका में नामिबिया की आजादी के प्रश्न की ओर हमारा ध्यान विशेष रूप से जाना चाहिए । इसका कारण यह नहीं है कि भारत के सभी राजनीतिक दल नामिबिया का समर्थन कर रहे हैं, किन्तु इस कारण कि इसमें जातीय भेदभाव-रंगभेद के महत्वपूर्ण प्रश्न सम्बद्ध हैं जो मानवता के विरुद्ध एक पाप है । नामिबिया पर अपने अवैध कब्जे को बनाए रखने के लिए दक्षिण अफ्रीका की जातिभेद सरकार मोजाम्बीक और अंगोला के काले आदमियों पर अत्याचार कर रही है जो कि नामिबिया के काले लोगों का उनके स्वतंत्रता के संघर्ष में समर्थन कर रहे हैं ।

पंडित जवाहर लाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधान मंत्री, गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के प्रणेताओं में से थे । जैसा कि मैंने कहा है गुटनिरपेक्ष का अर्थ विचारों तथा काम करने की स्वतंत्रता है चाहे इसका अर्थ यह भी हो कि किसी देश विशेष को अकेले ही चलना पड़े । पंडित नेहरू ने गुट-निरपेक्षता के बारे में कहा था :

> "चाहे विश्व में इसका अनुसरण करने वाला एक भी देश न हो और चाहे हमें अकेले ही चलना पड़े फिर भी भारत इसका अनुसरण करेगा ।"

महान कवि टैगोर ने भी यही का था :

> जदि तोर डाक शुने केऊ ना आशे,
> तौबे एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो ।

एशियायी देशों की अप्रसन्नता के बावजूद भारत ने कम्पूचिया की हेंग समरिन

सरकार को मान्यता दी है । किन्तु खमेर रंग को चीन के समर्थन के कारण भारत कुछ हद तक एशियायी देशों से अलग पड़ गया गया । किन्तु भारत को अभी भी आशा है कि किसी दिन एशियायी देश भारत के दृष्टिकोण को समझने लगेंगे । पांच एशियायी देश चीन से मिले हैं और कम्पूचिया सरकार को चीन से अपनी मान्यता समाप्त करने के लिए आग्रह करने का एक संयुक्त अभियान चला रहे हैं । अतः कम्पूचिया के बारे में भारत का दृष्टिकोण न्यायोचित रहा है । भारत में तथा विदेशों में जो यह प्रचार हो रहा है कि हमारी गुट-निरपेक्षता की विदेश नीति के कारण भारत अलग-अलग पड़ गया है उसका यही सही उत्तर है ।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्री अब्दुल समद (वेल्लोर) : महोदय, सर्वप्रथम मैं श्रीमती गांधी की सरकार को विदेशों में फिर से भारत की सही संदर्भ में प्रतिष्ठा बनाने के लिए बधाई देता हूं और विदेश मंत्रालय ने माननीय श्री नरसिंह राव के योग्य नेतृत्व में जो प्रशंसनीय कार्य किया है उसकी सराहना करता हूं । वास्तव में कुछ बातों में कुछ मतभेद हो सकता है, उदाहरण के लिए अफगानिस्तान अथवा कम्पूचिया की कठिन समस्याओं के समाधान करने के रवैये में मतभेद हो सकता है किन्तु एक बात माननी पड़ेगी कि भारत ने अपने देश की सर्वोत्तम परम्पराओं के अनुरूप विश्व शान्ति के समस्त हित में सभी प्रयत्न किए हैं । मुझे आशा है कि अफगानिस्तान से रूस की सेनाओं को निकट भविष्य में हटाए जाने में भारत की पहल और प्रयत्न सफल होंगे ।

154 स्वतंत्र प्रभुसत्ता सम्पन्न राष्ट्रों के समुदाय में 42 मुस्लिम देश हैं । विश्व के स्वतंत्र देशों में लगभग एक तिहाई इस्लामी देश हैं । जैसा कि हमारी माननीय प्रधान मत्री ने सही कहा है कि समस्त विश्व में भारत इण्डोनेशिया के बाद दूसरा देश है जहाँ सबसे अधिक मुसलमानों की आबादी है । अतः भारत का यह नैतिक दायित्व है वह भी मुसलमानों के मामले में रुचि ले ।

कतिपय लोगों द्वारा भारत के विरुद्ध प्रतिकूल प्रचार से हमें निरुत्साहित नहीं होना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय, भारत के 12 करोड़ मुसलमानों की सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों को महत्व दे कर तथा मुस्लिम देशों के मंच पर भारत के मुसलमानों के सच्चे प्रतिनिधियों की आवाज उठाने की सुविधा दे कर हम न केवल अपने दुश्मनों के झूठे प्रचार को समाप्त कर पाए हैं किन्तु विश्व के सामरिक महत्व के क्षेत्रों में स्थित इन देशों के साथ अच्छे तथा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध भी बना पाए हैं ।

हाल ही में जब मुझे खाड़ी के कुछ देशों में जाने का मौका दिया तो मैंने देखा कि हमारे महान देश के लिए वहाँ अत्यधिक सद्भावना और सम्मान है तथा श्रीमती गांधी के नेतृत्व की सराहना की जाती है । किन्तु, क्या हमने लोगों की वास्तविक भावना को सही

रूप में समझा है तथा उसके अनुरूप काम किया है, इस बात की शान्त दिमाग से जाँच की जानी है।

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश के दस लाख से अधिक नागरिक खाड़ी के देशों में रह रहे हैं और वहाँ वे न केवल अपनी रोजी ही कमा रहे हैं किन्तु वे प्रतिदिन लगभग 10 करोड़ की अपनी कमाई भी विदेशी मुद्रा के रूप में भारत भेज रहे हैं।

महोदय, इन विकासशील देशों में भारी क्षमता है और यहाँ तक कि सबसे अधिक विकसित देशों में भी इन देशों को अपना माल और जन शक्ति भेजने तथा उनकी पूंजी अपने यहाँ लगाए जाने के लिए परस्पर अवसर ढूढ़ रहे हैं। किन्तु, मैं कहना चाहता हूं कि इस दिशा में हमारे प्रयत्न बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं हैं।

इन विकासशील देशों की आदमियों, साज-सामान और मशीनों सभी की आवश्यकताओं की हम आसानी से पूर्ति कर सकते हैं। किन्तु इस सम्बन्ध में बहुत ही कम ध्यान दिया जा रहा है।

हमारे सदियों पुराने सम्बन्धों को दृढ़ बना कर, आपसी भ्रम को दूर कर, सहयोग का आश्वासन दे कर तथा मजबूत आधार पर दोस्ती बना कर हम अपने देश की निर्यात आय को आसानी से दुगुनी कर सकते हैं। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इन देशों तथा कथित 'नाना' देशों के साथ हमारे सम्बन्धों को नई दिशा दी जानी चाहिए।

यदि मुझे गलत न समझा जाए तो मैं इस बात की जोरदार सिफारिश करूंगा कि मुस्लिम देशों को हम मुसलमान राजदूत भेजें और यदि यह सम्भव न हो तो मुस्लिम देशों में हमारे मिशनों में दूसरा पदाधिकारी मुसलमान होना चाहिए।

विदेशों में हमारे मिशनों में हाल में की गई एक भारी गलती की ओर संकेत करते हुए मुझे खेद होता है। गत मास हैदराबाद में भारतीय जमाते इस्लामी का सम्मेलन हुआ। वे उसके लिए एक वर्ष से भी अधिक समय से तैयारी कर रहे थे। उन्होंने मुस्लिम देशों से कुछ धार्मिक नेताओं को आमंत्रित किया था। अन्तिम क्षणो में कुछ आदरणीय धार्मिक नेताओं तथा मंत्रियों को भारत आने तथा सम्मेलन में भाग लेने के लिए पार पत्र नहीं दिए गए।

महोदय मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मुझे जमाते-इस्लामी की पैरवी नहीं करनी है किन्तु क्या सरकार के लिए यह उचित है कि एक ओर वह उन्हें सम्मेलन करने की अनुमति दे और सम्मेलन की सफलता के लिए उन्हें सन्देश भेजे तथा दूसरी ओर विदेशी धार्मिक नेताओं को सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति न दें? इस सम्बन्ध में भी समान नीति नही अपनाई गई। ऐसा मालूम होता है कि अन्तिम क्षणों में साउदी अरब से कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति इस सम्मेलन में भाग ले सके तथा खाड़ी के देशों से भाग नहीं ले पाये। महोदय, अभी हाल के दौरे में मुझे मालूम हुआ कि विदेशों में हमारे मिशनों के गलत काम

के कारण हमें कितनी सद्भावना खोनी पड़ी है। जब वे लोग अपने स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से पूछते हैं कि जब उन्होंने 300000 से अधिक भारत के लोगों को अपने देश में रहने के लिए पार पत्र जारी किए हैं तो क्या यह भारत सरकार के लिए उचित है कि वह हमारे महान देश में तीन धार्मिक नेताओं को आने की अनुमति न दें ? महोदय, वास्तव में हमारे पास इसका कोई उत्तर नहीं है।

किन्तु यह प्रसन्नता की बात है कि हमारी प्रधान मंत्री शीघ्र ही कुवेत और युनाइटेड अरब अमीरात जाने वाली हैं। मैं अपने प्रधान मंत्री की यात्रा की सफलता की कामना करता हूं। यह समयोचित यात्रा है। मुझे आशा है और विश्वास है कि इस यात्रा से अरब देशों के साथ हमारी दोस्ती और सम्बन्ध मजबूत होंगे।

महोदय, अरब देशों के बारे में बहुत से महत्वपूर्ण तथ्य हैं। चूंकि समय नहीं है, मैं कुवेत, यूनाइटेड अरब अमीरात और कातर में केरल मुस्लिम सांस्कृतिक केन्द्र द्वारा केरल के राज्यपाल के माध्यम से जो ज्ञापन दिया गया है उस पर सरकार सहृदयता से विचार करे तथा शीघ्र क्रियान्वयन करे।

महोदय, अन्त में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। अरबी में प्रचार सामग्री की कमी है। मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए प्रतिवेदन में मैं देखता हूं कि अरबी में प्रचार सामग्री के वितरण के बारे में एक भी लाइन नहीं है।

हाल ही में दिल्ली में हिजरी संवत की 15वीं शताब्दी समारोह के दौरान हमारी प्रधान मंत्री ने भारत में इस्लाम के बारे में अपने भाषण में अच्छा प्रकाश डाला है। मुझे आश्चर्य है कि इस्लामी देशों में हमारे कितने मिशन इस भाषण के बारे में जानते हैं। मेरा विदेश मंत्री से निवेदन है कि वह इसका अरबी भाषा में अनुवाद करवायें और प्रधान मंत्री की इन देशों की यात्रा से पहले इसका समस्त अरब देशों में पर्याप्त प्रचार करें। मेरा मंत्री महोदय से यह भी निवेदन है कि वे शीघ्र ही अरबी भाषा में एक पत्रिका निकालें जिसमें हमारे देश के पक्ष का प्रचार हो और इसका सभी 14 अरब देशों और 30 अन्य इस्लामी देशों में वितरण किया जाये।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं विदेश मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि इस समय जो असामान्य अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति है, उसमें महाशक्तियों की आपसी होड़ तथा प्रतिद्वन्द्विता में काफी तीखापन आया है। यह दुर्भाग्य की बात है कि उपलब्ध संसाधनों तथा कौशल का उपयोग मानवता के हित और मनुष्य के आर्थिक सामाजिक विकास के लिए न करके मानवता के विध्वंस के लिए काम में आने वाली सामरिक सामग्री के निर्माण के लिए किया जा रहा है। हमारे देश के लिए यह एक गम्भीर चिन्ता की बात है कि बड़ी शक्तियों का यह विध्वंसात्मक और भयावह खेल धीरे-धीरे यूरोप से खिसककर एशिया और अफ्रीका की ओर आ रहा है।

यही नहीं, कुछ बड़ी शक्तियां दुनिया के विकासमान और गुटनिरपेक्ष देशों पर अपना प्रभाव जमाने का प्रयास कर रही हैं। कुछ देशों ने बड़ी चालाकी के साथ अपनी नाभिकीय और सैनिक शक्ति में वृद्धि करके संसार के कमजोर राष्ट्रों को डराने-धमकाने की चेष्टा भी की है। लेकिन यह सौभाग्य की बात है कि वे देश अपना राजनैतिक और सैनिक प्रभाव जमाने में सफल नहीं हो सके हैं।

ऐसी परिस्थितियों में लगभग एक वर्ष से हमारी सरकार ने जिस दढ़ता और व्यावहारिक नीति से उन चुनौतियों का सामना किया है, वह सराहनीय है। श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने, और माननीय विदेश मन्त्री ने, जिस दृढ़ता से भारत की बुनियादी नीतियों पर चलकर देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है, जो कि जनता रेजीम में गिर चुकी थी, उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं।

दिल्ली में हाल ही में हुए गुट-निरपेक्ष देशों के सम्मेलन की उपलब्धियों की बहुत प्रशंसा हुई है। उस सम्मेलन में 81 देशों के अलावा 22 अतिथि-प्रतिनिधि मंडलों और 15 प्रेक्षक प्रतिनिधि मंडलों ने भाग लिया था। उस सम्मेलन से संसार में तनाव, टेन्शन, में कमी लाने में बड़ी सहायता मिली। 1961 में गुट-निरपेक्ष देशों के प्रथम शिखर सम्मेलन की बीसवी वर्षगांठ मनाने के लिए 11 फरवरी को एक विशेष अधिवेशन भी हुआ, जिसकी अध्यक्षता हमारे विदेश मन्त्री ने की और हमारे प्रधान मन्त्री ने उसको सम्बोधित किया। गुट-निरपेक्ष देशों के सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए भारत की निष्पक्षता और उसकी रचनात्मक नीतियों की सब ओर से प्रशंसा की गई है।

इस सम्मेलन से न केवल शान्ति-स्थापना और तनाव को कम करने में मदद मिली है, बल्कि उसमें आर्थिक विकास के विभिन्न पहलुओं पर भी बातचीत हुई है। जैसे, ऊर्जा को बढ़ाने के महत्वपूर्ण विषय के सम्बन्ध में नीतियाँ तय की गई हैं।

पिछले एक वर्ष में हमारे विदेश मंत्रालय ने पड़ौसी देशों के साथ अच्छे सम्बन्ध स्थापित किए हैं; वह भी एक प्रशंसा की बात है। चाहे पाकिस्तान हो और चाहे नेपाल, भूटान और बंगलादेश हो, उनके साथ मंत्री-स्तर और सचिव-स्तर पर वार्ता करके, और हमारे अधिकारियों ने वहां जाकर, अच्छे सम्बन्ध बनाए है।

जहाँ तक पाकिस्तान का सम्बन्ध है, सभी ने चिन्ता व्यक्त की है। जहाँ तक विदेश मंत्रालय की बजट मांगों का सम्बन्ध है, करीब-करीब सभी सदस्यों ने, चाहे इधर के पक्ष के रहे हों या उधर के पक्ष के रहे हों —केवल दो तीन को छोड़कर—इसका समर्थन किया है। जिन्होंने इसका समर्थन नहीं किया है, उनके सम्बन्ध में कई साथियों ने बातें कही हैं। श्री बीजू पटनायक का भाषण विरोधाभास का था। एक तरफ तो उन्होंने कहा कि शांति से काम लेना चाहिए लेकिन दूसरी तरफ जब अफगानिस्तान का प्रश्न आया तो उन्होंने कहा कि शक्ति से काम लेना चाहिए। इस तरह से उन्होंने अपने भाषण में कोई स्पष्ट नीति नहीं बताई। जहाँ तक जेठमलानी साहब का सम्बन्ध है, श्री यशवन्तराव चव्हाण कह

चुके हैं कि ऐसा लगता था जैसे वे अमरीका की रिपब्लिकन पार्टी के प्रतिनिधि हों। इस तरह से इन दो माननीय सदस्यों को छोड़कर किसी अन्य ने कोई आलोचना नहीं की है।

इस प्रकार से मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक जापान से हमारे सम्बन्धों की बात है, हमने खास तौर से आर्थिक आयाम मजबूत करने की कोशिश की है। अभी सितम्बर-अक्तूबर में हमारे राष्ट्रपति सोवियत रूस गए थे और वहां के नेता श्री ब्रेजनेव यहां आए। सोवियत रूस के साथ हमारे चार समझौते हुए जिनसे रूस तथा भारत के संबंधों में दृढ़ता आई है, ओजपन आया है और गतिशीलता आई है।

यही नहीं, संयुक्त राष्ट्र अमरीका के सम्बन्ध में भारत की नीति एकदम स्पष्ट है। जनता राज में अमरीका को खुश करने के लिए मोरार जी भाई ने सही चीजों को भी दबाने की कोशिश की थी लेकिन हमारी सरकार की तरफ से, अगर अमरीका की ओर से अनुदान दिया गया तो उसका स्वागत हुआ है और अगर उन्होंने कोई ऐसी शर्तें लगाई जोकि हमारे राष्ट्रीय हितों के विपरीत हों तो विदेश मन्त्री ने उनको रिग्रेट किया है। इस तरह से चाहे रूस के साथ हमारे सम्बन्ध हों या अमरीका के साथ हमारे सम्बन्धों की बात हो वह बिल्कुल स्पष्ट रहे हैं।

इसी प्रकार से अफ्रीकी देशों के साथ सदियों से हमारे सम्पर्क रहे हैं। हमारे सांस्कृतिक सम्पर्क सदियों से रहे हैं और उपनिवेशवाद के खिलाफ हमने आवाज उठाई है...

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें। मैं और आपको अनुमति नहीं दूंगा। मैंने आपको बताया है कि मन्त्री महोदय 2.30 बजे उत्तर देंगे।

श्री रामप्यारे पनिका : जहां तक अरब देशों का सम्बन्ध है, हमारे विदेश मन्त्री कह चुके हैं कि जब तक वहां पर फिलिस्तीन का मामला तय नहीं होता है तथा इजरायल ने छोटे छोटे मुल्कों पर जो कब्जा कर रखा है उसको जब तक खाली नहीं करता है तब तक वहां पर शांति की स्थापना करना मुश्किल है। जहां तक पड़ौसी देशों अथवा दूर-दराज के देशों के साथ हमारे मधुर सम्बन्धों की बात है, हर क्षेत्र में निश्चित तौर से हमें सफलता प्राप्त हुई है। इसी तरह से इराक इरान के बारे में भारत की नीति भी बिल्कुल स्पष्ट है। हमारी प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा जी और विदेश मन्त्री ने भी साफ कह दिया है कि वह मामला लड़ाई से नहीं, राजनीतिक वार्तालाप से ही हल किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में गुट-निरपेक्ष सम्मेलन के दौरान भी काफी विस्तार से चर्चा हुई थी।

इन चन्द शब्दों के साथ ही, चूंकि आप समय नहीं दे रहे हैं और मैं अभी आधा भी नहीं बोल पाया हूं...

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण समाप्त क्यों नहीं कर रहे हैं। मन्त्री महोदय 2.30 बजे उत्तर देंगे। आप उन्हें सुनना नहीं चाहते। मैं अगले वक्ता का नाम बुला रहा हूं।

श्री राम प्यारे पनिका : इस मन्त्रालय की मांगों के लिए जो धनराशि रखी गई है उसको बढ़ाया जाना चाहिए ।

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, विदेश मन्त्रालय की मांगों के ऊपर, सारे संसार की समस्याओं को देखते हुए, आप चाहते हैं कि पाँच मिनट में भाषण समाप्त कर दूं, गागर में सागर समो दूं ।

हमारे विदेश मन्त्री सीमित साधनों के होते हुए, परम आदरणीया नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में जो कार्य कर रहे हैं, उसके लिए वे अभिनंदन के पात्र हैं । जहां तक माँगों का सवाल है, संसार की समस्याओं को देखते हुए वह अपर्याप्त है, ऐसा लगता है ।

ये माँगें किसी अनाथालय के लिए मांगी गई हैं और स्वीकार की जा रही हैं । संसार में जितनी भी सरकारें और हकूमतें हैं, यदि उनके विदेश मन्त्रालयों की माँगों में मैं विस्तार से जाऊं, तो इतना समय नहीं है । उन विदेशी सत्ताओं के आधार पर विभिन्न देशों में और हमारे इस देश में जो गतिविधियां चल रही हैं—आनन्द मार्ग, नक्सलवादी और आर०एस०एस०—यदि इनके विस्तार में न जाऊं तो थोड़ा-सा मैं दिल्ली के बारे में कहना चाहता हूं । बहादुरशाह जफर मार्ग पर इण्डियन एक्सप्रेस की बिल्डिंग तो पेपर के लिए दी गई है, वहां पर तीन महीने से तीन हजार से अधिक विदेशी ठहरे हुए हैं यदि उनके खर्च को ध्यान में रखा जाए, तो मैं समझता हूं कि यह जो बजट पास किया जा रहा है, उससे अधिक खर्च जो वहां पर शिविर योग लगाया है, उस पर हुआ होगा । मैं चाहता हूं कि विदेश मन्त्री और भारत सरकार इसकी जाँच करके देखे कि जो विदेशी यहाँ पर आए हैं, वे कितना पैसा लेकर यहां आए हैं और उन पर कितना खर्च रोज हो रहा है — खाने-पीने और कन्वेन्स आदि पर । उसी से अन्दाजा लग जाएगा । यह योग शिविर ऋषिकेश में ले जाकर लगाया जा सकता है, इसको यहां लगाने की क्या आवश्यकता थी—यह एक उदाहरण मैंने आपके सामने पेश किया है । अन्तर्राष्ट्रीय षड्यन्त्र चल रहे हैं । विदेशी बड़ी-बड़ी सत्ताएं इस देश के अन्दर बहुत बड़े षड्यन्त्र चला रही है । उस पर पैसा खर्च किया जा रहा है, उसको देखते हुए यह बजट पास किया जा रहा है । मैं इसको अनाथालयों का ही बजट कहूंगा । यह ठीक है कि हमारी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमें अपना कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा और मैं मांग करूंगा कि विदेश मन्त्रालय के लिए विशेष रकम बढ़ानी चाहिए । वित्त मन्त्री जी यहाँ नहीं हैं, मुझे आशा है कि यह बात सरकार तक पहुंचेगी ।

आप देखेंगे कि हिन्दुस्तान के अन्दर एशिया, अमरीका और जर्मनी आदि देशों से हिन्दी में और उर्दू में तथा अन्य भाषाओं में पत्रिकाएं यहाँ आती हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हमारा विदेश मन्त्रालय और देशों में हिन्दी की कोई पत्रिका निकालता है या निकालने की कोई योजना है या विदेश मन्त्रालय कोई पत्रिका प्रकाशित कर रहा है, जिससे

वह अपनी नीति और गतिविधियों की जानकारी विदेशों को दे सकें। मैं बोलना नहीं चाहता था, हमारी नेता श्रीमती इंदिरा गाँधी और विदेश मन्त्री, जैसे सुयोग्य व्यक्तियों के होते हुए हम कोई बात करें, तो सूरज को दीपक दिखाने की बात होगी।

मैंने 9-10 देशों का दौरा किया है और मैंने वहाँ के भारत के दूतावासों से जानकारी ली और वहाँ की सुविधाओं को देखा तथा सदन में इस सम्बन्ध में चर्चा भी हुई, विरोधी पार्टियों की ओर से। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं चन्द बातें कहना चाहता हूं। वहां पर सुविधाएं नहीं हैं, जितनी पर्याप्त सुविधाएं वहाँ पर होनी चाहिए, वे वहाँ पर नहीं है। हिन्दी के बारे में मुझे अभी पता लगा, हमारे भूतपूर्व विदेश मन्त्री, श्री अटलबिहारी वाजपेयी, जो हिन्दी के हिमायती कहलाते हैं, जो कि यू०एन०ओ० में हिन्दी में बोले। क्या विदेश मन्त्रालय ने इस सम्बन्ध में कोई जाँच की कि आगे काम चल रहा है या नहीं, मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दी में काम नहीं हो रहा है। हमने सुना है कि विदेश मन्त्रालय ने वहाँ पर टाइपिस्ट भेजे हैं, लेकिन इनसे काम नहीं चलेगा। कहीं पर टाइपराइटर हैं, तो कहीं पर टाइपिस्ट नहीं हैं और कहीं पर टाइपिस्ट हैं, तो कहीं पर टाइपराइटर नहीं है। इसलिए इस कमी को भी आपको दूर करना पड़ेगा।

जहाँ तक विदेश नीति के सम्बन्ध में चर्चा की गई, एक तरफ तो कहा गया कि गुट निरपेक्ष होना चाहिए और भारत एशिया की तरफ जा रहा है तथा दूसरी तरफ विरोधी पक्ष के नेताओं ने जो विचार व्यक्त किए, उन सबको देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि वह लोग अमरीका, चीन और पाकिस्तान की यहाँ पर वकालत कर रहे थे। उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ हमारे चव्हाण साहब, भूतपूर्व विदेश मन्त्री रह चुके हैं, बोल रहे थे और दूसरी तरफ श्री रामजेठ मलानी जी बोल रहे थे, यदि इन दोनों की तुलना करूं तो हमारे चव्हाण साहब ने विदेश नीति की बहुत बड़ी हिमायत की और श्री रामजेठ मलानी जी को कुछ नजर नहीं आया, तो मेरे सामने राजा भोज और गंगू तेली की स्थिति सामने आ गई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इन गम्भीर परिस्थितियों को देखते हुए भारत सरकार बड़ी सफलता से विदेश नीति को आगे बढ़ा रही है।

जिनको कुछ भी पता नहीं है, लेकिन अब वह बोल रहे थे तो मुझे महसूस हुआ—जब यहाँ पर एमरजेंसी थी उन दिनों वे अमरीका भाग गए थे, या तो वहाँ का जो पानी पिया है उसका प्रभाव है या उन्होंने उनको विशेष निमन्त्रण पर अपने यहाँ बुलाया था—इस देश से तीन संसद सदस्य—श्री रामजेठमलानी, श्री जार्ज फरनान्डीज और डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी वहां पर गए थे—उसका प्रभाव है। उपाध्यक्ष महोदय, इस देश को कभी कोई खतरा सीमाओं से नहीं हुआ, इस देश के अन्दर रहने वालों से ही खतरा रहा है। गौरी और गजनवी से लेकर अंग्रेजों तक यही हुआ है। ये लोग वहां गए थे—क्या साँठगाँठ कर आए, भगवान जानें। विदेश मन्त्रालय को इस पर गम्भीरता से ध्यान देना चाहिए। ये लोग वहां जाकर सांठगांठ करते हैं, फिर यहाँ आकर पाकिस्तान की बात

करते हैं, हिमायत करते हैं—उनकी जुबान पर लकवा क्यों नहीं मार गया। ये लोग वहाँ के सैनिक तानाशाह की वकालत कर रहे हैं—**

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

इस सदन में हम कुछ निश्चित नियमों और परम्पराओं का पालन करते आ रहे हैं। जिन देशों के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण और राजनयिक सम्बन्ध हैं, हम इस सदन में उन देशों की निन्दा नहीं करते हैं। हमारे यहां इस प्रकार की परम्पराएं रही हैं और हमने उनका हमेशा पालन किया है। अतः सदन के प्रति और उन लोगों के प्रति पूरे आदर के साथ, जिनके प्रति मेरे माननीय मन्त्री कह रहे हैं...

आचार्य भगवान देव : उपाध्यक्ष महोदय, ये वे लोग हैं जिन्होंने सदन में खड़े होकर जनरल जिया की वकालत की है...

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने अभी अपनी बात समाप्त नहीं की है।

आचार्य भगवान देव : इस देश को खतरा है तो ऐसे ही लोगों से है। चोर की दाढ़ी में तिनका।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने आपके बारे में किसी बात का उल्लेख नहीं किया।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इसे कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृतान्त पढ़ूंगा। यदि उसमें कोई ऐसी बात होगी तो मैं उस पर विचार करूंगा।

आचार्य भगवान देव : इसमें ऐसी कौन-सी बात है जो आपत्तिजनक है। मैं कह रहा हूं...**

आज जो विरोधी पार्टियां हैं—उस समय यहां पर लोकशाही के होते हुए भी उन्होंने उस सैनिक तानाशाह की बात करके सत्ता में आने का कुप्रयास किया, आज वही लोग उसकी** वकालत इस हाउस में करते हैं—इनकी जीभ को लकवा क्यों नहीं मार जाता? जहाँ इस तरह की तानाशाही है—जिसने भुट्टो जैसे व्यक्ति को, जिसका इतना बड़ा अपराध नहीं था, फांसी पर लटका दिया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को निकाल दिया। जो अपने यहाँ लोकशाही की स्थापना करने नहीं दे रहा है, उसकी ये लोग वकालत करते हैं। हम सच्चाई की बात करते हैं तो भी इनको आपत्ति होती है। मैं आज आपको यह बात कह देना चाहता हूं—जहाँ तक पाकिस्तान का सम्बन्ध है, पाकिस्तान के कन्धों पर अमरीका और चीन बन्दूकें रखकर एक बहुत बड़ा बवण्डर खड़ा करना चाहते हैं

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

और एशिया के अन्दर बहुत बड़ा तनाव पैदा करना चाहते हैं। ऐसे सैनिक तानाशाह की वकालत हमारे विरोधी पार्टियों के लोग कर रहे हैं।

हिन्द महासागर में एक तरफ अमरीका अपने कदम बढ़ा रहा है। यहां पर डीगो-गार्शिया की बात कही गई है। मैं विदेश मन्त्री से प्रार्थना करना चाहता हूं—अभी थोड़े दिन पहले मालवीय के अन्दर ऐसी स्थिति पैदा हुई है कि वहां भारतीयों को परेशान करके निकाला जा रहा है—इसमें अमरीका का हाथ है। मैं खिसल्रीज गया था—वहां की स्थिति भी ऐसी ही है—अमरीका वहां अपना जाल बिछा चुका है। मौरिशस के बारे में मैं विशेष कहना चाहता हूं। वहां की स्थिति बड़ी विचित्र रूप धारण कर रही है। काफी समय से वहाँ भारतीय हाई कमिश्नर नहीं है—मैं जानना चाहता हूं कि उनके वहां न होने का क्या कारण है ? मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि जल्दी ही एक सुयोग्य भारतीय हाई कमिश्नर मारिशस में नियुक्त किया जाय जो वहां की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर काम करे। मारिशस को आज एक छोटा भारत समझा जाता है। उनकी जो भी समस्याएं हैं—चाहे एरोप्लेन देने की बात है या जो भी सुविधाएं उन्होंने मांगी थी जिनको भारत सरकार ने स्वीकार किया था उनकी पूर्ति करने की कोशिश की जाए। काम-चलाऊ भारतीय हाई कमिश्नर से मैं सन्तुष्ट नहीं हूं, उस व्यक्ति को मारिशस से तुरन्त हटा देना चाहिए और एक सुयोग्य व्यक्ति को तुरन्त नियुक्त करके वहाँ भेजा जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं विदेश मन्त्रालय की मांगों का समर्थन करते हुए प्रार्थना करता हूं—कि हिन्दी के प्रचार की तरफ ध्यान दें। हिन्दी की परीक्षा जो संस्था लेती आ रही है उनकी फीस कम की जाय। हिन्दी की पत्रिका प्रकाशित की जाए और साँस्कृतिक सम्बन्ध जोड़ने के लिए अच्छे सुयोग्य व्यक्ति विदेश भेजे जाएं। आपने देखा होगा—बड़ी-बड़ी चोटी लगाकर, धोती पहनकर लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि उनमें आध्यात्मिकता की बहुत भूख है इसलिए अच्छे सुयोग्य व्यक्ति वहां भेजे जाएं।

इतना कहते हुए मैं विदेश मन्त्रालय की माँगों का समर्थन करता हूं और यह माँग करता हूं कि इस मन्त्रालय का जो बजट है, वह बहुत कम है और उसको बढ़ाया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री एन०सी० पाराशर।

प्रो० नारायणचंद पाराशर (हमीरपुर) : महोदय, मैं समर्थन के लिए उठ खड़ा हुआ हूं।...

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी वालों को ही टाइम देते रहोगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें अधिक समय लेने का अधिकार है। आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कृपया आप इतने कठोर न बनें ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे सदन की कार्यवाही चलाने दें ।

श्री मनीराम बागड़ी : देखिए, कुछ ख्याल रखना चाहिए और इस तरह से मेम्बर को किसी को गद्दार नहीं कहना चाहिए । भारत, पाकिस्तान और बंगला देश में रहने वाले आखिर में भाई-भाई हैं और इस तरह से एक मुल्क को दूसरे से लड़ाने की बात नहीं करनी चाहिए ।

श्री नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : महोदय, मैं सदन में प्रस्तुत की गई मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और विदेश मंत्रालय के सम्बन्ध में मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत किए गए गतिविधियों सम्बन्धी प्रतिवेदन की प्रशंसा करता हूं ।

सबसे पहले, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के 35वें अधिवेशन में हमारे विदेश मंत्री द्वारा दिए गए शानदार भाषण का भी मैं उल्लेख करना चाहता हूं । जब उन्होंने 3 अक्तूबर, 1980 को वह शानदार भाषण दिया था तो विदेशों के कुछ राजदूतों ने उनके उस भाषण पर बधाई दी थी जो कि बहुत अच्छा भाषण होने के साथ साथ बड़े ही सुन्दर ढंग से दिया गया था और उसमें यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया था कि आने वाले महीनों में भारत को कौन-सी भूमिका निभानी होगी ।

जिन महत्वपूर्ण उपलब्धियों का श्रेय इस देश को जाता है उनमें से एक उपलब्धि यह है कि भारत के प्रयासों के परिणामस्वरूप, यू० एन० आई० डी० ओ० को संयुक्त राष्ट्र की एक महत्वपूर्ण विशेषज्ञ समिति के रूप में स्वीकार कर लिया गया है और मान्यता दे दी गई है । यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है और उसी प्रकार कोस्टा रीका में शान्ति के संबंध में यू० एन० विश्वविद्यालय की स्थापना में भी हमारे देश ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अन्ततः 45 देशों ने उस संकल्प को प्रायोजित किया और उसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया । इस प्रक्रिया में हमने सुरक्षा परिषद की सदस्यता में भी विस्तार करने का प्रयास किया और इस सन्दर्भ में भारत ने बड़े महत्वपूर्ण प्रयास किए किन्तु दुर्भाग्य से विश्व शक्तियों के विरोध के कारण वह प्रयास असफल हो गए और अधिकांश वीटो अधिकार सम्पन्न देश इससे सहमत नहीं हुए किन्तु हम तीसरे विश्व के देशों की आवाज को बुलन्द करने के लिए हम अपने प्रयास जारी रखेंगे ।

आर्थिक सम्बन्धों के क्षेत्र में, उत्तर और दक्षिण के बीच बातचीत आर्थिक सम्बन्धों में एक नए विश्व की स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है । इस सम्बन्ध में विरोध को समाप्त करना होगा और यह समझना होगा कि विश्व प्रभुत्व के नहीं, बल्कि अन्तर-निर्भरता की स्थिति में प्रवेश कर चुका है । विश्व के विकसित देश कच्चे माल, तकनीकी दक्षता तथा अन्य अनेक बातों के लिए तीसरे विश्व के देशों पर निर्भर है और इन तथाकथित विकसित देशों में निर्मित वस्तुओं का आधार कच्चा माल तीसरे विश्व के देशों से मिलता है जिसके लिए उन्हें उन पर निर्भर रहना पड़ता है ।

विश्व बैंक को भी अपना रवैया बदलना होगा। इस समय, विश्व बैंक को एक लोकतान्त्रिक संस्था का कार्य करना चाहिए। इस बैंक में विकसित देशों का दो-तिहाई मतदानों पर अधिकार है और तीसरे विश्व के देश, जिनके पास संयुक्त राष्ट्र की अधिकांश मतदान शक्ति है. विश्व बैंक की नीतियों के निर्माण में स्वयं को असहाय पाते हैं। अतः विश्व बैंक के लोकतन्त्रीकरण के लिए प्रयास जारी रखे जाने चाहिए।

गुट-निरपेक्षता के क्षेत्र में असाधारण सफलता प्राप्त हुई है। मैं विपक्ष के सदस्यों की टिप्पणियाँ सुन रहा था और मैं यह अनुभव करता हूं कि वह यह सब बातें बिना सोचे समझे कह रहे हैं कि उन बातों का आखिर अर्थ क्या हैं। श्री चव्हाण ने यह सही बात कही थी कि भारत को इस सम्मेलन में बड़ी सफलता मिली है। मैं गुट-निरपेक्ष देशों के एक राजदूत के लेख से पढ़ना चाहूंगा। जो इस बात का साक्ष्य है कि सम्मेलन में सफलता मिली है। यह बात युगोस्लाविया के राजदूत, श्री मिलिजन कोमाटीना के लेख में है और उनके लेख का अन्तिम भाग गुट-निरपेक्ष सम्मेलन के मूल्यांकन और प्रशंसा के लिए अवश्य ही पठनीय है।

> 'दिल्ली सम्मेलन के प्रभावों का लम्बे अरसे तक मूल्यांकन किया जायेगा। इसमें कोई विवाद नहीं कि गुट-निरपेक्ष देशों ने एक बार पुनः सही समय पर सही बातें कहीं हैं। इसके परिणामस्वरूप गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का प्रभाव और प्रतिष्ठा बढ़ी है और यह आन्दोलन और उसकी नीतियाँ न केवल व्यवहार्य और क्रियाशील हैं बल्कि उनकी जड़े उन सिद्धान्तों पर आधारित हैं जो राज्यों और राष्ट्रों के अधिकारों के उल्लंघन की अनुमति नहीं देते हैं और समूची अन्तर्राष्ट्रीय जाति के हितों और आकांक्षाओं का प्रतिविम्बित करते हैं। मंत्रि-स्तर का यह गुट-निरपेक्ष सम्मेलन एक नए चरण के आरम्भ का प्रतिनिधि करने वाला कम था और बेलग्रेड में हुए सम्मेलन में गुट-निरपेक्षता के निर्माताओं द्वारा परिभाषित किए गए गुट-निरपेक्षता की नीति के वास्तविक सिद्धान्तों के प्रति निरन्तर निष्ठा का प्रतीक अधिक था।"

यह एक गुट-निरपेक्ष देश के प्रतिनिधि द्वारा किया गया एक महत्वपूर्ण मूल्यांकन है। अतः विपक्ष के मेरे मित्रों को उस दिशा को देखना चाहिये, जिस दिशामें यह आन्दोलन जा रहा है और भारत ने जो इस आन्दोलन में योगदान दिया है, उसे भी देखना चाहिए।

मैं पड़ोसी देशों के साथ अपने सम्बन्धों का भी संक्षेप में उल्लेख करूंगा। चीन के साथ सन्बन्ध सामान्य बनाना बड़ी महत्वपूर्ण बात है। किन्तु इस सम्बन्ध में इस बात को समझना चाहिए कि यह असामान्य सम्बन्ध किसकी वजह से हुए हैं? चीन ने हमारे देश पर आक्रमण कर इस प्रकार भी असामान्य स्थिति पैदा की है। भारत सम्बन्धों को सामान्य बनाने के लिए जो भी कर सकता है कर रहा है। अर्थात हम भारत के साथ सम्बन्धों को

सामान्य बनाने के लिए चीन द्वारा किए जा रहे कार्य के रास्ते में हम बाधा नहीं बनते हैं। उनकी टीमों, जैसे जिमनास्ट और अन्य टीमों का स्वागत आदि जैसे कार्य करके हम हर प्रकार के प्रयास कर रहे हैं। राजनयिक सम्बन्ध स्थापित किए जा चुके हैं। अब चीन को ही निर्णय लेना होगा। अब चीन को आगे आना चाहिए और भारत भी एक कदम आगे बढ़ेगा ताकि अन्ततः सम्बन्ध सामान्य बनाए जा सके। किन्तु अब पहल चीन की ओर से होनी चाहिए।

अब मैं अफगानिस्तान के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। 27 दिसम्बर, 1979 को रूसी सैनिक अफगानिस्तान में आए थे। विश्व के राजदूत और संयुक्त राष्ट्र के अन्य प्रतिनिधि इस बात पर सहमत थे कि भारत अफगानिस्तान में स्थिति को सामान्य बनाने तथा वहाँ से रूसी सैनिक हटाने के लिए पश्चिमी देशों द्वारा सैनिक कार्यवाही करने की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। गुट-निरपेक्ष देशों के विदेश मन्त्रियों के सम्मेलन में हमारे विदेश मंत्री तथा प्रधान मंत्री का इस विषय पर योगदान बड़ा ही महत्वपूर्ण है।

मैं श्री लंका, भूटान, नेपाल तथा अन्य कई देशों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रखने की दिशा में किए गए अन्य प्रयासों का भी उल्लेख करूंगा। पिछले एक वर्ष में कई एशियाई राष्ट्राध्यक्षों और एशियाई विदेश मंत्रियों तथा अन्य लोगों ने भारत का दौरा किया है। यह एक वर्ष हमारी नीति के मूल्यांकन के इतिहास में काफी महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि राष्ट्र मण्डल के देशों के अध्यक्षों का दूसरा क्षेत्रीय सम्मेलन—चोग्राम—II यहाँ हुआ था और काफी सफल रहा था। इसी प्रकार निर्गुट राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन भी काफी सफल रहा था।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदेश मंत्रालय द्वारा सभा को प्रस्तुत रिपोर्ट की सराहना करता हूं और प्रशंसा करता हूं।

मैं एक और महत्वपूर्ण बात रखना चाहता हूं। छठी पंचवर्षीय योजना में विदेशों में भारत की छवि निखारने के लिए इस मंत्रालय द्वारा दिए गए योगदान को स्वीकार नहीं किया गया है। यदि छठी पंचवर्षीय योजना में विदेश मंत्रालय के बजट में वृद्धि कर दी जाये तो अच्छा होगा क्योंकि विदेश स्थित हमारे दूतावास धन के अभाव में गम्भीर रूप से अपंग बने हुए हैं और विदेशों में हमारी छवि प्रस्तुत करने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं। धन के अभाव में अन्य कई कार्य भी अधूरे पड़े हुए हैं। माननीय विदेश मंत्री ने कम स्रोतों से विदेशों में भारत की अच्छी छवि प्रस्तुत करने के लिए भारी प्रयास किया है। मैं छठी पंचवर्षीय योजना में इस मंत्रालय को अधिक धन आवंटन करने की वकालत करता हूं ताकि विदेश मंत्रालय के बजट में वृद्धि हो सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय विदेश मंत्री श्री नरसिम्हा राव को निर्गुट राष्ट्रों के सम्मेलन में सफलता प्राप्त करने के लिए बधाई देता हूं।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : उपाध्यक्ष महोदय, इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि भारत सरकार की विदेश नीति अधिकांशत: सही दिशा में है। कुछ त्रुटियाँ भी हैं परन्तु आमतौर पर नीति का निर्माण ठोस सिद्धान्तों पर और बदलती अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और सम्बन्धों के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है।

पश्चिमी एशिया का जहां तक सम्बन्ध है हमारी नीति सिद्धान्तों पर आधारित है और इसे राष्ट्रीय अनुमोदन और अन्तर्राष्ट्रीय प्रशंसा प्राप्त हुई है। यहाँ मै ईराक और ईरान के बीच शत्रुता को समाप्त कराने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए वास्तविक प्रयासों की सराहना करता हूं। वास्तव में माननीय विदेश मंत्री द्वारा अच्छे प्रयास किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन और निर्गुट राष्ट्रों द्वारा कई प्रयास किए गए हैं। परन्तु दुर्भाग्यवश इन प्रयासों का अभी कोई निश्चित परिणाम प्राप्त नहीं हुआ है। ईरान से कोई उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। परन्तु इस तथ्य को देखते हुए कि इन शान्ति प्रयासों के प्रति ईराक की ओर से उत्साहवर्धक और उचित प्रतिक्रिया देखी गई है, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह शान्ति स्थापित करने के लिए इसी प्रकार प्रभावशाली ढंग से प्रयास करती रहे। क्यूबा, जाम्बिया और पी० एल० ओ० सहित भारत भी निर्गुट सद्भाव समिति का सदस्य है। हम चाहते हैं कि ये प्रयास सफल हों।

मैं यहां अवश्य ही हमारी नीति के कालदोष की बहुत ही महत्वपूर्ण और गम्भीर त्रुटि का उल्लेख करूंगा। मैंने इसी सम्बन्ध में कुछ कटौती प्रस्ताव भी रखे हैं जिसमें सरकार से इस्राइल के साथ सभी सम्बन्ध समाप्त करने का आग्रह किया गया है। माननीय श्री राम जेठमलानी ने मेरे कटौती प्रस्तावों का उल्लेख किया था। परन्तु मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत सरकार और माननीय वित्त मंत्री माननीय श्री राम जेटमलानी की सलाह नहीं मानेंगे क्योंकि यदि वे मानते हैं तो माननीय विदेश मंत्री को एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा जिसमें उन्हें विश्व की राजधानियों में लुक-छिप कर घुसकर और वेश बदल कर उन राष्ट्रों से मान्यता के लिए वकालत करने का घृणित कार्य करना होगा। अत: मुझे यह विश्वास है कि विकृत प्रकृति के राजनीतिज्ञों द्वारा दिए गए परामर्श को माननीय वित्त मंत्री नहीं मानेंगे··· (व्यवधान)

माननीय मंत्री महोदय ने रिपोर्ट में कहा है कि :

"भारत के अरब देशों के साथ सम्बन्धों की विशेषता इनमें नया उत्साह और जोश है।"

यह सत्य है। मैं सरकार से इस उत्साह को नया रूप देने के लिए बधाई देता हूं। परन्तु साथ ही मैं सरकार को यह चेतावनी देता हूं कि इसमें कुछ तत्व ऐसे हैं जो भारत अरब सम्बन्धों को बिगाड़ना चाहते हैं। उदाहरण के लिए हमें समाचार मिला है कि

पाकिस्तान में कुछ झूठे टेप परिचालन में हैं। इन टेपों में से एक में यह दोष लगाया गया है कि हमारी प्रधान-मंत्री ने मोशे दयां से बातचीत की थी। यह एक शरारतपूर्ण काम है और मुझे आशा है कि सरकार इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देगी और इस शरारत का स्पष्ट रूप से खण्डन करेगी।

बहरहाल, मुझे इस्राइल के साथ बढ़ाए गए व्यापार सम्बन्धों पर अवश्य ही निराशा व्यक्त करनी चाहिए। हमारे सरकारी तौर पर तो हमारे कोई व्यापारिक सम्बन्ध नहीं हैं, परन्तु निजी आयात और निर्यात बढ़ते जा रहे हैं। 1970-71 में हमारा आयात 17,12,000 रुपए का था, परन्तु 1975-76 में यह बढ़कर 1,21,62,000 रुपए हो गया। निर्यात को लीजिए। 1970-71 में निर्यात, 67,28,000 रुपए का था और 1975-76 में यह बढ़कर 2,71,41,000 रुपए का हो गया। मुझे यहाँ इस बात की ओर ध्यान दिलाना है कि हाल ही में नई दिल्ली में हुए निर्गुट देशों के सम्मेलन में इस्राइल के साथ सभी प्रकार के सम्बन्ध विच्छेद करने का आह्वान किया गया था मैं घोषणा से कुछ शब्द उद्धृत करता हूं :

"मन्त्रीगण ने इस्राइल के साथ सभी प्रकार के औपचापिक और अनौपचारिक कूटनीतिक, वाणिज्यिक, आर्थिक, साँस्कृतिक, खेल, पर्यटन और संचार सम्बन्ध तोड़े रखने की आवश्यकता में अपना विश्वास व्यक्त किया और उन सभी सदस्य राष्ट्रों से जिन्होंने सम्बन्ध विच्छेद नहीं किए हैं, ऐसा करने का आह्वान किया।"

मैं इस घोषणा से आगे उद्धृत करता हूं :

"मन्त्रियों ने निम्नलिखित कार्यों के लिए सभी सम्भव उपायों को एक सार्थक और सुयोजित ढंग से प्रयोग करने का निर्णय लिया :

(क) इस्राइल की आक्रामक नीति को जारी रखने वाली उसकी आर्थिक-क्षमता को कमजोर बनाने के लिए ;

(ख) इस्राइल को दिए गए राजनीतिक, आर्थिक और वित्तीय समर्थन को समाप्त करने के लिए।"

इस घोषणा के सच्चे अर्थों में मैं सरकार से इस्राइल के साथ सभी सम्बन्धों को तोड़ने का आग्रह करता हूं। यह देखकर बहुत दुःख हुआ कि इस सम्मेलन की समाप्ति के तत्काल बाद, एक प्रेस नोट जारी किया गया, शायद अनजाने, में, जिसमें इस्राइल के प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रदत्त एम० एस० सी० की उपाधि को मान्यता दी गई। मुझे आशा है कि यह अनजाने में किया गया और इसका उद्देश्य अपनी सेवाओं में अधिक योग्य व्यक्तियों को लेना था। यदि यह प्रेस नोट इसलिए जारी किया गया था कि किसी शिक्षित इस्राइली व्यक्ति को हम सेवा में ले सकें सो यह बहुत ही खेद की बात है तथा उस दशा में मैं सरकार से इस प्रेस नोट को वापस लेने का आग्रह करता हूं।

महोदय, अब एशियाई खेलों का प्रश्न आता है।

यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि इस्राइल को एशियाई खेलों में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हमें इस्राइली वाणिज्य-दूतावास को भी बन्द कर देना चाहिए।

महोदय, समय के अभाव के कारण मैं केवल एक और बात का उल्लेख करूंगा। मैं अब साइप्रस गणराज्य की स्थिति को लेता हूं। साइप्रस की स्थिति के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा अपनाए गए सन्तुलित दृष्टिकोण की मैं सराहना करता हूं। साइप्रस गणराज्य के राष्ट्रपति ने अक्तूबर, 1980 में भारत का दौरा किया। सांस्कृतिक सहयोग के बारे में एक करार पर हस्ताक्षर किए गए। एक संयुक्त विज्ञप्ति भी जारी की गई थी जिसमें साइप्रस की प्रभुसत्ता, क्षेत्रीय एकता, एकता और निर्गुटता को स्वीकार किया गया था। संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में परस्पर वार्ता का भी स्वागत किया गया और इन वार्ताओं की सफलता की कामना की गई थी।

उपाध्यक्ष महोदय, साइप्रस राष्ट्र के गठन के लिए तुर्की और यूनानी समुदायों के बीच समान आधार पर सहयोग की आवश्यकता है और 1963 से तुर्की समुदाय को यह सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है। झगड़े का यही कारण है। हम 1963 और 1967 की उन भयंकर घटनाओं को याद करके भयभीत हो जाते हैं। यह एक अच्छा चिन्ह है कि 1977 में उच्च स्तर पर सहमति हो गई है और संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में वार्ताएं चल रही हैं।

महोदय, हमारी प्रधान मन्त्री जी थोड़े ही दिनों में यू० ए० ई० और कुवैत जाने वाली हैं। हम उनकी यात्रा की सफलता की कामना करते हैं।

मैं अन्तिम बात पर आता हूं सम्पूर्ण उपमहाद्वीप की सुरक्षा और स्थायित्व में भारत का अपना बहुत बड़ा हित है। परन्तु अफगानिस्तान पर हुए सैनिक आक्रमण से पैदा हुई स्थिति के बारे में हमारी प्रतिक्रिया सम्पूर्ण उपमहाद्वीप की सुरक्षा और स्थायित्व के अनुरूप नहीं है। मैं यह कहूंगा कि हमने यहाँ अपनी विदेश नीति की भूमिका और निर्गुटता की नीति की उस भूमिका से समझौता कर लिया है जिसकी अपेक्षा अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में भारत से की जाती है।

मैं यहाँ सिंगापुर के विदेश मन्त्री द्वारा निर्गुट सम्मेलन में निर्गुटता की भूमिका के सम्बन्ध में कहे गए शब्दों को सरकार को याद कराते हुए समाप्त करता हूं :

> "हमारा एकमात्र शस्त्र नैतिक भर्त्सना है। हमारे कानों में जो कपटपूर्ण ढंग से यह कहते हैं कि सिद्धान्तों के बारे में खुला और स्पष्ट रुख अपनाने से सहायता नहीं मिलेगी वे वास्तव में हमारे इस शस्त्र के आन्दोलन को समाप्त करना चाहते हैं...।"

मुझे आशा है कि इसके प्रकाश में नीति का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय मन्त्री महोदय।

श्री मनीराम बागड़ी : खड़े हुए।

(व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आपके दल का समय समाप्त हो गया है। अब कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं हो रहा। यह पहले ही घोषणा की जा चुकी है कि मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

(व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : आपने कहा था कि विरोधी पक्ष के बोलने के बाद पांच मिनट दिए जाएंगे। आपने मुझे पांच मिनट देने का वायदा किया था।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बसु, आपकी पार्टी को कुछ समय दिया जा चुका है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपने मुझे कहा था कि आपको पांच मिनट दिए जाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको प्रातः से सायंकाल तक बैठना पड़ेगा। विशेष मामले के रूप में मैं दो मिनट का समय केवल श्री बागड़ी को दूंगा। वह वरिष्ठ सदस्य हैं। मुझे उनका आदर करना चाहिए।

श्री मनीराम बागड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, विदेश नीति का मतलब आज हमारा देश इतना शक्तिशाली नहीं है कि दूसरे मुल्क में अपनी नीति चलाए आधार सिर्फ यह है, मैं लम्बी बातें नहीं कहना चाहता कि भूखा मुल्क, गरीब मुल्क, गरीबी सतह से नीचे जिसकी आबादी आधी करीब हो उसके दूतावासों पर इन्द्रपुरी की तरह से खर्चा हो इसको विदेश मन्त्री जी खुद देखेंगे, और उन दूतावासों के अधिकारियों का संसद सदस्यों के साथ क्या व्यवहार होता है वह भी आप देखेंगे।

मैं सिर्फ विदेश नीति के आंकड़े बताता हूं। क्या हमारी विदेश नीति भारत-पाक-बंगलादेश को एक कर सकी। उसके हम मित्र नहीं, भाई नहीं एका नहीं कर सके। 30 साल में, कम से कम एक संघ नहीं बना सके। क्या हमारी बर्मा से दोस्ती है, चीन से दोस्ती है, लंका से हमारी दोस्ती है ? क्या हमारी तटस्त नीति है ? नीति यह है कि एक तरफ है अमरीका झूला दूसरी तरफ है रूस का झूला और हम बीच में झूल रहे हैं—कभी अमरीका की तरफ, कभी रूस की तरफ, और हम बीच में अपनी नीति बनाए बैठे हैं। अफगानिस्तान के अन्दर अगर रूसी फौजें जाती हैं तो हम रोक नहीं सकते, और अगर हिन्द महासागर के अन्दर अमरीका का बाहरी बेड़ा खतरा बन कर रहता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम ऐसे यतीम और मासूम बच्चे हैं जो भी चाहे मारे। दूसरे मुल्क की

** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

बात करते हैं। देश के अन्दर कोई शक्ति नहीं है। यह ठीक है कि विदेश मन्त्री जी बेचारे क्या कर सकते हैं ? यह तो पुरानी दीवार पर अपनी कुटिया बनाकर बैठे हैं। बुद्धिमान आदमी हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा...

(व्यवधान)

बोलो रानी क्या कह रही थीं ? मैं अपने विदेश मन्त्री जी से कहूंगा कम से कम लम्बी चौड़ी बात तो नहीं कहता, लेकिन शायद इस बात का असर बहुत कुछ होने वाला है, सारे राष्ट्र का ही नहीं, हमारा नहीं, लेकिन रास्ता कम से कम बनाओ, जैसे भारत और पाक के अन्दर पासपोर्ट को खत्म करो, भारत बंगलादेश के बीच भी पासपोर्ट को खत्म करो ताकि आप लोग नजदीक आ सकें। भूलो मत चाहे कोई मुल्क हो दुनिया का वह दूसरा मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान भाई है, बंगलादेश भाई है। यह विदेशी शक्तियों ने एक भाई को दो हिस्सों में बांटा है। हमारी नीति तब कामयाब होगी जब भारत-पाक-बंगलादेश का एक सांझा होगा कम से कम पासपोर्ट के बगैर आ सकें। और ऐसा भी कोई कदम उठायें जिससे हमारा डिफेंस इकट्ठा हो सके, हमारा व्यापार भी मिला हुआ चल सके। आखिर हम छोटे मुल्क नहीं हैं, काफी बड़ा मुल्क है। वह वक्त तो निकल गया जब एशिया एक होता, एशिया एक थर्ड ब्लाक होता। वह जमाना गया। अब तो एशिया एक नहीं, कम से कम हिन्दुस्तान को एक बनाने वाली नीति बने तब कुछ हमारा भला हो। वह लोग जो भारत को पाक से लड़ाते हैं, पाकिस्तान को भारत से लड़ाते हैं, बंगलादेश को भारत से लड़ाते हैं, यह देशभक्ति की बात नहीं है। आखिर भाई से भाई क्यों लड़ता है ? भारत और पाकिस्तान की क्या लड़ाई है ? लोहिया जी के शब्दों में सिर्फ हिन्दू और मुसलमान जो कांटे और छुरी से लड़ते थे वह आज साबर जैट और बम से लड़ाए जा रहे हैं।

आखिर इन बातों को सोचिए, नजदीक आइए, जिससे संसार में यदि अमन शांति की शक्ति हमारी नहीं तो कम-से-कम घर में ही कर लें। ऐसी खबरों को कम छपने दो जिससे पाकिस्तान के खिलाफ नफरत हो, पाकिस्तान वालों को चाहिए कि ऐसी खबरें कम छापें जिससे हिन्दुस्तान के लोगों को नफरत हो। अगर भारत पाक एक होगा तो उसका असर हिन्दुस्तान पर पड़ेगा और भारत के अन्दर हिन्दू-मुसलमान की हारमनी भी नजदीक आएगी और देश आगे बढ़ेगा। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अभी-अभी इजराइली विश्व विद्यालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली उपाधियों को भारत सरकार द्वारा मान्यता दिए जाने की बात सुनी है। मैंने स्वयं प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा दिए गए विवरण को देखा है और इसे देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है कि जब हम अरबों के साथ है तो इस दुनियां में हम कैसे यकायक पथच्युत होकर इजराइली विश्व विद्यालयों द्वारा प्रदान की गई उपाधियों को मान्यता प्रदान कर रहे हैं ? मैं आशा करता हूं कि मन्त्री महोदय इसकी जानकारी सदन को देंगे। यह प्रेस सूचना ब्यूरो का समाचार है और उसकी एक प्रति मेरे पास है।

दूसरी बात यह है कि भारत सरकार का नट-नाच मेरी स्मृति से ओझल नहीं हो सकता, भारत सरकार का एक ऐसा परि-पत्र हमारे हाथ लगा था जिसमें यह कहा गया था कि अमरीका से खाद्यन्न लेकर आने वाले जहाजों पर पाबन्दी लगाई जाए यदि ऐसे जहाज वियतनाम बन्दगाह से होकर आयें भारत सरकार की विदेशी नीति ऐसी है। इस परिपत्र में कहा गया था कि उन जहाजों को जिन्होने कभी वियतनाम बन्दरगाह को छुआ भी हो उन्हें अमरीका से खाद्यन्न नहीं लाने दिया जायेगा और उस परिपत्र पर भारत सरकार का पृष्ठांकन था, और वह सभी जहाजरानी कम्पनियों को दिया गया था। यह सब इसी सभा की कार्यवाही का अंग है।

अंत में मैं एक बात और कहूंगा। नरसिंह राव जी आप जानते हैं कि मैं क्या कहने जा रहा हूं। इसका सम्बन्ध हमारे सबसे वड़े पड़ोसी और विश्व के सबसे वड़े देश अर्थात चीन जनवादी गणतन्त्र के साथ हमारे सम्बन्धों के सामान्य बनाने से है। दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने एक तो भारत सरकार के राष्ट्रीय अभिलेखागार के भूतपूर्व उप-निदेशक श्री शौरिन राय और दूसरे डा० करूणा करण गुप्त ने दो-दो लेख लिखे हैं जो कि आर्थिक एवं राजनैतिक साप्ताहिक तथा अन्य पत्रों में प्रकाशित हुए हैं और उन्होंने विचार करने के लिए नया भोजन जुटाया है। उन्होंने उन दस्तावेजों के आधार पर बहुत सी, बहुत ही महत्वपूर्ण बातों का रहस्योद्घाटन किया है जो उन्हे ब्रिटिश म्यूजियम, ब्रिटिश अभिलेखागार और विभिन्न अन्य स्रोतों से प्राप्त हुए थे।

'सनदें, समझौते और संधियां' नाम के अचेसन के प्रकाशन में मिथ्या वर्णन करने तथा उस अध्याय में हेर-फेर करने, जिसमें चीन और भारत की सीमा की बात कही गयी है, ब्रिटिश सिविल सेवा के श्री ओलफ कार्ड और बाद में उत्तर-पश्चिम सीमा-प्रदेश के गवर्नर की शरारत की हेरा-फेरी की बात प्रकाश में आई है। ये सब उद्घाटक और कुछ नई बाते हैं। मैं सरकार से केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इन दो विशिष्ट अनुसंधान-पत्रों को पढ़ा हैं जिसमें से एक का प्रकाशन डा० करूणाकरण गुप्त जिन्होंने कई महीने तक ब्रिटिश अभिलेखागार में कार्य किया था, ने किया है और दूसरे का श्री शोरिन राय, भूतपूर्व उप-निदेशक अभिलेखागार ने किया है। और मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपने उसको पढ़ा है। यदि ऐसी ही बात है तो जो रहस्योदघाटन किया गया है उसको ध्यान में रखते हुए अब सरकार का क्या रवैया है? हम यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि 1962 से पहले की अवस्था जैसे सम्बन्ध बनाए रखने के लिए चीन से सम्बन्ध सामान्य करने हेतु आप कौन से उपयुक्त कदम उठाने जा रहे हैं, क्योंकि बीस वर्ष से अधिक समय बीत चुका है और अब हम अपने दोनों देशों के बीच कृत्रिम सीमा बनाए नही रख सकते हैं जो कि विशेषरुप से पूंजीवादी शोषणकर्त्ता समुदायों को लाभ पहुंचा रही है (व्यवधान) मैं अमरीका का विरोध करता हूं। मैं रिकार्ड को देखूंगा।

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : उपाध्यक्ष महोदय, इस वाद-विवाद में 27 माननीय सदस्यों ने भाग लिया है और वाद-विवाद का बड़ा ही उच्च स्तर बनाए रखा

है, उसका मैं आभारी हूं तथा जिसके अन्त में मैं यह कहने के लिए बड़ा ही प्रोत्साहित हुआ हूं कि इस सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय मतैक्य बन पाया है कि पहले की ही तरह भारत की विदेश नीति राष्ट्रीय मतैक्य पर आधारित होकर चलती रहनी चाहिए। इस प्रकार की आम सहमति विशेषकर उपयोगी होगी क्योंकि आज हम चौराहे पर खड़े हैं। हमें निर्णय लेकर आगे बढ़ना होगा। हमें पुराने शिकंजो में जकड़े रहने से सन्तुष्ट नहीं होना चाहिए। हमें साहसिक निर्णय लेने होंगे, क्योंकि बदलती हुई परिस्थितियों में साहसिक निर्णयों की ही आवश्यकता है और यदि इसमें आम सहमति प्राप्त नहीं होती तो किसी देश की विदेश नीति को बनाए रखना सम्भव नहीं है। अतः इस सदन में जो आम सहमति बनी है वह प्रथम उपलब्धि है. यह वह प्रथम छलांग हैं, जो कि भारत सरकार को इसकी नीति में सभी प्रकार के शाखा विस्तारों के साथ आगे बढ़ने और भविष्य में आश्वस्त रूप से इसको चालू रखने का नवीन उत्साह प्रदान करती है।

महोदय, यह स्वाभाविक है कि आमसहमति का अर्थ सर्वसहमति नहीं होता है। कुछ विसंवादी स्वर भी सुनाई पड़े हैं। संगीत में भी तो विवादी स्वर सुनाई पड़ते हैं। वे संगीत का ही अंग होते हैं। अतः इसे मैं आमसहमति से दूर करके नहीं देखता। वास्तव में, उनके बावजूद भी, आमसहमति तो आज ही नहीं गत तीन दशकों और उससे भी अधिक समय से चली आ रही है। जैसा कि श्री राम जेठामलानी का विचार था एक राजनैतिक कुल परम्परा चली आई है। इस तथ्य में कुछ भी नया नहीं हैं। इस देश में कुछ ऐसे व्यक्ति रहें हैं, शायद कुछ ऐसे दल भी हैं जिनका विचार रहा है कि इस देश को एक भिन्न प्रकार की विदेश नीति अपनानी चाहिए। उन्होंने सभी प्रकार नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं किया था; परन्तु जिसरूप में ये विद्यमान है उनसे मुह नही फेरा जा सकता है और मैं उनसे दूर भागने की बात भी नहीं कहता हूं। जैसा कि मैं कह चुका हूं, इन विसंवादी स्वरों के बावजूद आमसहमति बनी रही हैं और मैं मामले के इस पहलू पर अब और टिप्पणी नहीं करूंगा।

जैसा कि मैंने देखा है वाद-विवाद में ही सभी उठाए गए मददों पर विचार हो चुका है। मुद्दे उठाए जाते रहे हैं और उनके उत्तर दिए जाते रहे हैं, इस प्रकार वाद-विवाद का उत्तर मुझे थोड़े में ही देने की आवश्यकता है। उत्तर तो स्वयं वाद-विवाद के दौरान ही मिल गए थे। मैं विशेषकर उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने बिना इस बात का विचार किए कि वे सदन में किस ओर बैठते हैं, बड़ी ही सूझ-बूझ से इन मुद्दों पर विचार किया और उन नीतियों और समस्याओं का वस्तुगत विश्लेषण किया जिनकी अन्यथा व्याख्या करने में समय खोना पडता। इस लिए मेरे काम को पर्याप्तरूप में कम कर देने के लिए मैं उनका दोगुना आभारी हूं, और इसलिए मैं फिर से उन्ही बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

कल हमारे सम्माननीय चव्हाण जी ने एक भाषण दिया था जिससे मुझे बड़ी सहायता मिली है। स्थिति का उनका विश्लेषण, कुछ मुद्दों, उन महत्वपूर्ण मुद्दों की उनकी

व्याख्या जो कि यहां वाद-विवाद के दौरान उठाए गए थे, एक ऐसी बात थी जो कि पूर्णतया भारत सरकार की विचारधारा से मेल खाती है। उनके द्वारा उठाए गए एक-दो मुद्दों के अलावा जिन पर अब मैं अपने विचार व्यक्त करूंगा, मेरे विचार से यह उस आम सहमति का एक सच्चा उदाहरण है जिसका मैंने अभी-अभी उल्लेख किया है। अतः इन सब के विस्तार में जाने की बजाय, वाद-विवाद के आरम्भ होने के समय से मैं जो कुछ करने जा रहा था वह यह था कि थोड़ा सा अग्रिम विचारण कर लिया जाय।

हम एक नए दशक में प्रवेश कर रहे हैं। सातवां दशक समाप्त हो गया है और आठवां दशक आरम्भ हुआ है। क्या विश्व के कार्यकलापों, स्वयं अपने क्रियाकलापों, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं और राजनैतिक कार्यकलापों और आर्थिक क्षेत्र में मनुष्य की विचारधारा में कोई गुणात्मक परिवर्तन होने जा रहा है? अथवा हम गत दशक की ही लकीर पीटते रहेंगे? यदि ऐसी ही बात है तो क्या इस प्रकार लकीर के फकीर बनने से कुछ लाभ होने वाला है? जब हम मानव इतिहास के अत्यन्त निर्णायिक दशक के द्वार पर खड़े हैं तो क्या इसके लिए नए धरातल खोजने, नई भूमि तोड़ने की आवश्यकता है या नहीं? जब मैं वाद-विवाद सुन रहा था तो मेरे मानस में कुछ ऐसे ही विचार उभर रहे थे और माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए अधिकतर मुद्दों के साथ मैं बड़ी सीमा तक सहमत था।

मैं सम्पूर्ण विनम्रता के साथ इनमें से कुछ विकल्पों, उन कुछ रुचियों के साथ जो कि उनके बारे में मतान्ध बने बिना स्वयं को प्रदर्शित करती हैं, सदन के साथ हूं क्योंकि अन्ततः निर्णय तो उचित विचार-विमर्श के बाद ही लेने की आवश्यकता है। जैसा कि हम उन्हें देखते और पाते हैं, विकल्पों को समझने का प्रयास करते समय, चाहे कुछ भी हो, प्रश्न खड़े करना कोई बुरी बात नहीं है। परन्तु उस विषय पर पहुंचने से पहले, कुछ उन ठोस मुद्दों को उठाने की आवश्यकता है, जिनका उत्तर देने की वस्तुतः आवश्यकता है।

विदेश-नीति पर सभा के वाद-विवाद में निरन्तर जो विरोध उठता रहा है, लगातार जो आलोचना होती रही है, विशेषकर इस सरकार के बारे में वह हमारे पड़ोसी देशों के बारे में थी। इस विषय पर जिस किसी को भी भ्रम है, गलतफहमी है। मैं उसके मस्तिष्क से इस मतिभ्रम को निकाल देना चाहता हूं क्योंकि यह बहुत जरूरी है। यदि बार-बार इसे ही दोहराया जाता रहेगा तो इससे पड़ोसियों के साथ हमारे सम्बन्धों में बिगाड़ भी हो सकता है और इससे देश की तसवीर तथा हमारे देश की विदेश नीति को अगणित हानि पहुंच सकती है।

पड़ोसियों की विशेष स्थिति होती है। उसी स्थिति के कारण हमारे विभिन्न प्रकार के और सभी क्षेत्रों में सम्बन्ध बनते हैं। यदि हमारी सीमाएं समान हैं, यदि हमारी नदियाँ समान हैं और यदि हमारे हित समान हैं तो 'एक द्रव्याभिलाषी द्वेषी' वाली उक्ति चरितार्थ होगी। दोनों देशों में एक ही चीज की चाहत हो सकती है। यह तो स्वाभाविक बात

है कि किसी भी समय झगड़ा आरम्भ हो सकता है । लड़ाई-झगड़े को दूर रखना राजनीति सत्ता की पहचान है, उसका यह काम है कि स्थिति में सुधार लाए, रुख को नम्र करे और शान्ति से रहे । अतः पड़ोसियों के साथ हमारे सम्बन्धों का बड़ा भारी महत्व है । जैसा कल चव्हाण जी ने कहा था कि किसी पड़ोसी के साथ अनेक स्थायी सम्बन्धों की रूपरेखा पहले तैयार की जानी चाहिए । एक देश तथा उसके पड़ोसी देश के बीच सम्बन्धों के संघटक क्या हैं ? क्या ये छोटे और बड़े के आधार पर हो सकते हैं ? क्या ये धनी और निर्धन के आधार पर हो सकते हैं ? क्या ये अधीन रहने और अधीन करने के आधार पर हो सकते हैं ? मेरा निवेदन है कि यह स्पष्ट है ये ऐसे किन्ही आधारों पर नहीं हो सकते । ये प्रभु-सत्ता की समानता के आधार पर होने चाहिए । ये पारस्परिक हितों, सम्भावित सीमा तक ज्ञान की पारस्परिकता तथा समस्वर होने की इच्छा, एक साथ रहने की इच्छा, यह सुनिश्चित करने की इच्छा कि एक साथ रहने में दोनों का हित है, और एक दूसरे से अनबन न होने की इच्छा पर आधारित होने चाहिए । फिर भी समस्याए बनी रहेंगी । हम इन्हें टाल नहीं सकते । यह स्वयं पड़ोस में अन्तर्निहित है कि जब यह मित्रता, प्यार और स्नेह का पोषण करता है तो यह संघर्ष को भी बढ़ावा दे सकता है । यह दो तरफा रास्ता है ।

इस सम्बन्ध में हमारी नीति क्या रही है ? अब मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस सरकार ने पड़ोसियों के साथ विश्वास, आपसी लाभों, आदान-प्रदान और राष्ट्रीय हितों के आधार पर अपने सम्बन्धों को पुनर्गठित करने का प्रयास किया है ।

अब यह अन्तिम बात जो राष्ट्रीय हित कहलाती है, अलग नहीं की जा सकती, इसका महत्व कम नहीं किया जा सकता, इसे हल्का नहीं समझा जा सकता, क्योंकि पड़ोसियों के बीच स्थायी सम्बन्ध केवल आपसी हित पर आधारित हो सकते हैं न कि इक तरफा हित पर ये केवल एक तरफा नहीं हो सकते । यदि आप लगातार मानते जाएं, तो आप कभी भी किसी पड़ौसी के साथ अच्छे सम्बन्ध नहीं बना सकेंगे । पड़ोसी को पता होना चाहिए कि आपकी स्थिति क्या है और आपको पता होना चाहिए कि पड़ौसी की स्थिति क्या है । केवल इसी आधार पर स्थायी मित्रता स्थापित हो सकती है ।

महोदय, इतनी अधिक गहराई में जाने की अपेक्षा मैं मुद्देवार संक्षेप में वर्णन करूंगा कि इन देशों में से प्रत्येक के साथ हमारे सम्बन्धों के विषय में क्या हुआ ।

मैं नेपाल को पहले लेता हूं । नेपाल को सुदृढ़ और आत्मनिर्भर बनाने के लिए नेपाल के साथ तकनीकी-आर्थिक सहयोग कार्यक्रम चल रहे हैं । आयोडाइजड साल्ट की सप्लाई, देवीघाट जल परियोजना, महेन्द्र राज मार्ग अस्पतालों और डिस्पेंसरियों आदि कार्यक्रम पहले से ही चल रहे हैं, जिनके बारे में अनेक सदस्य जानते हैं । इस वर्ष के दौरान लम्बी और शान्त बातचीत के बाद पंचेश्वर परियोजना पर परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का समझौता किया गया है । यह उन बातों में से एक है जिसका हम दशकों से

सपना देख रहे थे। अब यह सच होने वाला है क्योंकि हमने परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए निर्णय कर लिया है। महोदय, सबसे बड़ी परियोजना, भारत और नेपाल के बीच सबसे बड़ी परियोजना पर इस स्थिति में भी निर्णय लेना शेष है और वह है कारनाली परियोजना। हम हर सम्भव प्रयास कर रहे हैं कि हम कम-से-कम तैयारियों, कम-से-कम जाँच के मामले में तो आगे बढ़ें। मैं यह कहने की स्थिति में नहीं हूं कि ऐसी स्थिति आ गई है या नहीं। परन्तु मैं यह कह सकता हूं कि हम इस दिशा में आगे बढ़ने की स्थिति में हैं और सम्भवत: इसमें और समय नहीं लगेगा, विशेषकर इसकी जाँच के विषयमें। यह एक विशाल परियोजना है। सम्भवत: इसकी लागत 3000 करोड़ रुपए से अधिक होगी। इसे नेपाल में लगाया जाएगा। इसके लाभ दोनों देशों को मिलेंगे। इसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों से धन आएगा।

भारत को भी इसमें हिस्सा बंटाना पढ़ेगा। इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लेने हैं इन मामलों पर विचार हो रहा है। इसीलिए यह अभी प्रारम्भिक स्थिति में है। अभी हमें निर्णय करना है।

अब मैं भूटान पर आता हूं। जैसा कि भली भांति ज्ञात है, भूटान के साथ हमारे सम्बन्ध भौगोलिक स्थिति के आधार पर राजनैतिक आवश्यकता, समान इतिहास, परम्परा और आपसी हितों पर आधारित हैं, जैसा कि 1949 की संधि में परिलक्षित है। हमारे सम्बन्ध मित्रतपूर्ण तथा पारस्परिक लाभप्रद हैं। इस वर्ष, अर्थात् पिछले वर्ष में निम्नलिखित समझौते हुए :

(1) कलकत्ता को पारो से जोड़ने वाली राष्ट्रीय सिविल हवाई सेवा;

(2) भूटान में एक प्रसारण केन्द्र की स्थापना;

(3) भूटान की पंचवर्षीय योजना में भारत द्वारा भाग लेने पर विचार-विमर्श चल रहा है; और

(4) चुखा जल परियोजना, जिसके विषय में सबको मालूम है, और पेनडेन सीमेंट संयंत्र को सहायता। चुखा फेस-II और ग्यालेफूग सिंचाई परियोजनाओं के फेस-II के विषय में विचार-विमर्श होना अभी शेष है।

ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर पिछले वर्ष निर्णय लिया गया।

फिर यहाँ भी इनमें सबसे बड़ी परियोजना पर अभी विचार नहीं हुआ है; और वह है मानस सन्कोष परियोजना। यदि यह परियोजना आरम्भ हो जाती है तो केवल भूटान और भारत के सम्बन्धों में ही नहीं बल्कि दोनों देशों के समस्त आर्थिक पहलुओं में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन आ जाएगा। परन्तु अभी तक परियोजना की विस्मयकारी प्रकृति सहित अनेक कारणोंवश मामले धीरे चल रहे हैं। हम शीघ्रता के लिए जोर नहीं देना चाहते क्योंकि इस परियोजना की उपयोगिता के विषय में भूटान को ही निर्णय लेना है। हम अपने किसी

पड़ौसी को इसलिए किसी परियोजना को आरम्भ करने के लिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि वह हमारे लिए भी उपयोगी है । उन्हें स्वयं स्वतंत्र रूप से निष्कर्ष निकालना है क्योंकि वह उनके लिए भी उपयोगी है और तभी इन पर कार्य किया जाएगा । जब हाल ही में भूटान नरेश यहाँ आए थे, तो उन्होंने हमें बताया था कि इस मामले पर वे आगे और विचार करना चाहेंगे । इस हद तक इस कार्य में प्रगति हो चुकी है । हम उनके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं । मैं समझता हूं कि आशा है निकट भविष्य में नहीं तो कुछ वर्षों बाद इस विशाल परियोजना को भी कार्यान्वित किया जा सकेगा ।

इसके बाद मैं एक बहुत महत्वपूर्ण संबंध पर आता हूं जो हाल में बहुत अधिक विवाद का विषय बना था अर्थात् बांगलादेश के साथ हमारे सम्बन्ध । हम पुन: मित्रता और पारस्परिकता के आधार पर संबंध बनाना चाहते हैं । बाँगलादेश के साथ एक रचनात्मक वार्ता आरंभ हो गई है । कई भ्रमणों का आदान-प्रदान हुआ है । मैं ढाका गया था । श्री प्रणव मुखर्जी ढाका गए थे । राष्ट्रपति जिया-उर्रहमान दो बार विभिन्न अवसरों पर दिल्ली आए थे और बाँगलादेश के विदेश मंत्री तथा अनेक अन्य मंत्री किसी न किसी संबंध में इस देश के दौरे पर आए थे । अत: जहाँ तक दौरों के आदान-प्रदान का संबंध है वे काफी संख्या में हुए । निम्नलिखित विषयों में निरन्तर प्रगति हुई है :

(1) भूमि सीमा;

(2) समुद्री सीमा । मैं प्रत्येक मद के ब्यौरों पर नहीं जाऊंगा और न ही यह कहूंगा कि कितनी प्रगति हुई है । मैं सम्पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ वक्तव्य दे रहा हूं कि इन सभी मामलों में प्रगति हुई है ।

(3) सीमा पर गैर-कानूनी गतिविधियां । यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी जो खटक रही थी । यह वास्तव में दोनों तरफ कठिनाइयाँ पैदा कर रही थी । मुझे यह कहने पर हर्ष है कि दोनों सरकार किसी समझौते पर पहुंच गई हैं और इस समझौते को दोनों तरफ से क्रियान्वित करने के अच्छे अवसर हैं ।

(4) रेल मार्ग सुविधाएं । यह लम्बे समय से पड़े मामलों में से एक था, जिस पर किसी-न-किसी कारणवश कोई प्रगति नहीं हुई थी । इस वर्ष बाँगलादेश इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिएं सिद्धान्त: मान गया है । स्वभावत: ब्यौरे तैयार करने थे ।

(5) व्यापार सम्बन्धों में सुधार ।

(6) ढाका में लगी भारतीय इंजीनियरी प्रदर्शनी काफी सफल रही । इससे दोनों देशों के बीच सहयोग की विशाल सम्भाव्यता का पता लगा ।

(7) साँस्कृतिक आदान-प्रदान भी सन्तोषजनक रूप से बढ़ रहा है । इस मामले में भी पहले इतनी प्रगति नहीं हुई थी । इस वर्ष हमने इसे थोड़ी दृढ़तापूर्वक

सुलझाने का प्रयास किया; और मुझे खुशी है कि इस विषय में कुछ प्रगति हुई है ।

अब मैं सबसे कठिन समस्या, फरक्का पर आता हूं। मैं यह नहीं कहूंगा कि किसने क्या किया। यह भारत और बांगलादेश के बीच का सम्बन्ध है। मैं सम्बन्धितों का नाम नहीं लूंगा. मैं सरकारों का नाम नहीं लूंगा। सरकार निरन्तर चलने वाली संस्था है। मैं इसे उसी रूप में लेने को तैयार हूं। अब मैं जो कुछ कहने जा रहा हूं वह वास्तव में अखण्डनीय है। आप जानते हैं जब दो कमजोरियों के कारण फरक्का समझौता समाप्त हो गया। कलकत्ता बन्दरगाह को पर्याप्त पानी की सप्लाई को सुनिश्चित करने में इसने फरक्का बैरेज के मूल उद्देश्य की रक्षा नहीं की। दूसरे, यह खाड़ी के पानी के सम्पूर्ण उपभोग के लिए किसी समयबद्ध कार्यक्रम को सुनिश्चित नहीं करता है। अब अब, ये दो अखण्डनीय तथ्य है। इन तथ्यों से कुछ विकास हुआ है। जैसा कि पता ही है फरक्का समझौते के दो भाग हैं। एक अल्पावधि का है और दूसरा दीर्घावधि का है। हमने सदा ही समझौते को समूचा लिया है। दोनों पहलू या ये दोनो भाग समूचे समझौते के अंग हैं अब, इस अल्पकालीन समझौते या अल्पकालीन जल प्रयोग को किसी अन्य रूप में लेने की प्रवृत्ति बन गई है, जो अन्तिम है जबकि दीर्घावधि पहलू किसी हल को नजर में रखे बिना समस्या का समाधान करने का प्रयास किए बिना, प्रश्न के ब्यौरों पर विचार किए बिना, प्रश्न की या अन्यथा सम्भाव्यताओं पर विचार किए बिना मन्द पड़ता जा रहा है। यह स्वयं समझौते की भावना के विरुद्ध है। इसलिए, हम एक अत्यन्त संकटकालीन स्थिति में हैं।

संयुक्त नदी आयोग इस समस्या को सुलझाने में असफल रहा है। अल्पावधि समझौते की अवधि शीघ्र ही समाप्त होने वाली है। और अब हमें, यदि संभव हो तो समझौते को बचाने के रास्ते या साधन ढूंढ़ने होंगे अथवा हमें देखना होगा कि कौन से वैकल्पिक मार्ग शेष हैं। हम स्वयं को फरक्का के मामले में ऐसी स्थिति में पाते हैं। हमें किसी पर दोष नहीं लगाना चाहिए। प्रश्न एक और दूसरे देश के बीच है। समस्या यह है और हम बहुत चिन्तित हैं क्योंकि केवल कलकत्ता बन्दरगाह ही नहीं बल्कि हमारी तरफ इससे भी अधिक स्थानों को खतरा है। बिहार खतरे में है, उत्तर प्रदेश खतरे में है और गंगा और इसकी घाटी से भविष्य में पानी प्राप्त करने वाले सभी क्षेत्र खतरे में हैं। अतः यह हमारे लिए कोई सुगम बात नहीं है। हम इसे अकारण नहीं ले सकते और हम जानते हैं कि बंगलादेश भी इसकी ओर से लापरवाही नहीं बरत सकता। अतः यह हमारी राजनीतिक इच्छा की परीक्षा है। यह हमारी राजनीतिक निपुणता की परीक्षा है और विभिन्न कारणों से मुझे भी इस समय इसका कोई सही उत्तर नहीं दीख पड़ रहा है। यह स्थिति है और इसलिए हमें धैर्य और कल्पनाशीलता से कार्य लेना होगा और हमें प्रयास भी करते जाना होगा। इसमें समय लगेगा।

श्री लंका के सम्बन्ध में कल एक माननीय सदस्य क्षुब्ध हो रहे थे और उनका क्षुब्ध

होना सही था क्योंकि श्री लंका में राज्यहीन व्यक्तियों के प्रश्न को हल करने के सम्बन्ध में गति बहुत ही धीमी है। मैं स्वीकार करता हूं कि अनेक कारणों से उसमें विलम्ब हुआ है। किन्तु मैं सदन को तथा माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारी ओर से कोई विलम्ब नहीं हो रहा है और न ही मैं स्पष्ट तौर पर यह कह सकता हूं कि उस देश की सरकार इस विलम्ब के लिए उत्तरदायी है। अनेक ऐसे उतार-चढ़ाव आए हैं अनेक ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके परिणामस्वरूप यह विलम्ब हुआ है। रामेश्वरम् के मछुआरों के लिए, जिनका मन्त्री महोदय ने भी उल्लेख किया था हम हर सम्भव कदम उठा रहे हैं। समुद्र के आर-पार दीवार बनाना तो संभव नहीं है, किन्तु हम यह सुनिश्चित करने लिए हर सम्भव कदम उठा रहे हैं कि हमारे मछुआरे गलती से भी उस देश की जल सीमा में न जाएं और स्वयं को मुसीबत में न डालें। मुझे पिछले वर्ष रामेश्वरम् जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैंने स्वयं उस क्षेत्र को देखा था कि हमारे मछुआरों के लिए अपने ही देश की जल-सीमा में मछलियां पकड़ना कितना कठिन था और उस देश की जल-सीमा में गलती से चले जाने की संभावना बनी ही रहती है, बल्कि ऐसा होना आवश्यक है। कच्चाटीवु समझौते को दोनों देशों के लिए उचित माना गया है और बार समझौता हो गया है तो हमें उसके परिणामों को भी भुगतना होगा और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे मछुआरों को उस कारण से कष्ट न उठाने पड़े।

मालदीव के बारे में मैं सदन के सामने बड़ा अच्छा चित्र प्रस्तुत करना चाहता हूं। हमारे उनके साथ बड़े अच्छे सम्बन्ध रहे हैं और हमने अभी हाल में वहाँ एक रेजीडेंट राजदूत की नियुक्ति की है। इससे यह पता चलता है कि मालदीव के साथ सम्बंधों के स्तर को बढ़ाने की आवश्यकता समझी गई और इस बात का भी पता चलता है कि हमारे उनके साथ सहयोग में प्रतिवर्ष वृद्धि होती जा रही है।

अन्त में मैं पाकिस्तान का जिक्र करना चाहूंगा। यह विदित है कि मैंने पिछले एक वर्ष में भारत-पाक सम्बन्धों के बारे में कोई एक दर्जन वक्तव्य दिए हैं। औसत के तौर पर हर महीने एक वक्तव्य दिया गया। हम हर महीने नए वक्तव्य इस अर्थ में दे रहे थे कि हम बदलती हुई स्थिति की पुनरीक्षा करते रहे थे। हमने एक ही वक्तव्य बार-बार नहीं दिया। हमने वहाँ अपने दूत भेजे हैं। पाकिस्तान के विदेश मन्त्री भी यहाँ आए थे। हमने अन्य स्थानों पर भी जैसे संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य स्थानों पर भी पाकिस्तान से बातचीत की है। वास्तविक बैठकों और सम्पर्कों के सम्बन्ध में मेरे विचार से इससे अधिक कुछ नहीं किया जा सकता था। जितना भी व्यवहारिक तौर पर सम्भव था पाकिस्तान से बातचीत की गई, सम्पर्क स्थापित किया और एक दूसरे के विचारों को समझने का प्रयास किया गया। मैं नहीं समझता कि इससे अधिक कुछ किया जा सकता था। अब वास्तविक प्रश्न क्या है? वास्तविक प्रश्न यह है कि अब पाकिस्तान को फैसला करना है। अन्ततः बात सीधी-सी है क्योंकि जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में कहा था कि अब प्रयत्न यह है कि पाकिस्तान कोई फैसला करे। क्या पाकिस्तान किसी

फैसले के लिए तैयार है ? क्या वह इससे दूर रहना चाहता है ? क्या पाकिस्तान एक गुट-निरपेक्ष देश की सच्ची भूमिका निभाने के लिए तैयार है ? यही वास्तविक प्रश्न है। मैंने अपने वक्तव्य में इस बात का उल्लेख किया था। मैंने बड़ा संयत-सा वक्तव्य दिया था क्योंकि स्थिति स्पष्ट नहीं है। कम से कम उस दिन तो स्थिति बड़ी अस्पष्ट थी। मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता था जिससे पाकिस्तान हमसे और दूर हो जाए। अतः विरोध प्रकट करने के साथ-साथ हमने अमरीकी प्रशासन को अपनी चिन्ता से अवगत किया है, 31 मार्च, अर्थात् आज ही हमारे राजदूत जनरल हैग से मिलेंगे। हमने अपने प्रयासों में कोई ढील नहीं की है। हमने उन्हें यह बात समझाने का हर सम्भव प्रयास किया है कि इसका अर्थ पाकिस्तान को कुछ हथियार देना भाग ही नहीं है। इसका और भी कहीं अधिक अर्थ है। इसका अर्थ यह है कि तनाव पैदा होंगे। इसका यह भी अर्थ है कि इस क्षेत्र में हथियारों की एक और होड़ आरम्भ हो जायेगी। इसका अर्थ यह है कि भारत-पाक सम्बन्धों में सामान्यकरण की प्रक्रिया को धक्का लगेगा। हमने उन्हें यह बताया है, हमने पाकिस्तान को भी यह बता दिया है और अब ऐसी निराशाजनक स्थिति में भी हम आशावान हैं, क्योंकि पिछले तीन अथवा चार दिन में यह आशा भी धूमिल हो गई है, किन्तु फिर भी हम आशा कर रहे हैं कि उन्हें सद्बुद्धि आयेगी। किन्तु मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि पाकिस्तान हथियारों से पूरी तरह लैस होना चाहता है और अमरीकी प्रशासन भी उसे हथियारों से पूरी तरह लैस करना चाहता है, तो पुनः मैं यही कहना चाहता हूं कि यह पाकिस्तान की अपनी क्षमता के अनुसार ही होना चाहिए। उस सम्बन्ध में मुझे और कुछ नहीं कहना है। किन्तु जहां तक भारत का सम्बन्ध है, मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम सतर्क रहेंगे और इसके प्रति सतर्क रहेंगे कि क्या हो रहा है और उसके लिए हमें क्या करना है, हम उसके प्रति भी पूरी तरह से सतर्क रहेंगे।

श्री चन्द्रजीत यादव : क्या आप श्री हैग से मिलेंगे अथवा आप राजदूत से कह रहे हैं कि वह उनसेमि लें ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मुझसे यह प्रश्न कुछ दिन पहले भी पूछा गया था। हम उस तरह नहीं चलते हैं। बात यह है कि दो विदेश मन्त्री एक स्थापित व्यवस्था के अनुसार ही मिलते हैं। मैंने यह कहा है कि कुछ समय में बैठकें होंगी। किन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत सरकार अगर भय का प्रदर्शन करेगी तो उसका प्रतिकूल प्रभाव होगा।

श्री चन्द्रजीत यादव : यह भय के कारण की बात नहीं है। यह एक गम्भीर स्थिति है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं इस सम्बन्ध में गम्भीर रूप से विचार कर रहा हूं। मैंने ऐसा पहले भी कहा है। मैंने बैठकें होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया है। मैंने बातचीत करने की सम्भावना से इंकार नहीं किया है। मैंने इन सबसे इंकार नहीं किया है।

किन्तु बात यह है कि बैठकों के लिए पहले तैयारी करनी पड़ती है। यह बात नहीं है कि उन्हें हमारी चिन्ता या पता नहीं है। यह बात भी नहीं है कि वह इस समस्या का पहली बार अध्ययन कर रहे हैं। ऐसे निर्णय जानबूझ कर किए जाते हैं और यह बात भी नहीं कि उन्हें यह पता न हो कि भारत का पक्ष क्या है। किन्तु फिर भी प्रयास किए जायेंगे। मैं सदन को पुन: इस सम्बन्ध में आश्वासन देता हूं।

मैं अब अगले प्रश्न का उत्तर दूंगा जो कि चर्चा के दौरान काफी उभर कर सामने आया है वह है हिन्द महासागर, पश्चिम एशिया, दक्षिण-पश्चिम एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया और हमारे इर्द-गिर्द के क्षेत्रों की सुरक्षा का प्रश्न। महोदय, जो बातें कही जा चुकी हैं मैं उस सबको दोहराना नहीं चाहता। मै माननीय सदस्यों द्वारा स्थिति के सम्बन्ध में दिए गए विश्लेषण से सहमत हूं और जिस गम्भीर स्थिति का उन्होंने चित्रण किया है तथा उसके जो परिणाम होंगे, उनसे भी मैं सहमत हूं। इस सम्बन्ध मे वास्तविक मुद्दा तनाव शैथिल्य के सम्बन्ध में है। और तनाव शैथिल्य तभी अर्थपूर्ण होता है जब उससे निरस्त्रीकरण किया जा सके। यह सभी बातें परस्पर सम्बद्ध हैं। 35 वर्षों से विकसित देश शान्तिपूर्ण वातावरण में अपना विकास करते रहे हैं, जबकि विकासशील देशों को इस अवधि में सैकड़ों छोटे मोटे संघर्षों, छोटे बड़े युद्धों तथा हथियारों की होड़ों का सामना करना पड़ा है और इन सबका उद्गम स्थल विकसित देश ही थे। यह विकासशील देश इतने कम विकसित थे कि अपने लिए हथियारों का निर्माण नहीं कर सकते थे। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है और इसे समझने के लिए किसी बड़े ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। जबकि विश्व के एक भाग में शान्तिपूर्ण वातावरण में विकास हो रहा था विश्व के दूसरे प्रमुख भाग में पूर्ण विनाश हो रहा था। यह बात पिछले 35 वर्षों से हो रही है। जब तनाव शैथिल्य की बात पहली बार कही गई तो तीसरे विश्व के नेताओं ने तभी कह दिया था कि यूरोप में तनाव शैथिल्य होने से ही काम नहीं चलेगा; तनाव शैथिल्य विश्व भर में होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि यूरोप में ही सीमित तनाव शैथिल्य का अर्थ यह होगा कि वह यूरोप में नहीं लड़ेंगे किन्तु अन्य देशों में हमेशा लड़ते रहेंगे। इसका यही अर्थ होता है। यही बात तीसरे विश्व के सभी नेताओं ने कही थी। किन्तु किसी के कानों पर जूं तक न रेंगी। यहां तक कि अमरीकी उपन्यासों में अमरीका और रूस के बीच विभिन्न स्तरों पर बात-चीत प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान, डाटा प्रोसेसिंग और उसके आदान-प्रदान आदि का एक महान युग के रूप में वर्णन किया गया है। संयोगवश जब अमरीकी उपन्यासों में अमरीकी प्रशासन और सोवियत रूस बड़े मिलनसार ढंग से कार्य कर रहे थे तो उस समय विडंबना यह थी कि उनका सांझा शत्रु चीन था। उसके पश्चात तनाव शैथिल्य के विपरीत स्थिति आई और आप कई उपन्यासों में पढ़ेंगे कि केवल पृथ्वी पर ही नहीं अपितु चाँद पर भी अमरीका और रूस के बीच युद्धों का वर्णन किया गया है। मैं साहित्य का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि साहित्य, सबसे अधिक बिकने वाले उपन्यास जिसकी लाखों में प्रतियाँ बिकती हैं, पाठकों के दिमाग में बैठ जाते हैं। अतः इसलिए यह बात महत्वपूर्ण हो गई है। इनमें से एक उपन्यास में यह कल्पना की गई है कि चीन और

रूस में महायुद्ध छिड़ गया है और दोनों देश अमरीका से न्याय करने के लिए कहते हैं। मुझे लेखकों के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है। मुझे इस प्रकार की कल्पना के विरुद्ध भी कोई शिकायत नहीं है। किन्तु बात यह है कि इस प्रकार का गल्प जीवन के तथ्यों पर ध्यान नहीं देता, यह कोरा काल्पनिक गल्प है। हम इसे भुला सकते हैं। किन्तु हम यह नहीं भूल सकते जब घटनायें घटित होती हैं तो जनता की प्रवृतियों और प्रतिक्रियाओं में भी परिवर्तन होता है। इसलिए यदि किसी देश विशेष में एक विशेष प्रकार का मनोवैज्ञानिक वातावरण पैदा किया जाता है तो उस मनोवैज्ञानिकता से मुक्त होना कठिन हो जाता है।

सम्भवत: आधुनिक युद्ध या आधुनिक लड़ाइयाँ किसी और चीज की अपेक्षा मनोविज्ञान को आधार बना कर लड़ी जा रही हैं। अतः सारा वातावरण इतना दूषित हो चुका है, इतना खराब हो चुका है कि आज शान्ति की बात करना भी अवास्तविक लगता है। निर्गुट आन्दोलन कहता है अस्तित्व बनाए रखने का एक ही तरीका है और वह सह-अस्तित्व। इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। श्री बीजू पटनायक भी यह कहते हैं कि चूंकि आप कमजोर हैं इसलिए आप गुट-निरपेक्षता के समर्थक हैं। अब गुट-निरपेक्षता को कमजोर समझा जा रहा है, कोई गुट-निरपेक्ष इसलिए है क्योंकि वह कमजोर है। गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की धारणा ही इतनी दोषपूर्ण है, ऐतिहासिक दृष्टि से इतनी गलत है कि कम से कम इस देश में उसे ठीक करने की आवश्यकता है। मुझे आशंका है कि इस प्रकार की गलत धारणा के रहते हुए हम वस्तुतः काम नहीं कर सकते।

तनाव कम करने की नीति के असफल होने का प्रभाव हिन्द महासागर पर पड़ा है, क्योंकि यह पहले वाले तनाव शैथिल्य क्षेत्र की सीमाओं से सर्वाधिक निकट है। वहां से सभी संचालन कर रहे हैं और उन्होंने अपने लिए यहां हित उत्पन्न कर लिए हैं। उनके पास एक बहाना है जिसका वह पूर्ण लाभ उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हिन्द महासागर का भारत के लिए क्या महत्व है? हमें इस एक बात को समझना है। हम **चतुस् सागर पर्यन्तम्** की बात किया करते थे। यह केवल आज की बात नहीं है बल्कि युगों से हमने हिन्द महासागर को एक ऐसे माध्यम के रूप में लिया है जहां से भारत ने सभी दिशाओं में विस्तार किया। यह माध्यम भारत का प्रतीक रहा है, इस माध्यम से दूर-दूर की यात्रा की है और यदि इस माध्यम को प्रदूषित किया जाता है तो मुझे आशंका है कि इसका पहला शिकार भारत ही होगा। अतः जब हिन्द महासागर में यह सब हो रहा हो तो हम आत्म सन्तुष्ट नहीं रह सकते।

कल श्री चव्हाण ने डियागो गार्शिया का मामला ठीक ही उठाया। मैं स्वीकार करता हूं कि हिन्द महासागर स्थित डियागो गार्शिया की तुलना कहीं भी किसी क्षेत्र से नहीं की जा सकती। जी हाँ, ठीक है। परन्तु गुट-निरपेक्ष घोषणा में इसे क्यों छोड़ दिया गया? क्या इसलिए इसे छोड़ दिया गया कि किसी ने हमारी बांह मरोड़ दी? क्या इसे इसलिए छोड़ दिया गया कि हम किसी को खुश करना चाहते थे? क्या इसे इसलिए

छोड़ दिया गया क्योंकि भारत की उस समय हिन्द महासागर में रुचि नहीं थी ? ये कारण तनिक भी नहीं थे । श्री चव्हाण ने जैसा कि कल कहा था कि यह गर्मागर्म बहस का विषय रहा है और जब इस पर सहमति की बात आई तो इस विषय का निष्कर्ष निकालने में काफी समय लगा है ।

हम कोलम्बों में हिन्द महासागर के बारे में सम्मेलन करने जा रहे हैं। प्रश्न यह है कि आप जब चाहते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरीका सम्मेलन में उपस्थित हो, यद्यपि मुझे विश्वास नहीं है कि संयुक्त राज्य अमेरीका इसमें भाग लेगा, परन्तु मैं यह नहीं कहता कि डियागो गार्शिया को सूची में न रख कर मैंने संयुक्त राज्य अमेरीका द्वारा भाग लिया जाना सुनिश्चित कर दिया है यद्यपि वास्तव में अभी कुछ नहीं बिगड़ा है और इस आधार पर हमने तो संयुक्त राज्य अमेरीका को भाग न लेने का बहाने बनाने से रोका है । यह जैसा कि पहले कहा जा चुका है श्री लंका के कहने पर किया गया था जिसने हिन्द महासागर सम्बन्धी सम्मेलन की मेजबानी की थी । हमें श्री लंका की इच्छा का सम्मान करना पड़ा । अब आप पूछेंगे, इतना सब कुछ करने के बाद भी क्या संयुक्त राज्य अमेरीका इसमें भाग लेगा या सम्मेलन होगा भी या नहीं ? इस सम्बन्ध में आप का और मेरा अनुमान एक जैसा है, क्योंकि यह खेद की बात है कि इसकी सम्भावनाएं कम होती जा रही हैं । मैं इस बारे में सभा को समय-समय पर जानकारी देता रहा हूं । परन्तु अब से पहले मैंने कभी विश्वास के साथ यह नहीं कहा है, और मुझे खेद है कि मैं अब और भी कम विश्वास के साथ कह रहा हूं कि हालात इस प्रकार के बनते जा रहे हैं । ऐसे कुछ बहाने बनाए गए हैं और उन्हीं बहानों के आधार पर हिन्द महासागर में जमाव बढ़ता जा रहा है। यह सम्मेलन 1981 में क्यों नहीं होना चाहिए ? मान लो यह 1983 में होता है या 1984 में होता है तो इस पर किसी को आपत्ति नहीं होगी क्योंकि उस समय तक जिस सीमा तक कोई शक्ति हिन्द महासागर में जमाव बढ़ाना चाहती है, वह बढ़ा लेगी । फिर आप सम्मेलन किस बारे में करना चाहेंगे ? यह एक सम्पन्न कार्य सा हो जाएगा केवल लोग एकत्रित होंगे और फिर चले जायेंगे ।

अतः यदि यह सम्मेलन होता है तो यह 1981 में ही होना चाहिए । इसका लाभ तभी है जब यह 1981 में हो । अन्यथा इसका कोई लाभ नहीं होगा । मुझे निश्चय नहीं है कि हम इस सम्मेलन का आयोजन नहीं कर पाएंगे । परन्तु हमारे सामने प्रश्न यह है कि जब कोई इस सम्मेलन में भाग नहीं लेना चाहता तो हम क्या कर सकते हैं ? क्या आप अन्य बातों के साथ-साथ सम्मेलन चाहते हैं या आप चाहते हैं कि सम्मेलन में वीटो हो जाए या उस देश के कारण देर से हो जिसकी उपस्थिति नितान्त अनिवार्य है ? इसी को धर्म संकट कहते हैं । अभी निर्णय नहीं लिया गया हैं । यह यथा शीघ्र लिया जाना होगा क्योंकि अब और समय नहीं गंवाया जा सकता । यदि हम अवश्य ही इसका आयोजन चाहते हैं, या हम इसको आयोजित करने का अवश्य ही निर्णय करना चाहते हैं तो तैयारियाँ अभी से आरम्भ करनी होगी । अतः यद्यपि सम्मेलन का भविष्य स्पष्ट नहीं है, फिर भी हमें इस

सम्मेलन का आयोजन करने के, जहां तक सम्भव हो सके, कठिन निर्णय को लेना होगा और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी जिनका इसमें भाग लेना नितान्त अनिवार्य है।

महोदय, हिन्द महासागर की स्थिति यह है। शस्त्रों की होड़ जारी है। यह सर्व विदित है हम सब थोड़ी अंग्रेजी जानते हैं और यदि हमें कोई शस्त्रों और हथियारों के नाम बताता है तो मुझे शंका है कि हम नहीं समझ सकेंगे। ये सारे नाम अंग्रेजी होते हैं परन्तु यह सच है कि हम नहीं समझ सकते कि उनका क्या अर्थ है, क्या अभिप्राय है, उनका क्या प्रयोजन है, उनसे क्या किया जा सकता है। हमारी तो यह स्थिति है और हम देखते हैं कि शस्त्रों की होड़ बिना रुके जारी है और हमारे लिए एक पहेली बनी हुई है।

प्रतिरोध के कई सिद्धान्त हैं। यह कहना कठिन है कि कौन किसका प्रतिरोध कर रहा है। मैं सोचता हूं मैं दूसरे व्यक्ति का प्रतिरोध कर रहा हूं दूसरा व्यक्ति सोचता है, वह मेरा प्रतिरोध कर रहा है। हम क्या हैं, वास्तव में हम स्वयं अपना प्रतिरोध करते हैं। मैं अपना प्रतिरोध स्वयं कर रहा हूं क्योंकि मैं सदैव उसके बारे में सोचता रहता हूं। इस सनक के कारण मैं कुछ अच्छा कार्य नहीं कर रहा हूं। मैं शस्त्रों पर व्यय में वृद्धि कर रहा हूं, यह सोचकर कि ऐसा करके मैं उसे रोक रहा हूं। मैं उसे रोक नही रहा हूं। मैं स्वयं को रोक रहा हूं। मैं इस धन को किसी अच्छे कार्य पर व्यय करने के लिए स्वयं को रोक रहा हूं, न कि दूसरे व्यक्ति को। यह प्रतिरोधक सिद्धान्त का कोई अच्छा तर्क नहीं है। जिसकी इन दिनों इतनी अधिक चर्चा की जा रही है। अतः महोदय, हमें समझना है कि इस स्थिति का सामना गुट-निरपेक्ष राष्ट्र को करना है क्योंकि यह सर्वविदित है कि सर्व प्रथम शिकार उन्हें बनना है और दूसरे, यदि वे प्रतिरोध करना चाहते हैं, तो मनुष्य मात्र के बहुमत के वे प्रतिनिधि हैं इसलिए प्रतिरोध करने का अधिकार केवल उन्हें है। उन्हें इतनी शक्ति उत्पन्न करनी है स्वयं में एक इच्छा उत्पन्न करनी है जिससे यदि वे प्रतिरोध करते हैं तो उन लोगों के लिए जो आत्मघाती होड़ में संलग्न हैं इसे जारी रखना कठिन हो। पंडित जी ने जैसे कहा था, यह नैतिक बल हो सकता है। परन्तु इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो पिछले एक वर्ष से उठाई जा रही है। यह अफगानिस्तान की बात है। हमने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि हम किसी भी देश में विदेशी सेनाओं की उपस्थिति का विरोध करते हैं। अब इसकी विभिन्न व्याख्याएं की जा रही हैं। आप अफगानिस्तान का नाम क्यों लेते हैं ? आप कम्पूचिया का नाम क्यों नहीं लेते ? आप क्यों नहीं कहते किसी भी देश में ? मेरा उत्तर है कि जब मैं कहता हूं किसी देश में तो इसका अर्थ है किसी देश में मेरा केवल अफगानिस्तान से मतलब नहीं है। मेरा केवल कम्पूचिया से मतलब नहीं है। जब अन्य भी हैं तो अलग-अलग देश के लिए अलग-अलग परामर्श कौन देना चाहेगा, मैं नहीं जानता... **(व्यवधान)**

श्री ज्योतिर्मय बसु : बिल्कुल नहीं।

दुर्भाग्यवश संयुक्त राष्ट्र संघ के मंचों तथा ब्रैंडट आयोग के प्रतिवेदन में पारस्परिक-निर्भरता के बारे में जो कुछ कहा गया है नहीं समझा गया है। यह बात ऐसी है जिसे आसानी से नहीं समझा जा सकता है। मैं इसके एक छोटे से भाग को पढ़ता हूं। विली ब्रैंडट कहते हैं :—

"आज की समस्या केवल अथवा मुख्यत: सहायता की नहीं बल्कि विश्व अर्थव्यवस्था में बुनियादी परिवर्तन करने की है ताकि विकासशील देशों की सहायता की जा सके जिससे वे आत्म निर्भर हो सकें..."

वे दान नहीं चाहते, उन्हें आत्म निर्भर बनाइए।

"......और उत्तर के देश, जिनकी दक्षिण के साथ आपसी निर्भरता हैं, स्वयं भी अपनी भावी समृद्धि के लिए अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सुधार चाहते हैं"।

अत: यह पारस्परिक है। पारस्परिक-निर्भरता कोई ऐसी बात है जिसे विकसित देशों को भी अनुभव करना चाहिए।

"उत्तर-दक्षिण चर्चा की व्याख्या कभी कभी इस तरह की जाती है जैसे कि गरीबों की मांग पर अमीरों को त्याग करने के लिए कहा जा रहा हो। हम इस दृष्टिकोण को अस्वीकार करते हैं। विश्व आज जन संख्या, परिस्थिति तथा साधनों की दृष्टि से कमजोर तथा गूंथा हुआ सा है। कई समाजों ने अपने भीतरी विवाद कमजोर वर्ग की रक्षा करके तथा न्याय के सिद्धान्तों को बढ़ावा देकर तथा मजबूत करके सुलझा दिए हैं। विश्व भी एक उचित मानव समाज बन कर मजबूत हो सकता है। यदि ऐसा नहीं होता तो यह अपने विनाश की ही ओर बढ़ेगा"।

समूचे मामले का यही सारांश है। यदि हम अपने आपसे यह पूछें कि इस पारस्परिक निर्भरता पर कितने राष्ट्रों को तसल्ली है तो हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि ऐसे राष्ट्रों की संख्या इतनी कम है कि इन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता है। यदि हर विकसित देश का नागरिक केवल अपने ही बारे में सोचता है, केवल यही सोचता है कि उसे अगले बजट में क्या मिलता है और यह कि चुनाव आने पर किसी विशेष दल को मत देकर वह क्या प्राप्त करता है तो उन देशों द्वारा पारस्परिक निर्भरता अनुभव करने की आशा करना व्यर्थ ही है और यदि लोगों को तसल्ली न हो तो किसी स्वतन्त्र समाज के चुनावों में किसी राजनैतिक दल से यह आशा रखनी भी व्यर्थ है कि वे जन आकांक्षाओं के विरुद्ध जायेंगे। अत: यह एक बड़ा प्रश्न है जो राज्याध्यक्षों और सरकारों ही से सम्बन्धित नहीं बल्कि सभी देशों के सभी लोगों से सम्बन्धित है। अब क्या यह प्रयत्न किया जा चुका है ? यदि हम इस प्रश्न को अपने आपसे पूछें तो उत्तर यह होगा कि हमने ऐसा नहीं किया है। लेकिन यह बात विचित्र है कि 40 वर्ष पहले एक व्यक्ति ने ऐसा किया था और यह व्यक्ति महात्मा गाँधी ही था। वह लंकाशायर कारखाने के लोगों के पास गया था और उसने एक ऐसी बात कही जो राजनैतिक अर्थशास्त्र के इतिहास में बहुत ही

उत्कृष्ट है । वे प्रभावित लोगों के पास गए । वहां जाने का साहस कितनों को होता था, यह मैं नहीं जानता । वह उनके पास जाकर सीधी बात करता है :

"मैं यह प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे यह बताएं कि भुखमरी की रेखा पर जीवन-यापन करने वाली तथा आत्म-सम्मान से वंचित मानवता के पाँचवें भाग के बारे में मैं क्या करूं···"

ये उनके शब्द हैं :

"इसकी ओर लंकाशायर के बेरोजगार लोगों का ध्यान भी जाना चाहिए । आपने हमें लंकाशायर द्वारा 1899-1900 के दुर्भिक्ष के दौरान दी गई सहायता के बारे में भी बताया है । गरीब लोगों की समस्याओं के अलावा हम और क्या सहायता दे सकते हैं ।"

उन्होंने यह कहा है । अतः भारत के गरीब लोगों तथा लंकाशायर के श्रमिकों के बीच महात्मा गांधी ने पहली बार पारस्परिक निर्भरता स्थापित की । इतना ही नहीं, उन्होंने 1931 के आसपास इस प्रश्न की जटिलता पर भी गहराई से विचार किया ।

5 मार्च को समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद ब्रिटिश कपड़े का भिन्न विदेशी कपड़े के रूप में बहिष्कार नहीं किया गया है । एक राष्ट्र के रूप में हम सभी विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए वचनबद्ध हैं । लेकिन इंगलैंड तथा भारत के बीच एक सम्मानीय समझौते की दशा में अर्थात एक स्थाई सन्धि के मामले में मुझे सभी विदेशी कपड़ों की अपेक्षा लंकाशायर के कपड़ों को तरजीह देने में संकोच नहीं होना चाहिए । यदि मान्य शर्तों पर अपनी कपड़ों की अतिरिक्त मांग को पूरा करने की जरूरत हमें अनुभव हो ।

हम कपड़े की मांग में वृद्धि करना चाहते हैं । यदि बातचीत हो तो "हम आपका कपड़ा लेने के लिए तैयार हैं ।"

फिर उन्होंने कहा—"लेकिन हम आपको] कितनी राहत दे सकते हैं, यह मैं नहीं जानता······"

"···आपको यह बात माननी चाहिए कि अब दुनिया भर की सभी मार्किटें आपके लिए खुली नहीं हैं । जो कुछ आपने किया है, उसे आज सभी राष्ट्र कर रहे हैं ।"

उन्होंने यह भी कहा—"सभी एक ही काम कर रहे हैं, सभी शोषण कर रहे हैं । अतः मेरे प्रिय मित्रों आप कहां खड़े हैं ।" उन्होंने लंकाशायर के उन लोगों को ऐसा ही कहा जो यहाँ के स्वदेशी आँदोलन के कारण स्वयं कठिनाई में थे । फिर उन्होंने कहा :

"मैं यहाँ की बेरोजगारी से बहुत दुखी हूं लेकिन यहाँ कोई भुखमरी अथवा अर्ध-भुखमरी नहीं है । भारत में ये दोनों हैं ।

अब क्या हुआ है ? वार्ता शुरू करने की कुछ सम्भावनायें थीं । मान्यता के इन अति तकनीकी आधारों पर वार्ता नहीं हो सकी । बैठक में उसकी थोड़ी सी चर्चा मात्र हुई लेकिन इस पर विचार विमर्श न हो सका ।

फिर एक विचित्र बात हुई । संयुक्त राष्ट्र संघ के विचाराधीन यह समस्या पहले ही से थी । जनवरी, 1980 में इस पर मतदान हुआ । मामला दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र महासभा में लाया गया । क्यों ? इसका निर्णय इस सभा को करना है और माननीय सदस्यों को देखना है कि इसका कारण क्या है । मैं संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के विरुद्ध नहीं हूं । वहाँ आप किसी भी समस्या को कितनी ही बार उठा सकते हैं । लेकिन यदि आप किसी प्रश्न को उस मंच पर बार-बार ले जायें जहाँ उस पर मत विभाजन द्वारा मतदान हो चुका हो तो उस मंच पर उस प्रश्न के समाधान की सम्भावनायें कम ही होंगी । यह एक मोटी बात है । यह बात हर व्यक्ति को स्पष्ट होनी चाहिए ।

अब महासचिव को एक प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिए कहा गया है । फिर एक अति तकनीकी प्रश्न पैदा हुआ है । इन्हें क्या काम करना है ? क्या इन्हें इन वार्ताओं की अध्यक्षता करनी है ? क्या इन्हें केवल बैठकर वार्ता को सुनना है अथवा क्या इन्हें कभी-कभी इसमें भाग भी लेना है ? उनका पद क्या है ? उनके कार्य क्या हैं ?

मैं सारी कहानी का जिक्र कर रहा हूं ताकि आप इन तकनीकी बातों की तुलना वास्तविक प्रश्न से कर सकें । यह समस्या क्या थी और वे क्यों लड़ रहे हैं ? अफगानिस्तान के लोगों के साथ क्या हो रहा है ? अब श्री ब्रेझनेव ने एक वक्तव्य दिया है ? उन्होंने कहा है कि "यदि अफगानिस्तान और खाड़ी के प्रश्न पर एक साथ चर्चा की जानी है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है"। वह उस बात के लिए सहमत हो गए हैं तो दूसरा पक्ष चाहता है । अब प्रश्न क्षेत्रीय हो गया है । कल यह विश्व का हो सकता है और फिर क्या होगा ?

अब खाड़ी प्रश्न पर कब विचार होगा ? इसका क्या अनुमान है ? निश्चय ही आप का मेहमान इतना अच्छा है जितना कि मेरा है । अत: खाड़ी के प्रश्न के भाग के रूप में अफगानिस्तान के प्रश्न में अब ढील पड़ सकती है । उन्होंने अफगानिस्तान के प्रश्न को उस स्थिति तक पहुंचाया है । हम शुरू ही से चिल्लाते आ रहे है कि "इसे हटाइए और बड़े प्रश्नों से पृथक रखिए, इसे राष्ट्रीय प्रश्न बनाइए और इस पर चर्चा कीजिए"। हम विदेशी सेनाओं की वापसी ही चाहते हैं । आपने यही कहा था । हमय ही चाहते हैं। आइए । देखते हैं हम क्या करते हैं । वास्तव में कुछ तकनीकी बातें सामने आयी और आज प्रश्न का समाधान वहुत कठिन हो गया है । मेरे विचार में महासचिव के प्रतिनिधि कुछ सफलता प्राप्त कर लेंगे । हम उनकी सफलता की कामना करते हैं । लेकिन मैं सभा को उन घटनाओं से अवगत कराना चाहता हूं जिनसे समस्यओं का समाधान कठिन हो गया है ।

अब मैं आर्थिक प्रश्न पर आना चाहता हूं जो···

श्री ज्योतिर्मय बसु : चीन के बारे में कुछ नहीं कहना है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : यदि वह आखिर में न बोलते तो मैं कुछ टिप्पणी करता। इन्होंने कुछ पुरानी किताबों को नए साध्य के तौर पर रखा है अथवा रखते हुए प्रतीत होते हैं। मैंने उस पर वक्तव्य दे दिया है और उस बारे में मुझे कुछ और नहीं कहना है। उस वक्तव्य में मैंने यह बात स्पष्ट कर दी है कि उपलब्ध साक्ष्य को देखने के बाद, हमें इस बात की तसल्ली हो गई है कि हमारा कदम ठीक है और दो देशों के बीच की जिस सीमा को हम मानते हैं वह सीमा ठीक है। हमारा यही रवैया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने जुलाई, 1980 के एक प्रकाशन सें उद्धरण दे रहा हूं। उसमें यह है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : यदि मुझे ठीक याद हो तो मैंने भी वक्तव्य जुलाई में दिया था। इससे वह भ्रम दूर हो गया है जो बताया गया था अथवा जो आपत्तियां उठायी गयी थीं। इस बारे में जो नई रोशनी डाली जानी थी उसका भी हमने स्पष्टीकरण कर दिया था और इस बारे में और कुछ भी नहीं कहा जाना जरूरी नहीं। अतः वही मामले का अन्त है।

हम चीन के साथ सामान्य सम्बन्ध चाहते हैं। मैं उस बात को स्पष्ट कर चुका हूं। सामान्य सम्बन्ध का अर्थ क्या है, मैं इसे भी स्पष्ट कर चुका हूं और मुझे यह बात कहनी है कि पिछले दो अथवा तीन महीनों के दौरान कुछ आपसी वार्ताएं हुई हैं। चीन ने भारत से एक संसदीय प्रतिनिधि मण्डल भेजने को कहा है। निस्संदेह हमारे दोनों देशों के कुछ ऐसे मित्र हैं जो इधर उधर की बात करते रहते हैं। अतः इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं हैं।

आर्थिक प्रश्न के बारे में यह बात सच है कि स्थिति धुंधली है। संयुक्त राष्ट्र संघ का विशेष अधिवेशन विश्व समस्याओं के बारे में वार्ता अथवा उत्तरी-दक्षिणी वार्ता चाहता था, जो विफल हो गयी। इन सब तथ्यों की सबको जानकारी है।

अब मैं सभा का अधिक समय न लूंगा। लेकिन मैं इस उत्तरी-दक्षिणी वार्ता के कुछ पहलुओं की कुछ विशेष चर्चा करना चाहता हूं, जिसके द्वारा मेरे विचार में कुछ और ऐसी सफलतायें मिल सकती हैं जो पुराने सम्बन्धों का पालन नहीं करते और जो नई नई बातों की आवयश्कता अनुभव करती हैं और नई दिशाओं के बारे में सोचती हैं।

दुनिया भर के देश रक्षा पर जो व्यय कर रहे हैं, वह सर्व विदित है। ब्रेंडट आयोग रिपोर्ट तथा कुछ अन्य रिपोर्टों में एक बड़े पैमाने पर शस्त्र छेड़ की चर्चा की गई है। जबकि 60 से 70 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी का जीवन बिता रही है। अतः वह तर्क अन्तिम है। उसमें कुछ भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : (व्यवधान) महोदय, मैं नहीं जानता कि किसी भी देश में विदेशी फौजें हों। गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों के इस सम्मेलन में एक ऐसी उपलब्धि की उपेक्षा की गई, जिस पर हम गर्व भी कर सकते हैं, वह है कम्पूचिया पर एक पैरा। मैं संक्षेप में सही बताऊंगा कि हमने उस पर आम सहमति से प्राप्त की।

संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में जब 1980 में कम्पूचिया के प्रश्न पर विचार किया जाने लगा तो स्थिति स्पष्ट थी क्योंकि हम जानते थे कि बहुमत क्या कहेगा। उन्होंने साफ और साधारण शब्दों में कहा।

"एक निर्धारित समय सीमा में संयुक्त राष्ट्रसंघ की देख-रेख में कम्पूचिया से विदेशी सेनाओं की वापसी।"

मैं केवल संबद्ध भाग को पढ़ रहा हूं अब इसकी तुलना गुट-निरपेक्ष सम्मेलन की घोषणा के पैराग्राफ से कीजिए

"दक्षिण-पूर्व एशिया की स्थिति का पुनरीक्षण करने पर मंत्रिगण इस क्षेत्र में निरन्तर चलने वाली लड़ाइयों और तनावों पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त करते हैं, विशेषरूप से इसलिए कि कुछ राष्ट्र गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के सदस्य हैं, वे किसी प्रभुसत्ता सम्पन्न राष्ट्र के मामलों में हस्तक्षेप न करने के सिद्धान्त और किसी प्रभुसत्ता सम्पन्न राष्ट्र के विरुद्ध बल प्रयोग न करने के सिद्धान्त में अपनी निष्ठा पुन: व्यक्त करते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि कम्पूचिया के इर्द-गिर्द तनाव का वास्तविक खतरा बना हुआ है और यह व्यापक क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है।"

और यह महत्वपूर्ण है—

वे इस बात से पूर्णतया आशवस्त हैं कि एक व्यापक राजनीतिक हल के द्वारा इन तनावों को बढ़ने से रोका जाए, जिसमें विदेशी ताकतों की वापसी की व्यवस्था हो जिससे इस क्षेत्र में कंपूचिया सहित सभी राष्ट्रों की प्रभुसत्ता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय एकता के प्रतिपूर्ण समादर हो सके।

इन दो पाठों में अन्तर स्वत: स्पष्ट है। मैं बड़ी नम्रता पूर्वक गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में इस उपाय की उपलब्धि का दावा कर सकता हूं। सिंगापुर इससे सहमत था। (ए०एस०ई०ए०एन०) के सभी देश, जो कि इस आन्दोलन के सदस्य हैं, इस पर सहमत थे। जब हम यह कहते हैं कि हम किसी भी देश में विदेशी फौजें नहीं चाहते तो इसका यह अर्थ यह नहीं है कि हम किसी देश नाम लेने से डर कर ऐसा कह रहे हैं। हम इसलिए कह रहे हैं कि हम चाहते हैं, हमारा यही अर्थ है, और इसे समझने की आवश्यकता है। दुर्भाग्यवश यह बात कुछ लोगों की समझ में नहीं आई है, जिसमें इस सभा के भी कुछ सदस्य हैं।

मैं अब आर्थिक पहलू को लेता हूं जिसका यहाँ विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ है, उस सम्बन्ध में कुछ कहे बिना मैं सन्तुष्ट नहीं हो सकता इसलिए आर्थिक पहलू को मैं बाद में लूंगा। ऐसा प्रतीत होता है यह बात लोगों के मानस में घुस गयी है, यहाँ और अन्यत्र लोगों के दिमाग में घुस गयी है। बार-बार इसका उल्लेख किया गया है। मैं सभा को बताना चाहता हूं कि अफगानिस्तान में क्या हुआ। यह क्यों और यह कैसे हुआ इसका निर्णय सभा को करना है।

1980 में जब यह सरकार सत्ता में आई थी तो हमने कुछ कहा था, एक मूल बात कही थी, अर्थात हम किसी भी देश में सैनिक उपस्थिति के विरुद्ध हैं। मैं उस में विस्तार से नहीं जाऊंगा। एक महीने के भीतर सोवियत विदेश मंत्री यहाँ आए। हमने उनसे भी यही बात कही। मई में अफगान सरकार ने अफगानिस्तान से सेना हटाए जाने के बारे में कुछ प्रस्ताव रखे।

रूसी फौज के अफगानिस्तान जाने के तुरन्त बाद, विश्व भर में क्या प्रतिक्रिया हुई ? एक प्रतिक्रिया, जो प्रचार साधन द्वारा विश्व भर में हर जगह प्रकाशित हुई, यह थी कि रूस खाड़ी के गर्म पानी तक पहुंचना चाहता है और इसी कारण इसने अफगास्तिान में प्रवेश किया है। मैं इसकी गहराई में नहीं जाना चाहता। मैं केवल इसी प्रश्न पर बोल रहा हूं कि इस बारे में सामान्य प्रतिक्रिया क्या थी।

मैंने संसद में एक वक्तव्य में कहा था कि हमें इसकी छानबीन करनी है। प्रश्न के तीन पहलू हैं। एक स्थानीय राष्ट्रीय पहलू है, एक क्षेत्रीय पहलू है और एक विश्व पहलू है।

दूसरी ओर से कुछ सुझाव आए। हमने पाकिस्तान से कहा; हमने प्रत्येक से कहा कि आयें और इकट्ठे बैठें। मैंने पिछले वर्ष की चर्चा के दौरान भी इसका जिक्र किया था। मैंने महाभारत का जिक्र भी किया। वे दिन में लड़ते थे और रात को वार्ता करते थे। लेकिन कठिनाई क्या थी ? इसके लिए कोई भी इच्छा नहीं थी और इसीलिए इसके लिए कोई उपाय भी नहीं था। वह एक पहलू हो सकता है। दूसरी कठिनाई यह थी कि यदि मैं जा कर बावरक कर्मल से बात करूं तो इसका अर्थ उसे मान्यता देना होगा। लेकिन दूसरी ओर से उत्तर आया, "हम पार्टी के सदस्य के नाते बात करने के लिए तैयार हैं। यदि आप चाहें तो हम सरकार का लेबल नहीं लगायेंगे। हम पी० डी० पी० ए० के नेता के रूप में आयेंगे।" फिर क्या होगा ? "न" करना सम्भव नहीं था जब दूसरा पक्ष बिना शर्त वार्ता करने को तैयार था। हम बिना शर्त के वार्ता चाहते थे।

हम इस बारे में प्रयत्नशील रहे क्योंकि हम इन पहलुओं की छानबीन करना चाहते थे। हमें भय था कि यदि इसे भूखंडीय अथवा सार्वभौमिक रंग दिया जाए तो समस्या का समाधान और भी कठिन हो जायेगा। यदि आप इसे अपने सामने बैठकर स्थानीय रंग दें तो कुछ बैठकों के बाद इसका समाधान सम्भव हो सकेगा।

क्या हम इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि अब क्या कोई व्यक्ति इन लोगों के पास जा सकता है और उन्हें निर्भीकता तथा निष्पक्षता से सारी सच्चाई कह सकता है।

आज अमीरों और गरीबों के बीच इसी प्रकार की वार्ता की आवश्यकता है। उत्तर और दक्षिण के बीच इसी प्रकार की वार्ता की आवश्यकता है। मैं यह नहीं कह सकता कि यह सफल होगी लेकिन इसे सफल करना होगा।

यहाँ तंजानिया के राष्ट्रपति हैं। वह अफ्रीका के एक सम्मानित नेता हैं...... (व्यवधान) इस प्रकार के कई राज्याध्यक्ष हैं जो इस प्रश्न पर पुनः विचार करने की व्यवस्था कर सकते हैं और मेक्सिको में एक छोटे शिखर सम्मेलन का आयोजन इसी कारण किया जा रहा है। इसके होने के समय और ढंग के बारे में कई प्रकार की बातें चल रही हैं। इन प्रश्नों की चर्चा करके मैं सभा का समय नहीं लूंगा। लेकिन यह छोटा शिखर सम्मेलन किसी एजेन्ट, सहमति वार्ता आदि के बिना ही चलेगा। यह भावनाओं का सम्मेलन होगा और इसका उद्देश्य भी यही है। 21, 22 अथवा 23 राज्याध्यक्ष इकट्ठे होंगे। आशा यही है कि दक्षिण और उत्तर के बीच की इस दीवार, जो बनावटी तौर पर अथवा ऐतिहासिक कारणों से तैयार की गई है, को इन लोगों के 21 व 22 संख्या में इकट्ठे होने पर गिरा दिया जाएगा इसका कारण कोई भेदभाव नहीं बल्कि यह है कि एक छोटे से ग्रुप में जिसका आयोजन किया जा रहा है। इस बारे में गम्भीर विचार करना सम्भव होता है।

अब मैं सभा के सामने अपनी आखिरी बात रखता हूं। मैंने कहा कि 1980-89 के बीच एक नई वार्ता का करना जरूरी है। मैं दावा नहीं करता कि यह एक मात्र विचार हो सकता है लेकिन पिछले दशक के कुछ अनुभव ऐसे हैं जिन्हें नजरअन्दाज करना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। एक विचार यह भी है कि गुट निर्पेक्ष आंदोलन का कोई भी विकल्प नहीं है। 1980 से शुरू होने वाले दशक के दौरान गुट निर्पेक्ष आँदोलन को मजबूत होने दीजिए ताकि भविष्य में यह अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में इसका महत्व और बढ़े।

जहां तक मैं जानता हूं कोई इसका विकल्प नहीं सुझा सकता है और इसलिए यह करना ही पड़ेगा। करने से कहना सरल है क्योंकि हम जानते हैं यह कितना कठिन है। हम कठिनाइयाँ झेल चुके हैं। परन्तु इसमें मुझे कोई सन्देह नहीं है कि गुट-निरपेक्ष आंदोलन, जिसने कि 22 वर्ष पूरे कर लिए हैं अपने समय से आगे चल रहा है और इसने कुछ परिपक्वता भी ग्रहण कर ली है जिसके आधार पर तथा जिसके बल पर यह बड़े ही विश्वास से आगे बढ़ सकता है।

महोदय, मैंने ऐसे किसी आंदोलन के बारे में नहीं पढ़ा जो कि बिना किसी सैन्य-समर्थन के, बिना किसी अन्य प्रकार के अनुमोदन के, बिना किसी कार्यालय के, बिना किसी प्रकार के कार्यसंचालन नियमों के बीस वर्ष तक लगातार चलता रहा हो और जो गत बीस

वर्षों से आज तक एकता का प्रतीक बनकर आज विश्व का सर्वशक्तिशाली आन्दोलन बन गया हो। गुट-निरपेक्ष की तुलना मैं पूछना चाहता हूं कि गुटों में बटे रावट क्या कर रहे हैं? वे तो केवल विश्व-विनाश की तैयारी कर रहे हैं और यदि कोई है जो विश्व के बचाव के प्रयत्न कर रहा है तो वह गुट-निरपेक्ष आन्दोलन है और वह भी बिना किसी इस प्रकार के उपकरणों के। इसलिए तो यह कहा जाता है :

क्रिया सिद्धि:सत्वे, भवति महताम् नेपकरणे।

यह उपकरणों पर निर्भर नहीं है, यह तो कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। अतः गुट-निरपेक्ष आंदोलन ने इस इच्छा शक्ति को पिछले बीस वर्षों में प्रदर्शित किया है, ऐसा करना सदैव सरल नहीं रहा है, यह लड़खड़ाया है, विचलित हुआ है और केवल खड़े होकर आगे बढ़ने के लिए ही गिरा है और किसी भी आन्दोलन के लिए यह एक अच्छा अनुभव है। कोई भी आन्दोलन सदैव सरलता से आगे नहीं बढ़ा है और यदि कभी यह अड़चनों से घबराता है तो शायद कभी प्रगति ही न करे। गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की स्थिति ऐसी नहीं है, अतः आठवें दशक की प्रथम पूर्वापेक्षा होगी गुट-निरपेक्ष आन्दोलन को सबल बनाना।

हम इस आन्दोलन के बाहर क्या देखते हैं? जैसाकि मैं कह चुका हूं—साभिप्राय या अनजाने में, इरादतन या गैर-इरादतन, हम केवल विश्व को विनाश की ओर ले जाने के प्रयास कर रहे हैं।

एक और भी बातें हो रही है, गुट निरपेक्ष देशों को विभाजित करने की प्रक्रिया चल रही है। हम यह तो नहीं जानते कि इससे उन्हे क्या मिलेगा परन्तु इन देशों की एकता को कमजोर करके, मानवता को उपलब्ध शान्ति की एकमात्र गारन्टी को टुकड़े टुकड़े किया जा रहा है या फाड़कर टुकड़े टुकड़े करने के प्रयास चल रहे हैं। जैसाकि कल श्रीमान चव्हाण जी ने उल्लेख किया था, दिल्ली में हुए सम्मेलन को आन्दोलन की एकता को बनाए रखने का उचित श्रेय, गौरव मिलना चाहिए। यदि आप इसकी तुलना केवल, विश्व भर में, सभी प्रचार साधनों द्वारा लगाए गए पूर्वानुमान से करें तो यह दोनों ही के लिए चरमोत्कर्ष विरोधी रहा है। अतः इससे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ होगा। हमें इन तमाम छोटे देशों को यह विश्वास दिलाना होगा कि आन्दोलन के बाहर उन्हें विनाश के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ उनके लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि किसी महाशक्ति की छत्रछाया में जाना अथवा शास्त्रांस्त्र का संरक्षण प्राप्त करना, जैसाकि मैं कह चुका हूं ठीक वैसा ही है, जैसे अपने को वर्षा से बचाने के लिए बादलों का तम्बू लगाना। यह एक स्व-पराजय की प्रक्रिया है और एक दिन उन्हें इसको समझना होगा।

आठवें दशक में एक अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो समझनी होगी या दूसरों को समझानी होगी वह यह है कि सैद्धान्तिकता को प्रौद्योगीकी ने अपने अधीनस्थ कर लिया है और यह कि प्रौद्योगीकी सैद्धान्तिकता के बाहुपाश से मुक्त हो गई है। जो बात एक

प्रणाली कर सकती है, दूसरी प्रणाली भी वैसा ही कर सकती है, अतः सिद्धान्तों लड़ाई ने, प्रणालियों के संघर्ष ने बहुत सीमा तक अपना अर्थ खो दिया है। लोगों के लिए यह समझना और यह मानना बहुत कठिन है। परन्तु मैं एक ऐसा वक्तव्य देने जा रहा हूं जिसपर मैं चाहता हूं कि सभा के सदस्य सोचें और विचार करें।

विश्वास-प्राप्त करने के उपायों के सम्बन्ध में निरंतर चर्चा हो रही है, अतः हम आरम्भ कहाँ से करें ? क्या हम शस्त्रों से आरम्भ करें ? यदि कोई एक प्रणाली यह समझती है कि वह मानवता की अन्य प्रणाली से रक्षा कर रही है तो यह तो स्वयं को धोखा देने वाली बात है। परन्तु दोनों ही प्रणालियां स्वयंमेव अपनी-अपनी सीमाओं का संकेत प्रकट कर रही हैं। क्या इन प्रणालियों के लिए साथ-साथ चलना या सह-अस्तित्व का रवैया भी अपनाना सम्भव है। अतः 1980 के दशक में प्रणालियों का वही सरल-सूत्र जिसे हम सभी अपनाते रहे हैं—मैंने उसे अपनाया है और आप भी सभी अपनाते रहे हैं—सफल नहीं रहेगा। हमें यह देखना पड़ेगा कि प्रत्येक प्रणाली को भले ही हम इसे स्वीकार न करे अथवा सार्वजनिक रूप से स्वीकार न करें— अपने भीतर झांक कर देखना होगा कि इसमें कहां खराबी, टूटन आ रही है। इस प्रकार की टूटन के उदाहरणों से दुनियां भरी पड़ी है। मुझे उन देशों के नाम तो नहीं गिनाने है। आज यही हो रहा है और यदि हम इसके मूल में न जाएं और एक ऐसी प्रणाली विकसित करने का प्रयास न करें जो कि सह-अस्तित्व के लिए अच्छी हो तो 1980 के दशक का शान्तिपूर्वक गुजर जाना असम्भव है। अतः पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा दिए गए एक वक्तव्य से मैं अभी चार वाक्य पढ़कर सुनाता हूं जिसमें बहुत समय पहले उन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा था :

> "पश्चिमी पूंजीवाद में लाखों ही लोगों का विश्वास है। लाखों ही साम्यवाद में विश्वास करते हैं। परन्तु ऐसे भी लाखों-लाखों लोग हैं जो कि इन दोनों सिद्धान्तों से सम्बद्ध नहीं हैं और फिर भी अन्य लोगों के साथ मित्रता चाहते हैं, और अच्छा जीवन चाहते हैं और अधिक आशावान भविष्य चाहते है।"

अतः हमें इस बात का पता लगाना होगा। दुनियां में विनाश का जाल फैलाया जा रहा है। कहाँ-कहां यह फैलाया जा चुका है और मानवता इससे कैसे बचकर निकल सकती है। ठीक है कि पुरानी आदतें मुश्किल से ही छूट पाती हैं। हम एक विशेष-प्रणाली में पले है और उस प्रणाली के बाहर सोचना हमारे लिए आसान न हो परन्तु नई पीढ़ी को तो यह करना ही होगा। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि उत्तरदायित्व नई पीढ़ी के कन्धों पर पड़ने वाला है जो कि मेरे विचार अपरिवर्तनीय रूप में इस या उस प्रणाली के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है।

महोदय, अतः अविभाजित विश्व की सभी प्रकार से अविभाजित शान्ति में, प्रगति में, समृद्धि में, संकल्पना और सच्चाई के प्रतिपूर्ण प्रतिबद्धता होनी चाहिए और यदि नहीं तो सह-उन्मूलन में, सह-विनाश में। यही विश्व की अविभाजकता है। आज हम चौराहे

पर खड़े हैं। इसमें मुझे कोई सन्देह नहीं है कि सद्बुद्धि आएगी और मानव जाति सही मार्ग अपनाएगी।

महोदय, मैंने बहुत समय ले लिया है। अन्त में मैं सभी माननीय सदस्यों से अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि वे अपने कटौती प्रस्तावों को वापिस ले लें और अनुदान की मांगों को सर्व सहमति से पारित हो जाने दें।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि सभा सहमति हो तो मैं सभी कटौती प्रस्तावों को एक साथ सदन में मतदान के लिए रखता हूं।

कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं विदेश मन्त्रालय से सम्बद्ध अनुदान की मांगों को सभा में मतदान हेतु रखता हूं। प्रश्न यह है : "कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई विदेश मन्त्रालय सम्बन्धी मांग संख्या 31 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा राशियों से अनधिक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए पेश किए जाने वाले लेखानुदान में मांग की रकम।	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
31	विदेशमन्त्रालय	25,73,27,000	4,78,51,000

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय के नियन्त्रणाधीन अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान करेगी।

श्री मनीराम बागड़ी : इससे पहले घर मंत्री का स्टेटमेंट होगा। (व्यवधान)

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : मैंने कहा था कि हम सभा स्थगित होने से पूर्व वक्तव्य देंगे। मैंने यही कहा था।

श्री ज्योतिर्मय बसु : 4 बजे। यही निर्णय लिया गया था।

श्री मनीराम बागड़ी : 4 बजे का समय निश्चित हुआ था। घर मंत्री जी ने 4 बजे स्टेटमेंट देने का वचन दिया था यह रेडियो पर आया है। (व्यवधान)

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : मैंने कहा था, सभा स्थगित होने से पूर्व वह वक्तव्य देंगे।

इस समय पेट्रोलियम मंत्रालय की मांगों पर चर्चा होने दीजिए।

श्री मनीराम बागड़ी : रेडियो पर 2 बजे खबर आई है कि घर मंत्री दिल्ली में बच्चों की हत्या के बारे में सदन में 4 बजे बयान देंगे। क्या उनका बयान तैयार नहीं हुआ है ? (व्यवधान)

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : मैंने ऐसा नहीं कहा था। कृपया मेरा गलत उद्धरण न दें। मैंने आज शाम तक के लिए कहा था। मैंने कहा था, मंत्री महोदय सभा स्थगित होने से पूर्व वक्तव्य देंगे। कृपया मेरा गलत उद्धरण न दें।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या वह दिन समाप्त होने पर वक्तव्य देंगे ?

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : मैंने यह कहा था कि मंत्री महोदय आज शाम तक वक्तव्य देंगे। मैं यह सुझाव दे रहा हूं कि इस समय पेट्रोलियम, रसायन और ऊर्वरक मंत्रालय की मांगों पर चर्चा होने दें। वह सभा स्थगित होने से पूर्व वक्तव्य देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। अब हम पेट्रोलियम मंत्रालय से सम्बन्धित मांगों पर विचार करते हैं......

श्री मनीराम बागड़ी : नहीं, नहीं। (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फर पुर): महोदय, वह इसी समय वक्तव्य क्यों नहीं दे सकते ?

उपाध्यक्ष महोदय : लगता है इसमें कोई कठिनाई है। यदि वह तैयार है तो वह स्वयं आगे आएंगे।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : वह तैयार है।

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : मैंने वचन दिया है कि सभा स्थगित होने से पूर्व वक्तव्य दिया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा स्थगित होने से पूर्व।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : परन्तु, महोदय, मंत्री महोदय वक्तव्य देने के लिए तैयार होकर आए हैं। उन्हें वक्तव्य देने दीजिये उन्हें वक्तव्य प्रस्तुत करने दीजिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, सभा के प्रति इस तरह हलकेपन से क्यों व्यवहार किया जाना चाहिए ?

उपाध्यक्ष महोदय : कोई भी सभा के प्रति इतनी हलकी तरह व्यवहार नहीं करता है जितना कि आप करते हैं।

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : श्री फर्नान्डीस, मैं सभा को हलके ढंग से नहीं लेता। हमने यह कहा है कि हम इसी शाम को वक्तव्य देंगे।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : अभी क्यों नहीं ? मन्त्री महोदय 4 बजे वक्तव्य देने के लिए तैयार होकर आए हैं। क्या वह वक्तव्य देने के लिए आए हैं या नहीं ? उन्हें कहने दीजिए कि 'नहीं'...

श्री वेंकट सुब्बय्या : आप यह कैसे जानते हैं ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : वह 4 बजे वक्तव्य देने के लिए आए थे। (व्यवधान)

श्री मनीराम बागड़ी : मन्त्री महोदय, इस बात को इतने हल्के ढंग से न लें। सुबह इस पर इतना झगड़ा हुआ है। सरकार हर बात को उलझा देती है। (व्यवधान)

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : महोदय, यदि आपकी यही इच्छा है कि मन्त्री महोदय इसी समय वक्तव्य दें, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं वह वक्तव्य के साथ पहले से तैयार हैं। अतः वक्तव्य दिया जाए। अब मैं माननीय मन्त्री से वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूं।

एक चलती टैक्सी पर पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने से एक लड़के की मृत्यु के बारे में वक्तव्य

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : श्रीमन् दिल्ली पुलिस ने बढ़ती हुई अपराध प्रवृत्ति पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए वायरलेस युक्त गाड़ियों द्वारा गश्त लगाना, महत्वपूर्ण स्थानों पर नाकाबन्दी, और अपराध हो सकने योग्य स्थानों पर पहरा लगाने जैसे उपाय किए हैं। चुने हुए स्थानों पर बेरियर लगाए गए हैं, जहां रात में गाड़ियों की जाँच की जाती है।

2. 30 मार्च, 1981 को बहुत सवेरे एक टैक्सी कार संख्या डी० एल० टी० 5236 आजादपुर की ओर से जनरल स्टोर पुलिस गश्ती दल चौकी की ओर आई। इसको जांच के लिए धीमा होने के लिए कहा गया। ऐसा करने की बजाय इस गाड़ी के चालक ने जल्दी से गाड़ी को पीछे की ओर मोड़ लिया ताकि वह बराबर की एक सड़क की ओर भाग सके। बराबर की सड़क को भी उसी प्रकार अवरुद्ध देखकर वह चालक चैकिंग ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों की तरफ अपनी गाड़ी बड़ी तेजी गति से लेकर आया। हेड कान्सटेबल महेन्द्र सिंह गाड़ी से टकराने से बाल-बाल बचा और सिपाही सुभाषसिंह को जो बैंकिंग के प्रयोजन के लिए रखे गए ड्रम के आगे खड़ा था, उसी ड्रम से उसके दायें पाँव पर टक्कर

लगी। इस झटके के कारण सिपाही सुभाष सिंह जमीन पर गिर गया। कार ड्रम को 12 फुट से भी अधिक दूरी तक घसीटती हुई ले गई।

3. ड्यूटी पर तैनात मोटर साइकल सवार सिपाही प्रेमजीत सिंह और सिपाही सुभाष सिंह ने तत्काल इस गाड़ी का पीछा किया, क्योंकि उन्हें यह सन्देह हुआ कि इन लोगों के भागने का कोई आपराधिक कारण है। जनरल स्टोर से राजा गार्डन चौक (लगभग 3 किलोमीटर) तक पीछा करते समय पुलिस ने उन्हें गाड़ी रोकने की बराबर चेतावनी दी। अन्त में, गाड़ी को रोकने के लिए उन्होंने टायर पर गोली चलाई। दुर्भाग्यवश गोली टायर में न लग कर अगले पहिए के मडगार्ड पर लगी।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बागड़ी आप कृपया वक्तव्य सुनें। (व्यवधान) मैं इस पर किसी भी वाद-विवाद की अनुमति नहीं दूंगा। (व्यवधान)*

श्री योगेन्द्र मकवाना : 303 राइफल से चलाई गई केवल एक गोली मडगार्ड को भेदकर बोनट में लगी, फिर उसके बाद डैश-बोर्ड में लगी और कार सवारों में 18 वर्षीय अशोक के घुटने में लगकर 14 वर्षीय गंगा के पेट में जा घुसी। इसके बाद कार रुक गई और इसमें बैठे हुए लोग भागते देखे गए। दोनों घायलों को पुलिस द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों में से एक, गंगा चोट के कारण मर गया। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वक्तव्य के अलावा और कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाएगा। (व्यवधान)*

श्री योगेन्द्र मकवाना : घायल व्यक्ति के पिता श्री दरयाव सिंह बाद में अस्पताल गए और उसने बताया कि वह भी गाड़ी में सवार था। उसने स्वीकार किया कि उसने शराब पी रखी थी और उस समय उसका 14 वर्षीय पुत्र गाड़ी चला रहा था। उसके कथनानुसार क्योंकि उसके नाबालिग पुत्र के पास गाड़ी चलाने का वैध लाइसेंस नहीं था, इसलिए उसने अपने को अपराधी महसूस किया और भागने का प्रयास किया।

5. जाँच से पता चला है कि कार में और व्यक्ति भी सवार थे, जिनके नाम अभी तक उन व्यक्तियों ने नहीं बताए हैं जिनसे पूछताछ की गई थी।

6. पंजाबी बाग पुलिस स्टेशन ने प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 162 दिनांक 30-3-1981 के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307/332/353/186 के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारी पर ड्यूटी के समय हत्या का प्रयास, उसे चोट पहुंचाने और उस पर हमला करने का मामला दर्ज किया है तथा राजौरी गार्डन पुलिस स्टेशन ने प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 115 दिनांक 30-3-1981 के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 338 के अन्तर्गत पुलिस के विरुद्ध गहरी चोट पहुंचाने का मामला दर्ज किया है। (व्यवधान)

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : नियम बहुत स्पष्ट हैं। नियमों में यह बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है। आप यह जानते हैं। मैं इस पर किसी प्रकार के वाद-विवाद की अनुमति नहीं दूंगा। (व्यवधान)*

श्री योगेन्द्र मकवाना : दोनों मामलों में अपराध शाखा द्वारा जांच की जा रही है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। एक मजिस्ट्रेट द्वारा जाँच-पड़ताल की जा रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने दुर्घटना की मजिस्ट्रेट द्वारा जाँच किए जाने के आदेश दिये हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाएगा। (व्यवधान)* अब मैं अगली बात पर आता हूं। (व्यवधान)* कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाएगा। कृपया बैठ जाइए। मन्त्री महोदय के वक्तव्य के बाद किसी वाद-विवाद की अनुमति नहीं है। कृपया मेरे कथन के अतिरिक्त कुछ भी रिकार्ड मत कीजिए।

बजट (सामान्य) अनुदानों की मांगें १९८१-८२ जारी

पेट्रोलियम, रसायन एवं उर्वरक मन्त्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय के सम्बन्ध में माँग संख्या 69 से 71 पर चर्चा और मतदान करेगा; इसके लिए 6 घंटे का समय आवंटित किया गया है।

वे, माननीय सदस्य जिनके अनुदानों की माँगों के सम्बन्ध में कटौती प्रस्ताव परि-चालित हो गए हैं, यदि अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो वे अपने कटौती प्रस्तावों के क्रमांक दर्शाने वाली पर्चियां 15 मिनट के अन्दर सभापटल पर प्रस्तुत कर दें। केवल वही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए समझे जायेंगे।

प्रस्तुत माने गए कटौती प्रस्तावों के क्रमांक दर्शाने वाली एक सूची शीघ्र ही सूचना पटल पर लगा दी जाएगी। यदि किसी सदस्य को उसमें किसी प्रकार की गलती नजर आए तो वह उसे अविलम्ब सभापटल अधिकारी के नोटिस में ले आए।

श्री आर० पी० दास।

(व्यवधान)* मैं मन्त्री महोदय के वक्तव्य पर किसी प्रकार की चर्चा की अनुमति नहीं दे रहा हूं। मैंने अगली मद आरम्भ करा दी है।

(व्यवधान)*

मैं वक्तव्य पर किसी प्रकार की चर्चा की अनुमति नहीं दे रहा हूं। हम सभी

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

नियमों से बंधे हैं। यदि आप लोग आवश्यक समझते हैं तो आप नियमों में परिवर्तन कर सकते हैं।

कार्यवाही वृतान्त में कुछ शामिल नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)*

मैं वक्तव्य पर किसी प्रकार की चर्चा की अनुमति नहीं दूंगा। मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि यदि वे उस पर चर्चा करना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हे मुझे उचित नोटिस देना चाहिए। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। मुझे यहां पर नियमों के अनुसार चलना है आपने नियम बनाए है और मैं उन नियमों का संरक्षक हूं। (व्यवधान)*

मैं जो कहूं, उसके अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित न किया जाए। यदि श्री आर० पी० दास बोलें तो केवल वहां कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित किया जाएगा। (व्यवधान)* मेरी अनुमति के बिना कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। (व्यवधान)* मैं अगली मद ले रहा हूं। वक्तव्य पर कोई चर्चा नहीं की जाएगी। आप मन्त्री रहे हैं, आपको नियम पता है। (व्यवधान)* मुझे खेद है। आप मुझे कोई नियम बताए। (व्यवधान)* श्री आर० पी० दास, आप बोल रहे थे। (व्यवधान)* मैंने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि मन्त्री महोदय द्वारा वक्तव्य देने के पश्चात उस पर चर्चा करने की अनुमति नियमों में नहीं है। मैं चर्चा की अनुमति नहीं दूंगा। (व्यवधान)*

मैं उन्हें न्यायिक जांच करवाने का आदेश नहीं दे सकता। यह मैं उन पर छोड़ता हूं। (व्यवधान)* कार्यवाही 6 बजे तक चलेगी। (व्यवधान)* मैं नियमों के विरुद्ध नहीं जा सकता। इस सम्बन्ध में नियम बहुत स्पष्ट हैं कि मन्त्री द्वारा वक्तव्य देने के बाद उस पर चर्चा नहीं की जा सकती। (व्यवधान)* आप चर्चा के लिए नोटिस दे और तब उस पर अध्यक्ष महोदय निर्णय करेंगे। कृपया उचित प्रक्रिया का पालन करें। आप नाराज न हों। (व्यवधान)* आप नराज न हों। भावुक न बनें। (व्यवधान)* इसे कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित न करें।

(व्यवधान)*

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न नियम 376 के अन्तर्गत है। मन्त्री महोदय यहां पर हैं—वह विधि और व्यवस्था से सम्बद्ध हैं। क्या वह मेहरबानी कर सदन को आश्वासन देंगे—हमारे दिमागों से इस सम्बन्ध में सभी प्रकार के सन्देह निकाल देंगे कि उच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश द्वारा न्यायिक जांच करायी जाएगी ? मैं यह उन पर छोड़ता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह उन पर छोड़ता हूं। मैं उन्हें निदेश नहीं दे सकता।

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(व्यवधान)* कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। (व्यवधान)* कार्यवाही-वृतान्त में कुछ भी शामिल न करें। (व्यवधान)* कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित न करें। (व्यवधान)* कार्यवाही बृतान्त में कुछ भी सम्मिलित न करें। (व्यवधान)* कार्यवाही-वृतान्त में कुछ भी शामिल न करें। (व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें। उनका व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मन्त्री महोदय ने वक्तव्य स्वतः नहीं दिया था। आज सुबह, शायद उस समय आप सदन में नहीं थे। आज सुबह हमने यह प्रश्न उठाया था और तब मन्त्री महोदय ने वक्तव्य देने का वायदा किया था। आप यहाँ पर भी वही नियम लागू कर रहे हैं जो उन वक्तव्यों पर लागू होता है जो मन्त्री स्वतः देते हैं। किन्तु यह वक्तव्य विशेष अध्यक्ष महोदय से किए गए हमारे अनुरोध पर किदा गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी हो, यह वक्तव्य है। यह वक्तव्य मन्त्री महोदय द्वारा दिया गया वक्तव्य है। (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में दिए जाने वाले वक्तव्य भी वक्तव्य होते हैं। (व्यवधान) मैं पुनः आपसे अपील करता हूं। आपके दिमाग में एक नियम विशेष है जो उन वक्तव्यों पर लागू होता है जो मन्त्री महोदय स्वतः देते हैं. यह वक्तव्य हमारी माँग पर दिया गया था। (व्यवधान)

आचार्य भगवान देव : यह कौन से नियम की बात कर रहे हैं?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप हमें कुछ स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति दे सकते हैं।

आचार्य भगवान देव : उपाध्यक्ष महोदय, कौन से नियम के आधार माननीय वाजपेयी जी बोल रहे हैं?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कोई आसमान गिरने नहीं जा रहा है। हम पुलिस की कहानी पर विश्वास नहीं करने वाले···आप हमें अनुमति नहीं दे रहे। (व्यवधान) आप हमें स्पष्टीकरण माँगने की भी अनुमति नहीं दे रहे। महोदय, आप निर्णय दीजिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने स्पष्टीकरण दे दिया है। यदि मन्त्री महोदय द्वारा वक्तव्य दिया जाता है तो उस पर चर्चा की अनुमति नहीं दी जा सकती। मैं उसकी अनुमति नहीं दे सकता। (व्यवधान)

---

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : महोदय, आप मेरी व्यवस्था के प्रश्न पर अपना निर्णय दीजिए। हम कुछ स्पष्टीकरण चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप किस नियम के अन्तर्गत स्पष्टीकरण माँग रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप नियम उद्धृत कर रहे हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप किस नियम के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उसी नियम के अन्तर्गत जिसके अन्तर्गत आप हमारा प्रश्न अस्वीकार कर रहे हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप किस नियम के अन्तर्गत अपना व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : केवल एक ही नियम है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया नियम बताइए। (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : नियम 377। (व्यवधान)

श्री गिरधारी लाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ? (व्यवधान)

श्री गिरधारी लाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 372 आप देखें।

"लोक महत्व के किसी विषय पर अध्यक्ष की सम्मति से मन्त्री द्वारा वक्तव्य दिया जा सकेगा किन्तु जिस समय वक्तव्य दिया जाएगा कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा।"

अब इसके साथ-साथ दूसरा नियम 373 भी आप देखें।

"अध्यक्ष किसी सदस्य को जिसका व्यवहार उसकी राय में घोर अव्यवस्थापूर्ण हो, तत्काल सभा के बाहर चले जाने का निदेश दे सकेगा और जिस सदस्य को इस तरह बाहर चले जाने का आदेश दिया जाए वह तुरन्त बाहर चला जाएगा और उस दिन की अवशिष्ट बैठक के समय तक अनुपस्थित रहेगा।"

इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इनका व्यवहार बिल्कुल अनुशासनहीनतापूर्ण है इसलिए इनको बाहर निकाला जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री व्यास जी किसी अन्य अवसर पर जब किसी ने किसी

नियम को उद्धृत किया था और कहा था "हम अपने ही साथियों के विरुद्ध कार्यवाही कर सकते हैं और उन्हें बाहर निकाला जा सकता है" तो मैंने कहा था कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने निर्णय लिया है कि इन पांच वर्षों में अपने साथियों के विरुद्ध कोई कड़ी कार्यवाही नहीं की जाएगी । अतः मैं वह कार्यवाही नहीं करूंगा । हम उन्हें विश्वास दिला सकते हैं और अनुरोध कर सकते हैं । वे भी संसद के सदस्य हैं, मैं भी संसद का सदस्य हूं । मैं आपकी सलाह नहीं मान रहा हूं ।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने अच्छा फैसला किया । निकाल नहीं रहे हैं । लेकिन व्यास जी का पुराना पाप धुल गया था, चाहे लाल द्वारे का हो, चाहे वहीं का हो, चाहे एमर्जेन्सी का हो, दल बदलने से नहीं बचेगा । इधर-उधर से काम नहीं चलेगा । **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वाजपेयी जी, आप सूचना देकर इस पर चर्चा की मांग कर सकते हैं ।

श्री अटलबिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : नियम 388 के अधीन, मैं उस नियम को निलम्बित करने का प्रस्ताव करता हूं जिसके अन्तर्गत आपने हमें कोई और स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति नहीं दी है । सुबह माननीय अध्यक्ष महोदय ने हमारे स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया । यहां तक कि ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की अनुमति भी नहीं दी गई । विरोधी-पक्ष का दबाव पड़ने से गृह मन्त्री वक्तव्य देने के लिए राजी हुए । परन्तु वक्तव्य मनगढ़न्त है । हम स्पष्टीकरण चाहते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह केवल अध्यक्ष की अनुमति से हो सकता है ।

श्री अटलबिहारी वाजपेयी : आप अपनी सहमति दीजिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अपनी स्वीकृति नहीं दे रहा हूं ।

(व्यवधान)*

बहिर्गमन के अतिरिक्त अन्य कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित न किया जाए ।

(व्यवधान)*

तत्पश्चात श्री अटलबिहारी वाजपेयी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा से बाहर चले गए ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के नियन्त्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा करेगी और उन पर मतदान होगा ।

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री आर०पी० दास ।

***श्री रेणुपद दास (कृष्णनगर)** : महोदय, मैं बंगला में बोलना चाहता हूं । अतः मुझे थोड़ा अधिक समय दिया जाए । महोदय, मैं मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का विरोध करता हूं । तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ही मंत्रालय का एक ऐसा स्कन्ध है जिसकी उपलब्धियों को हम स्वीकार करते हैं । हम तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को नए तेल क्षेत्रों का पता लगाने और तेल की दक्षतापूर्वक खोज करने के लिए बधाई देते हैं । परन्तु मुझे यह कहते हुए खेद है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग पर विदेशी ताकतों और बहुराष्ट्रिक कम्पनियों का प्रभाव देखा जा सकता है । हम यह भी देख रहे हैं कि बाहरी प्रभाव विशेष रूप से राजनीतिक प्रभाव तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कई विशेषज्ञता-पूर्ण मतों को बदल रहे हैं । यह बहुत ही क्षोभजनक बात है और हम इसका विरोध करते हैं । नए तेल क्षेत्रों का पता लगाने में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा निभाई गई भूमिका हमारे समर्थन और सहयोग की अपेक्षा रखती है । मैं औषधियों और रसायनों के उत्पादन, वितरण और नियन्त्रण के मामले में मंत्रालय की असफलता पर प्रकाश डालना चाहता हूं । उर्वरक का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन करने में असफलता मिली है । अन्न उत्पादन के लिए उर्वरक एक आवश्यक वस्तु है । सरकार नए उर्वरक संयत्र लगाने में असफल रही है । प्रबन्धकों और मजदूरों के आपसी संबंध और बिगड़ गए हैं । सरकारी उपक्रमों ने, एक आदर्श नियोक्ता बनने की बजाय, अधिकांशतः एकाधिकारी पूंजीवाद वाली घृणित, प्रतिक्रियावादी और मजदूर विरोधी नीतियों को अपनाया है । इन्हीं कारणों की वजह से मैं मंत्रालय की मांगों का समर्थन नहीं करता ।

ठेकों के मामले में, क्रय और विक्रय और तेल के आयात तथा भारतीय और विदेशी एकाधिकारी व्यवसायों तथा बहुराष्ट्रिक कम्पनियों के साथ सौदों के मामले में इस मंत्रालय ने भ्रष्टाचार का एक अद्वितीय शासन कायम कर रखा है । महोदय, यह मंत्रालय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अपने उत्तरदायित्व के दूरगामी प्रभाव को भूल गया तथा इसने विदेशी बाजारों से किसी भी कीमत पर तेल की खुली खरीद, तदर्थ खरीद और उधार खरीद करने लगा । यह उचित नहीं था । हमारे देश को साढ़े ग्यारह हजार करोड़ रुपए आयात पर खर्च करने पड़ते हैं । हमारा व्यापार घाटा 4000 करोड़ रुपये का है । इस स्थिति में यह मन्त्रालय 6000 करोड़ रुपए तेल के आयात पर व्यय करता है । यह विदेशी मुद्रा के भण्डारों को नष्ट करने का पैशाचिक उपाय है । यह एक दूसरा कारण है जिसके लिए मैं मंत्रालय की मांगों का समर्थन नहीं करता हूं ।

महोदय, इस समय मैं सरकार के नीति संबंधी मामलों में नहीं जाना चाहता । फिर भी मुझे यह कहना है कि तेल की कीमतों, तेल की खोज में विदेशों के साथ सहयोग तथा तेल जमा करने की योजनाओं के संबंध में हमारा सरकार से गहरा मतभेद है । हम इन मामलों में सरकार की नीतियों से सहमत नहीं हैं । तेल का मूल्य निर्धारित करने के मामले

*बंगला में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर ।

में कर के अंश को काफी हद तक कम किया जा सकता था। तब तेल के मूल्यों में मौजूदा स्तर तक वृद्धि करने का कोई औचित्य नहीं रहता। जब कीमतों में इतनी वृद्धि कर दी गई है तो छोटे और सीमान्त किसानों को डीजल, मिट्टी के तेल आदि पर आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए थी। सरकार ने निर्धन किसानों तथा अन्य निर्धन उपभोक्ताओं को इस प्रकार की सहायता देने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है।

महोदय, जो कार्य तेल और प्राकृतिक गैस आयोग अच्छी प्रकार कर सकता है उन्हें अनावश्यक रूप से विदेशी कम्पनियों को नहीं दिया जाना चाहिए। हम इसे नीति संबंधी मामला समझते हैं। तेल और प्राकृतिक गैस के पास जो विशेषज्ञता और अनुभव उपलब्ध है उसका उपयोग तेल की खोज के लिए सफलतापूर्वक किया जा सकता है। परन्तु हम देखते हैं कि विदेशी प्रोद्यौगिकी आदि के नाम पर ऐसे कार्य विदेशी कम्पनियों को सौंपे जा रहे हैं। यह पता लगा है कि ऐसी कई विदेशी कम्पनियाँ तेल में भागीदारी के आधार पर तेल की खोज कार्य करने में रुचि रखती हैं। निस्संदेह मंत्री महोदय ने यह आशवासन तो दिया है कि वह तेल में भागीदारी के लिए सहमत नहीं होंगे।

ठेका करने से पूर्व इस बात को अवश्य ही ध्यान में रखा जाना चाहिए।

अब राष्ट्रीय परिवहन नीति का मामला आता है। जब तेल के मूल्य इतने अधिक हों कि हमें केवल एक मद पर 6000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़े तो परिवहन नीति इस प्रकार से बनाई जानी चाहिए थी कि तेल के आयात को धीरे-धीरे कम किया जा सकता। अतः वस्तुओं की ढुलाई के लिए आन्तरिक जल परिवहन और तटीय नौवहन को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए था। रेलें बिजली या भाप इंजनों से चलाई जानी चाहिए। डीजल इंजन के प्रयोग को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। सड़क परिवहन को कम से कम महत्व दिया जाना चाहिए। इससे डीजल और तेल के आयात में काफी कमी हो सकती है। इस सम्बन्ध में मैं चीन का उदाहरण देता हूं। चीन में सड़क परिवहन को बहुत कम महत्व दिया गया है। आन्तरिक जल परिवहन और रेलवे को अधिकतम महत्व दिया गया है। परिणामस्वरूप उनकी अर्थव्यवस्था में तेल का आयात इतना महत्व नहीं रखता। यह मन्त्रालय ऐसी व्यवहारिक राष्ट्रीय परिवहन नीति के न होने के कारण तेल के आयात पर भारी राशि व्यय कर रहा है।

मैं मंत्रालय की मांगों का विरोध इसलिए भी करता हूं क्योंकि यह पश्चिम बंगाल में उचित ढंग से तेल की खोज करने में असमर्थ रहा हैं। इस संबंध में उनके द्वारा पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए हैं। यह हल्दिया तेल शोधक कारखाने को उत्पादन की स्थिति तक लाने में भी असफल रहा है। यह पश्चिम बंगाल में रानीगंज में कोयले से गैस बनाने का कारखाना लगाने के बारे में निर्णय लेने में असफल रहा है, यह मंत्रालय पश्चिम बंगाल में कल्याणी, दुर्गापुर और साल्ट लेक पर औषधि कारखाना लगाने में असफल रहा है, मैं इन मामलों में राज्य सरकार के साथ सहयोग न करने का इस मंत्रालय का जो रवैया रहा है

उसके कारण मैं इस मन्त्रालय की मांगों का विरोध करता हूं। महोदय, पैराफिक्स वैक्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है परन्तु उसकी माँग और पूर्ति में सदैव बड़ा अन्तर रहता है। महोदय, डीजल, मिट्टी के तेल आदि में भी यही कहानी दोहराई जाती है। यह मंत्रालय माँग और पूर्ति में कभी भी समन्वय नहीं ला सकता और इसमें सदैव काफी अन्तर बना रहता है। मैं इस कारण से भी मंत्रालय की माँगों का विरोध करता हूं। महोदय, इंडियन कार्बन लिमिटेड एक ऐसी कम्पनी है जो कच्चे पैट्रोलियम की सप्लाई न होने के कारण बन्द पड़ी है। पश्चिम बंगाल सरकार इस कम्पनी को अपने हाथ में लेना चाहती है परन्तु ऐसा न कर पा रही है, क्योंकि यह मंत्रालय कच्चे पेट्रोलियम की सप्लाई का आश्वासन नहीं दे रहा है।

महोदय, राज्य सरकार ने हल्दिया में पेट्रो-कैमिकल्स उद्योग समूह स्थापित करने का निर्णय किया है। इस उद्योग समूह के बारे में पिछले चार वर्षों से बात चल रही है। महोदय, इस उद्योग के आरम्भ हो जाने के पश्चात् सम्पूर्ण पूर्वी क्षेत्र में विशेष रूप से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार में औषधि उद्योग की स्थापना में काफी सहायता मिलेगी। केन्द्र अभी इस उद्योग की स्थापना के बारे में उचित निर्णय नहीं ले पाया है। आई०सी०पी०एल० को इस परियोजना में सह-संस्थापक के रूप में कार्य करने का निमन्त्रण दिया गया था। भारत सरकार को प्रस्तुत किए गए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में ईक्विटी शेयरों में राज्य सरकार का भाग 49 प्रतिशत, आई०सी०पी०एल० का 30 प्रतिशत तथा अन्य सरकारी वित्त संस्थानों का 20 प्रतिशत आदि रखा गया था। मैं मंत्रालय से इस मामले में शीघ्र और सही निर्णय लेने का अनुरोध करता हूं।

मैं माननीय मन्त्री जी को एक अन्य विषय का स्मरण दिलाना चाहता हूं। हिन्दुस्तान फर्टीलाइजर कारपोरेशन के मुख्यालय की स्थापना कलकत्ता में करने के सम्बन्ध में बड़े अरसे से मांग की जा रही है। यह मांग उचित भी है। हमें यह बात समझ नहीं आती कि इस सम्बन्ध में इतने लम्बे अरसे से निर्णय क्यों नहीं लिया जा रहा है। इस मामले पर शीघ्र ही निर्णय लिया जाना चाहिए। जैसाकि मैं पहले भी कह चुका हूं हमें पश्चिम बंगाल में समय समय पर डीजल और मिट्टी के तेल के अत्यन्त अभाव का सामना करना पड़ता है। इस समय भी वहां पर इन वस्तुओं का अभाव है। इस प्रकार भी स्थिति को लम्बे समय तक नहीं रहने देना चाहिए। कई बार मैं यह सोचता हूं कि क्या डीजल और मिट्टी के तेल की नियमित सप्लाई में बाधा डालने वाली इस मंत्रालय की गतिविधियाँ तथा शीघ्र निर्णय लेने के लिए वांछित इच्छा की कमी आदि कहीं राजनीतिक कारणों से तो नहीं हैं। सामान्य तौर पर यह देखा गया है कि जिन राज्यों में गैर-कांग्रेसी-आई सरकारें सत्ता में हैं, वहाँ इस मन्त्रालय द्वारा उनके साथ इस प्रकार का असहयोग अधिक देखा जाता है। उन राज्यों में डीजल, मिट्टी के तेल की अनियमित सप्लाई आदि द्वारा कठिनाइयाँ पैदा करने का प्रयास किया जाता है। वैगनों के समय पर उपलब्ध न होने आदि से, यह भी दिखाई देता है कि उन राज्यों के सम्बन्ध में शीघ्र और सही निर्णय लेने की इच्छा का अभाव है।

मैं यह नहीं कहना चाहता कि इस प्रकार का रवैया सरकार की किसी योजनाबद्ध नीति के कारण है। किन्तु ऐसा हो सकता है कि सरकार तथा प्रमुख नेताओं को खुश करने की गर्ज से अधिकारी और नौकर शाह इस प्रकार की कठिनाइयाँ उत्पन्न कर रहे हों। इसकी गम्भीरता से जाँच करनी होगी। सरकार भी अन्ततः उसी नीति का समर्थन करती है जिससे उन राज्यों की जनता के लिए अशांति और कठिनाइयाँ पैदा होती हैं। मैं इस मंत्रालय की मांगों का इन कारणों से भी विरोध करता हूं। मैं मन्त्री महोदय से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं :—

(i) तेल की खोज के मामले में पश्चिम बंगाल का महत्व क्या है;

(ii) क्या पश्चिम बंगाल में तेल की खोज का कार्य उसकी उस महत्ता के अनुपात अथवा उसके अनुसार चल रहा है;

(iii) इस समय नादिया जिले में 'राधा', 24-परगना में जगुलिया, कलकत्ता में, 24-परगना में ठाकुलतला में तथा डायमंड हार्बर में तेल की खोज का कार्य किस प्रकार चल रहा है;

(iv) हमने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि कलकत्ता वास्तव में तेल पर तैर रहा है। लोग सरकार से इस सम्बन्ध में विस्तार से जानना चाहते हैं कि क्या यह सत्य है अथवा इन समाचारों के सम्बन्ध सही स्थिति क्या है।

(v) नादिया जिले में 'अग्रद्वीप' तथा वर्दवान जिले में 'कलना' स्थान पर गैस मिलने पर भी ओ० एन० जी० सी० इन क्षेत्रों का सघन सर्वेक्षण क्यों नहीं करा रहा है।

मैं माननीय मन्त्री जी से इन बातों पर ध्यान देने का अनुरोध करता हूं।

महोदय, जनता शासन के दौरान सरकार ने पश्चिम बंगाल में तीन कम्पनियों, दी बंगाल एण्ड फार्मास्युटिकल वर्कस, दी स्मिथ स्टानीस्ट्रीट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड तथा बंगाल इम्युनिटी कम्पनी लिमिटेड का प्रबन्ध पहले अपने हाथों में लिया और तत्पश्चात उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया। इन तीन वर्षों में इन सभी कम्पनियों में उत्पादन और बिक्री में बहुत सुधार हुआ है यद्यपि उनमें पुराने संयन्त्रों और मशीनों से कार्य किया जा रहा है। उनके संयुक्त उत्पादन का मूल्य 1978-79 में 15 करोड़ रुपए आंका गया था। वह 1979-80 में बढ़कर 19 करोड़रुपए हो गया और 1980-81 में इसके 21 करोड़ रुपए हो जाने की आशा है। इससे यह सिद्ध होता है कि पश्चिम बगाल में श्रमिक-सम्बन्ध और औद्योगिक सम्बन्ध अच्छे हैं और उद्योगों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण है। कुछ गैर-सरकारी उद्यमों में श्रमिक सम्बन्ध अच्छे नहीं हैं और उनमें उत्पादन में काफी गिरावट आई है।

महोदय, हमारे देश में बलक ड्रगस का कुल उत्पादन 240 करोड़ रुपए के मूल्य का

है। फार्मूलेशन्स 1200 करोड़ रुपए मूल्य के हैं तथा आयातित ड्रग्स लगभग 150 करोड़ रुपए मूल्य के हैं। अतः हमारे देश में कुल उपलब्ध दवाइयों का मूल्य लगभग 1600 करोड़ रुपए हैं। अतः औषधियों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 11 रुपए हैं और 1981 की जनगणना के बाद इस प्रति व्यक्ति उपलब्धता में और कमी आ जायेगी क्योंकि अब हमारी आबादी 69 करोड़ हो जाएगी। हमारे देश में 10 अथवा 11 रुपए प्रति व्यक्ति की इस छोटी सी राशि की तुलना में अमेरीका में यह 310 रुपए प्रति व्यक्ति है तो पश्चिम जर्मनी में 235 रुपए, फ्रांस में 241 रुपए तथा जापान में 252 रुपए प्रति व्यक्ति है। इससे यह जान सकते हैं कि आज के इस समय विश्व में हमारे देश में दवाइयों का उत्पादन और उपलब्धता प्रति व्यक्ति क्या है। महोदय, हम देखते हैं कि हमारे देश में उत्पादित दवाईयों में से 80 प्रतिशत दवाईयाँ बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा निर्मित की जाती हैं। अर्थात लगभग 1000 करोड़ रुपए की औषधियाँ बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा तथा 200 करोड़ रुपए की औषधियाँ भारतीय तथा सहकारी क्षेत्र में निर्मित हो रही हैं। इन बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों ने धीरे धीरे महत्वपूर्ण और प्राणरक्षक औषधियों का उत्पादन कम कर दिया है। उदाहरण के तौर पर, ग्लेक्सो कम्पनी ने रेडियोलोजिकल उत्पादों का जो कि एक्स-रे प्रयोजनों के लिए आवश्यक होते हैं उत्पादन कम कर दिया है। सभी बहु-राष्ट्रीय कम्पनियाँ महत्वपूर्ण दवाओं और एन्टी-बायटिक दवाओं आदि का उत्पादन कम कर रही हैं। इससे हम जान सकते हैं कि हमारे देश में आवश्यक वस्तुओं की कमी पूरा करने में यह कम्पनियाँ क्या भूमिका निभा रही हैं जबकि अधिकांश उत्पादन पर उनका नियन्त्रण है। मैं यहाँ पर इन कम्पनियों द्वारा विदेशों को भेजने वाले लाभ की राशि का प्रश्न नहीं उठा रहा हूं। मैं यहाँ पर इन कम्पनियों के अपने भारतीय कर्मचारियों के साथ सम्बन्धों और व्यवहार का प्रश्न भी नहीं उठा रहा हूं। इन कम्पनियों ने अपने मैडीकल और सेल्स रिप्रेजेन्टेटिवों को वह वेतन और कमीशन भी नहीं दिया जिसके बारे में समझौता हुआ था। हमने यह भी देखा है कि सेल्स प्रोमोशन इम्पलाईज (कंडीशन आफ सर्विस) एक्ट, 1976 भी इन कम्पनियों के ही हितों का संरक्षण करता है। इसके अन्तर्गत मेडीकल और सेल्स रिप्रेजेन्टेटिवों को कोई लाभ नहीं हुआ। अतः मैं यह मांग करता हूं कि इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का शीघ्र ही राष्ट्रीयकरण किया जाए। उनके इक्विटी शेयर को 40 प्रतिशत तक सीमित करना काफी नहीं है। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबन्धों के विरुद्ध कुछ बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों ने 100 प्रतिशत शेयर रख लिए हैं और कुछ ने 75 प्रतिशत शेयर रख लिए हैं और अनेक कम्पनियों ने यह कह कर इसे उचित ठहराया है कि ड्रग उद्योग अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की तरह है। ऐसी स्थिति में उन्हें अपना कार्य बन्द कर देने के लिए कह दिया जाना चाहिए और उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना चाहिए। हम इस बात को कभी स्वीकार नहीं कर सकते कि बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों ने हमारे देश की सहायता की है और उन्होंने दवाओं का मूल्य जनता की क्रय शक्ति के अन्दर रखा है। महोदय, मैं इस सरकार और इस मन्त्रालय की असफलता के कुछ और भी उदाहरण देना चाहता हूं। पश्चिम बंगाल सरकार ने आई० डी० पी० एल० को कल्याणी तथा साल्ट

लेक में सिंथेटिक ड्रग प्लांट लगाने के लिए आमंत्रित किया था। इस उद्देश्य के लिए भूमि का आवंटन किया गया था और आई० डी० पी० एल० के लिए छठी योजना में 68 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी। किन्तु हमें आज तक भी यह पता नहीं चला कि इन संयंत्रों की स्थापना के लिए कोई निर्णय लिया गया है अथवा नहीं। महोदय, डे० से-केमी० लिमिटेड, जोकि सबसे बड़ा क्लोराफेनीकल संयंत्र और पूर्वी भारत का एक-मात्र एंटी-बायटिक संयंत्र है, पिछली फरवरी से बन्द पड़ा है। इसमें सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधि हैं। इसके बावजूद भी इसे चालू नहीं रखा जा सका। इसके राष्ट्रीयकरण की मांग कई ओर से की गई थी। किन्तु सरकार से कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। इस संयंत्र में एंटी-बायटिक और प्राणरक्षक दवाओं का उत्पादन होता है और जब देश में इन दवाओं का बहुत अभाव है तो इस संयंत्र को पुनः खोला जाना चाहिए।

मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि बम्बई में फारमास्युटिकल कम्पनी के नाम से एक कम्पनी है। इस कम्पनी के प्रबन्धक इसे मई, 1981 से इस बहाने के आधार पर बन्द कर रहे हैं कि यह घाटे में चल रही है और इस कम्पनी में श्रमिक अशान्ति बनी हुई है। यह बहाने बेकार हैं मैं यह कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र सरकार के श्रम विभाग में श्रमिक अशान्ति का कोई भी मामला दर्ज नहीं करवाया गया है। यह एक महत्वपूर्ण कम्पनी है और इसमें एन्टी-टी० बी० दवाओं का तथा ब्राडस्पेक्ट्रम एन्टी-बायटिक दवाओं का उत्पादन होता है। सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए अभी से कदम उठाने चाहिए कि इस प्रकार का महत्वपूर्ण औषधि निर्माण कारखाना बन्द न हो जाए।

महोदय, मैं मन्त्री महोदय का ध्यान अब उर्वरक उत्पादन के सम्बन्ध में इस मन्त्रालय की असफलता की ओर दिलाना चाहता हूं। उनकी असफलता एक कहानी बन गई है। महोदय, बम्बई हाई में बड़े पैमाने पर प्राकृतिक गैस मिली है। 1977 में ओ० एन० जी० सी० ने बताया था कि इस प्राकृतिक गैस से उर्वरक बनाए जा सकते हैं और इसलिये वर्तमान उर्वरक उत्पादन बढ़ कर लगभग दुगुना हो जायेगा। इसके आधार पर बम्बई के समीप थाल वैशेट में दो उर्वरक संयंत्र तथा गुजरात में हाजिरा में दो संयंत्र स्थापित करने की एक योजना बनाई गई। इन संयंत्रों को भारत में उपलब्ध प्रौद्योगिकी और जानकारी से स्थापित किया जा सकता है। किन्तु विदेशी प्रौद्योगिकी और इन प्रत्येक संयंत्र की क्षमता 1350 टन रखने के आधार पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को आमन्त्रित किया गया। इसके परिणामस्वरूप यह देखा गया कि दो विदेशी फर्में, जैसे अमरीका की सी० एफ० ब्रौन तथा होलडोर टोपसोइ, जोकि डेनिश फर्म है, इन सयंत्रों को स्थापित करने के लिए ठेके प्राप्त कर रही हैं। यहाँ यह नोट करने की बात है कि इन चार संयंत्रों को स्थापित करने का प्रस्ताव जनता सरकार तथा उसके बाद की सरकार द्वारा किया गया था। किन्तु वर्तमान सरकार के सत्तारूढ़ होने के पश्चात उसने भूतपूर्व सरकारों के निर्णयों को रद्द कर दिया और उन्होंने कुछ विशेषज्ञ समितियों का गठन किया। बाद में ऊंचे स्रोतों से आने वाले

निर्देशों के आधार पर विशेषज्ञ समितियों के परामर्श को भी एक तरफ रख दिया गया। और उपरोक्त अमरीकी और डैनिश कम्पनियों को इन चार संयंत्रों को स्थापित करने के लिए ठेके दे दिए। बाद में यह पता चला कि यह डैनिश फर्म होलडोर टोपसेड़ एक इटालियन फर्म, जिसका इस कम्पनी के 50 प्रतिशत शेयरों पर नियन्त्रण है, की एक सहायक कम्पनी है।

महोदय, अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं आप का ध्यान एक और बात की ओर दिलाऊंगा। आप जानते हैं कि नेप्था का अत्यधिक अभाव है। अतः कोयले और गैस का इस्तेमाल करके उर्वरक उत्पादन को प्राथमिकता देने का निर्णय किया गया था। तदनुसार रानीगंज में कोयले पर आधारित एक उर्वरक संयंत्र लगाने का निर्णय किया गया था। विशेषज्ञ समिति का विचार था कि रानीगंज में उच्च स्तर का कोयला उपलब्ध है तथा मूलभूत ढांचे सम्बन्धी अन्य सभी चीजें भी वहां पर उपलब्ध हैं। अब इस संयंत्र के लिए मध्य प्रदेश में सिंगुरिली का दावा प्रस्तुत किया गया है। यह कहा जा रहा है कि सिंगुरिली में, 400 करोड़ टन कोयला उपलब्ध है। हम महसूस करते हैं कि विशेषज्ञ समिति के विचारों को दृष्टि में रखा जाए और स्थानीय लाभों को ध्यान में रखते हुए इस संयंत्र को रानीगंज में ही स्थापित किया जाए, जैसा कि पहले निर्णय किया जा चुका हैं। इस निर्णय पर बाह्य या गैर-सांवैधानिक या राजनीतिक विचार से प्रभाव नहीं डाला जाना चाहिए। उपरोक्त कारणों के आधार पर मैं इस मंत्रालय की मांगों का विरोध करता हूं।

मैं एक बार फिर माननीय मंत्री को पश्चिम बंगाल सरकार से सहयोग करने और औषधियों, तेल, उर्वरकों तथा रसायनों के उत्पादन के हित में और सम्पूर्ण देश की भलाई के हित में उनकी तर्क संगत और औचित्यपूर्ण मांगों को स्वीकार करने का अनुरोध करता हूं। उन्हें राजनीतिक विचारों से प्रवाहित नहीं होना चाहिए। इस अनुरोध के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : मैं प्रस्ताव करती हूं : "कि पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय शीर्षक के अंतर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[भारतीय सरकारी क्षेत्र के पास तेल खोजने की क्षमता होने के बावजूद विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का तेल खोजने की अनुमति दिए जाने की नीति की समीक्षा करने की आवश्यकता (1)]

[पेट्रोल के युक्तिसंगत उपयोग के संबन्ध में योजना बनाने और कार्यान्वित करने में असफलता जिसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा खर्च करना पड़ता है (2)]

[मिट्टी का तेल और एल० पी० गैस उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने में असफलता (3)]

[पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में हाल्दिया उर्वरक निगम में उर्वरकों का उत्पादन आरम्भ करने में असफलता (34)]

श्री टी० आर० शमन्ना (दक्षिण बंगलौर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाये।"

[देश में खनिजों का उत्पादन बढ़ाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रभावी उपाय करने मै देश में असफलता (12)]

[हवाई जहाजों और बहुत महगी कारों को पेट्रोलियम की सप्लाई कम करके पेट्रोलियम उत्पादों के प्रयोग में मितव्यता बरनने में, जिससे विदेश मुद्रा की बचत हो, असफलता (13)]

[लोकोमोटिव्स आदि चलाने के लिए अल्कोहल स्प्रिट, सौर ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा की व्यापक जाँच करके पेट्रोल का विकल्प ढूढ़ने में असफलत (14)]

[पेट्रोल और कच्चे तेल के आयात पर खर्च की जा रही भारी विदेश मुद्रा में बचत करने की आवश्यकता (15)]

[तेल, मिट्टी का तेल और गैस के सुरक्षित भण्डार बनाने की आवश्यकता ताकि आपात स्थिति में जवकि पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई कम हो या अनियमित हो, तो उसका उपयोग करने की आवश्यकता (16)]

[पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई और उनके वितरण को बेहतर बनाने के लिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, भारतीय तेल निगम और आयल इंडिया निगम के प्रशासन में सुधार की आवश्यकता (17)]

[पेट्रोलियम उत्पादों में अपमिश्रण रोकने की आवश्यकता (18)]

[घरेलू तथा गैर-घरेलू प्रयोग के लिए एल० पी० जी० सिलेंडर एलाट करने के लिए उचित उपाय करने में असफलता (19)]

[कर्नाटक में मंगलौर या करवार में तेल शोधक कारखाना स्थापित करने में असफलता (20)]

[पेट्रोलियम उत्पादों का बिक्री मूल्य नियत करने के लिए विशेषज्ञों का एक स्वतन्त्र निकाय बनने की आवश्यकता (21)]

[मध्य पूर्व तथा अन्य पेट्रोल उत्पादक देशों से बार्टर प्रणाली के आधार पर पेट्रोल लेने की आवश्यकता (22)]

[अच्छी किस्म की खाद कम कीमत पर तैयार करने की आवश्यकता (23)]

[उर्वरकों के उचित उत्पादन तथा वितरण के लिए नए उर्वरक कारखानों को उपयुक्त स्थानों पर लगाने की आवश्यकता (24)]

[उर्वरकों की अच्छी किस्म, उत्पादन और वितरण को योजनानुसार सुनिश्चित

करने हेतु उर्वरक कारखानों पर प्रभावी तथा समन्वित नियन्त्रण रखने की आवश्यकता (25)]

[पेट्रो-कैमिकल एककों के साथ सहयोग करके या उनकी सहायक कम्पनियों के रूप में पोलिस्टर फिलामेन्ट धागा तैयार करने के लिए प्लास्टिक और फिलरिज कारखाना लगाने की आवश्यकता (26)]

[कीटनाशी दवाओं के उत्पादन और बिक्री को राष्ट्रीयकृत संस्थानों के माध्यम से ही सप्लाई करने आवश्यकता (27)]

[दवाइयों की किस्म को बनाये रखने और नकली दवाइयों की बिक्री को, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हों, प्रभावी ढंग से रोकने की आवश्यकता (28)]

"कि पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक उद्योग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[दवाइयों विशेषकर जीवन रक्षक दवाइयों की कीमत कम करने की आवश्यकता (29)]

[विशिष्ट सुयोग्य डाक्टरों तथा अनुभवी बायो-केमिस्टों की सहायता से दवाई कार्य में गहन अनुसन्धान की आवश्यकता (30)]

[बढ़िया दवाइयों का उत्पादन उचित मूल्यों पर सुनिश्चित करने के लिए सभी फार्मास्यूटिकल कारखानों के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता (31)]

[सरकार द्वारा आयुर्वेदिक तथा यूनानी दवाएं जो चिकित्सीय दृष्टि से अत्यन्त लाभदायक हैं, तैयार करने की आवश्यकता (32)]

[देश में प्राकृतिक गैस का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रभावी उपाय करने में असफलता (33)]

श्री रेणु पद दास (कृष्ण नगर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[आसाम आयल कम्पनी का राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता (35)]

[सड़कों की मरम्मत तथा रख-रखाव के लिए पश्चिम बंगाल और केरल को बीटूमेन की वास्तविक सप्लाई सुनिश्चित करने तथा कोटा बढ़ाने की आवश्यकता (36)]

[यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता कि किसी विदेशी राष्ट्रों के साथ तेल खोजने के किसी समझौते पर हस्ताक्षर न हों जिससे कि देश के हितों को क्षति न पहुंचे (37)]

[गहरे समुद्र से तेल निकालने में अनुसंधान हेतु एक समुद्री तकनीक अनुसंधान डिवीजन स्थापित करने की आवश्यकता (38)]

[रानीगंज और आसनसोल नगरपालिका क्षेत्रों को खाना पकाने की गैस की सप्लाई पुन: शुरू करने की आवश्यकता (39)]

[कलकत्ता और वृहत कलकत्ता के अन्य नगरपालिका क्षेत्रों को खाना पकाने की गैस पर्याप्त मात्रा में सप्लाई सुनिश्चित करने की आवश्यकता (40)]

[पेट्रोल और डीजल की खपत में कमी करने के लिए एक सघन योजना तैयार करने की आवश्यकता (41)]

[दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता में एल० पी० गैस कनेक्शनों की माँग को पूरा करने में असफलता (42)]

[हल्दिया तेल शोधक कारखाने से कार्बन ब्लैक, फीड स्टाक, जूट बैंचिंग और क्रूड टरपेन्टाइन आयल का उत्पादन बढ़ाने न असफलता (43)]

[पश्चिम बंगाल को पैराफीन मोम और कच्चा पेट्रोलियम की सप्लाई करने में असफलता (44)]

"कि रसायन और उर्वरक उद्योग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

[ब्रांड नामों को समाप्त करने और औषधि फार्मूलेशनों का मानकीकरण करने, जिसका पालन सभी औषधि कम्पनियाँ आवश्यक रूप से करें की आवश्यकता (51)]

[दवा निर्माता कम्पनियों को औषधि तथा दवा के लिए बुनियादी अनुसंधान हेतु उत्पादन करने के लिए बाध्य करने की आवश्यकता ताकि देश को औषधि तथा दवाई उत्पादन में आत्म निर्भर बनाया जा सके (52)]

[खुदरा विक्रेताओं को औषधि तथा दवाइयों के वितरण के लिए एक राष्ट्रीय निगम की स्थापना करने की आवश्यकता (53)]

[औषधि तथा दवाइयों और बाल आहारों के मूल्यों में भारी कमी करने के लिए तुरन्त कदम उठाने की आवश्यकता (54)]

[औषधि तथा दवाई उद्योग में सभी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां तथा भारतीय एकाधिकार कम्पनियों का तुरन्त राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता (55)]

[उचित विधान बनाकर दवाई उद्योग में स्टाकिस्ट तथा वितरक प्रणाली को समाप्त करने की आवश्यकता (56)]

[छोटे तथा सीमान्त किसानों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से डीजल तथा उर्वरकों की सप्लाई करने की आवश्यकता (57)]

[छोटे तथा सीमान्त किसानों के फायदे के लिए नाइट्रोजन जनित उर्वरकों पर सरकारी सहायता देने की आवश्यकता (58)]

[दूर दराज क्षेत्रों में किसानों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की व्यवस्था करने की आवश्यकता (59)]

"कि रसायन और उर्वरक उद्योग शीर्षक के अन्तर्गत माँग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[बाजार में जीवन रक्षक दवाइयों की उपलब्धता बनाए रखने में असफलता (60)]

[आवश्यक औषधियों का पर्याप्त मात्रा में निर्माण सरकारी क्षेत्र में करने में असफलता (61)]

"कि रसायन और उर्वरक उद्योग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये।"

[हाथी समिति की सिफारिशों के अनुसरण में दुर्गापुर में एक औषधि संयंत्र स्थापित करने की आवश्यकता (62)]

[बड़े पैमाने पर उपयोग में लाई जाने वाली औषधियों का आयात, जो साल-दर-साल बढ़ रहा है, रोकने में असफलता (63)]

[हल्दिया पेट्रो-रसायन केन्द्र के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल सरकार और भारत सरकार के उपक्रम आई० सी० एफ० एल० के उत्तरदायित्वों का विस्तृत ब्यौरा बताने में असफलता (64)]

[पश्चिम बंगाल को मिट्टी का तेल तथा डीजल की अनिश्चित सप्लाई (65)]

[जीवन रक्षक औषधियों को उत्पत्ति मूलक नामों से पुकारने जिसके फलस्वरूप इन औषधियों के मूल्यों में काफी कमी होगी, में असफलता (66)]

[बड़ी औषधि विनिर्माणी कम्पनियों द्वारा अनुचित लाभ उठाने को रोकने में असफलता (67)]

[वर्ष 1977-78 से 1980-81 की अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्रों के लिए औषधि तथा दवाई के सम्बन्ध में कार्यकारी ग्रुप द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य को प्राप्त करने में असफलता (68)]

[रानीगंज में कोयले पर आधारित एक उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार के प्रस्ताव पर विचार करने की आवश्यकता (69)]

[आई० डी० पी० एल० और एच० एस० एल० की विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करने में विलम्ब को रोकने की आवश्यकता (70)]

[कास्टिक सोडा के मूल्य में वृद्धि को रोकने में असफलता (71)]

[हल्दिया में पेट्रो-रसायन कम्पलैक्स स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस जारी करने में असफलता (72)]

[1980-81 के दौरान नाइट्रोजन जनित उर्वरकों के उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने में असफलता (73)]

[उर्वरक मजदूरों के वेतन ढांचे को संशोधित करने में, जैसा कि भारतीय उर्वरक मजदूर संघ ने माँग की है, असफलता (74)]

[उर्वरक मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी, जैसा कि सभी राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनों ने माँग की है, तय करने में असफलता (75)]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रसायन तथा उर्वरक उद्योग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

[विदेशी औषध कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करने में असफलता (76)]

डा० एम०एस० संजीवी राव (काकीनाडा) : सभापति महोदय, मैं पेट्रोलियम रसायन तथा उर्वरक मन्त्रालय की अनुदान की माँगों के समर्थन में खड़ा हुआ हूं । हमारे बड़े ही योग्य एव व्यावहारिक मन्त्री महोदय श्री प्रतापचन्द्र सेठी के सुयोग्य मार्गदर्शन में मन्त्रालय में अनेक उत्पादन हो रहे हैं जो कि देश के आर्थिक विकास और उत्तरजीविता के लिए अनिवार्य और महत्वपूर्ण है । इस मन्त्रालय पर वाद-विवाद में किसी को भी भाग लेने से डराने के लिए इसकी विशालता और जटिलताएं ही पर्याप्त हैं । फिर भी इसकी बजट चर्चा में भाग लेने का साहस करके मैं काले सोने के नाम से प्रख्यात पेट्रोलियम उत्पादों तक ही अपनी बात सीमित रखने का प्रयास करूंगा । यथाशीघ्र हमारे देश को कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए पक्का निर्णय लेने के लिए मैं केन्द्र सरकार को और विशेषकर मन्त्री महोदय को मुबारकबाद देता हूं । कच्चे तेल के आयात पर पहले ही बहुत अधिक खर्च हो रहा हैं और वह अभी भी बढ़ रहा है । यदि आपको याद हो तो 1973 में अरब-इजराइल युद्ध से पहले कच्चे तेल की कीमतें 3.2 डालर प्रति/बेरल थीं । मुझे अभी भी याद है कि 1973 में मैंने जब पेट्रोलियम मन्त्रालय की अनुदान की माँगों की बहस में भाग लिया था तो मैंने उस समय पेट्रोलियम के आयात पर 300 करोड़ रुपये व्यय करने के बारे में शिकायत की थी । आज देखिए क्या कीमत है ? आज पेट्रोलियम के एक बैरल की लागत 32 से 36 डालर तक आती है और देश आज 5,600 करोड़ रुपये खर्च कर रहा है । उसकी तुलना में हमारे देश का समस्त निर्यात लगभग 7,100 करोड़ रुपए है । तो महोदय, आर्थिक विकास और आम आदमी के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की कीमत पर, खून-पसीने से अर्जित की गई विदेशी मुद्रा का अधिकांश भाग तेल-निर्यातक देश चट कर जाते हैं । अतः मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वे यह देखें कि उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली कदम उठाए जाएं । मुझे प्रसन्नता है कि मन्त्रालय ने तट से दूर बम्बई-हाई में 1984-85 तक उत्पादन को वढ़ाकर 170 लाख टन तक करने का निर्णय लिया है । 1984-85 तक उत्तर-पूर्व तथा गुजरात क्षेत्र के भू-भाग से समस्त उत्पादन लगभग 100 लाख टन होने की आशा है । परन्तु मेरा अनुमान है कि देश की आवश्यकता 500 लाख टन होगी । इस प्रकार 230 लाख टन कच्चे तेल और 60 लाख टन पेट्रोलियम उत्पादों की कमी रहेगी जिसके लिए हमें लगभग 10,000 करोड़

रुपये व्यय करने पड़ेंगे । यह भी पूर्वानुमान लगाया जाता है कि 1990 तक कच्चे तेल के आयात के लिए लगभग 20,000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी । अतः मन्त्री महोदय कौन से प्रभावी कदम उठाने जा रहे हैं ? मैं उनसे हार्दिक निवेदन, करता हूं कि वे इस काले सोने को खोज के काम को तेजी से बढ़ाएं तथा यह देखें कि उत्पादन की ऊंची दर प्राप्त करने के लिए सभी उपलब्ध प्रतिभाओं, कौशल और विशेषज्ञों की सेवाओं का लाभ उठाया जाए ।

मुझे खेद है कि मन्त्रालय तन्द्रा में पड़ा हुआ है, विशेषकर गोदावरी हाई के आसपास कच्चे तेल की खोज और दोहन के मामले में । देश की अर्थव्यवस्था से यह स्पष्ट है कि देश का भविष्य समुद्र तट से दूर के क्षेत्रों में तेल के लिए खुदाई पर निर्भर है । तट से दूर सागर बीच तेल क्षेत्रों के विकास को तट से दूर प्रोद्योगिकी कहा जाता है और यह भी परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष यात्रा प्रोद्योगिकीयों जैसे अन्य तत्कालीन विज्ञानों की तरह ही जटिल है । हमारे देश के निरपेक्ष आर्थिक क्षेत्र को बढ़ाकर 320 कि० मी० कर देने के लिए राष्ट्रसंघ समुद्र विधि धन्यवाद की पात्र हैं जिसमें हमारे समुद्र तट की लम्बाई 5,600 कि०मी० हो गई और 15 लाख वर्ग कि०मी० क्षेत्र प्राप्त करने में हमारा [illegible] भाग्यशाली रहा जो कि यदि हम इसका सही उपयोग करें तो एक विशाल क्षेत्र है । हम सभी जानते हैं कि गहरे समुद्रों में भारी मात्रा में गैस, पेट्रोलियम और जस्ता, केडमियम, नोडूल्स के रूप में मैंगनीज और सबसे बढ़कर मछलियाँ पाई जाती हैं । इस विशाल समुद्री-क्षेत्र का जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने हमें प्रदान किया है, उपयोग करना हमारा काम है । परन्तु, दुर्भाग्य से गोदावरी के तट से दूर खुदाई का क्षेत्र लगभग 250-300 मीटर होगा । तेल के लिए खुदाई करने के लिए, अभियान्त्रिकी, निर्माण कार्य और उसका उत्पादन तथा उसकी ढुलाई के लिए और विशेषकर 300 मीटर गहरे पानी में और वह भी बंगाल की खाड़ी की तरह अशान्त समुद्र में तो यह आवश्यक हो जाता है कि हम गहरे समुद्र एवं गहरे पानी की प्रौद्योगिकी पर निर्भर करें । गोदावरी समुद्र तट से दूर के क्षेत्र के विकास के लिए, यह अनिवार्य है कि सरकार गहरे पानी की प्रौद्योगिकी का अध्ययन आरम्भ करें ।

प्रो० एन० जी० रंगा : और लोगों को प्रशिक्षित करे ।

श्री एम० एस० संजीवी राव : महोदय इस प्रकार के अशान्त समुद्रों और गहरे पानी की खुदाई के लिए केवल ऐसे दो क्षेत्र मिले हैं जिनका कि विकास किया जा रहा है। वे हैं (1) एक कम्पनी द्वारा जिसे "शैल" नाम दिया गया है मैक्सिको खाड़ी में कोगनाओ नामक क्षेत्र में उसे विकसित किया जा रहा है, और (2) 200 मीटर में शान्त बारबाटा चैनल के निकट के क्षेत्र में कैलीफोर्नियाँ में लॉस एन्जल्स तट से दूर एक्सन कम्पनी खुदाई कर रही है । आपको यह भी याद रखना चाहिए कि इन दोनों कम्पनियों ने खोज के इस काम को शुरू करने से पहले, लगभग 250 श्रम-वर्ष लगाए थे जिसमें 80 वैज्ञानिक निरन्तर 3 वर्ष तक जुटे रहे थे । इसी तरह मुझे पता चला है कि अमरीका में प्रतिवर्ष तट से दूर प्रौद्योगिकी के नाम से प्रदर्शनी और सम्मेलन होते हैं । यह ओ० टी० सी० के

नाम से जानी जाती है जहाँ इंजीनियर नवीन परिवर्तनों, तकनीकों, उत्पाद अनुसंधानों और प्रौद्योगिकी के विकास के बारे में विचार-विमर्श करते हैं। अत: मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि विशेषज्ञों के एक दल के साथ वे ओ० टी० सी० सम्मेलन में भाग लें जहाँ उन्हें यह पता चल सके कि गोदावरी हाई, पांडिचेरि के निकट पोर्ट-नोवो और उड़ीसा-हाई जैसे क्षेत्रों में जो कि सभी बंगाल की खाड़ी में हैं, किस प्रकार इन नवीन प्रक्रियाओं को अपनाया जा सकता है। यह याद रखिए कि हमें बंगाल की खाड़ी पर अधिक ध्यान केन्द्रित करना है, क्योंकि यह एक आश्रित समुद्र है जो कि अन्दमान और निकोबार वर्ग के द्वीप समूहों की श्रृंखला से घिरा हुआ है, आच्छादित है जबकि बम्बई-हाई में अमरीका के सातवें बेड़े और रूसी जहाजों का जमघट है तथा विश्वव्यापी समस्याएं उसे घेरे हुए हैं। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि चूंकि बंगाल की खाड़ी तुलनात्मकरूप में एक सुरक्षित क्षेत्र है हमें इस क्षेत्र पर अधिकाधिक ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

महोदय, उस दिन हमारे मन्त्री महोदय जब कारों के लिए तेल के रूप में अलकोहल को गैसोलीन के साथ मिश्रित करने के प्रश्न का उत्तर दे रहे थे तो उन्होंने यह कहकर विषय को बदल दिया था कि देश में पर्याप्त पेट्रोलियम का आयात कर लिया गया है तथा कारों के लिए गैसोलीन की कोई समस्या नहीं है। यह दुर्भाग्य की बात है कि उन्होंने प्रश्न के महत्व को ही नहीं समझा। यह कोई पेट्रोलियम की उपलब्धि का प्रश्न नहीं है। परन्तु किस कीमत पर? वे यह भी जानते हैं कि देश इस पर न केवल 5600 करोड़ रूपए ही व्यय कर रहा है परन्तु उसे समस्त विश्व में पेट्रोल के लिए भीख भी मांगनी पड़ रही है।

अत: मैं मन्त्री महोदय से अपील करता हूं कि उसे नए परिवर्तन करने चाहिएं तथा पेट्रोल की खपत को कम करने के लिए वैकल्पिक ऊर्जाओं का विकास करना चाहिए। प्रधान मन्त्री महोदया के आशीर्वाद से मुझे भी कनाडा के ओटावा नगर में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर हुए राष्ट्रमण्डील सम्मेलन में अपने देश का नेतृत्व करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कनाडा और अमरीका द्वारा ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को विकसित करने के लिए किए जा रहे गहन अध्ययन से मैं दंग रह गया और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई।

आप सभी जानते हैं कि कच्चे तेल और कोयले के विशाल स्रोतों के कारण कनाडा एक धनाढ्य देश है। परन्तु, महोदय दो वर्ष पूर्व कनाडा की संसद ने ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का पता लगाने के लिए, गहन अध्ययन हेतु उच्च-शक्ति प्राप्त एक संसदीय समिति का गठन किया था। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आपने इस बारे में क्या किया है? हमें समय के अनुसार अपने प्रयास तीव्र करने होंगे। यही हाल अमरीका का भी है। उनके पास पेट्रोलियम भरपूर मात्रा में हैं, परन्तु फिर भी अमरीका में गैसोलीन स्टेशनों के साथ-साथ गैसोल स्टेशन भी कार्य कर रहे हैं।

ब्राजील का ही मामला लीजिए । ब्राजील निश्चय ही भारत से कहीं अधिक समृद्ध देश है । गैसोल को प्रयोग में लाने वाले वे पहले लोग थे और उन्होंने सभी पेट्रोल स्टेशनों के स्थान पर गैसोल स्टेशन लगा लिए हैं । इसके अतिरिक्त उन्होने अब क्या किया है ? आजकल उनकी एक लाख कारें अल्कोहल से चल रही हैं । जब 1979 में मैं वहां गया था तो मैंने रिओ-डियो-जनिरो में स्वयं देखा था कि अनेक कारें शुद्ध अल्कोहल से चल रही थीं । उन्होंने सीरा के बजाय गन्ने से सीधे अल्कोहल बनाने की प्रौद्योगिकी में और आगे विकास किया है ।

अतः महोदय हमारे देश में यही ठीक समय है, विशेषकर आपके मन्त्रालय के लिये कि यह निश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं कि इस प्रकार की नवीन पद्धति, प्रक्रिया को अपनाया जाए जिससे कि हम गैसोलीन की कुछ मात्रा की बचत कर सकें और मूल्यवान विदेशी मुद्रा को बचा सकें ।

प्रो० एन० जी० रंगा : परन्तु उसकी लागत के बारे में क्या ख्याल है ?

श्री एम० एस० संजीवी राव : वे कहीं अधिक सस्ते हैं । अपने मन्त्री महोदय से यह मेरा निवेदन है । जैसा कि आप जानते हैं, दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने कोयले से तेल निकालने की प्रौद्योगिकी में कुशलता प्राप्त कर ली है । मेरे विचार से इसकी लागत तीस डालर प्रति बैरल पड़ती है । क्यों नहीं हम इस वर्ष से 10 लाख टन की क्षमता के प्रायोगिक संयन्त्र से कार्य आरम्भ कर देते हैं ?

आस्ट्रेलिया में सूरजमुखी को डीजल तेल के रूप में प्रयोग करने की प्रौद्योगिकी में कुशलता प्राप्त कर ली गई है । इस सबके लिए गहन अध्ययन की आवश्यकता है और मैं चाहता हूं कि हमारा देश जो कि विश्वख्याति के अनेक प्रौद्योगिकीविज्ञों तथा वैज्ञनिकों की डींग मारता है उसे उनका लाभ इस क्षेत्र में उठाना चाहिए । उनकी सेवाएं क्यों नहीं ली जा रही हैं ?

महोदय, अब मैं दूसरा मुद्दा उठाता हूं । आप सभी जानते हैं कि हमारा निर्यात तो केवल 7,100 करोड़ रुपए का है जब कि हमारा आयात लगभग 11,300 करोड़ रुपए का है । इसमें लगभग 4,200 करोड़ रुपए का व्यापार असन्तुलन है । भला हो बाहर से देश में भेजे जाने वाले धन का जिससे यह अब घटकर 2,200 करोड़ रुपए ही रह गया है । और भला हो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का, शायद हमारा घाटा लगभग 1300 करोड़ रुपए का हो जाए । परन्तु फिर भी खाई चौड़ी होती जा रही है । अतः एक लक्ष्य यह भी है कि विदेशी मुद्रा कैसे अधिकाधिक मात्रा में अर्जित की जाए और इस मामले में उन अनेक सलाहकार और अभियान्त्रिक फर्मों को मुबारकबाद देता हूं जो कि बड़ा ही उत्तम कार्य कर रही हैं । अभियान्त्रिक और सलाहकार फर्मों के पास चूंकि सभी अभियान्त्रिक शाखाओं के प्रतिष्ठित, दक्ष एवं बढ़िया वैज्ञानिकों तथा प्रौद्योगिकी विज्ञों की टीम होती है, इसलिए वे सबसे अधिक प्रगतिशील देशों के साथ प्रतियोगिता में सफल रहते हैं । ये कम्पनियां किसी भी

प्रकार के उद्योग के अभिकल्पन, निर्माण और स्थापित करने तथा संचालित करने की स्थिति में होती हैं। वे हमारे देश का नाम ऊंचा कर रही हैं। व्यापार स्रोतों के अनुसार, 1979-80 में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की अभियान्त्रिकी संविदाएं और सलाहकार सेवाएं प्रदान की गई जो कि कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। परन्तु उसकी तुलना में यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आपकी रिपोर्ट को पढ़ते समय मैंने पाया कि आपकी इंजिनियर्स इण्डिया लिमिटेड जो कि अनेक वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी विज्ञों की आपके यहां होने की शेखी बघारती रहती है और जो, तेल शोधन के कारखाने खड़े करने, पाइप लाइन बिछाने और तथा सामुद्रिक अभियान्त्रिकी सेवाओं के विशेषज्ञ कहलाते हैं वे केवल 142 लाख डालर ही कमा सकें अथात 11 करोड़ रुपए। मैं नहीं जानता कि आपके इन्जीनियर्स इण्डिया लिमिटेड में क्या गड़बड़ हो रही है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वे इस पर ध्यान दें।

महोदय, अब मैं कुछ शब्द उर्वरकों के बारे में बोलूंगा। आपके प्रतिवेदन के अनुसार आप 27.5 लाख टन नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों की बजाय, केवल 22 लाख टन का ही उत्पादन कर सके और आपका कहना यह है कि ऐसा कोयले और नेप्था की कमी के कारण तथा असम आन्दोलन के कारण हुआ। ऐसे बहाने तो आप आए दिन बनाते रहते है और कहते रहते हैं कि आधारभूत-ढाँचे की असफलता के कारण आप निश्चित लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। मुझे आशा है कि यह देखने के लिए कि संयन्त्र की अधिकतम क्षमता का उपयोग हो रहा है, मन्त्री महोदय प्रभावी कदम उठायेंगे।

महोदय, अपनी बात समाप्त करने से पूर्व मैं काकीनाड़ा उर्वरक निर्माण के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। मन्त्री महोदय जानते हैं कि मैं उनसे कई बार निवेदन कर चुका हूं। उन्हें यह बात भली भाँति मालूम है कि मेरे चुनाव-क्षेत्र काकीनाड़ा की इस उर्वरक निर्माण की आधारशिला राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने रखी थी। उस उत्सव में ब्रिटेन के उच्चायुक्त सर जॉन थामसन ने भी भाग लिया था। इसे तीन वर्ष हो चुके हैं परन्तु यह वहीं का वहीं है जबकि राज्य सरकार इस पर 9 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है उन्हें भली भाँति पता है कि यदि काकीनाड़ा में यह संयन्त्र एक बार चालू हो जाता है तो इसके सारे उत्पादन का उपयोग सौ मील के क्षेत्र के भीतर-भीतर ही हो जाएगा। रेल और सड़क परिवहन की अड़चनों को देखते हुए, मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय श्री सेठी कार्यवाही करके केन्द्र सरकार की ओर से सहायता का हाथ बटायेंगे और काकीनाड़ा में इस उर्वरक निर्माण को वास्तविकता का रूप प्रदान करेंगे।

श्री दिगम्बर सिंह (मथुरा) : सभापति महोदय, इस मन्त्रालय के अनुदानों की मांगों पर बोलते हुए मैं अनुभव कर रहा हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण मन्त्रालय है। इस मन्त्रालय का सम्बन्ध अनेक ऐसी चीजों से है जो, मानव मात्र के काम आती हैं। मैं अनुभव कर रहा हूं कि आकाश में जो हवाई जहाज उड़ रहे हैं, सड़कों पर जो मोटरें और सामान

ढोने वाले ट्रक चलते हैं, खेतों में जो ट्रैक्टर और पंपिंग सेट चल रहे हैं, वे अधिकतर इस मन्त्रालय से सम्बन्धित डीजल और पेट्रोल से चलते हैं।

मैं यह भी अनुभव कर रहा हूं कि हमारे रक्षा मन्त्रालय के लिए जो जहाज और टैंकों की आवश्यकता होती है उसका भी इस मन्त्रालय से सम्बन्ध हो ता है। मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उनको और बातों के अतिरिक्त इस ओर ध्यान देना चाहिए कि जिन चीजों का सम्बन्ध कृषि मन्त्रालय से है क्योंकि कृषि मन्त्रालय द्वारा हमारी राष्ट्रीय सम्पत्ति का आधा भाग मिलता है, उसके लिए जो डीजल या खाद की आवश्यकता होती है उसकी तरफ विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। होता क्या है ? आप देखेंगे एक ही पेट्रोल पम्प से ट्रक के लिए डीजल मिलता है और उसी से ट्रैक्टर के लिए डीजल मिलता है लेकिन जब उसकी कमी होती है तो ट्रकों को मिलता रहता है, ट्रैक्टरों को बन्द कर दिया जाता है। मन्त्री महोदय को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, अगर वह कर सकते हैं तो ऐसा करें कि ट्रक्स के लिए अलग डीजल पम्प हो और ट्रैक्टरों के लिए अलग हो। पम्पिग सेट और ट्रैक्टर जिनके लिए किसान डीजल लेता है उसके लिए अलग डीजल पम्प बनाया जाय। अगर ऐसा किया जाय कि सहकारी समितियां किसानों की बनाई जायं और उनके द्वारा यह मिले तो ज्यादा अच्छा होगा।

हमारे देश में जो हरित क्रान्ति हुई उसका बहुत कुछ श्रेय ट्रैक्टर्स, पम्पिग सेट और रासायनिक खाद को है। रासायनिक खाद के ऊपर हमने बजट को देखा तो हमें आश्चर्य हुआ। हर एक मद में रुपया बढ़ाया गया है लेकिन भारत उर्वरक निगम के लिए 80-81 में 60 करोड़ रुपया था जिसे 81-82 में 26 करोड़ 7 लाख कर दिया गया है। आश्चर्य होता है इस बात से कि एक तरफ उर्वरक बढ़ाने की आवश्यकता है और इधर उसमें रुपया कम किया जा रहा है। मन्त्री महोदय को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए।

एक बात और मैं निवेदन करना चाहूंगा, बड़ा आश्चर्य होता है यह देखकर कि जितने पब्लिक सेक्टर के कारखाने हैं उनमें अधिकतर में हानि होती है लेकिन अगर उर्वरक के कारखाने को देखें तो उनमें लाभ होता है। लाभ के सम्बन्ध में मै एक आँकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूं। आप देखें 78-79 में पब्लिक सेक्टर के मदरास उर्वरक निगम के कारखाने में 18 करोड़ 32 लाख रुपये का लाभ हुआ। यह लाभ क्यों होता है कि किसानों को जो उर्वरक दिया जाता है उसका मूल्य आवश्यकता से अधिक रखा जाता है जबकि और वस्तुएं जो कि पब्लिक सेक्टर में बनती हैं उनमें हानि होती है। मैं यह निवेदन करूंगा, अगर और जगह हानि होती है तो यहाँ हानि नहीं कर सकते तो कम से कम इतना महंगा उर्वरक उनको न दिया जाय जितना कि इस वक्त दिया जाता है। माननीय सदस्य इस बात से परिचित होंगे कि इस उर्वरक में छोटे किसानों के लिए कुछ अनुदान दिया जाता है लेकिन होता क्या है ? वह अनुदान आप देखें उन बेचारे छोटे किसानों को नहीं मिलता बल्कि बीच के आदमी वह चाहे उसके एजेंट हों या अधिकारी हों, वे उसका लाभ उठा लेते हैं। तो इसका प्रयत्न करना चाहिए कि वह लाभ किसानों

के पास पहुंचे जिससे वे अपना उत्पादन बढ़ाएंगे और उनकी आर्थिक स्थिति पर अच्छा असर पड़ेगा ।

मैं आपके द्वारा यह निवेदन करूंगा कि हमें इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि हमारे यहां जो दवाइयां बनाई जाती हैं उसके लिए भी मैंने देखा खास तौर से कीड़ा मारने के लिए जो दवाइयां बनाई जाती हैं, उसका एक कारखाना है जिसका नाम है हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स इंस्टीट्यूट, 1980-81 में उसके लिए 13 लाख रुपया रखा गया था लेकिन उसको घटाकर 1981-82 में 10 लाख रुपया कर दिया गया है जबकि उसका भी सम्बन्ध कृषि से ही है । सरकार को कृषि से सम्बन्धित चीजों की अधिक व्यवस्था करनी चाहिए, बजाए इसके कि उनमें कमी की जाए ।

मैं आप के द्वारा यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि तेल देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और जैसा कि मैंने अखबार में पढ़ा है, रूस के एक वैज्ञानिक ने बताया है कि भारतवर्ष तेल के ऊपर तैर रहा है । ऐसी स्थिति में हमें अधिक से अधिक तेल का उत्पादन करने करने का प्रयत्न करना चाहिए । आज तेल के कारण हमारे देश का आयात अधिक है और निर्यात कम है । अगर हम देश में अधिक तेल का उत्पादन कर लेते हैं तो हमारा आयात कम हो जाएगा । हमारे मन्त्री जी इस सम्बन्ध में विशेषज्ञ हैं, बहुत योग्य हैं तथा अनुभवी भी हैं । मैं समझता हूं वे इस ओर विशेष ध्यान देकर अधिक से अधिक तेल का उत्पादन करने का प्रयास करेंगे ।

इस सम्बन्ध में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि विश्व के अन्य देशों में जब कोई विकास हो जाता है, वहाँ के वैज्ञानिक जब कोई खोज कर लेते हैं तब हम भी उसकी नकल करते है । हम स्वयं वैज्ञानिक खोजें करने की ओर क्यों नहीं बढ़ते ? आज दुनिया के सभी वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं कि एक दिन यह तेल समाप्त होने वाला है फिर तेल का कोई उपयुक्त विकल्प ढूंढ़ने की तरफ हमारे वैज्ञानिक पूरा ध्यान क्यों न दें, बजाए इसके कि हम दूसरों की नकल करें । इस प्रकार हमारे देश में आयात की समस्या नहीं रहेगी बल्कि हम निर्यात भी करने लगेंगे ।

देश में बीमारों के लिए दवाइयों का प्रबन्ध सरकार करती है लेकिन मुझे यह कहने में शर्म और शंकोच होता है कि कैंसर, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारी मानी जाती है उसके इलाज के लिए दो इंजेक्शन्स है—एक्टोमाइसिन बी और डेक्टोमाइसिन बी जिसका इम्पोर्ट इंग्लैंड से होता है लेकिन दुर्भाग्य से वह इस देश में प्राप्य नहीं है । यदि आज कोई कैंसर का मरीज यह चाहे कि उसको यह इन्जेक्शन मिल जायें तो वह नहीं मिल सकते हैं । इस सम्बन्ध में मैंने एक प्रश्न भी किया था जिसके उत्तर में सरकार ने कहा कि वह प्राप्य नहीं हैं लेकिन सरकार ने उनको प्राप्त कर सकने की कोई व्यवस्था नहीं की । मुझे ऐसा मालूम हुआ है कि जो कम्पनी इनको इंग्लैंड से इम्पोर्ट करती है उसको उतने दाम नहीं लेने दिए जाते जितने में कि वह बेचना चाहती है इसलिए वह कम्पनी

उसका इम्पोर्ट नहीं करती है। कैंसर के मरीज या डाक्टर जब यह देखेंगे कि वे ये इंजेक्शन प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो उनके ऊपर क्या बीतेगी इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जितनी जल्दी सम्भव हो इसकी व्यवस्था करें। जबतक कि इस देश में उसके विकल्प के रूप में इंजेक्शन तैयार नहीं हो जाते हैं जिनसे कि इलाज किया जा सके तबतक सरकार उसको बाहर से मंगाकर दे।

आज जो खाना पकाने की गैस है वह शहर के लोगों को बहुत बड़ी मात्रा में मिल जाती है। दूसरे ईंधनों के मुकाबले वह सुविधाजनक है और सस्ती भी है। आज उसकी माँग बढ़ती जा रही है जिसको पूरा करने का प्रबन्ध होना चाहिए। मैं साथ ही यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि उस समय बड़ी बदनामी होती है जब यह बात सुनने में आती है कि जो एजेंसी की जा रही उसके लिए रुपया खर्च करना पड़ेगा।

मेरा आप से निवेदन है कि सरकार इनको नीलाम करे। जैसे शराब का ठेका नीलाम होता है और उसमें जो लाभ होता है वह सरकार को जाता है, उसी तरह से ये भी नीलाम किए जांए और यदि उससे होने वाले लाभ को सरकार नहीं लेना चाहे तो वहाँ की नगर पालिका को दे दिया जाय। इसमें यह प्रतिबन्ध रखा गया है कि अधिक इन्कम वाले इसकी एजेन्सी को नहीं ले सकते, लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि बहुत से चालाक लोग दूसरों के नाम से एजेन्सी लेंगे और खुद लाभ उठायेंगे। इस लिए इस सम्बन्ध में विशेष ध्यान रखा जाय।

सभापति महोदय, अब मैं उस कारखाने के सम्बन्ध में कुछ बातें कहना चाहता हूं जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र मथुरा में स्थित है - मेरा तात्पर्य "मथुरा तेल शोधक कारखाने" से है। मैं आप को बतलाऊं जब श्रीमती इंदिरा गांधी मथुरा गई थीं, उन्होंने वहाँ पर भरी सभा में ऐलान किया था कि इस कारखाने से देश को लाभ होगा, मथुरा जिले की जनता को लाभ होगा, लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी' जिसमें मथुरा की जनता को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनके खेत लिए जा रहे हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। उस समय वहाँ पर बैठी हुई जनता ने बहुत खुशियां मनाईं। यहाँ तक कि कुछ विरोधी पार्टियों के लोगों ने उस सभा में हुल्लड़ मचाने की कोशिश की तो उनको जनता ने पीट दिया, इतने अच्छे काम का तुम क्यों विरोध करते हो। उस खुशी से नाचते और कूदते हुए वे लोग घर को लौटे। मथुरा में चतुर्वेदी समाज है—इन चतुर्वेदियों का काम बाहर से जो जजमान आते हैं उनको दर्शन करा कर दक्षिणा लेते हैं। उन्होंने इस घोषणा से बहुत खुशी मनाई, इसलिए कि अब हमारे बच्चों को नौकरी मिलेगी, हमारा यह जो मांगने का रोजगार है यह अब समाप्त हो जायेगा और हम स्वाभिमान से रह सकेंगे। लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि बहुत जल्दी उनकी आशायें निराशाओं में बदल गई। मैंने इस सम्बन्ध में पार्लियामेंट में प्रश्न पूछा था, मुझे सरकार की तरफ से जो उत्तर मिला है, उसको सुनकर आपको आश्चर्य होगा। उस कारखाने में 193 अधिकारी हैं जिनमें से

मथुरा के केवल 3 हैं। इतना ही नहीं मथुरा के लोगों को इस बात का भी दुःख है कि बाहर के लोग मथुरा ट्रांस्फर कर दिये जाते हैं और कुछ बाहर केएम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज के साथ सांठगांठ करके उनको मथुरा का नागरिक बना दिय जाता है। चपरासी वगैरह की जगहों पर जहाँ मथुरा के लोगों को कुछ स्थान मिल रहा है उनमें इस तरह के फर्जी लोगों को मथुरा का नागरिक बना कर भरती कर लिया जाता है।

हमारी सरकार को प्रधान मंत्री जी की उस घोषणा का ध्यान रखना चाहिए और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आज जो कुछ आसाम में हो रहा है वह मथुरा में न हो जाय। वहाँ के लोग अल्प-संख्या में हो जांए और बाहर के लोग मथुरा के नागरिक बन कर मथुरा के लोगों का शोषण करें। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं—जब लोगों के सामने आर्थिक समस्या होती है तो वे सिद्धान्तों और आदर्शों को भी भूल जाते हैं, वे समस्या के हल के लिए आन्दोलन करने को भी तैयार हो जाते हैं। आज आप देख रहे हैं—बगैर किसी पार्टी का सदस्य बने लोग आन्दोलन कर रहे हैं, आसाम में, गुजरात में जो हो रहा है, वह इस बात का सुबूत है। पार्लियामेन्ट में सभी पार्टियों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया, लेकिन जिनके सामने आर्थिक समस्यायें हैं आप उनको रोकने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। मथुरा के बृज-वासियों की भूमि ली गई, वे बेकार हो गए, जमुना का पानी कहां का गन्दा होगा-मथुरा का होगा। वहां पानी का लेवल नीचे चला जायेगा, ट्यूब-वेल खराब होंगे। वहां पर जो गैस निकलेगी उसका असर पड़ेगा, हालांकि उसको रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन किसी की गलती से यदि किसी समय वह गैस निकल जाय तो वहां की फसलों और बागों पर बहुत खराब असर पड़गा, ताजमहल पर उसका असर होगा—ये सब हानियाँ मथुरा की होंगी, लेकिन उसका फायदा उठायेंगे बाहर के लोग। इसलिए ऐसा न हो कि जिस तरह से बृजवासियों ने व चतुर्वेदियों ने कंस से लड़ाई लड़ी थी उसी तरह से आन्दोलन हो जाय। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मैं व्यक्तिगत तौर से इस बात में विश्वास नहीं रखता हूं कि जनता को या किसी पार्टी को, जब देश में डेमोक्रेसी हो, तो सत्याग्रह करना चाहिए। हमें अपनी माँगें सरकार के सामने रखनी चाहिए और ठीक तरीके से या मिल कर काम कराना चाहिए और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है। मैं इसमें विश्वास नहीं करता हूं और इसी वजह से जब वहाँ कारखाने सत्याग्रह हुआ तो विरोधी दल में होते हुए भी मैंने उसमें अपना सहयोग नहीं दिया और मैं वहाँ नहीं गया।

मैं वहाँ समस्याओं के बारे में आप को बताना चाहता हूं। मैंने भूतपूर्व मंत्री जी को पत्र लिखा था और उन्होंने मुझे यह लिखा था कि हम इसका जवाब देंगे लेकिन वह जवाब नहीं मिला। हमारे जो वर्तमान मंत्री जी हैं, इनको भी पत्र लिखा था और उन्होंने लिखा था कि जवाब देंगे लेकिन अभी तक जवाब मुझे नहीं मिला है। मैं कहाँ तक बताऊं, मैं वहाँ का नागरिक होते हुए भी और इससे पहले तीन दफा इस लोक सभा का सदस्य रह चुका हूं और मुझे पूरे देश के कारखानों को देखने का अवसर मिला है लेकिन दुर्भाग्य से मैं

अपने उस कारखाने के अन्दर नहीं घुस सकता, जो मेरी कांस्टीटुयेन्सी में है, जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है। यही नहीं, जब वहाँ पर मंत्री जी जाते हैं या अधिकारी जाते हैं, तो मुझे इसके बारे में कोई सूचना नहीं दी जाती है। आप सोच सकते हैं कि एक नागरिक, जो 7 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करता है, वह उस कारखाने के अन्दर नही घुस सकता। वह रेल में चढ़ कर उसको बाहर से देख सकता है या कार में बैठ कर बाहर से देख सकता है लेकिन लोक सभा के इस बदकिस्मत सदस्य को यह अवसर नहीं है कि वह उस कारखाने को अन्दर जा कर देख सके। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि मंत्री जी कृपा करके वहाँ के अधिकारियों को यह कह दें कि लोक सभा का सदस्य जब और जगह जा कर देख सकता है, तो मथुरा की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य कम से कम उसको देख सके कि वहाँ क्या हो रहा है। मैं तो यह समझाता हूं कि अगर कभी मजदूर बन कर भी मैं उसके जाना चाहूं, तो जाना मुश्किल है क्योंकि बिना पास के उसके अन्दर नहीं जा सकते। वहाँ पर पास का प्रतिबन्ध है और उसके बगैर अन्दर नहीं जाने दिया जाता। एम० पी के लिए पास का प्रतिबन्ध कहीं नही हैं लेकिन वहाँ पर बिना पास के एम० पी भी नहीं जा सकता। वहाँ पर इस तरह की बातें हो रही हैं और इन पर आप को ध्यान देना चाहिए, ऐसा मेरा आप से निवेदन है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं और पहले भी मैंने इसके बारे में कहा था कि उस कारखाने में जो सीमेंट इस्तेमाल किया गया, वह खराब सीमेंट था, जो ईंटें इस्तेमाल की गईं, वे खराब थीं और जो सामान इस्तेमाल किया गया, वह खराब इस्तेमाल किया गया। जब इसके बारे में सरकार से पूछा गया, तो यह जवाब दिया गया कि उसकी इन्क्वायरी हो रही है, उसकी खोज कर रहे हैं और खोज करने के उपरान्त इसका जवाब देंगे लेकिन 7-8 महीने हो गए हैं. उस खोज का क्या परिणाम हुआ, यह अभी तक पता नहीं चल सका है। मैं मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस पर ध्यान दें। वहाँ की जनता में बड़ा असन्तोष है, वहाँ के नागरिक असन्तुष्ट हैं और असन्तुष्ट होकर इस तरह की मांगें कर रहे हैं। मैं तो यह निवेदन करूंगा कि कृपा करके एक दफा आप मथुरा जाएं और एक मीटिंग करे, एक सभा करें और उसमें उनकी माँगों को सुनें। हमारी प्रधान मन्त्री जी वहां पर गई थीं और उन्होंने उन लोगों को आश्वासन दिया था। उन्होंने जो बातें कहीं थीं, उनके आधार पर आप उनको आश्वासन दें कि आप के हित की जो बात है, जनता के हित की जो बात है, उस पर जरूर ध्यान देंगे। अगर आपने उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया, तो वहाँ पर आंदोलन और बढ़ेगा।

मैं एक-दो बातें कहकर अपना भाषण समाप्त करना चाहूंगा। मैं यह बताना चाहता था कि यदि आप मथुरा में जाएं या किसी और माननीय सदस्य को वहाँ भेजें, तो उन कारखाने के आसपास अगर आप पूछताछ करेंगे, तो आपको यह बताया जाएगा कि किस पोस्ट के लिए क्या रेट है। इस रेट पर यह पोस्ट मिलती है और इस रेट पर वह पोस्ट मिलती है। कोई 4 हजार में, कोई 3 हजार में, कोई 5 हजार में और कोई 2 हजार रुपये में मिलती है और उसके लिए वहां पर आपको एजेन्ट मिल जाएंगे। उन एजेन्टों के

द्वारा वहाँ पर काम होता है । विज्ञापन नहीं निकाले जाते हैं और वहां की एम्पलायमेंट एक्सचेंज से नाम ले लिए ज ते हैं और दोनों मिलकर इस तरह की चीजें कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर आपको गम्भीरता से विचार करना चाहिए और सोचना चाहिए वरना इससे एक बहुत बड़ा खतरा पै ा हो सकता है और लोगों में बहुत ज्यादा असंतोष पैदा हो जाएगा । वहाँ के नागरिक इसके लिए कहते हैं लेकिन अभी तो हम चुप हैं और अभी कोई उनसे सहयोग नहीं किया है लेकिन आप ही बता दीजिए कि जिस निर्वाचन क्षेत्र से मैं आता हूं, वहाँ की जनता में असन्तोष है और वह बार-बार हमें मजबूर करती है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। मेरे पास, आप देखें अनेकों दरख्वास्तें पड़ी हुई हैं, अनेकों शिकायतें आयी हुई हैं। उनके बारे में मैं कहाँ कहूं और किससे कहूं और कब तक उनके बारे में न कहूं । मैं मन्त्री जी से एक निवेदन करके अपनी बात समाप्त करता हूं । मेरे पास 26 जनवरी 1981 की योजना पत्रिका है। उसमें यह लिखा हुआ है, जिसको मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं :

> "आम आदमी की धारणा है कि उसके इलाके में या उसके राज्य में किसी सार्वजनिक उद्योग की स्थापना से उसके राज्य को और जिस स्थान पर वह उद्योग लगाया गया है उस स्थान के आसपास के इलाके के लोगों को लाभ पहुंचेगा। लेकिन पिछले तीस वर्षों के अनुभव से यह बात सिद्ध हो चुकी है कि महज कारखाना लगा देने से ही यह आशा करने लगना ठीक नहीं है कि कारखाने के आसपास के इलाके का विकास हो जाएगा या राज्य के शेष भागों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी । इसके लिए उन्होंने सुझाव दिया है । वहाँ के लोगों को मौका दिया जाए सहायक कारखाने खोलकर । अगर वहाँ के लोगों को इस कारखाने के और कामों में मौका न दिया गया। ठेकेदार बाहर से लाकर लगा दिए जाएं, नौकर कहीं और से लाकर लगाए तो वहां के लोगों को साइड बिजनैस का मौका दिया जाए और उन्हें इसके लिए ट्रेनिंग दी जाए । इससे मथुरा के नागरिकों को भी रोजगार का अवसर मिलेगा । अगर ऐसा नहीं हुआ तो वहां स्थिति एक संघर्ष का रूप ले सकती है । इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा हूं । यही मेरा निवेदन है ।"

सभापति महोदय : सभा अब कल 11 बजे म०पू० पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है ।

मध्याह्न पश्चात 6.06 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा बुधवार अप्रेल, 1981/11 चैत्र, 1903 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।